राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 02] पन्द्रहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या: 07

शुक्रवार,

12 जुलाई 2019

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

प्रदेश में गोपालन के प्रोत्साहन की योजनाएं

101. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गोपालन को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौनसी योजना क्रियान्वित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पुरानी परम्परा के अनुसार गायों को चराने हेतु ग्रामवासी ग्वाल जो गायों को चराकर लाते थे, को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे? क्या सरकार उपरोक्त को प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक गांव में सरकारी खर्चे पर गोपालक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

मास्टर भंवर लाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (गोपालन मंत्री के स्थान पर): (1) जी हां। गोपालन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाएं संचालित हैं:-

(1) गौशाला विकास योजना।

(2) आर.के.वी.वाई.- रफ्तार अन्तर्गत कामधेनु डेयरी योजना।

(3) इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एवं भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा थारपारकर एवं गिर नस्ल के गौवंश संरक्षण-संवर्धन योजना।

(4) बीकानेर जिले के ग्राम नापासर में 5 करोड़ रुपये की लागत से गो-अभयारण्य स्थापित करना।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

(5) गौशाला बायो गैस सहभागिता योजना।

(6) नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना।

(7) गौशाला/कांजी हाउस में चारा-पानी एवं पशु आहार हेतु सहायता

(8) वध से बचाये गये गौवंश की सहायतार्थ अनुदान।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विभाग में इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं जानना चाहता हूं कि आर.के.वी.आई. क्या है? वर्तमान सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाएं क्या-क्या हैं? क्या गौमाता जी को चराने की पुरानी परम्परा गलत थी? गौमाता जी को चराने की पुरानी परम्परा लागू क्यों नहीं करना चाहते हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-1 के नंबर 2 पर आर.के.वी.आई. - रफ्तार अंतर्गत कामधेनू डेयरी - इसके बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस संबंध में मेरा निवेदन है कि कामधेनू डेयरी योजना वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ की गयी थी। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर.के.वी.आई. है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने इसका शाब्दिक प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। आप सुनने की क्षमता रखें। मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं। आप सीनियर हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य ने पूछा है कि आर.के.वी.आई. क्या है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नाम आर.के.वी.आई. है। इसके व्यक्तिगत लाभार्थी योजना वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ की गयी थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप एक-एक प्रश्न पूछें। आपने तीन प्रश्न साथ पूछ लिये। इन्होंने एक ही जवाब दिया। आप एक-एक प्रश्न पूछें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैंने कहा कि वर्तमान सरकार की नयी योजनाएं क्या-क्या हैं? यह पूछा था।

श्री अध्यक्ष: आप एक ही पूछो। आपने चार प्रश्न पहले भी एक साथ पूछ लिये थे। उत्तर एक का ही आया।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

यह पुरानी योजना जुलाई, 2018 में चालू की गयी। उन योजनाओं के बारे में मैंने प्रश्न के खण्ड संख्या 1 में दिया, नंबर 1।

नंबर 2, ये आर.के.वी.आई. के बारे में पूछा, उसका मैंने आपको उत्तर दे दिया। अभी सरकार के पास कोई दूसरी योजनाएं नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के हर ब्लाक खण्ड के अंदर एक नंदी गोशाला खोलने का अभी प्रस्ताव रखा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): शराब व पैट्रोल पर सैस लगाया हुआ है तो उस पैसे का उपयोग कहां-कहां हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह रिलेवेंट नहीं है। अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप नीचे बैठें। यह ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, आप नीचे बैठें प्लीज। I have to name it. आप सीनियर होकर वायोलेशन करेंगे। आप रिलेवेंट नहीं पूछ रहे।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अनियमितता के प्रकरण

102. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता और गबन के कितने प्रकरण वर्तमान में लम्बित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों में कितनी राशि की वसूली की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश की कई सहकारी समितियां नियमित रूप से अंकेक्षण नहीं करवा रही हैं? यदि हां, तो प्रदेश में वर्तमान में ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिन्होंने अंकेक्षण नहीं करवाया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(4) सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पारदर्शिता रखने तथा अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता एवं गबन के राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 57(2) के दिनांक 31.03.2019 को कुल 2361 प्रकरण लम्बित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) के अन्तर्गत वर्ष 2018 -19 में 32 प्रकरणों में कुल 42.80 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में अंकेक्षण से शेष सहकारी समितियों की सूचना परिशिष्ट - 2 पर संलग्न है। इन समितियों का रिकार्ड पूर्ण नहीं है। रिकार्ड पूर्ण करवाया जा रहा है।

(4) ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सम्बन्धित बैंक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त वार्षिक आडिट कराये जाने के साथ-साथ शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-55 के अंतर्गत जांच करवायी जाती है। इस वर्ष से ऋण वितरण आधार आधारित अभिप्रमाणन के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा ऋण राशि का वितरण ऋणी के खाते में सीधे करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मंत्री महोदय ने अपने बिंदुओं में बताया है कि 2361 प्रकरण लम्बित हैं, जिसमें से मात्र 32 प्रकरणों में 42 लाख 80 हजार रुपये की वसूली की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्तीय अनियमितताएं और गबन के इन मामलों को लेकर सरकार कितनी गम्भीर है व देश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में यह जो गबन और वित्तीय अनियमतिताओं के मामले सामने आये हैं, उनमें सरकार ने दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई? कितने मामलों में एफआईआर दर्ज होना बाकी है? जो अनियमितताएं इसमें

(श्री संदीप शर्मा)

पायी गयीं, जो घोटाले इसमें पाये गये। एफआईआर दर्ज कराने के लिये अधिकृत अधिकारी एमडी, ईडी और जो लोन सुपरवाइजर होता है, उसको नियुक्त किया जाता है। क्या इन्होंने कभी कोई एफआईआर लाज करायी। साहब, एफआईआर दर्ज कराने के लिये चेयरमैन को नियुक्त कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक-एक प्रश्न पूछें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो-जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। माननीय सदस्य अभी शायद वर्तमान की पूछ रहे हैं। लेकिन अभी की तो सबकी कार्यवाही विचाराधीन है और शिकायत सही प्रूव होने के बाद वसूली की कार्यवाही हमारे अधीन है। अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है। एफआईआर दर्ज होते ही बता दिया जाएगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। बेचारा किसान...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरा यह निवेदन है कि इसमें गम्भीर रूप से कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कार्यवाही करा दी जाएगी।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): मेरा दूसरा प्रश्न है मैं सहकारिता मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार प्रदेश की सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को आनलाइन करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक? मैं जानना चाहता हूं कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आडिटिंग यदि विभाग द्वारा की गयी है, तो बताएं। नहीं, की जा रही है तो उसका क्या कारण है? प्राइवेट रूप से अंकेक्षण किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। एक-एक प्रश्न पूछें। चार प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आडिट विभाग द्वारा भी करायी जाती है और सी.ए. को नियुक्त करके भी करायी जाती है। जिन-जिनमें आपने बताया और जहां-जहां आडिट नहीं हुई, उनको पाबंद किया जा रहा है। 31 दिसम्बर तक सबकी आडिट करा ली जाएगी, नहीं तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अमृतलाल मीणा।

अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, अमृतलाल मीणा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

सलूम्बर में संचालित बाल वाहिनी

103. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में निजी शिक्षण संस्थानों में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन यथा आटो, बस, क्रुजर आदि सभी साधन संबंधित R.T.O. से रजिस्टर्ड हैं? यदि हां, तो निजी शिक्षण संस्थानों में लगे वाहनों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त वाहन जिनका प्रयोग बाल वाहिनी के रूप में निजी विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है, को R.T.O. द्वारा फिटनैस प्रमाण पत्र जारी किया गया है उनमें से ऐसे कितने वाहन हैं जो बालकों को लाने ले जाने के लिए उपयुक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा तहसीलों में संचालित निजी विद्यालयों के संचालकों द्वारा स्कूली वाहनों का वैरिफिकेशन करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। निजी शिक्षण संस्थानों में लगे 102 वाहनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में निजी विद्यालयों द्वारा पंजीकृत किए गए 102 वाहनों में से 92 वाहनों को फिटनैस प्रमाण पत्र जारी किए हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। 92 वाहनों जिनका फिटनैस प्रमाण पत्र जारी किया गया है उक्त सभी वाहनों का वैरिफिकेशन करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री साहब ने जवाब दिया उसमें वह स्वयं कह रहे हैं कि 102

(श्री अमृतलाल मीणा)

निजी क्षेत्र में चल रहे हैं। 92 का फिटनैस दिया है। नियमानुसार 15 साल के बाद वाहन को फिटनैस प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो जो 10 वाहन हैं, उस क्षेत्र में वह कहां चल रहे हैं, एक तो यह बताएं? बच्चों के लिए यह बड़ा दु:खदायी मामला है। इसमें किसकी मिलीभगत से चलाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक-एक प्रश्न पूछिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, सदस्य ने बहुत गम्भीर सवाल उठाया है। बाल वाहिनी में एक दुर्घटना हो गयी थी करौली में। उसके बाद पूरे राजस्थान में जो दर्द हुआ, परेशानी हुई। उसके पश्चात् राजस्थान में जितनी भी बाल वाहिनी हैं, स्कूलों में जो बसें चलती हैं, उनको बाल वाहिनी कहते हैं, उन बसों की सबकी फिटनैस की जांच पूरे अभियान के साथ चलवायी गयी। बहुत बसों को जब्त किया गया। उसी कड़ी में आपके यहां पर जो बसें हैं, उन बसों में से 92 के फिटनैस प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। बाकी जो दस बसें हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नोटिस देकर रद्द करने की कार्यवाही हो रही है। वे बसें रोड पर नहीं आ रही हैं। उनको रोड पर नहीं आने दिया जाएगा। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह जो बाल वाहिनी का मामला है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कांस्टीट्युएंसी में जो स्कूल हैं, आप सब भी जिम्मेदारी के साथ, अधिकारियों को तो हमने निर्देश जारी किए ही हैं, ऐसे स्कूलों को समय-समय पर चैक करें। जहां पर बाल वाहिनी की फिटनैस नहीं है या बसों की हालत बहुत खराब है। यदि कोई उनको फिटनैस दे देता है, आप यदि डायरेक्ट मुझे सूचित करेंगे या अधिकारी को सूचित करेंगे तो हम ऐसे स्कूलों के खिलाफ, ऐसी बसों के खिलाफ, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार बहुत सख्त है। बाल वाहिनी के मामले में यदि कोई भी सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र में कोई भी सूचना हो तो मुझे सूचित करें। हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। इस मामले में गम्भीरता से सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में बहुत-से विद्यालय हैं, विद्यालयों के अपने स्वयं के कितने वाहन और किराये पर कितने ले रखे

(श्री अमृतलाल मीणा)

हैं? उन वाहन को चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस की लिस्ट आपके पास है या नहीं, टैम्पो की है या नहीं ...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): उनका एड्रैस कई बार पता नहीं होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन विद्यालयों के निजी वाहन हैं, किराये से लिए हुए हैं, ड्राइवर के लाइसेंस, एड्रैस सहित आप सदन में बताने की कृपा करें? मुझे उम्मीद है कि आप सौ प्रतिशत बताएंगे।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आपके सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र की जितनी स्कूलें हैं, उन स्कूलों में उनके मालिकाना हक के कितने वाहन हैं और प्राइवेट उनमें कितनी बसें लगी हुई हैं, वह मैंने परिशिष्ट संलग्न किया है। पूरे राजस्थान में सरकार आदेश पहले ही जारी कर चुकी है। आदेश की कापी मैं आपको दे दूंगा। राजस्थान के हर स्कूल में कितनी बाल वाहिनी चल रही हैं उसका सारा रिकार्ड आरटीओ डिपार्टमेंट ने अपने पास लिया है, आप सभी के विधान सभा क्षेत्रों का। प्राइवेट बसें कितनी चल रही हैं? यदि कोई प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल, जहां बसें चल रही हैं, वह रिकार्ड नहीं देता है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर रहे हैं। आपको आपके विधान सभा क्षेत्र का पूरा रिकार्ड मिल जाएगा। बाकी अन्य सदस्य भी बाल वाहिनी के मामले में, मैं फिर कह रहा हूं यह गम्भीर मामला है। बाल वाहिनी के मामले में डिपार्टमेंट तो करेगा ही, मान लो आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ठीक काम नहीं कर रहा है, आप बताइये, कोई गलत काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बाल वाहिनी के मामले में आपके पास कोई सुझाव हो तो बताएं, सुझाव आमंत्रित हैं। बाल वाहिनी के मामले में सरकार बहुत गम्भीर है। बिना फिटनैस के कोई भी बाल वाहिनी राजस्थान में नहीं चलेगी। कोई भी बस नहीं चलेगी। फिर भी आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ हो रही है तो आप बताएं। हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री महोदय ने बहुत संतोषप्रद जवाब दिया। लेकिन हकीकत कुछ और भी है। कारण क्या है कि शहरों में केवल बाल वाहिनियों से ही बच्चे नहीं आते। सैकड़ों हजारों की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तादाद में टैम्पो भी बच्चों को लेकर आते हैं। एक-एक टैम्पो में 20-20, 25-25 बच्चे सीट के ऊपर सीट लगाकर आते हैं। उसके कारण से भी एक्सीडेंट होते हैं। इसमें संस्था को आप किस तरह से पाबंद करेंगे? कुछ जो बहुत ही सम्पन्न विद्यालय हैं, उन्होंने अपनी बाल वाहिनियां नहीं रखी हैं, उन्होंने सारी की सारी कांट्रेक्ट के आधार पर ले रखी हैं। जो कांट्रेक्ट पर ले रखी हैं, उनका इंश्योरेंस है या नहीं, बाकी की चीजें हैं या नहीं, कोई फिटनैस देख रहा है या नहीं देख रहा है, इन दो विषयों के बारे में और थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो घटनाएं रोकी जा सकती हैं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के आदरणीय नेता महोदय ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और यह स्वागत योग्य बात आपने उठाई है। पूरे राजस्थान में मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, वास्तविकता है यह, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में टैम्पो से, आटोरिक्शा से और मिनी बसों से, जो प्राइवेट हैं, वे बाल वाहिनी के रूप में काम कर रही हैं। इसी के लिए राजस्थान की सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें साफ दिशा-निर्देश दिए हैं कि बाल वाहिनी योजना के अंतर्गत संचालित वाहनों की बैठक क्षमता माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार निर्धारित बैठक क्षमता की डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी। पंजीयन प्रमाण पत्र में निर्देशित किया गया है। आटो में बच्चों की सुरक्षा हेतु बायीं ओर चढ़ने-उतरने वाले गेट पर लोहे की जाली लगाकर बंद किया जाएगा। समय-समय पर सब चैकिंग हो रही है। इसमें सरकार इतनी सख्त है, मैं सदन को, विपक्ष के नेता महोदय को अध्यक्ष जी के जरिये आश्वस्त करता हूं। बाल वाहिनी के मामले में, आटोरिक्शा में, बसों में, जो बिना इंश्योरेंस के चल रही हैं बसें, जिनकी फिटनैस नहीं हैं और जो आटोरिक्शा सरकार की पूरी शर्तों की पालना नहीं कर रहे हैं, बच्चों की सुरक्षा के मामले में हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं। एक अलग से परिवहन विभाग 7 दिन के लिए अभियान चलाकर सदन की गम्भीरता को देखते हुए पूरे राजस्थान में चैकिंग करवाएगा जिसमें चैक करेंगे और कहीं गड़बड़ है तो कार्यवाही करेंगे। बाल वाहिनी के मामले में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे कोई दुर्घटना हो। फर्स्ट प्रयास यह है कि बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए। इसके लिए 7 दिन का अभियान और चलाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। गुरदीप सिंह।

हनुमानगढ़ एवं संगरिया में पंजाबी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रावास की स्थापना

104. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सर्वाधिक पंजाबी अल्पसंख्यक हनुमानगढ़ एवं संगरिया विधान सभा क्षेत्र में निवास करते हैं? यदि हां, तो उक्त समुदाय के बच्चों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय, आडिटोरियम कहां-कहां व कितने खोले गये हैं?

(2) क्या सरकार उक्त समुदाय के बालकों के लिए अलग से छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 23.10.1993 एवं 27.01.2017 के अन्तर्गत क्रमश: मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन अल्पसंख्यक श्रेणी में नामित हैं। उक्त नोटिफिकेशन में पंजाबी अल्पसंख्यक के रूप में नामित नहीं हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी हनुमानगढ़ में 26.86 प्रतिशत एवं संगरिया विधान सभा क्षेत्र में 33.30 प्रतिशत है।

हनुमानगढ़ ब्लाक में पी.एम.जे.वी.के. (पूर्व में एम.एस.डी.पी.) अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 32 पुस्तकालय कक्ष का निर्माण करवाया गया है जिसकी सूची परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संगरिया विधान सभा क्षेत्र के टिब्बी ब्लाक में एनजीओ के माध्यम से अनुदानित 50 बैडेड अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का संचालन 2016-17 से किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके अंदर भारत सरकार का नोटिफिकेशन दिनांक 23.10.1993 एवं 27.01.2017 के अंतर्गत मुसलमान, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन अल्संख्यक श्रेणी में नामित हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे संगरिया विधान सभा क्षेत्र के अंदर मुसलमान और जो सिक्ख हैं, वे पंजाबी समुदाय से आते हैं। 95 परसेंट उनकी आबादी है। दूसरा, हमने

(श्री गुरदीप सिंह)

संगरिया के लिए पूछा था, संगरिया के लिए आपने 33.30 प्रतिशत बताया है और हनुमानगढ़ ब्लाक के अंदर आपने 32 लिखा हुआ है, उसकी सूची दी है, आपने मेरे को। मेरे संगरिया क्षेत्र के अंदर एक गांव का भी नाम नहीं है। इसके लिए मैं आपसे विस्तार से पूछना चाहता हूं। जवाब दीजिए।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): संगरिया का जो आपके परसेंट है, वह 33.30 परसेंट है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): वह तो है। आपने जो लिस्ट दी है, उसमें मेरे संगरिया विधान सभा का एक भी गांव नहीं है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): 2000 में जो जनगणना हुई थी, उसमें दो ब्लाक.... पहले हनुमानगढ़ ही था, संगरिया नहीं था, हनुमानगढ़ व संगरिया ब्लाक जो हमारी नई जनगणना हुई थी, उसमें मापदंड में नहीं आ रहे थे। इसलिए हमने पुराने जो काम किये हैं उनकी लिस्ट आपको उपलब्ध कराई है। आपने पूछा था उसी के अनुसार दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पंजाबी अल्पसंख्यक नाम की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। यह कंफ्यूजन दूर कर लें। क्लासिफिकेशन केवल मात्र मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन ही है। यह कंफ्यूजन नहीं हो कि पंजाबी अल्पसंख्यक के नाम से आप पूछ रहे हो।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संगरिया विधान सभा क्षेत्र टिब्बी ब्लाक में एनजीओ के माध्यम से 50 बैड वाले छात्रावास का संचालन वर्ष 2016-17 से किया जा रहा है। यह सिर्फ काग़ज़ों में चल रहा है, आप इसकी जांच करा लीजिए। टिब्बी के अंदर कहीं नहीं चल रहा, सिर्फ काग़ज़ों में चल रहा है। मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, ठीक है। जवाब दीजिए।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है, टिब्बी ब्लाक के अंदर एनजीओ के माध्यम से 50 बैड का बालकों का ही छात्रावास चल रहा है, अगर आपको इस संबंध में कोई शिकायत है तो आप हमें दें, हम उसकी जांच कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश मीना।

आंगनबाड़ी केन्द्रों से बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश की तैयारी

105. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र से विद्यालयों की प्रथम कक्षा में प्रवेश ले रहे बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश लेने की तैयारी का मापण किया गया है?

(2) सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केद्रों के माध्यम से बच्चों को विद्यालय में प्रवेश की तैयारी करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र से विद्यालयों की प्रथम कक्षा में प्रवेश ले रहे बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश लेने की तैयारी का मापण नहीं किया जाता, अपितु आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक बच्चे की आयु के अनुरूप आकलन प्रपत्र उपलब्ध है, जिसमें विकास के पांचों आयामों पर आधारित गतिविधियों का सतत आकलन किया जाता है।

(2) इसके लिए राज्य सरकार ने शालापूर्व शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्यक्रम तैयार कर आयु अनुरूप वर्क बुक, आकलन प्रपत्र व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु मार्गदर्शिका पुस्तक तैयार कर प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर वितरण की गयी है। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास व विद्यालय के लिए तैयार करने हेतु पांचों आयामों पर आधारित गतिविधियों को वर्क बुक व खेल के माध्यम से करवाया जाता है, व साथ ही प्रत्येक बच्चे का त्रैमासिक आकलन किया जाता है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य भर में 60 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिसमें करीब 58 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, 52 हजार सहायिका हैं, 52 हजार के करीब ही आशा कार्यकर्ता हैं। इन सब पर प्रति वर्ष 1600 रुपये राज्य सरकार से खर्च किया जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र छह सेवा प्रदान करते हैं, अनुपूरक पोषण, विद्यालय शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रैफरल सेवाएं, अनौपचारिक पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा। सर, जो वहां कार्यकर्ता हैं उनकी योग्यता मिनिमम 10th रखी है। जो काम उनको दिया गया है, बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास, यह एक्सपर्ट का काम है। इसके अभाव में नुकसान क्या हो रहा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मेरा प्रश्न यह है कि न्यूरो विज्ञान में अनुसंधान एक बच्चे के जीवन में शुरुआती वर्षों के महत्व की पुष्टि करता है। विशेष रूप से 6 वर्ष की आयु में बुद्धि का 90 परसेंट डवलपमेंट हो जाता है। इन काम्पीटेंट...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिलेवेंट प्रश्न पूछिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): वही तो पूछ रहा हूं। रिलेवेंट प्रश्न यह है कि क्या इन आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता कार्यरत हैं, उनकी कोई योग्यता डिस्क्राइब करेंगे ताकि बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चे परिवार के लिए ही नहीं हमारे देश का भी भविष्य हैं। यह गरीब बच्चे हैं, अगर अशिक्षित हैं तो उसके लिए आप कुछ प्रावधान रखेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज प्रश्न पूछिए, योग्यता देते हैं, सीधी-सी बात है।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 62 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में सभी बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनका लालन-पालन किया जा रहा है। समय-समय पर गर्भवती महिलाओं को, किशोरी बालिकाओं को, तमाम को पोषण के आधार पर न्यूट्रिशिएन दिया जा रहा है। रही बात शिक्षा की, सरकार द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए किलकारी, 4 से 5 वर्ष के बच्चों के उमंग, 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तरंग आदि किताबों के माध्यम से एनटीटी टीचर्स के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका का माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है इसकी क्वालिफिकेशन 10^{th} व 12^{th} मिनिमम कर दी गयी है। पहले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही थीं उनमें शिक्षा का अभाव था लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे विभाग के माध्यम से हम छोटे बच्चों को, जो कि आने वाले समय में राजस्थान के भविष्य का निर्माण करेंगे, हमारे राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे प्री स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनका छह आयामों के आधार सर्वांगीण विकास करें, उनको उचित शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन देकर आगे स्कूल के लिए तैयार करें, धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मेरा सप्लीमेंट्री है, चूंकि यह योजना भारत सरकार के सहयोग से संचालित है, भारत सरकार ने 27

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सितम्बर, 2013 को एक रैगुलेशन पास किया था उसकी कापी मेरे पास है। इसमें लिखा है कि "National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy is hereby adopted" उसको आकलन करने का एक परिपत्र है, हर तिमाही में इसको भरना है। मैं मंत्री महोदय से सटीक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पूरा प्रदेश तो छोड़ दीजिए, आप दौसा ज़िले से आती हैं, उसी का आपके पास यह परिपत्र आया है, मुझे यह बता दीजिए आकलन पर, जब आपने आंकलन किया ही नहीं तो दिशा-निर्देश क्या देंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं दौसा ज़िले का आपके पास कब आया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग पूरे राजस्थान के बच्चों के प्रति चिंतित है और मैं यह कहना चाहूंगी कि हर तीन माह में पेम द्वारा जिसमें पेरेंट्स-टीचर्स की, एनटीटी के टीचर्स हैं, आंगनबाड़ी के अंदर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उनकी त्रैमासिक जांच की जाती है कि वे बच्चे अप-टू-डेट पढ़ रहे हैं कि नहीं। हर महीने की अमावस्या के दिन अभिभावक और एनटीटी टीचर्स व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच वार्तालाप रहता है। बच्चों की गतिविधि, पढ़ने में किस स्तर पर आ रहे हैं, प्रत्येक माह की अमावस्या को अभिभावक एनटीटी टीचर्स व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच वार्तालाप होता है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, जब सूचना आई ही नहीं तो आकलन क्या किया, मैं सिर्फ यही तो पूछ रहा हूं। आपके पास कब आई थी, तारीख बता दीजिए। जब सूचना आई नहीं, आकलन नहीं किया तो फिर आपने दिशा-निर्देश क्या दिया?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात नहीं समझ पा रही, किस बात की सूचना?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने एडोप्ट कर रखा है, उसमें क्राइटेरिया दे रखा है उनका इवैल्युएशन करने का, क्या उस आधार पर अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): हम लोग छह सेवा दे रहे हैं जिनके माध्यम से बच्चों को आकलन किया जा रहा है उनके अंदर वे तमाम चीज़ हैं। माननीय सदस्य ने अभी खुद रिपीट किया, मैं भी बोलना चाहूंगी, जिसमें शारीरिक शिक्षा भी है, भाषा विकास है, 0 से 6 वर्ष

(श्रीमती ममता भूपेश)

का बच्चा आंगनबाड़ी में आ रहा है, एक दो साल में वह बोलना भी शुरू करता है, उसको भाषा के लिए कहानी कविताओं द्वारा उमंग, किलकारी, तरंग बुक दी गयी है। रचनात्मक विकास हो जिसमें उनको चित्रकारी-रंग आदि भरना सिखाया जाता है। बौद्धिक विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास समूह गतिविधियों द्वारा तमाम डिस्कशन आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को बिठाकर किए जाते हैं। उनके पेरेंट्स उससे संतुष्ट हैं कि उसका हर माह की अमावस्या को आकलन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या

अवैध संचालित आर.ओ. प्लांटों के विरुद्ध कार्यवाही

106. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने आर.ओ. वाटर बॉटलिंग/कैम्पर पेयजल सप्लाई प्लांट गली-मौहल्लों में भूमि दोहन कर संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसी भी औद्योगिक इकाई को भूमि दोहन करने से पूर्व विभाग अथवा संबंधित जिला कलेक्टर से अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या प्रदेश के विभिन्न शहरों में संचालित आर.ओ. वाटर बॉटलिंग/कैम्पर पेयजल सप्लाई प्लांट के लिये भी यह अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भूमि दोहन के प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी उक्त इकाइयां चल रही हैं जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश की महत्वपूर्ण जल स्वावलंबन की परियोजना को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण एवं जल को बचाने के लिये उक्त अवैध इकाइयों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री सुखराम विश्नोई): (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में उपलब्ध अभिलेखानुसार गली-मौहल्लों में भू जल दोहन कर संचालित आर.ओ. प्लांट की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

(2) जी नहीं। किसी भी औद्योगिक इकाई को भूमि दोहन की अनुमति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र केन्द्रीय भू जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्लू.ए.) से प्राप्त करना आवश्यक है, न कि पर्यावरण विभाग अथवा संबंधित जिला कलेक्टर से।

(3) औद्योगिक इकाइयों को भूमि जल दोहन की अनुमति केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्लू.ए.) के कार्यक्षेत्र में है।

(4) अवैध इकाइयों की स्थापना/संचालन की जानकारी प्राप्त होने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.07.2011 के द्वारा भू जल दोहन की अवैध इकाइयों पर कार्यवाही हेतु संबंधित जिले के जिला कलेक्टर अधिकृत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आर.ओ. प्लांट शहर के हर गली-मौहल्लों में हो गए हैं। क्या सही है कि उक्त आर.ओ. प्लांट पानी को फिल्टर करने में, प्राप्त फिल्टर पानी से तीन गुणा से अधिक पानी अशुद्ध रूप से नालियों में बहाया जाता है, यदि हां तो क्या सरकार जल को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ऐसे वैध अथवा अवैध आर.ओ. प्लांट को जल संरक्षण हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब, नहीं तो क्यों? विभाग द्वारा....

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न पूछिए। अगला नया प्रश्न और नया प्रिंट करना पड़ेगा इसके लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, आर.ओ. प्लांट से पानी निकलता है वहां के स्थानीय लोग मांग करते हैं, पानी की जांच करवाकर वह पानी खेत के काबिल है या नहीं है, उसके बाद कार्यवाही की जाएगी।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए इसका जवाब कैसा आया।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उसमें परिशिष्ट-अ पर बाकी सारी जो सूची दी है, कोटा से लेकर बाकी सब में 'एक्नोलेजमेंट' लिखा है, केवल और केवल चित्तौड़ के जो चार प्लाण्ट हैं, यह हिमांक आइस वाला, आवेदन निरस्त कर उद्योग को बंद करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसी चित्तौड़ का दूसरा श्री चारभुजा वाला, अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत उद्योग को बंद करने के आदेश दिये हैं। इसका जो तीसरा प्लांट है जिला चित्तौड़ में, धारा 33ए के अंतर्गत बंद करने के निर्देश दिये हैं, और चौथा है, भविष्य आइस फैक्ट्री, इसको भी बंद करने के निर्देश दिये हैं। तो इस सूची में ऐसा क्या जादू है कि चित्तौड़ में तो सब बंद करने के आदेश देने की जरूरत पड़ गयी और बाकी सबमें आपका एक ही उत्तर है, 'एक्नोलेजमेंट', 'एक्नोलेजमेंट'। आप थोड़ा स्पष्ट कर दें, क्या एक्नोलेजमेंट है, केवल चित्तौड़ में ही गलत काम हो रहा है, बाकी सारे राजस्थान में आर.ओ. प्लांट सही चल रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्षजी, चित्तौड़ के लोग एन.जी.टी. में गये और 23.04.2019 को फैसला आया। उस फैसले की पालना में इन आर.ओ. प्लांट को बंद किया गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्षजी, मेरा पूरा नहीं हुआ। एक सैकण्ड और पूछ लूं। विभाग द्वारा मुझे उत्तर प्राप्त हुआ कि पूरे प्रदेश में केवल 19 इकाइयों का ही वर्णन किया गया है। जबकि पूरे प्रदेश में लगभग 50 हजार से ज्यादा अवैध इकाइयां ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित हैं। उसमें से विभाग द्वारा मेरे प्रश्न लगने के पश्चात मात्र, अभी प्रतिपक्ष के नेताजी ने पूछा चार इकाइयों को बंद किया गया। अन्य इकाइयों को केवल 'एक्नोलेजमेंट' दिया गया है। क्यों सरकार ऐसी पक्षपात की राजनीति पर उतारू है, पूरे राजस्थान में आर.ओ. प्लांट नहीं हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: आपको जवाब दे दिया, एन.जी.टी. के कारण। अगला प्रश्न। शंकर सिंह रावत।

ब्यावर के पृथ्वीराज चौहान स्टेडियम में प्लेटफार्म बनाने में अनियमितता की जांच

107. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम ब्यावर में पृथ्वीराज चौहान प्लेटफार्म का विधायक कोष से निर्माण हो रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्लेटफार्म जिस ऊंचाई की जगह पर बनाया जाना प्रस्तावित हुआ था, वहां पर नहीं बनाकर अन्य स्थान पर बना दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों एवं संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) जी हां। यह सही है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम ब्यावर में पृथ्वीराज चौहान प्लेटफार्म का निर्माण विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। माननीय विधायक श्री शंकर सिंह रावत की अनुशंसा पर जिला परिषद अजमेर द्वारा इस निर्माण कार्य हेतु 18 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 02.02.2018 को जारी की गयी थी। वर्तमान में प्लेटफार्म कार्य प्रगतिरत है।

(2) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफार्म का निर्माण तकनीकी स्वीकृति में प्रस्तावित स्थल पर ही किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुपूरक टिप्पणी परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफार्म का निर्माण स्वीकृत तखमीना एवं साइट प्लान अनुसार ही किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है

(श्री शंकर सिंह रावत)

कि आपके पास में जो जवाब आया है, अधिकारियों ने बिलकुल असत्य जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये, प्रश्न पूछिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): बहुत असत्य जवाब दिया है, साहब।

श्री अध्यक्ष: झूठा-सच....

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मैं कह रहा हूं जिस जगह पर, जो स्थल बताया गया है जवाब में कि उसी जगह बनाया गया है, बहुत गलत है। जिस जगह पर प्रस्तावित था, उस जगह पर नहीं बनाया है। खड्डे में बनाया है। आप चाहे जांच करवा लो।

श्री अध्यक्ष: ठीक, धन्यवाद।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं कि जहां पर माननीय सदस्य उसको बनाना चाहते थे, वहां पर पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम का जो साइट प्लान है, उसके अनुसार वहां पर पार्किंग स्थल प्रस्तावित है। वहां पर नहीं बनकर, जो पार्क है उस पार्क में ही इसकी डी.पी.आर. बनी, जो पंचायत राज से आई। जहां पर नक्शे में बनकर आया वहीं पर पी.डब्ल्यू.डी. इसका निर्माण कर रही है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदय, जहां पर आप चाहते हैं, वहां पर, आप जांच करा लो अगर असत्य पायी गयी तो आप जो सज़ा देंगे, वह भुगतने के लिये तैयार हूं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): मैंने वह नक्शा आपको दिया हुआ है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): एकदम असत्य जवाब है। एक्स.ईएन., एईएन. और जे.ईएन. तीनों ने मौका देखकर जगह को चैक किया था कि इसी जगह पर बनाएंगे। वह एईएन ने अपनी मर्जी से गलत जगह ले जाकर वहां बना दिया। अब उसकी लीपापोती में सारा जवाब उलटा देकर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): लेकिन वह साइट प्लान मैंने आपको दिया हुआ है, इस जवाब के साथ साइट प्लान लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, प्लीज, बैठें।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): पार्किंग स्थल, आप जहां चाहते थे, वहां पार्किंग स्थल प्रस्तावित है। इन्होंने पार्क में बनाया और यह नक्शा आपके राज के समय में ही हुआ है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): हां, हमारे राज के समय में ही हुआ। मैं वह नहीं कह रहा हूं। लेकिन ठेकेदारों की वजह से अधिकारी आपको गलत जवाब दे रहे हैं। यही आपसे निवेदन है कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए या सस्पैंड होना चाहिए, वह अधिकारी जो अपनी मनमर्जी से विधायक कोष के पैसों का, कल आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): इसकी जांच करवाइये। (व्यवधान) जांच करा लो आप।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): वैसे यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का सवाल है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि जहां पर प्रस्तावित था और वहां नहीं बना है तो इसमें जो भी कानून की प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होती है, वह निश्चित रूप से हम करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। धर्मेन्द्र कुमार।

हनुमानगढ़ जिले में संचालित सुलभ्य आवास योजना

108. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) हनुमानगढ़ जिले में कुल कितनी श्रम कल्याण योजनाएं कब से संचालित की जा रही हैं तथा इसका वित्तीय प्रबंध किस प्रकार किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में जनवरी, 2018 से जून, 2019 तक श्रमिक कार्ड पात्रताधारियों के कितने आवेदन लम्बित हैं उक्त लम्बित ओवदन पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में जनवरी, 2019 से अप्रैल, 2019 तक कुल कितने भवन व अन्य निर्माण पात्र श्रमिकों के नये कार्ड बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

(4) उक्त जिले में सुलभ्य आवास योजनाएं शुभ शक्ति योजना व हिताधिकारियों के सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता योजना के कुल कितने प्रार्थना पत्र 31 मई, 2019 तक लम्बित थे तथा क्या सरकार लम्बित प्रार्थना पत्रों पर सहायता स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) असंगठित क्षेत्र में भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित अथवा निर्माण श्रमिकों हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु सहायता राशि की वित्तीय व्यवस्था भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य करा रहे नियोजकों से उपकर राशि एकत्रित कर की जाती है।

(2) हनुमानगढ़ जिले में जनवरी 2018 से जून, 2019 तक विभागीय स्तर पर कुल 28,791 पंजीयन आवेदन लम्बित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर है। लम्बित आवेदनों का निस्तारण आनलाइन 'पहले आओ पहले पाओ' (फीफो) पद्धति से नियमित रूप से किया जा रहा है। प्रासंगिक है कि विभाग में श्रम निरीक्षकों के 188 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 85 पद रिक्त हैं तथा अधिकारियों के 83 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 51 पद रिक्त होने तथा लोक सभा आम चुनाव की आदर्श आचार संहिता दिनांक 10 मार्च, 2019 से 23 मई, 2019 तक प्रभावी होने के कारण निर्माण श्रमिकों के पंजीयन आवेदनों का निस्तारण नहीं करने की स्थिति में पैंडेंसी अधिक रही है।

(3) हनुमानगढ़ जिले में जनवरी, 2019 से अप्रैल, 2019 तक कुल 2,579 आवेदन स्वीकृत कर निर्माण श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर है।

(4) हनुमानगढ़ जिले में सुलभ्य आवास योजनान्तर्गत कुल 53 आवेदन, शुभशक्ति योजना में 8,923 आवेदन तथा दुर्घटना में मृत्यु अथवा घायल/सामान्य मृत्यु सहायता योजनान्तर्गत कुल 40 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-4 पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, जो 28791 पंजीयन हैं, ये कब तक हो जाएंगे, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका डिस्पोजल होता है, वह 'पहले आओ-पहले पाओ' पद्धति के आधार पर ही होता है। चूंकि पैंडेंसी बहुत अधिक पिछले वर्षो में रही है और लगातार पंजीयन आवेदन आ रहे हैं और बजट का अभाव है तो कोई ऐसी तिथि बताने में तो मैं असमर्थ हूं लेकिन मैं यह जरूर माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में हम जल्द से जल्द जो भी प्रकरण आप लोगों के लम्बित हैं, उनका निस्तारण करवाएंगे। चूंकि अब तक अपन देखें तो पिछली सरकार के समय में 01.04.2018 से 31.12.2018, सिर्फ एक ही वर्ष के 20,668 प्रकरण पिछले साल के ही लम्बित थे और इस महीने के 7,953 आवेदन और आये हैं। इसके लिये हमने कंट्रोल रूम भी बनाये हैं और उसके आधार पर चूंकि लगातार वर्ष-दर-वर्ष यह संख्या बढ़ती जा रही है, और प्रदेश के डिस्पोजल की अगर मैं बात करूं तो 2015-16 में 27 प्रतिशत डिस्पोजल था, 2016-17 में 35.47 प्रतिशत था, 2017-18 में 54.27 प्रतिशत था और एक अप्रैल, 2018 से 31.12.18 तक 34.66 प्रतिशत था। लेकिन जनवरी, 19 से जून, 19 तक 62.37 प्रतिशत हमारा निस्तारण रहा है।

अध्यक्षजी, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा, सदन को भी आश्वस्त करना चाहूंगा क्योंकि विभाग में पैंडेंसी हमको विरासत में मिली है, हमारे पास अधिकारियों के पद हैं, कर्मचारियों के पद हैं, काफी रिक्त रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने एक पूरा इस प्रकार का एक मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे कि हम आने वाले समय में जल्द ही इनका निस्तारण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 2579 फार्म स्वीकृत हैं, उनका आप कब तक करने का विचार रखते हो?

नम्बर-4, जो 405 फार्म पिछले समय पास किये गये थे उनमें से काफी निरस्त भी कर दिये गये हैं, जो निरस्त किये हैं क्या आप उन मजदूरों को सूचना देंगे? क्या आप उन मजदूरों को यह बताएंगे कि आपको इस कारण से यह सुविधा नहीं मिलती और शुभ-शक्ति में 18383 पास किये हुए हैं, जो एक भी पास नहीं हुआ, शून्य पड़े हैं और उसके बाद...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हनुमानगढ़ जिले में 1 करोड़ 67 लाख रुपये उनके अकाउंट में मौजूद हैं, वह चाहें तो इन योजनाओं का भुगतान 'पहले आओ, पहले पाओ' की पद्धति पर कर सकते हैं।

दूसरा आपने पूछा है कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पैंडेंसी जो आपके है, 2579, उनको डिस्पोज कब करेंगे?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): 2579 जो पैंडिंग पड़ी हैं, उन्हीं के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि बजट की उपलब्धता भी इसके अंदर एक अहम इश्यू है। आज 33 प्रतिशत बजट ही हमारे पास उपलब्ध है। आने वाले समय में हम इसके अंदर और तेजी लेकर आएंगे और इसको करेंगे।

आपने एक दूसरा प्रश्न और किया है कि अब जो प्रकरण हैं वह ज्यादा निरस्त हो रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व भी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इन्होंने सीधा प्रश्न पूछा है कि जिनको निरस्त किये उनको सूचना करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): उनको सूचना की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोबाइल से उनके पास मैसेज आता है और फार्म के अंदर जो कमी है वह उसको पूर्ति कराने के लिए कहा जाता है लेकिन फिर भी मैं पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर कहीं पर भी आपको यह लगता है कि किसी श्रमिक का पंजीयन गलत निरस्त हुआ है तो आप वह हमें बताएं, हम उनकी दुबारा जांच करवाकर उसको सही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री भरत सिंह कुन्दनपुर। आप बैठिए। आपका रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं होगा, आप बैठें। प्लीज आप बैठें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री भरत सिंहजी।

प्रदेश में भेड़ों के निष्क्रमण पर व्यय राशि

109. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितनी भेड़ें हैं? प्रतिवर्ष किस-किस जिले में कितनी भेड़ों का निष्क्रमण होता है? संख्यावार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

(2) सरकार द्वारा भेड़ों के निष्क्रमण पर किस-किस स्तर पर व्यवस्था की जाती है तथा इस पर प्रति वर्ष कुल कितनी राशि व्यय की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) पशुगणना 2012 के अनुसार प्रदेश में कुल 90.80 लाख भेड़ें हैं।

गत तीन वर्षों में स्थाई निष्क्रमण पर रही भेड़ों की संख्या का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में भेड़ों के निष्क्रमण पर की जाने वाली व्यवस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्रदेश में भेड़ निष्क्रमण व्यवस्था हेतु पृथक् से कोई बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा यह व्यवस्था आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध संसाधनों से कर ली जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि उत्तरानुसार प्रदेश में 90 लाख 80 हजार भेड़ें हैं और इन कुल भेड़ों में से 12 लाख 1 हजार भेड़ों का प्रति-वर्ष निष्क्रमण होता है। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि प्रदेश की 78 लाख 79 हजार भेड़ों का, इस प्रदेश में जो 80 लाख भेड़ें हैं, उनका निष्क्रमण नहीं होता है। यह जो 12 लाख भेड़ों का निष्क्रमण होता है और यह 18 जिलों में जाती हैं, क्या प्रति-वर्ष यह जो भेड़ें जाती हैं, क्या यह वही भेड़ें हैं जो हर साल जाती हैं, उन्हीं भेड़ मालिकों की हैं, जिन जिलों में यह जाती हैं? निष्क्रमण से पहले क्या विभाग इस बात का अध्ययन करता है कि वर्षा की क्या उपलब्धता है, वहां पर चारा पर्याप्त हुआ है या नहीं हुआ है, उसको देखकर भेड़ों का निष्क्रमण किया जाता है या एक कस्टम ही बन गया है कि इस प्रदेश में चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हो और प्रति-वर्ष जिस क्षेत्र में चरने जा रही हैं, वहां पर चरने की चराई है भी या नहीं, उसको बिना देखे भेड़ों को सरकारी लवाजमे के साथ, पूरे ताम-झाम के साथ उस क्षेत्र में भेज दिया जाए जहां कि स्थानीय पशुओं को खुद को चराई की व्यवस्था नहीं है, इसका आकलन किया जाता है या नहीं?

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

क्या कुछ ही पशुपालकों को इसका लाभ मिल रहा है, इसका उत्तर भी माननीय मंत्रीजी दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो हमारे 18 जिले हैं और यह जो भेड़ निष्क्रमण का मामला है, यह ज्यादातर वर्ष और चराई पर आधारित है पर मैं यह कह सकता हूं कि विभाग द्वारा और राज्य सरकार द्वारा चीफ सैक्रेटरी की मानिटरिंग होती है, विभाग भी उसको देखता है, विभाग के पास पूरा बजट होता है। 187 चौकियां इन जिलों में स्थापित की जाती हैं, उनमें 40 स्थाई हैं और 147 अस्थाई हैं। उनकी दवा की व्यवस्था की जाती है। ठहराव के स्थान चिह्नित किये जाते हैं। कोई छोटे-मोटे विवाद की शिकायत आती है और कहीं से यह भी मालूम चलता है कि दवा की उपलब्धता नहीं है तो वहां पर दवा भी उपलब्ध करवाई जाती है और प्रकृति के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर जितनी व्यवस्था विभाग करता है, वह मौसम की जानकारी भी रखता है और भेड़ों की चराई का भी ध्यान रखता है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्पेसिफिक जानकारी चाही है कि क्या विभाग इस बात का अध्ययन करवाता है? जिस संभाग से मैं आता हूं उसकी मुझे जानकारी है। प्रति वर्ष 4 लाख भेड़ें उस क्षेत्र में जाती हैं, इस वर्ष भी गयी हैं। वहां पर चारा है ही नहीं, वहां के पशु सड़कों पर घूमते हैं। स्थानीय पशुपालकों और भेड़-पालकों में टकराव होता है और क्या यह 12 लाख सरकार के जवाई हैं जो 70-80 लाख भेड़ें तो जाती नहीं हैं, प्रति वर्ष वही जाती हैं। चप्पा-चप्पा उन लोगों को मालूम है। इस व्यवस्था को आंख मीचकर हम मुख्य सचिव की, क्योंकि एक बार निर्णय ले लिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी यह चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न आ गया कि यह 12 लाख भेड़ें जो जा रही हैं यह वही हैं जो हर साल जाती हैं, इसके बारे में माननीय मंत्रीजी बताएं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा समय-समय पर पूरी जानकारी ली जाती है। अभी प्रदेश में जैसा वर्तमान

(श्री लालचन्द कटारिया)

समय चल रहा है, कुछ जिलों में बारिश हुई और कुछ जिलों में अभी तक बारिश नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मंत्रीजी, इनका सीधा प्रश्न है कि 12 लाख भेड़ें क्या वही हैं जो प्रति वर्ष जा रही हैं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): मैं वही कह रहा हूं। उसकी मॉनिटरिंग की जा रही हैं। वही लोग हैं, वही भेड़पालक हैं, जिनकी पूरी जानकारी विभाग के पास में है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक उत्तर चाहूंगा कि यह गम्भीर समस्या है क्योंकि पहले मनुष्य ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अलग ढंग से लेकर आएं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल में नहीं, अलग ढंग से प्रश्न उठाएं। अगला प्रश्न। श्री हरेन्द्र निनामा।

घाटोल में गोल्ड प्रोजेक्ट का कार्य

110. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में गोल्ड प्रोजेक्ट का कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा खदान से किस-किस प्रकार की धातु/सोना आदि दोहन हो रहा है तथा किस-किस एजेन्सी/कम्पनी द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त खदान के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र की 9 पंचायतें प्रभावित हो रही हैं तथा भूमि आबंटन आदि से लोग वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि आबंटन करने तथा सोनमगरी के आस-पास पंचायत भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री) (खान मंत्री के स्थान पर): (1) घाटोल विधान सभा क्षेत्र के भूखिया-जगपुरा में वर्ष 1990 से खनिज गोल्ड के सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया। वर्तमान

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

में उक्त क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने के कारण किसी भी धातु/सोना का दोहन नहीं हो रहा है एवं न ही कोई एजेन्सी/कम्पनी कार्यरत है।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने के कारण कोई भी ग्राम पंचायत प्रभावित नहीं हो रही है तथा खनिज संभावित क्षेत्र होने से भूमि आबंटन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन माननीय मंत्री महोदय से यह है कि उक्त गोल्ड प्रोजेक्ट के नाम से विगत 30-40 साल से वहां पर मौके पर यह काम हो रहा है। वहां पर 8 पंचायतों के अंदर 30 साल से जमीन का आबंटन काश्तकारों को नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार यह मंशा रखती है कि उक्त क्षेत्र में इन 8 पंचायतों के अंदर जमीन का आबंटन काश्तकारों के लिए करे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा, पहले तो राजस्थान सरकार द्वारा 1970 के अंदर वहां पर इसका सर्वे भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा करवाया गया। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा 1990 के अंदर 115 मिलियन टन गोल्ड मिलने का जो सर्वेक्षण हुआ उसमें 115 मिलियन टन गोल्ड और 70 मिलियन टन तांबा भण्डार का आकलन किया गया। उसके बाद में भारत सरकार ने यह तय किया और एक कम्पनी को उन्होंने काम देने की बात कही।

लेकिन 19.01.2005 को तीन वर्ष के लिये मैटल माइनिंग इंडिया लिमिटेड के पक्ष में 207 वर्ग किलोमीटर की रिकग्नेशन परमिट, निकट ग्राम, जो मैंने ग्राम बोले हैं, उन ग्रामों के अंदर उनको परमिट दिया, लेकिन उसके बाद 16.4.2008 को पी.एल. संख्या 64/2008 खनिज कॉपर लैंड जिंक बेस मैटल सिल्वर और गोल्ड हेतु 21 वर्ग किलोमीटर के लिये आवेदित की गयी और आदेश दिनांक 10.04.2018 से आर.पी. धारक ने हाई कोर्ट में पी.एल. लगा दी और अब यह काम सब-जुडिस है, आबंटन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री निर्मल कुमावत।

प्रदेश के किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण

111. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) क्या सरकार द्वारा सहकारी बैकों से जुड़े किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब व अब तक कितने किसानों के कितनी राशि के ऋण की राशि उनके खातों में अपलिखित कर दी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा सहकारिता से जुडे किसानों के 2 लाख रुपये तक के मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण माफ करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो माह मई, 2019 तक कितनी राशि के मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण माफ किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्रदेश की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कैम्प लगाकर ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किये गये हैं? यदि हां, तो कितनी राशि के प्रमाण पत्र वितरित किये गये तथा इनमें से कितनी राशि किसानों के खातों में समायोजित की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक, कामर्शियल बैंक, अधिसूचित बैंक से जिन किसानों ने ऋण लिया है, उनकी ऋण माफी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.12.2018 से सहकारी बैंकों से जुडे किसानों का निर्धारित पात्रतानुसार 30.11.2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया है। दिनांक 01.07.2019 तक 19 लाख 43 हजार 390 किसानों को अल्पकालीन ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी कर 7,549.46 करोड़ की राशि माफ कर दी गयी है।

(2) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लघु व सीमान्त कृषक, जिनका कृषि ऋण दिनांक 30.11.2018 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत है, व अवधिपार राशि 2 लाख से कम है, को माफ करने का निर्णय लिया गया है।

(3) जी हां। ऋण माफी पोर्टल पर दिनांक 01.07.2019 को प्रदर्शित एवं संधारित सूचनानुसार दिनांक 01.07.2019 तक 19 लाख 43 हजार 390 किसानों को ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित कर 7,549.46 करोड़ की राशि को किसानों के खातों में समायोजित किया जा चुका है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) जी हां। नेशनल बैंक, शिड्यूल्ड बैंक एवं आरआरबी से जुड़े कृषक, जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, उनका दिनांक 30.11.2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये की सीमा तक का अल्पकालीन फसली ऋण, जो एनपीए हो गया है, को माफ करने के लिए बैंकों से परामर्श कर रहे हैं। वन टाइम सैटलमेंट स्कीम (ओ.टी.एस.) लाए जाने हेतु समन्वय समिति का गठन किया गया है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं थोड़ा-सा आसन से शिथिलता मांगूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो आपने जवाब दिया है। खण्ड-2 में मैंने पूछा था कि दो लाख तक के जो ऋण माफ हुए हैं, वह कितने किसानों के हुए हैं, वह जवाब मुझे नहीं मिला। नम्बर-दो, कि यह जो राशि आपने बतायी 7,549 करोड़ रुपये, यह सरकार ने किसानों के माफ किये हैं, या अपने खाते से सहकारी समिति को दे दिये या नहीं दिये, देंगे या नहीं देंगे? यह मुझे बताएं। उसके बाद में मेरा दूसरा सवाल पूछूंगा।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): यह जो राशि बतायी है, यह माफ कर दी गयी है। 30.11.18 की स्थिति में जिनके खाते में यह राशि बाकी थी, उनको माफ कर दिया गया है और खाते में उनके जमा करा दिया गया है। 30 जून तक का लोन ड्यू होता है सरकार की तरफ से जमा करा दिया जाता है, लेकिन किसान आराम की नींद सो सके, वह टेंशन में नहीं रहे इसलिए हमने माफ कर दिया है, बाकी उनका तो समायोजन 30.06.2019 को किया गया है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक पूछा था कि यह राशि सरकार सहकारी समितियों को दे चुकी या अब देगी? या किसानों के खाते में डालेगी? मैंने स्पेसिफिक पूछा है, एक बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, हां, आप बोलो।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): किसानों के खातों में डाल दी गयी है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय मंत्री महोदय, यह कब डाली गयी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): यह 30.11 की स्थिति में जो

(श्री अंजना उदयलाल)

उनका बाकी था, उनको जमा नहीं कराना था, तो उनके खाते में ही जमा हो गयी स्वत: ही और सरकार को उसको समायोजित करके बैंकों में हमें लौटाना था 30 जून, 2019 को, तो 30 जून को लौटा दी है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं समझता हूं इस बारे में मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, जो आपने ओ.टी.एस. का कहा है, वन टाइम सैटलमेंट का, जो राष्ट्रीय बैंक हैं, या उनके लिये जो समिति बनी है, इस समिति ने अब तक कितनी बैठकें कर लीं। कितने लोगों का, इसमें आवेदन के लिये पात्र व्यक्ति आ गये और क्या इसमें केवल जो किसानों ने फसली ऋण ले रखा है, केवल उसी को माफ करेंगे या किसानों ने दूसरे कामों के लिये भी ऋण ले रखा है अपनी जमीन पर, उनकी उस पर पात्रता है या नहीं है, यह बताएं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कमेटी गठित कर दी गयी है, उनकी दो मीटिंगें हो चुकी हैं और पात्रता तय करने के बाद ही कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक पूछा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा के लिये नहीं, प्लीज बैठें, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ..(व्यवधान) किसानों के साथ धोखा किया, यह इस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I will not allow. अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश जी मेघवाल, अगला प्रश्न। यह गलत परम्परा है। कैलाश जी मेघवाल को बुला लिया मैंने। कटारिया साहब, मैंने उनको पुकार लिया। मैंने कैलाशजी मेघवाल को पुकार लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैंने प्रश्न बुला लिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: आप जानते हैं, सीनियर हैं। अलग ढंग से लेकर आएं, चर्चा करेंगे। माननीय कैलाश जी मेघवाल। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, मैं अलाउ नहीं करूंगा। रिकार्ड नहीं होगा। कैलाशजी मेघवाल, प्रश्न पूछना है आपको?

शाहपुरा के गांवों को बस सेवा से जोड़ने की योजना

112. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-जिला भीलवाड़ा के कौन-कौनसे गांव वर्तमान में राजस्थान पथ परिवहन निगम एवं राजस्थान लोक परिवहन सेवा से जुड़े हुए हैं और कौन-कौनसे गांव उक्त सेवा से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को उक्त बस सेवाओं से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप बोलें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा-बनेड़ा जिला भीलवाड़ा के वर्तमान में राजस्थान परिवहन निगम की वाहनों से जुड़े एवं वंचित गांवों का विवरण परिशिष्ट 'एक' पर संलग्न है।

बनेड़ा-शाहपुरा क्षेत्र में लोक परिवहन सेवा संचालित नहीं है।

(2) उक्त मार्ग पर तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता होने पर निगम बस चला सकेगा।

लोक परिवहन सेवा की सुविधा पूर्व से निर्धारित समस्त राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बनायी गयी 476 स्कीम मार्गों हेतु प्रारम्भ की गयी है। इन मार्गों के अतिरिक्त अन्य जगहों पर उक्त बसें चलाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 113

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मोहनराम चौधरी। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 114

अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 115

अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 116

अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 117

अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 118

अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 119

अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनियां। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित । कृपया आगे देखें)

श्री गणेश घोघरा। प्रश्न संख्या 120.

डूंगरपुर में रोडवेज बसों का संचालन

120. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में रोडवेज बसों की बस सेवा की सुविधा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायत एवं ढाणियों में बस सेवा की सुविधा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता के आधार पर नई बस संचालन पर विचार किया जाएगा।

(2) राजस्थान सरकार की जन घोषणा में "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्षजी, मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ग्रामीण परिवहन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दें।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण में कितनी बसें चल रही हैं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र का आपने बसों को लेकर जो मुझसे पूछा है, आपको बसों की सूची हमने उपलब्ध करवा रखी है और भी आप डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे कक्ष में पधारना, मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा और पूरी जानकारी भी दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपने पूछ लिया, उन्होंने कह दिया न, चैम्बर में बुला लिया। बैठो आप। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

(12.00 बजे)

प्रदेश में मदरसा पैराटीचर को नियमित करने की कार्ययोजना

121. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित मदरसों में दीर्घ अवधि से पैराटीचर कार्यरत हैं? यदि हां, तो प्रदेश में कितने मदरसे कहां-कहां चल रहे हैं, उनमें कितने पैराटीचर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मदरसों में कार्यरत पैराटीचर को

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

निश्चित मानदेय दिया जाता है? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष में कितना-कितना मानदेय किस-किस वर्ष में कितना-कितना बढ़ाया-घटाया गया? क्या सरकार उक्त पैराटीचर को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। राजस्थान में कुल 3226 मदरसे संचालित हैं। उक्त मदरसे कहां-कहां संचालित हैं तथा वर्तमान में कितने पैराटीचर कार्यरत हैं, की जिलेवार सूचना संलग्न है संलग्नक-1 पर।

(2) जी हां। मदरसों में कार्यरत पैराटीचरों को निश्चित मानदेय दिया जाता है। मानदेय में निम्नानुसार वर्षवार वृद्धि की गयी है:-

वर्ष	मानदेय में वृद्धि दर (रुपये में)
2003	800
2004	200
2005	400
2006	400
2007	400
2008	400
2009	400
2010	400
2011	400
2012	400
2013	1200
2014	400
2016	800
2017	दस प्रतिशत
2018	दस प्रतिशत

उपरोक्तानुसार मानदेय में राज्य सरकार के आदेशानुसार समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। मानदेय किसी भी वर्ष घटाया नहीं गया है। विस्तृत विवरण संलग्न है संलग्नक-2 पर।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा क्रमांक प.5(1)म.म./2019 दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु श्री बुलाकी दास कल्ला, मंत्री, ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। शिक्षा सहयोगियों के नियमितीकरण पर विचार करने हेतु प्रकरण दिनांक 14.03.2019 को मंत्री स्तरीय समिति को प्रेषित किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से पुलिस थाना मुण्डावर में काफी पद रिक्त होने के कारण अपराध बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अविनाश एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-112 पर स्थित राजकीय पी.जी. महाविद्यालय पर बसों का ठहराव न होने से छात्र-छात्राओं को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के तहसील कार्यालय में तहसीलदार व कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही से विद्यार्थियों व आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से कुम्भलगढ़ वन अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में हो रही मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में चल रही शराब की अवैध दुकानों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री छगनसिंह एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में विलायती बबूल से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उदयपुर सर्कल में विभाग द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में सभी ठेकेदारों को शामिल नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से पिण्डवाड़ा तहसील की कुल 37 पंचायतों में से 23 पंचायतों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में न जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम काटने के बावजूद भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बनध में।

(11) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148 डी (गुलाबपुरा से उनियारा) के निर्माण हेतु अवाप्त की गयी कतिपय गांवों के किसानों की भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में मृत जानवरों व मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने हेतु जमीन आरक्षित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा नगर परिषद् के वार्ड नम्बर-1 से 4 में स्थित कस्बा पुर व आस पास के ग्रामों में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण जन हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर की 32 में से 22 पशु चिकित्सा इकाइयों की तालाबंदी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से कल दिनांक 11 जुलाई, 2019

(श्री अध्यक्ष)

को प्रात: पांच बजे मोर्निंग वाक और योगा कर रहे छह लोगों की तेज गति से आ रही कार द्वारा कुचलने से हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री फूल सिंह मीणा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से उदयपुर जिले में जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व नोटिस दिये बिना भूमि दर निर्धारण समिति की बैठक बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, श्री जगसीराम, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री फूल सिंह मीणा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा लगाये गये कार्मिकों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के जिला मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय में चिकित्सक व स्टाफ की कमी से पशुपालकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु सिंगल फेस पम्प के रख-रखाव एवं विद्युत का खर्चा सरकार द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पेयजल की समस्या का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की लगभग 600 कालोनियों में सीवरेज, नाली व सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में।

38]नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त-12 जुलाई 2019-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में मेज नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना में ग्राम पंचायत उतराना के कतिपय गांवों में शामिल नहीं किये जाने से स्थानीय किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के गढ़ी बाजना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले में पेयजल आपूर्ति के मुख्य स्रोत बीसलपुर बांध में ब्राह्मणी नदी का पानी डाले जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिण्डवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(11) श्री जे.पी. चन्देलिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के चिड़ावा में महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज से वंचित कालोनियों में सीवरेज लाइन डाले जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री सुमित गोदरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की मण्डी के आवासीय व वाणिज्यिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के अभाव में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर में पंजाब की फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पानी के मिलने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(15) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से सोजत स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी व एक्स-रे मशीन खराब होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 12 जुलाई, 2019 को शून्यकाल में बोलने हेतु 30 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं :-

(1) श्री गुरदीप सिंह, विधान सभा क्षेत्र संगरिया में विद्युत समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री गणेश घोघरा, डूंगरपुर नगर से सटे हुए गांवों में बसे आदिवासी लोगों को मकान व जमीन का पट्टा व खातेदारी हक दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री बलजीत यादव, प्रदेश की ओ.बी.सी. वर्ग की महिलाएं, जिनका विवाह अन्य राज्यों में हुआ है, उनका ओ.बी.सी. सर्टिफिकेट नहीं बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नरेन्द्र नागर, झालावाड़ नगर परिषद् में 2/3 पार्षदों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के उपरांत भी प्रशासक नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

सूचना

पुराना ऋण अपलिखित नहीं होने से किसानों को नया ऋण लेने में परेशानी

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, किसानों के कर्जे माफी का विषय जो हमने कहा अभी भी गम्भीर बना हुआ है। मैं सोचता हूं हम सही स्थिति में नहीं। कारण क्या है, आपने कागज तो पकड़ा दिया कि उनका माफ हुआ लेकिन आपने बैंक में पैसा नहीं डाला इसलिए उनका अपलेखन नहीं हुआ और अपलेखन नहीं होने से उनको वापस नया ऋण मिलना सम्भव नहीं हुआ। तो सच बात यह बताएं कि वास्तव में जब तक आप उसका अपलेखन नहीं करेंगे, बैंक को आप यह पैसा नहीं डालेंगे तब तक किसान मुक्त कैसे होगा और उसको अगला लोन कैसे मिलेगा? इस कारण से मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए हम जो भी नोटिस दें उस पर चर्चा कराएं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और स्थिति स्पष्ट करें कि वास्तव में किसान को उस कर्जे से मुक्ति मिल गयी, दोबारा लोन लेने के लिए अधिकृत हो गया? तब तो कुछ समझ में आता है कि हमने वास्तव में किसान की मदद की।

लेकिन कागजों ही कागजों में चल रहा है। नीचे धरातल पर किसान को वापस लोन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो पैसा सरकार को उस बैंक में जमा कराना था, वह बैंक में जमा नहीं होने के कारण से नो ड्यूज नहीं है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): किसानों को 30.11.2018 के दिन ही हमने राहत दे दी थी। जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में वादा किया है, वह निभा दिया। आपकी चिंता है कि वापिस ऋण अभी तक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऋण देना भी कल से शुरू कर दिया है और खातों में समायोजित कर दिया गया है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): सर, पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: नो इन्फार्मेशन। प्लीज। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भीलवाड़ा नगर परिषद् के कस्बा पुर व ग्रामों में ब्लास्टिंग

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

भीलवाड़ा नगर परिषद् के एरिया वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 जो कि पुर कस्बे के तहत आते हैं, उनमें पिछले 2 वर्षों से लगातार मकानों में, विद्यालयों में, मंदिरों में, मस्जिदों में दरारें आ रही हैं। वह दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगभग 3 हजार मकानों की सूची मेरे पास है, जिन मकानों में दरारें आई हैं। प्रशासन को लगभग 50 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद प्रशासन में कुछ हलचल हुई। प्रशासन ने जांच शुरू की। प्रशासन की जांच में सर्वे के लिए 4 कमेटियां बनाई गयीं। टैक्निकल आदमियों से भी सर्वे करवाया गया। पब्लिक का यह मानना है कि वहां जो जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा खनन किया जा रहा है, वहां उनका जो ब्लास्टिंग का तरीका है, उसके कारण से इन सारे मकानों में दरारें आ रही हैं।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

अध्यक्ष महोदय, पुर कस्बा, भीलवाड़ा से भी पुराना कस्बा है। 500 साल पहले का बसा हुआ कस्बा है। बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। 500 साल से जो लोग वहां निवास कर रहे हैं, उनके मकान अभी तक सुरक्षित थे। प्रशासन की जांच में यह बताया जा रहा है कि यह जो मकानों में दरारें आ रही हैं, इनका कारण कभी तो कहते हैं कि पानी भर रहा है इसलिए है। कभी कह रहे हैं कि जमीन धंस रही है इसलिए है। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनता का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। 3 हजार मकानों की लिस्ट तो मेरे पास है। अभी प्रशासन ने भी सर्वे करवाया है। प्रशासन के सर्वे में पुर कस्बे में, पुर के आस पास भैया खेड़ा, जाटों का खेड़ा, लक्ष्मीपुरा, मंगलपुरा और दरीबा में लगभग 4100 मकानों की सूची प्रशासन के पास प्राप्त हुई है, जो सरकारी अधिकारियों ने बनाई है। उसके बाद हालात यह हैं कि प्रशासन ने 41 ऐसे मकान चिह्नित किए हैं, जो किसी भी क्षण गिर सकते हैं। उससे जन हानि होने का अंदेशा है।

प्रशासन को जब ब्लास्टिंग की जांच के लिए बुलाते हैं तो वह पहले ब्लास्टिंग वालों को सूचना देते हैं कि हम जांच करने आ रहे हैं। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से कि यदि हम किसी को कहेंगे आज जांच करने के लिए आ रहे हैं तो वह नियमानुसार ही ब्लास्टिंग करेगा। अवैध तरीके से और अनियमित तरीके से जो ब्लास्टिंग हो रही है, उसी के कारण से इन मकानों में दरारें आ रही हैं। अस्पताल जैसे स्थान, 500-500 साल पुराने, बड़े-बड़े प्रस्तर खंडों से बने हुए मंदिर हैं, उन पत्थरों में दरारें आ चुकी है। वह दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, गम्भीर विषय है। मैं 2 मिनट का समय और लूंगा। गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: वाइंड अप करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): गंभीर विषय है। मेरा यह निवेदन है कि प्रशासन ने किसी को जिम्मेदार नहीं माना है। जब कि जनता का और सबका यह मानना है कि जब से जिंदल शॉ लिमिटेड ने यहां खनन शुरू किया, तब से ये दरारें आनी शुरू हुई हैं। प्रशासन उनको डीएमएफटी के माध्यम से पैसा दिलाना चाहता है। जबकि जनता चाहती है कि यह नुकसान जिंदल के कारण से हुआ है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: श्री जगसी राम।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें। प्लीज बैंठें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): आप एक मिनट सुनें। मेरे नोहर भादरा की नहरों में पानी नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप नीचे बैठें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। जगसी राम जी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: बैठें, प्लीज। श्री जगसी राम।

रेवदर पशु चिकित्सा इकाइयों की तालाबंदी

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान नियमों के नियम 50 के अंतर्गत ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पशुपालक ज्यादा रहते हैं। सरकार ने घोषणा-पत्र के अंदर भी पशुपालकों के लिए काफी बातें कहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि रेवदर उपखण्ड में 32 पशु चिकित्सालय हैं, उनमें से 22 में आज ताले लगे हुए हैं। वहां पर न तो डाक्टर्स हैं, न ही कम्पाउंडर्स हैं और न ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सुन तो लें कम से कम। इतना तो कह दो।

श्री जगसी राम (रेवदर): इतना गम्भीर प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सुन तो लो। हमारे पास बचा क्या है? हमारी सुन तो लो शून्य काल में।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नाटक के लिए एक इनाम रखा जाना चाहिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पशु चिकित्सालयों में डाक्टरों की व्यवस्था करें। मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। राजेन्द्र राठौड़।

श्री जगसी राम (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो हो।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, हो गया। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री जगसी राम (रेवदर): सर, इस तरह से मत करें।

श्री अध्यक्ष: हो गया। हो गया। राजेन्द्र राठौड़। यह तरीका नहीं है। प्लीज, हो गयी बात।

श्री जगसी राम (रेवदर): फिर मतलब क्या रहा?

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। इसका यह तरीका नहीं है।

कुम्हेर में कार दुर्घटना में हुई मौतें

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति लोमहर्षक घटना की तरफ दिलाना चाहूंगा, जो कल कुम्हेर कस्बे में घटित हुई। यह घटना है, दुर्घटना है, किसी को आरोपित करने की मेरी कोई मंशा नहीं है लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ बातें हमें सबक दे जाती हैं। राजस्थान का यह सदन चल रहा है। हम सब लोग मिलकर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को कैसे रोक पाएं, इस पर हम क्या सख्ती कर पाएं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।

कुम्हेर में तड़के 5 बजे हमेशा की भांति कुछ लोग घूमने गये। एक तेज रफ्तार से आती हुई कार ने योगा करते हुए 5 लोगों को कुचल दिया। रघुवीर दयाल, निरोती सैनी, प्रेम सिंह, माखन नागर, हरिशंकर और राजेश्वर, यह पांचों लोग कार की चपेट में आए हैं। इससे पांचों की मृत्यु हो गयी। आज पूरा कुम्हेर कस्बा बंद है। यह सही है कि कार चलाने वाले की पहचान भी हो गयी। कार 10 जुलाई को धनवाड़ा, कुम्हेर के अंदर एक बच्ची की शादी में दी गयी थी और दुल्हन का भाई कार चला रहा था।

अध्यक्ष महोदय, अब यह दुर्घटना हो गयी तो मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। आईपीसी की धारा 279, 337, 338 के अंदर, और ज्यादा चर्चा चली तो 304 ए में हो जाएगा। कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही घंटों बाद वाहन चालक की जमानत भी हो जाएगी। लेकिन मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार की दुर्घटना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई अकेली दुर्घटना नहीं है। आज पूरे देश में सड़क दुर्घटना के अंदर राजस्थान पांचवें स्थान पर है। मंत्री महोदय को अच्छी तरह से पता है कि पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का आंकड़ा 10510 था।

मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर भी जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके कारण से केन्द्र सरकार भी चिंतित है और 14 हजार करोड़ का प्रावधान उन्होंने एक्सीडेंटल जोन को ठीक करने के लिए रखा है।

मेरा आपसे इतना ही निवेदन है मंत्री महोदय कि दुर्घटना हो गयी, क्या यह नहीं हो सकता कि दुर्घटना करने वाले उस चालक को जो लाइसेंस आपने दिया है, उस लाइसेंस का कोई रिव्यू हो जाए? उसकी दक्षता एक बार पुन: देख ली जाए। वर्ना होता क्या है कि दुर्घटना हो गयी, उसके बाद उसको जमानत मिल गयी, उसके बाद वह उसी वाहन के साथ दौड़ता हुआ फिर गाड़ी चलाने लग जाता है। इस तरह का कोई न कोई काम हमें करना चाहिए। इसके साथ ही इनके लाइसेंस को भी निलम्बित करना चाहिए। कोई न कोई मैकेनिज्म इस प्रकार का मोटर व्हीकल एक्ट में होना चाहिए ताकि ये दुर्घटनाएं बचें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज पूरे जयपुर में भी रेवड़ियों की तरह लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। 400 लाइसेंस तो जयपुर में रोज मिल रहे हैं। मैं आरोपित नहीं कर रहा। लाइसेंस देने के साथ-साथ वाहन चलाने की दक्षता उसकी जांच का जो पैमाना आपने तय कर रखा है, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है। मैं चाहूंगा मंत्री महोदय, राजस्थान की विधान सभा की तरफ लोग देख रहे हैं, आप इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई रोडमैप है तो आपको कहना चाहिए। जसोल की घटना हो गयी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंड अप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं। जसोल की घटना हो गयी, आज जसोल की घटना में संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट भी आ गयी। क्या कोई एडवाइजरी इस प्रकार की जारी की गयी कि इस प्रकार की घटनाएं दुबारा न हों। ये घटनाएं हैं यह कोई सरकार ने नहीं की हैं, न आपने कीं न मैंने कीं, ये दुर्घटनाएं हैं। इसके बारे में सरकार को कोई न कोई इस प्रकार का काम करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हों। मंत्रीजी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि इन मौतों को देखकर आप गम्भीर नहीं हो, संवेदनशील नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इधर देखकर बोलें। बैठें आप। फूल सिंहजी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, प्लीज बैठें। फूल सिंह मीणा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी तरफ देखा, मेरी तरफ नहीं देखा इसलिए रोक दिया मैंने।

श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा अल्प सूचना से भूमि दर निर्धारण समिति की बैठक का आयोजन

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 50 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गम्भीर मामला है। उदयपुर के जिला कलेक्टर ने जिले की भूमि दर निर्धारण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक रखी, 21 जून, 2019 को, इस मीटिंग की सूचना मात्र एक दिन पहले ही जन प्रतिनिधियों को दी गयी थी। मीटिंग का एजेंडा भी साथ में नहीं दिया था और जब मीटिंग में आए तो वह एजेंडा उस टेबल पर मिला, डीएलसी रेट सम्बन्धी और उसमें 20 प्रतिशत से 47 प्रतिशत रेट बढ़ाने का एजेंडा था। यह प्रस्ताव मीटिंग की टेबल पर रखा हुआ था। उदयपुर में झाड़ोल, सलूम्बर से, मावली से, धरियावद से, माननीय विधायक आते हैं, हम लोग फील्ड में रहते हैं, मीटिंग की सूचना शाम को दे और सुबह मीटिंग हो तो हम कैसे आएं? इस मौके पर केवल शहर विधायक ही पहुंचे और दो प्रधान पहुंचे। उनको भी यह एजेंडा वहां मिला, उसके बारे में वह क्या तो जांच करे और क्या इसके बारे में सुझाव दे, इसलिए शहर विधायक, गुलाबजी भाईसाहब और गिर्वा, प्रधान, तख्तसिंहजी, प्रधान, खूबीलालजी, उस मीटिंग का बहिष्कार करके निकल गए। हम विधायक नहीं पहुंचे, इसके उपरांत भी उदयपुर जिला स्तरीय समिति ने जन भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए दर बढ़ाने सम्बन्धी निर्णय लेते हुए 20 प्रतिशत से 47 प्रतिशत करने का प्रस्ताव ले ले लिया। इसका परिणाम यह होगा कि उदयपुर जिले में पहले से ही भूमि नहीं बिक रही है,

(श्री फूल सिंह मीणा)

यह रेट और बढ़ने से वह जमीन का क्या होगा, सरकार पर भी इसका असर पड़ेगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और। अगर ऐसे ही मीटिंग रखते हैं, जन प्रतिनिधियों को बुलाते हैं और वे नहीं पहुंचें तो भी ऐसा एजेंडा प्रस्ताव पास हो जाता है तो ऐसी मीटिंग में जन प्रतिनिधि को बुलाने का क्या औचित्य है? उनको नहीं बुलाना चाहिए? इसका जवाब दें मंत्री महोदय, तो हमारे सब जन प्रतिनिधियों का मामला है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ऐसा ही गम्भीर विषय हमारे यहां भी है। हमारे भीलवाड़ा में भी इसी तरह से किया गया। न हमको कोई सूचना दी गयी, अभी सत्रकाल में भी कल की तारीख में कलेक्टर ने डीएमएफटी की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है, हमको आज तक कोई सूचना नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप बैठें प्लीज। आप सुन नहीं रहे हैं, माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं और आप खड़े बैठे-बैठे बोल रहे हैं। एक मिनट उनको सुनें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): हमारे डीएमएफटी की मीटिंग कल की तारीख में बुलाई है, मुझे सूचना हमारे माननीय शाहपुरा के सदस्य ने दी है। मेरे को कोई सूचना नहीं है, इस तरह का गम्भीर विषय है यह। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा बहुत स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी इस तरह के वाकये लगातार सामने आते रहते हैं। मेरे खुद के क्षेत्र सिरोही में सरकारी स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हुआ जिसकी मुझे सूचना नहीं दी गयी। मंत्री गए सरकार के, मैंने उनको फोन से सूचित कर दिया कि इस कार्यक्रम की मुझे कोई सूचना नहीं दी गयी है, आपके प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही करें, आज तक, माननीय अध्यक्ष, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, मुझे तीन घंटे पहले सूचना दी गयी, तीन घंटे में कहां से पहुंचें?

श्री अध्यक्ष: आप बैठें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकारी समारोह आयोजित किया गया, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं आप सरकार से इस बात का जवाब दिलाएं कि माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और जो अधिकारी इसकी अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो इन्होंने कह दी लेकिन कलेक्टर महोदय या प्रशासन पहले से यह जानता है कि विधायक न पहुंचे मीटिंग में तो यह ज्यादा अच्छा है। इस कारण से मैं तो खैर उदयपुर में था, मेरे घर पर सात बजे कागज पड़ा मिला था। मैं तो इस कारण से मीटिंग में फिर भी चला गया। जो जिले के एमएलए हैं, कइयों को तो जिस दिन मीटिंग थी 21 तारीख को, उस दिन एसडीओ उनको फोन कर रहा है कि आपकी उदयपुर मीटिंग है और 11 बजे मीटिंग है। मैं सोचता हूं कि यह जान बूझकर किया हुआ है कि जन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं रहे। एक भी जन प्रतिनिधि, मैं उस दिन गया था, कोई भी एमएलए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई प्रधान चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी की भी बिना प्रजेंस के इतना बड़ा निर्णय ले लेना, 20 प्रतिशत से 47 प्रतिशत, क्या कानून में इस कमेटी का महत्व इतना ही है कि जन प्रतिनिधि को सूचना दे दो, आएं तो ठीक, नहीं आएं तो ठीक, और डीएलसी की रेट तय हो जाए, अगर इसको उचित मानते हो तो फिर जनता भुगतेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण के बाबत माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, निश्चित तौर पर यह गम्भीर विषय है, पहले भी आपके द्वारा और सरकार के द्वारा यह आदेश जारी हो चुके हैं, मैं यह मानकर चलता हूं कि उन आदेशों को भी संशोधित करने की जरूरत है क्योंकि जब सदन आहूत होता है तो दो दिन पहले कम से कम भी सदस्य जयपुर आते हैं और सदन आहूत और सदन की समाप्ति के दो दिन बाद में ही वे लोग जाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा यह आदेश जारी किए जाएंगे कि दो रोज पहले और दो रोज बाद सदन की और इस बीच में चाहे वह शनिवार, रविवार आ रहा हो, कोई भी बैठक कलेक्टर नहीं बुलाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी मीटिंग सदन आहूत के पहले 21 जून को हुई थी। आखिर दो दिन पहले दोनों स्थानों पर कम से कम जहां हम रहते हैं, वहां बिना सूचना किए औपचारिकता करने के लिए, जो जनता पर भार पड़ गया उसको क्या आप उचित समझते हैं या इसके बारे में जन प्रतिनिधियों की राय की कोई कीमत है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपकी चिंता बिलकुल सही है, निश्चित तौर पर कम से कम मीटिंग के तीन रोज पहले एजेंडा आना चाहिए और इत्तला आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन कई जगह इस प्रकार की जैसी शिकायत आपने की है, कई और माननीय सदस्यों ने भी इस प्रकार की शिकायत की है, इसको दिखवा लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें, माननीय सदस्य, आप नए हैं थोड़ा सीखें।

295, श्री अर्जुन लाल जीनगर

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल में कार्मिकों का स्थायीकरण

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मैं निवेदन करना चाहता हं कि राजस्थान में स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल संचालित हैं। उक्त विद्यालयों में आ रही समस्याओं का समाधान कराने हेतु निम्न निवेदन है:-

(1) स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सरकार ने सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से पीटीआई कम योगा इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक टीचर, कार्य एवं अनुभव सेवा, आर्ट एण्ड क्राफ्ट के पदों पर कर्मचारी लगाने का एमओयू किया था।

(2) सरकार ने सेवा प्रदाता एजेंसियों को सर्विस कमीशन के आधार पर एमओयू किया है तथा सरकार द्वारा निर्धारित वेतन के आधार पर उक्त पदों पर निर्धारित योग्यताधारी कर्मचारियों को लगाने के आदेश दिए गए हैं।

(3) सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा उक्त संस्थानों में लगाए गए कर्मचारियों का वेतन बैंक खातों में जमा हो रहा है लेकिन सरकार द्वारा

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

निर्धारित वेतन में से 3 हजार से 4 हजार रुपये कम जमा करवाए जा रहे हैं तथा कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों का पीएफ भी नहीं काटा जा रहा है।

(4) सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा उक्त संस्थाओं में लगाए गए कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा करवाए गए वेतन की जांच करवा दी जाए तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। पूरा वेतन कर्मचारियों को दिलवाने की कार्यवाही की जाए।

(5) जिन सेवा प्रदाता एजेंसियों ने एमओयू का उल्लंघन किया है उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही कराने का श्रम कराएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर आशा एवं विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

(12.30 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी। श्रीमती मनीषा पंवार।

जोधपुर की पेयजल आपूर्ति एवं विद्युत खर्च

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे नियम-295 के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 19 फरवरी, 2016 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिंदु संख्या 8(xii) के तहत यह निर्णय लिया गया था कि ''विभाग द्वारा हैंडपंप पर सिंगल फेज पंप की स्वीकृति नहीं दी जाएगी, परन्तु एमएलए लैड/एमपी लैड के तहत उक्त स्वीकृति दी जा सकती है, बशर्ते कि संबंधित संस्था इस सिंगल फेज पंप पर विद्युत संबंध, विद्युत खर्च एवं इसके रख-रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं के खर्च पर लेवें''।

जोधपुर शहर में लगने वाले सिंगल फेज पंप जोधपुर शहर की पेयजल सप्लाई का एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हिस्सा है। यह सिंगल फेज पंप सार्वजनिक रूप से स्थानीय नागरिकों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। सिंगल फेज पंप पर विद्युत संबंध, विद्युत खर्च एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण व्यय अभावग्रस्त नागरिकों द्वारा सम्भव नहीं है। अत: इसका वहन सरकार द्वारा कर नागरिकों को राहत प्रदान की जाए।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे नियम-295 के तहत बोलने का अवसर दिया। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं की परेशानियों को सदन के मार्फत प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-295 के तहत सूचना प्रेषित है।

सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सूरजगढ़ नगर की आबादी लगभग 25 हजार है। शहर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हजारों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। उच्च शिक्षा के लिये इन छात्र-छात्राओं को झुंझुनूं और खेतड़ी के राजकीय महाविद्यालय में जाना पड़ता है। सूरजगढ़ से झुंझुनूं व खेतड़ी की दूरी ज्यादा होने के कारण काश्तकार व अन्य माता-पिता अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिये भेजने में असमर्थ हैं या निजी महाविद्यालयों में भारी-भरकम फीस देकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं।

झुंझुनूं और खेतड़ी में रहकर विद्यार्थियों का शिक्षा ग्रहण करना महंगा हो जाता है। उसके कारण से बहुत से विद्यार्थी अपना अध्ययन पूरा नहीं कर पाते हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र काश्त पर निर्भर है। काश्तकार पानी के अभाव में खेती भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देना दुर्लभ है। महाविद्यालय खोले जाने के लिये बहुत समय से स्थानीय जनता मांग कर रही है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-295 के तहत सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के लिये उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

जैतारण में पेयजल की समस्या का समाधान

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जैतारण विधान सभा में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए जैतारण शहर सहित 125 गांवों के लिये लगभग 315

(श्री अविनाश)

करोड़ रुपये की लागत से जवाई जल परियोजना को स्वीकृत किया गया। इस परियोजना को पूर्ण करने का कार्य गैमन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म को दिया गया। इस परियोजना को पूर्ण करने की अवधि 2017 तक की थी, लेकिन अभी जून, 2019 तक उक्त परियोजना का आधा कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से उपरोक्त कार्य बंद पड़ा है।

जवाई जल परियोजना सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर है। जब जवाई बांध अच्छी बारिश से भर जाता है, तब पानी की सप्लाई सुचारु रूप से होती है और बारिश नहीं होती है तो सम्पूर्ण क्षेत्र में आठ-दस दिन से सप्लाई हो पाती है। चूंकि जैतारण विधान सभा क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के पानी के संबंध में एक शुष्क व डार्क जोन एरिया है। प्राकृतिक स्रोत से जहां पानी की कम आपूर्ति होती है एवं जल स्तर भी बहुत गहरा हो चुका है, उसमें भी फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होने से आम जनता को घुटने में दर्द व अन्य कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।

जैतारण विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण व शहरी इलाकों में पानी की समस्या को देखते हुए इंदिरा गांधी कैनाल, जोधपुर से जैतारण विधान सभा क्षेत्र के नजदीक के बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र जो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी तक आयी हुई है, वहां से जैतारण क्षेत्र के लिये अगर सरकार द्वारा मीठे पानी की योजना स्वीकृत की जाती है तो सम्पूर्ण जैतारण क्षेत्रवासियों के लिये पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

मेरी सरकार से विशेष मांग है कि आम जन को राहत देने के लिये व पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिये जैतारण क्षेत्र में जवाई जल परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने व जोधपुर से इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जैतारण तक नयी परियोजना के माध्यम से स्वीकृत कर स्थायी समाधान करने की कृपा करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन में मेज नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशवरायपाटन): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख है कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में स्थित मेज नदी में पूरे वर्ष पानी बहता है। इस नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना 2018 में स्वीकृत कर ग्राम पंचायत पोलाई,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

गेडोली व उतराना को जोड़ने की योजना थी, लेकिन उतराना ग्राम पंचायत के गांव चमवली, काकरा, डूंगर, उतराना, मालियों की बावड़िया, बुडेल, डांगा हेडी, सोरडिया को छोड़ दिया गया है, जबकि उक्त गांव मानसून की बरसात पर निर्भर हैं। यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस पंचायत को लाखेरी नगर में स्थित एसीसी सीमेंट फैक्टरी ने गोद ले रखा है।

ग्राम चमावली के आसपास में स्थित लाइम स्टोन की पत्थरों की खदानों से फैक्टरी द्वारा लगभग 80 वर्षों से दोहन कार्य किया जा रहा है, लेकिन विकास के नाम पर कंपनी कोई कार्य नहीं कर रही है। खदानों से इस क्षेत्र के निवासियों को वायु प्रदूषण, ब्लास्टिंग आदि के खतरों से हमेशा जूझना पड़ता है। कृषि कार्य हेतु पानी नहीं होने के कारण ग्रामवासी शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु उक्त गांव को या तो 2018 की स्वीकृत लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जोड़ा जाए या राज्य सरकार अपने स्तर पर या एसीसी फैक्टरी से सीएसआर फंड से मेज नदी पर एनीकट बनाकर लिफ्ट परियोजना के द्वारा उक्त गांव के किसानों की हजारों बीघा असिंचित जमीन को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र राज्य सरकार को निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री अमर सिंह।

बयाना के गढ़ी बाजना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

श्री अमर सिंह (बयाना): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद। मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना का अधिकतम हिस्सा डांग क्षेत्र में आता है। बयाना से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव गढ़ी बाजना, डांग क्षेत्र का मुख्य स्थल है। थाना गढ़ी बाजना के चारों तरफ सैकड़ों ग्रामों में तकरीबन एक लाख की आबादी निवास करती है, लेकिन यहां पर एक भी चिकित्सालय दूर-दूर तक नहीं होने से यहां के निवासियों को बहुत ही ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है।

(श्री अमर सिंह)

अगर यहां खान में किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसे बयाना या भरतपुर चिकित्सालय ही ले जाना पड़ता है। यहां निवास करने वाली एक लाख की आबादी के लिये एक भी चिकित्सालय न होना इस क्षेत्र की स्थिति को बयां करता है। आज के समय में आम आदमी की मुख्य जरूरत पानी, बिजली और चिकित्सा ही है। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि गांव गढ़ी बाजना पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की घोषणा इसी बजट सत्र में करने की कृपा करें, जिससे मेरे डांग क्षेत्र में रह रही जनता को राहत मिल सके।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

बीसलपुर बांध में ब्राह्मणी नदी से पानी की आपूर्ति

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बीसलपुर बांध में पानी की पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश के जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले में पेयजल की आपूर्ति का एकमात्र मुख्य स्रोत बीसलपुर बांध पेयजल परियोजना ही है। विगत वर्षों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण बांध में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। थोड़ी बहुत वर्षा हुई भी तो नदियों में अवैध बजरी के खनन के कारण हुए गहरे गड्ढ़ों की वजह से पानी की आवक अवरुद्ध हो गयी। वर्तमान में बीसलपुर बांध में लगभग 4 टीएमसी पानी ही बचा है और 2 से 5 दिन के अन्तराल से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यदि इस वर्ष भी पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो उक्त जिलों को पेयजल की विकट समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसका एकमात्र समाधान ब्राह्मणी व चम्बल नदियों के पानी को बीसलपुर बांध में डालना ही है।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार द्वारा ब्राह्मणी नदी के पानी को बीसलपुर बांध में डालने की स्वीकृत योजना पर अतिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की कृपा करें ताकि उक्त जिलों को भविष्य में भीषण संकट का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

पिण्डवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष

(श्री समाराम गरासिया)

उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि सीएचसी, पिंडवाड़ा में डाक्टरों के 7 पद स्वीकृत हैं लेकिन वर्तमान में 2 डाक्टर ही लगे हुए हैं जिनमें से एक डाक्टर ब्लाक सीएमएचओ है जिसे ब्लाक का कार्य भी देखना पड़ता है और सिर्फ एक डाक्टर द्वारा ही दैनिक कार्य का सम्पादन किया जाता है। वहां अस्पताल का प्रतिदिन का 300 का आउटडोर है। डाक्टरों के चैम्बर के बाहर मरीजों की लम्बी-लम्बी कतार लगी रहती है और ज्यादातर मरीजों को रैफर कर दिया जाता है। गायनिक विशेषज्ञ का पद खाली होने से महिला मरीजों को अन्यत्र जाना पड़ता है। यहां सर्जन भी नहीं है जबकि शहर के पास हाई वे होने से प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। गम्भीर रूप से घायल मरीजों को अस्पताल में लाते हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद अन्यत्र रैफर कर दिया जाता है तथा सामान्य इलाज या डिलीवरी के दौरान आमजन से भारी राशि वसूल की जाती है। इससे आम गरीब जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि शहर में जल्द से जल्द रिक्त पड़े पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति कर आम जनता को राहत दिलाने का कष्ट करें। इसी आशा एवं विश्वास के साथ यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चंदेलिया।

चिड़ावा (पिलानी) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से चिड़ावा (झुन्झुनूं) में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत कर प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र पिलानी के चिड़ावा में कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। उक्त क्षेत्र में किसान और मजदूर काफी संख्या में रहते हैं, जिनके बच्चे निजी संस्था में अध्ययन करने हेतु आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं क्योंकि निजी संस्था द्वारा मोटी फीस वसूल की जाती है जो कि किसान और मजदूर वर्ग वहन नहीं कर सकता। इस कारण उक्त क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की मांग कई संगठनों व जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई जा चुकी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री को भी पूर्व में पत्र लिखा जा चुका है। क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बाद उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय नहीं होने के कारण अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर नगर परिषद् क्षेत्र की वंचित कालोनियों में सीवरेज की व्यवस्था

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से नगर परिषद् क्षेत्र बाड़मेर में सीवरेज से वंचित कालोनियों को सीवरेज से जोड़ने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि नगर परिषद् बाड़मेर के क्षेत्र में वर्तमान में 40 वार्ड हैं तथा अभी पुनर्गठन में 55 वार्ड होने जा रहे हैं। वहां पर सीवरेज सिस्टम सही नहीं होने से आये दिन गन्दा पानी सड़कों पर आ जाता है जिससे आमजन को दिक्कत होती रहती है। पूर्व में सरकार द्वारा जो सीवरेज लाइन डाली गयी थी वह शहर के दोनों तरफ के हिस्सों में डाली गयी थी तथा बाड़मेर शहर का जो भीतरी इलाका है उसको सीवरेज सिस्टम से वंचित कर दिया गया था जिसके कारण से जो पूर्व में सीवरेज डाली गयी थी उसका भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। पूर्व में जो सीवरेज लाइन डाली गयी थी उसको भी अभी तक जोड़ा नहीं गया है तथा सीवरेज का कार्य भी घटिया गुणवत्ता का किया गया जिससे स्थिति यह है कि सीवरेज की हौदियां जगह-जगह टूट गयी हैं।

महोदय, बाड़मेर शहर के भीतरी इलाके खागल मौहल्ला से लेकर नेहरू नगर तक सीवरेज लाइन नहीं डाली गयी है जिसके कारण अभी तक शहर में सीवरेज का सिस्टम खराब पड़ा है।

अत: आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि नगर परिषद् क्षेत्र बाड़मेर के सीवरेज से वंचित क्षेत्र में सीवरेज का कार्य स्वीकृत कर सीवरेज लाइन डाली जाए ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

लूणकरणसर की मण्डी के आवासीय व वाणिज्यिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मण्डी विकास समिति द्वारा लूणकरणसर में आवासीय व व्यावसायिक सैक्टर में विकास कराने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मण्डी विकास समिति द्वारा लूणकरणसर में पांच आवासीय सैक्टर व लगभग 400 दुकानों का आबंटन आक्शन के आधार पर सन् 1990 से कराया जा रहा है। आज तक आवासीय सैक्टरों व दुकानों में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है तथा न ही पेयजल की सुचारु व्यवस्था है। सार्वजनिक पार्कों के लिए स्थान आबंटित है पर आज तक एक भी ईंट नहीं लगी है जिससे पार्कों में कब्जे भी हो रहे हैं तथा न ही रोड लाइट है। अब 11 जुलाई, 2019 को मण्डी विकास समिति द्वारा भूखण्डों व दुकानों का आक्शन कराया जा रहा है।

अत: आपसे निवेदन है कि सरकार पहले क्षेत्र में उपरोक्त समस्या का समाधान कराये जिससे क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण भी होगा तथा मण्डी विकास समिति की आय भी बढ़ेगी।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष। श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर उप खण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की शिक्षा व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, फतेहपुर मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा काफी लम्बे समय से की जा रही है। क्षेत्र में लगभग 78 सरकारी एवं गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जिनसे लगभग 6 हजार विद्यार्थी प्रतिवर्ष 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर निकलते हैं। फतेहपुर में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर सीकर, जयपुर जाना पड़ता है जिससे क्षेत्रवासियों को काफी आर्थिक भार वहन करना पड़ता है तथा जो गरीब परिवार आर्थिक भार वहन करने में सक्षम नहीं हैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है।

(श्री हाकम अली खां)

अत: मेरा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि क्षेत्रवासियों की परेशानी को देखते हुए एक राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर उपखण्ड मुख्यालय पर खोलने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत राजकीय चिकित्सालय में अव्यवस्था

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सोजत अस्पताल में डाक्टरों की कमी व एक्स-रे मशीन खराब होने के सम्बन्ध में निवेदन है कि सोजत हास्पिटल में वर्तमान में घोर अव्यवस्थाएं पायी गयी हैं। वर्तमान में अस्पताल में सभी डाक्टरों की भारी कमी है जिससे ग्रामीण व शहरी जनता को प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज करवाने के लिए मजबूरी में जाना पड़ता है।

इसी प्रकार सोजत अस्पताल में मरीजों को एक्स-रे हेतु निजी सैंटरों में जाना पड़ता है एवं धनराशि खर्च करनी पड़ती है जिससे मरीज पर अत्यधिक आर्थिक भार आ जाता है। साथ ही अन्य कई अव्यवस्थाएं भी अस्पताल में व्याप्त हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि सरकार सोजत अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति कराएं और एक्स-रे तथा अन्य सभी प्रकार की खराब मशीनों को ठीक कराकर समस्या का शीघ्र समाधान कराएं ताकि स्थानीय जनता लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में पशु चिकित्सालय में स्टाफ की नियुक्ति

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय राजसमन्द में मात्र एक पशु चिकित्सालय है। चिकित्सालय में स्टाफ की कमी होने के कारण पशुपालकों को पशुओं की बीमारी के समय उनके इलाज के दौरान समस्या का सामना करना पड़ता है व पशुओं को अन्य चिकित्सालय उदयपुर ले जाना पड़ता है। सरकार से निवेदन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करती हूं कि जिला मुख्यालय पर स्थित पशु चिकित्सालय में चिकित्सक एवं स्टाफ की कमी को पूरा कर अनुगृहीत कराने का श्रम कराएं। अगर हां तो कब तक? नहीं तो क्यों? इसी आशा एवं विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

श्री सभापति: आज दिनांक 12 जुलाई, 2019 को शून्य काल में बोलने हेतु 30 पर्चियां प्राप्त हुई। श्री गुरदीप सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना है, कम से कम शून्य काल में इन मंत्रीगणों को.... गप्पे-वप्पे बाद में मार लें। माननीय सदस्य अपनी बात को रखते हैं.... सारे मशगूल हैं सारे मशगूल.... मतलब इतना भी क्या हो गया। सभापति महोदय, इनके लिए सदन की कोई अहमियत ही नहीं रही।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप तो उप नेता महोदय, सीट से अलग-अलग जाकर मशगूल रहते हैं।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, ये छूत की बीमारी आपसे ही लगी हुई है। ये जो छूत की बीमारी है, ये आपसे ली है उन्होंने। श्री गुरदीप सिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

संगरिया में विद्युत विभाग की समस्याएं

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया में विद्युत विभाग की समस्या से अवगत कराना चाहता हूं। आबादी क्षेत्र में 11 हजार केवी तथा 33 हजार केवी की लाइनें घरों के ऊपर से गुजर रही हैं। यह समस्या कई वर्षों पुरानी है। अगर विभाग को इन घरों के ऊपर से गुजर रही लाइनों को हटाने को कहते हैं तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है लाइन का एस्टीमेट बनाकर जमा कराओ, या फिर विधायक कोष से कोष जमा कराओ तो लाइन हटा दी जाएगी।

महोदय, यह गलती विभाग की है और परेशानी आम आदमी को हो रही है। इसलिए विभाग स्वयं जिम्मेदार है कि जिन घरों के ऊपर से 11 हजार तथा 33 हजार की लाइनें जा रही हैं। ये लाइनें विभाग तुरन्त प्रभाव से हटाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पांच-छह आदमियों का एक्सीडेंट तो इस वर्षा ऋतु में हो चुका है और पशुधन का भी हो चुका है।

(श्री गुरदीप सिंह)

महोदय, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में तीन-तीन ढाणियों का समूह बनाकर लगभग 60 प्रतिशत ढाणियों में घरेलू कनेक्शन किये थे। परन्तु वर्तमान सरकार ने उस योजना से एक भी कनेक्शन नहीं दिया। बहुत सी ढाणियों में कनेक्शन होने के उपरान्त पोल लगा दिये गये हैं परन्तु आज तक उन पोलों पर न तो कोई तार है न ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर काफी गांव, जो बड़े गांव हैं, आबादी वाले हैं। उनके अंदर बिजली का लोड बढ़ने से और वहां पर जो ट्रांसफार्मर की कमी है, वे जल्द से जल्द दिलाये जाएं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर टिब्बी की तीस पंचायतें हैं। उसको बिजली विभाग ने पांच खण्डों में बांटा हुआ है। एक खण्ड हनुमानगढ़ में पड़ता है, दूसरा खण्ड संगरिया में पड़ता है, तीसरा खण्ड टिब्बी में पड़ता है, चौथा खण्ड रावतसर में पड़ता है और पांचवा खण्ड नोहर में पड़ता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो गांव हैं रामपुरिया, मसीतावाली, चहुवाली ग्राम पंचायत, मिर्जावाली, डबली खुर्द, डबल कलां को रावतसर से हटाकर खण्ड टिब्बी के अंदर जोड़ा जाए ताकि आम जन को उसका फायदा मिल सके। महोदय, हाल ही में कृषि कनेक्शनों के लिए तीन श्रेणियां बनाई गयी हैं सामान्य, एससी और स्पेशल स्कीम। फाइलों का निपटारा विभाग के कर्मचारी नहीं करते हैं और स्पेशल स्कीम का मतलब तो लाभ देना होता है। परन्तु फाइलों को लटकाया जाता है कृषि कनेक्शन के लिए, किसान फसल की बुआई लगभग मई माह में करते है। उस समय नरमा व चावल धान की बुआई का समय होता है। उस समय पोल लगाना मुश्किल है, इसलिए किसानों की बुआई से पहले ही कृषि कनेक्शन देना चाहिए।

महोदय, दूसरा जब कोई किसान ढाणी या ट्यूबवैल का कनेक्शन लेता है, बीच में अन्य किसानों की जमीन पड़ती है तो वह किसान भूमि में पोल व तार नहीं लगाने देते इसलिए इसके लिए भी नया कानून बनाया जाए, जिससे किसानों को पूरा फायदा मिल सके। आबादी के साथ ही चिपकी हुई कृषि भूमि पर सालों से बसे लोगों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलते हैं क्योंकि उन लोगों को पंचायत एनओसी नहीं दे रही है। गरीब लोगों को लाभ नहीं मिलता, इस प्रकार कुछ लोग प्राइवेट कालोनियां काट देते हैं। जिनका आवासीय भूमि में

(श्री गुरदीप सिंह)

कंवर्जन नहीं करवाया, परन्तु भोले-भाले लोगों को बेच देते है। उन लोगों को पानी तथा बिजली के कनेक्शन दोनों ही नहीं हो पाते । मेरी विधान सभा क्षेत्र टिब्बी व संगरिया के ऐसे कई गांव हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनका तुरन्त प्रभाव से सरकार को समाधान करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा। हां, मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): संगरिया विधान सभा क्षेत्र के अधीन कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में साढ़े 6 से साढ़े 7 घंटे बिजली दी जा रही है और जो आम उपभोक्ता हैं ग्रामीण, उनको बीस से बाइस घंटे घरेलू बिजली दी जा रही है। टिब्बी उपखण्ड में दो 11 केवी फीडरों पर लोड अधिक होने के कारण विद्युत व्यवधान है, इसमें सुधार करते हुए 11 केवी के नये फीडर तैयार कर लिये गये हैं और उनको शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। जिससे क्षेत्र की विद्यत व्यवस्था और अधिक सूचारु हो जाएगी। उप खण्ड संगरिया वितरण के अधीन 33/11 केवी सब-स्टेशन बशीर से निकलने वाले चंदूरवाली फीडर पर अधिक लोड होने के कारण इंटर कनेक्शन करके दो भागों में कर दी गयी है। इसी प्रकार 33/11 केवी सब स्टेशन कुलचंद से निकलने वाले सारणी फीडर पर भी अधिक लोड होने के कारण इंटर कनेक्शन करके दो भागों में बांटकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कृषि उपभोक्ता के जले हुए ट्रांसफार्मरों को लगभग 72 घंटे में बदला जा रहा है। इस प्रकार विद्युत व्यवस्था में काफी सुधार किया गया है। हमारी सरकार आने के बाद 846 कृषि कनेक्शन संगरिया क्षेत्र में एवं 994 घरेलू कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर के आदिवासियों को पट्टे व खातेदारी हक

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। मैं डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, मैं डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। डूंगरपुर नगर परिषद ने जो अतिक्रमण कर रखा है। जो आदिवासियों के झोपड़े गिरा रहे हैं, उनकी जमीन छीनी जा रही है। जो आजादी से पहले बैठे हुए हैं गांवों में, मैं माननीय सभापति महोदय यह पूछना चाहता हूं कि नगर परिषद पहले बनी, नगरपालिका पहले बनी या गांव बने पहले या पंचायत बनी पहले। आजादी से पहले लोग बसे हुए हैं, मकान बनाकर रह रहे हैं, खेती

(श्री गणेश घोघरा)

कर रहे हैं, कुआ है, बावड़ी है। उसके बाद भी उनको खातेदारी हक नहीं दिया गया उनको मकान का पट्टा नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? क्या आदिवासी इंसान नहीं है? आदिवासी की जमीन जनरल वाला कोई खरीद नहीं सकता है तो फिर उसकी जमीन अलाटमेंट क्यों नहीं हो रही है? नगर परिषद ने पंचायत में जाकर, बिना एनओसी से नगर परिषद एक्वायर जमीन कैसे कर सकती है। वहां पर बीजेपी के जो चेयरमैन है, सभापति है, उन्होंने खुला धंधा खोल रखा है।

(13.00 बजे)

आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। प्लॉट काट-काटकर बेचे जा रहे हैं। आदिवासी अनपढ़ होने के कारण, शिक्षित नहीं होने के कारण, गरीब होने के कारण उसकी जमीन छीनी जा रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है इसको रोका जाए और पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत यह राजस्थान विधान सभा है तो पंचायत की बिना एनओसी के नगरपालिका कैसे पंचायत में घुस गयी आदिवासियों की जमीन छीनकर। डूंगरपुर आज देश में नाम कमा रहा है। स्वच्छता में नाम कमा रहा है। ओडीएफ में नाम कमा रहा है लेकिन गरीब आदिवासियों की जमीन बेचकर उनके झोंपड़े गिराकर क्या देश का विकास हो सकेगा? क्या राजस्थान का विकास होगा आदिवासियों की जमीन बेचकर? आज आदिवासियों के पास पहाड़ी एरिया है, भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है। उबड़-खाबड़ जमीनें हैं। किसी के पास एक बीघा जमीन है। किसी के पास पांच बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है।

सभापति महोदय, अगर इनको बेघर कर दिया जाएगा तो ये आदिवासी कहां जाएंगे? आदिवासी महाराणा प्रताप के साथ पूंजा भील महाराणा प्रताप का सेनापति था, उस समय से संघर्ष करता आया हुआ है। साक्षरता की देवी कालीबाई भील जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया और वह अपने गुरुजी के लिए शहीद हो गयी। आज आदिवासियों की कोई सुन नहीं रहा है। आज आदिवासियों की कोई पैरवी नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि आप कलेक्टर को, एसडीओ को, तहसीलदार को, पटवारी को निर्देशित करें उनको आदेश करें कि जो नगर परिषद से सटे हुए गांव हैं उनका सर्वे करवाया जाए

(श्री गणेश घोघरा)

और उनको उनका अधिकार दिलाया जाए तो ही हमारे देश का आदिवासी सुरक्षित रह सकेगा। आज हमको जंगल से, जमीन से, जल से अलग किया जा रहा है। क्यों? हमारा अधिकार नहीं है? हम व्यक्ति नहीं हैं? गांवों में जो लोग रहते हैं वे इन्सान नहीं हैं? नगरपालिका में नगर परिषद में जो लाइटों में रहते हैं जो ए.सी. में रहते हैं वे ही इन्सान हैं क्या? गांवों के लोग वोट नहीं देते हैं क्या?

सभापति महोदय, जो यह खुला धन्धा कर रखा है, आदिवासियों के साथ जो षड्यंत्र कर रखा है, उनकी जमीन अलाटमेंट नहीं की जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त कलेक्टर के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से यह निर्देशित करें कि जो-जो जमीन पर बैठा हुआ है पर्सनल इनका अलग से सर्वे कराया जाए, कैम्प लगाये जाएं और इनको अधिकार दिलाये जाएं। सभापति महोदय, यही मेरी सरकार से मांग है और मंत्री महोदय से मांग है। मुझे यहां बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

राज्य के बाहर की राजस्थान में विवाहित ओ.बी.सी. वर्ग की महिलाओं का जाति प्रमाण-पत्र

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरा अलवर जिला हरियाणा से लगता हुआ है और इसी कारण हरियाणा की युवतियों की शादियां बड़ी संख्या में मेरे अलवर जिले के लड़कों के साथ में होती हैं। खास तौर से अहीरवाल क्षेत्र की लड़कियों की शादियां बहरोड़, मुण्डावर, किशनगढ़बास, तिजारा के लड़कों के साथ में होती हैं। पिछले कुछ समय से सभापति महोदय, हरियाणा की उन युवतियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है जिन्होंने अलवर जिले के लड़कों से शादी की। कार्मिक विभाग ने एक तुगलकी आदेश निकाल दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। बोलने दीजिये माननीय सदस्य को।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): ...कि जो हरियाणा की युवतियां जिन्होंने अलवर जिले के लड़कों से शादी की है, उनका जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाया जाएगा। सभापति महोदय, पहले यह जाति प्रमाण-पत्र बनता था। जब उनके जाति प्रमाण-पत्र को रोका तो कुछ लोग हाई कोर्ट में गये। हाई कोर्ट ने भी

(श्री बलजीत यादव)

डिसीजन दिया कि इनका जाति प्रमाण-पत्र बनाया जाए, लेकिन कार्मिक विभाग के अफसरों का दुस्साहस देखिये कि उन्होंने एसडीएम को डाइरेक्शन दिये कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइये, लेकिन इनका जाति प्रमाण-पत्र मत बनाइये।

सभापति महोदय, अनेक युवतियों का चयन नौकरियों में हो गया, लेकिन वे वंचित हैं नौकरी पाने में इस कारण से, क्योंकि उनको ओबीसी, एससी/एसटी के आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह समस्या केवल अलवर जिले की नहीं है। सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर, धौलपुर सहित राजस्थान की अनेक विवाहिताएं ऐसी हैं जिनके साथ में यह अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल से निर्णय करवाकर रूल्स में डलवाया जाए कि जो युवतियां अन्य स्टेट से आकर यहां के लड़कों से जिन्होंने शादी की है उनको जाति प्रमाण-पत्र यहां से दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ उनको दिया जाएगा।

सभापति महोदय, अगर कोई युवती किसी दूसरी कंट्री के लड़के से शादी कर लेती है तो उसको उस देश की नागरिकता तक मिल जाती है, लेकिन यहां पर उसको सिर्फ उसका जाति प्रमाण-पत्र भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी वर्ना सरकार इस बात को याद रखे कि यह इतना नीचे-नीचे असंतोष भड़क रहा है कि आने वाले समय में सरकार को बहुत-बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और कानून-व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो यह सरकार की जिम्मेदारी होगी, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार समय रहते हुए इस पर निर्णय करेगी और वो युवतियां जो दर-दर की ठोकरें खाती हुई घूम रही हैं। पढ़ने के बाद सलेक्शन होने के बाद उनको उनका हक मिलेगा और पीछे की भर्तियों में जो युवतियां वंचित रह गयीं, युवतियां जिनको नौकरी नहीं मिल पायी जाति प्रमाण-पत्र के कारण जिनको ओबीसी, एससी/एसटी का लाभ नहीं मिल पाया, सरकार उनको भी लाभ देगी और उनको भी उनकी नौकरी मिल पायेगी। यह मैं आशा रखता हूं।

सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा कोई जनरल आर्डर जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं रोका कि जाति प्रमाण-पत्र दूसरे स्टेट से आने वाली शादीशुदा युवतियों को नहीं दिया जाए। किसी भी कोर्ट ने नहीं रोका। ईवन कोर्ट का निर्णय, कोर्ट की भावना उनके फेवर में रही इसके

(श्री बलजीत यादव)

बावजूद उनको उनका हक नहीं मिल रहा है इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उनको उनका हक दिया जाए। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

झालावाड़ नगर परिषद् के अधिसंख्य पार्षदों के त्याग-पत्र से उत्पन्न स्थिति

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। सभापति महोदय, झालावाड़ नगर परिषद में 35 वार्ड हैं और 35 वार्डों में 24 पार्षदों द्वारा 18.3.2019 को त्याग पत्र दे दिया गया है। वर्तमान में नगर परिषद झालावाड़ में पार्षदों की संख्या केवल 11 रह गयी है जो कि कुल

(13.07 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

संख्या का एक तिहाई से कम है। ऐसी स्थिति में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-322 के स्पष्टीकरण-1. यदि किसी भी कारण किसी नगरपालिका, नगर परिषद में रिक्तयों की संख्या कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हो तो नगरपालिका या नगर परिषद को उस पर अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित कर्तव्य का पालन करने के लिए असक्षम ही समझा जाएगा। वर्तमान में झालवाड़ नगर परिषद की संख्या चूंकि एक तिहाई से भी कम रह गयी है ऐसी स्थिति में नगर परिषद बोर्ड राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-322 के स्पष्टीकरण-1 के अनुसार नगर परिषद झालावाड़ के वर्तमान पदासीन पार्षदों का नगर परिषद झालावाड़ उक्त अधिनियम के द्वारा अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा-322 के स्पष्टीकरण-3 (ख) के अनुसार विघटन काल की अवधि के दौरान नगरपालिका की सभी शक्तियों एवं कर्तव्यों के पालन में ऐसी स्थिति में प्रशासक वहां पर लगाया जाता है। वर्तमान में चूंकि 18.3.2019 को पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। वर्तमान में निदेशक द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा उसकी पुष्टि हो चुकी है। दो तिहाई पार्षदों की पुष्टि होने के बाद डाइरेक्टर महोदय ने वहां के सभापति महोदय को नोटिस दिया है। नोटिस देने के बावजूद भी वर्तमान में चूंकि पालिका का जो अधिनियम बना है उसकी पालना नहीं हो रही है। यहां पर

(श्री नरेन्द्र नागर)

मंत्री महोदय भी विराज रहे हैं, हो सकता है इनकी जानकारी में नहीं हो, पर मंत्री महोदय, कानून को समझने वाले हैं। ये सब समझते हैं। तीन महीने होने के बावजूद भी अभी नगर परिषद वहां भंग नहीं हुई है।

वहां नगर परिषद में कोई प्रशासक नहीं लगा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में वहां काम करने की स्थिति, जिस प्रकार की स्थिति वहां हो रही है, वह बड़ी दयनीय है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वहां पर तुरन्त प्रशासक लगाकर वहां पर तुरन्त चुनाव कराये जाएं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री ज्ञानचन्द पारख।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली में श्रमिक कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय अभी यहां मौजूद थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय हैं, आप बोलें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत पाली में श्रमिक कल्याण योजनाओं में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में माननीय श्रम राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का आवेदन और उनका निस्तारण विभागीय पोर्टल एलडीएमएस पर फीफो के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किया जाता है और राशि का हस्तान्तरण आरटीजीएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है। योजना के निर्धारित मापदंडों में दस्तावेजों की कमी पूर्ति हेतु श्रमिक को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है जिसका मैसेज पंजीकृत हिताधिकारी के मोबाइल पर प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में 487840 पंजीकृत हिताधिकारियों को 1253.54 करोड़ रुपये की राशि से लाभान्वित किया गया है। जिसमें से सुलभ आवास योजना के अंतर्गत 1233

(श्री टीकाराम जूली)

हिताधिकारियों को 19.41 करोड़ रुपये से तथा दुर्घटना में घायल एवं मृत्यु की दशा में सहायता योजना में 10024 हिताधिकारियों के आश्रितों को 186.07 करोड़ की सहायता दी गयी है। इसी प्रकार पाली जिले में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अब तक 6142 हिताधिकारियों को 17.06 करोड़ रुपये की राशि से लाभान्वित किया जा चुका है। जिसमें से दुर्घटना में घायल एवं मृत्यु की दशा में सहायता योजना के अंतर्गत 146 आश्रितों को 2.51 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी है तथा सुलभ आवास योजना के अंतर्गत 150 पंजीकृत हिताधिकारियों को 2.25 करोड़ रुपये से लाभान्वित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पाली जिले को अब तक 19.45 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जा चुकी है। प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट संख्या 318/2006 के क्रम में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार उदयपुर जिले की सलूम्बर पंचायत समिति में सोशल ऑडिट करायी गयी जिसमें से 39 प्रतिशत निर्माण श्रमिक नहीं पाये गये हैं। इसी प्रकार गोविन्दगढ़, जयपुर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, करौली, बारां, भरतपुर, अलवर व अजमेर में कराई सोशल ऑडिट में 36 प्रतिशत पंजीकृत अथवा लाभान्वित श्रमिक, निर्माण श्रमिक नहीं पाये गये। इसी प्रकार पाली जिले में करायी गयी सोशल ऑडिट में 31 प्रतिशत श्रमिक निर्माण श्रमिक नहीं पाये गये। सोशल ऑडिट के आधार पर 15 अपात्र लाभान्वित निर्माण श्रमिकों से जिला कलेक्टर पाली के माध्यम से राशि वसूल किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खण्ड-2, बीओसीडब्ल्यू कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के तहत दिनांक 27 फरवरी, 2009 को राज्य में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन कर निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ कई योजनाएं शुभ शक्ति, शिक्षा एवं कौशल, मृत्यु एवं दुर्घटना सहायता, टूलकिट योजना, सिलिकोसिस सहायता एवं सुलभ आवास योजना आदि का संचालन किया जा रहा है। जिनके क्रियान्वयन एवं पोषण के लिये वांछित राशि उपलब्ध कराने हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत कुल लागत पर एक प्रतिशत की दर से उपकर राशि भवन निर्माताओं द्वारा मंडल के निर्धारित बजट मद में जमा कराया जाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम मंडल के गठन की तिथि 27.7.2009 से राज्य में प्रभावी है। 10 लाख रुपये तक की लागत के निजी आवासीय निर्माण कार्य पर उक्त उप कर

(श्री टीकाराम जूली)

देय नहीं है। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम में सफल क्रियान्वयन हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में कार्यालय श्रम विभाग, पाली द्वारा दिनांक 1.4.2018 से आज दिनांक तक 1397 सर्वे, 1321 नोटिस तथा 87 निर्धारण आदेश जारी किये गये हैं तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 5 के तहत लगभग 75 निर्धारित आदेश पारित कर 50 लाख रुपये से अधिक की राशि नियोजकों से प्राप्त कर निर्धारित बजट हैड में जमा कराई जा चुकी है। 21 नियोजकों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के आधार पर उन्हें उक्त अधिनियम की परिधि से बाहर होने के कारण उप कर राशि की गणना शून्य की गयी है। शेष सभी प्रकरणों पर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही उप कर राशि की गणना कर आदेश पारित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय मैंने आपको जो ध्यानाकर्षण दिया है वह आपके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उनके भ्रष्टाचार का और अनियमितता का दिया है। इस आशय की आपको शिकायतें मिली हैं, कलेक्टर को भी शिकायतें मिली हैं। पाली में एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उस संदर्भ में आपने कुछ नहीं कहा। 10 तारीख को जब माननीय मुख्य मंत्री जी इसी सदन में बजट पेश कर रहे थे और बजट में उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात भी कही थी, उसी समय आपके दो अधिकारी रंगे हाथों एंटी करप्शन के द्वारा परसों ही पकड़े गये। मैंने भी एक नहीं, अनेक तथ्यात्मक वर्णन करके शिकायतें की हैं। उन शिकायतों पर क्या जांच हुई, कौन दोषी पाया गया, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, एक तो मुझे इसका जवाब चाहिये।

दूसरा, यह जो आप शेष कर निर्धारण करते हो तो इसके लिये सक्षम अधिकारी कौन है? मान लो, किसी भवन निर्माता को लगे कि मेरा कर ज्यादा लग गया तो किस सक्षम अधिकारी के समक्ष वह अपील करके, जैसे इन्कम टैक्स, सैल्स टैक्स में प्रावधान होता कि वह कम करवा सकता है, ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिसमें जिसने शेष कर निर्धारित किया और बाद में उसी अधिकारी ने, जैसा परसों हुआ कि मैं तेरा कम कर दूंगा और वह रंगे हाथों पकड़ा गया। आप यह देखो कि आपका शेष कर निर्धारण कौन कर रहा है और बाद में

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सक्षम अधिकारी कौन है। इसमें आपने निर्धारण का कोई पैमाना भी तय किया होगा कि यह सामान्य निर्माण का मकान है, यह मध्यम है या यह विलासितापूर्ण है, मकान भी अलग-अलग तरह के बनते हैं। उसमें आपकी दरों को आप पब्लिश करो कि इस मकान पर, इतने वर्ग फुट पर, ऐसे निर्माण पर यह दर होगी। जैसे इन्कम टैक्स में, सैल्स टैक्स में पता होता है, जीएसटी में कि मेरा इस वस्तु पर इतना कर लगेगा, पर आपने ऐसी कोई दर पब्लिश की नहीं। आपका अधिकारी जो चाहे वह शेष कर का नोटिस थमा देता है और उसके बाद मैनेज होकर चाहे जितना कम कर देता है, उसको आप देखो।

एक आपने बात की है फीफो की, आपने ही विधान सभा में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में, तारांकित नहीं था, यहां बहस नहीं हुई पर उत्तर मुझे मिला है, उसमें 12.2.2019 को आपने एक नये आदेश जारी किये थे कि नये प्रारूप में आवेदन करो और उस आदेश के कारण 12.2.2019 के पहले के प्रकरणों को 14.2.2019 को आक्षेप लगाकर लौटा दिये कि आप नये प्रारूप में यह प्रकरण पेश करो, यह मेरे पास पूरी सूची है, आपके प्रश्न के उत्तर में ही है। उसके बाद 28.2, 14.2 को तो आक्षेप लगाकर लौटाये और 28.2 को 17 प्रकरण जो मेरी जानकारी में आये हैं, और भी प्रकरण हो सकते हैं, 17 प्रकरण पुराने वाले प्रारूप में, उनको स्वीकृति जारी कर दी। यह कैसे जारी हो गयी, जब पहले आपने लौटाये और बाद में 28.2 को, 14 दिन बाद पुराने वाले प्रारूप में आपने कैसे जारी की, इसका भी आप कारण पता लगाओ।

माननीय मंत्री महोदय, हमारे निर्माण श्रमिकों के लिये यह बहुत बेहतरीन योजना है। विभाग के जो नीचे के स्तर के अधिकारी हैं, जिस तरीके से लूट मचा रहे हैं। मैं सारे तथ्य आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप एक वादा सदन में कर देना कि आप ईमानदारी से किसी बड़े अधिकारी से उसकी जांच करवा देंगे तो आपको खुद को लग जाएगा कि करोड़ों को भ्रष्टाचार। 19 करोड़ में से करीब 5 करोड़ की राशि तो आपके अधिकारी या दलाल बीच में खा गये। अभी जो परसों पकड़े गये हैं और उनसे एंटी करप्शन के अधिकारियों ने पूछताछ की तो एक अधिकारी ने कहा कि लगभग हर महीने 15 लाख रुपये का हमारा आपस में बंटवारा होता है, 15 लाख रुपये एक के हिस्से में आते हैं। पांच अधिकारी हैं, एक के हिस्से में 15 लाख रुपये आते हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय मंत्री महोदय, आपकी जो सुलभ आवास योजना है, उसके प्रकरणों की आप जांच करवा दो, सारी पोल खुल जाएगी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपकी यह जो फीफो पद्धति है, पहले आओ, पहले पाओ। क्या यह सारी योजनाओं में एक समान है? आपने उसको अलग-अलग योजनाओं में बांट रखा है। शिक्षा कौशल में आप अलग लेंगे, शुभ शक्ति में अलग लेंगे, सुलभ में अलग लेंगे, पशु की सहायता में अलग लेंगे या भवन निर्माण में अलग लेंगे। मुझे आप थोड़ा यह भी बता दें। अगर एक ही वरीयता है तो सुलभ आवास में कई प्रकरण ऐसे हैं जो दो दिन पहले आनलाइन हुए और दो दिन बाद ही उनकी स्वीकृति जारी हो गयी। शिक्षा कौशल के हजारों प्रकरण, क्योंकि उसमें राशि कम होती है, पैसा नहीं मिलता है। उसमें हजारों प्रकरण अभी लम्बित हैं। सुलभ आवास में आप देखेंगे कि अधिकांश प्रकरण एक ही ई-मित्र से आनलाइन हुए हैं। उस ई-मित्र वाले की कोई सैटिंग थी। वहां से जो आनलाइन करता था, वहीं कमीशन की राशि तय हो जाती है। आप यह भी पता लगा दो कि आपके जो स्वीकृत प्रकरण हैं। चाहे शुभ शक्ति में हों, जिसमें ज्यादा राशि मिलती है या सुलभ आवास में है, वे किस ई-मित्र से हुए हैं। आपके सामने सारा राज खुल जाएगा और आपको कठोर कार्यवाही करने में बहुत सुविधा होगी, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सदस्य ने 20 करोड़ में से 5 करोड़ के भ्रष्टाचार की जो बात कही है। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि 20 करोड़ में से लगभग 18 करोड़ रुपये 2018-19 तक के हैं। मैंने पिछले पांच वर्षों के आंकड़े आपको बताये हैं। इस सैशन में तो हमने केवल 1 करोड़ 91 लाख रुपये ही इस वर्ष दिये हैं। तो यह जो भ्रष्टाचार है, वह पुराने समय से ही चलता हुआ आ रहा है। आपने दूसरी बात ट्रैप की जो कही है। उसमें मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की हमारे डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। जैसे ही वह ट्रैप हुआ है, हमने तुरन्त कार्यवाही करके उसको निलम्बित भी कर दिया है और आज वह सलाख़ों के पीछे है। मैं सदन को यह आश्वस्त कराना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट में नहीं बख्शा जाएगा। हम भ्रष्टाचारी को पूरी सज़ा दिलाएंगे।

आपने ई-मित्रों की बात कही है। इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 12 ई-मित्र के लिए हमने कलेक्टर को लिखा है तो उन्होंने कुल

(श्री टीकाराम जूली)

मिलाकर 24 ई-मित्रों पर कार्यवाही की है। जिन ई-मित्रों से लगातार स्वीकृति जारी हो रही थी या उन्हीं ई-मित्रों पर सील, मोहर, लैटरपैड जो सारे बरामद हुए हैं। इस तरह का अभियान हमने पांच महीने से चलाकर इसका निर्धारण किया है।

आपने जो कहा है कि उच्च लेवल पर हम कमेटी बनाएं और इस प्रकार की कमप्लेंट का निस्तारण हो, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे शासन सचिव और लेबर कमिश्नर के स्तर पर बड़ी कमेटी बनाकर आप जो भी प्रकरण बताएंगे, उनकी हम उच्च स्तर पर जांच कराएंगे। दूसरा, आपने जो दरों की बात की है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। व्यक्ति अगर स्वयं के आवास का निर्माण कर रहा है तो उसकी जो दरें हैं वे 1045 रुपये प्रति स्क्वायर फीट हैं। बिल्डर द्वारा आवासीय कालोनी का जो निर्माण किया जाता है, उस पर 825 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। जो कमर्शियल उद्देश्य से भवन निर्माण होते हैं, उन 1375 रुपये स्क्वायर फीट है। शापिंग माल पर 1815 रुपये है। आडिटोरियम या बैंक्वेट हाल पर 1265 रुपये स्क्वायर फीट है। शिक्षण संस्थानों पर 1100 रुपये है। अस्पताल पर 1265 रुपये स्कवायर फीट है और धार्मिक संस्थाओं पर लागत के अनुसार है।

यह सारा जो निर्धारण किया है। एक कमेटी बनी थी, उसमें हमारे लेबर कमिश्नर थे, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी थे, चीफ इंजीनियर, आवास-विकास निगम लिमिटेड, जयपुर थे और एओ, एएओ लेबर डिपार्टमेंट के थे। उनकी 07.09.2009 को जो कमेटी हुई थी, उसमें ये दरें निर्धारित की गयी हैं और यही दरें लगातार चलती हुई आ रही हैं। 2016 में जब दुबारा यह कमेटी बनी, उसमें भी इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। जो पुरानी दरें चलती आ रही हैं, वे दरें इसमें हैं। आपके द्वारा हमें जो शिकायत प्राप्त हुई है। उसके सुझाव के आधार पर हमने मीटिंग की है। हमने 17 जिलों में अभी लगातार मीटिंग की है। इस दिशा में हमारे लगातार प्रयास हैं कि श्रमिकों को उनकी जो योजनाएं हैं, उनका उचित लाभ हम दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों, मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि क्योंकि लगातार ये शिकायतें मेरे सामने भी आ रही हैं। आप लोग भी क्षेत्र में जाते हैं तो आपके सामने यह बात आती है कि हमारे पैसे

(श्री टीकाराम जूली)

नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे दो कटु सत्य हैं। एक तो जितनी भी जांचें हुई हैं, उसमें जो 33 प्रतिशत श्रमिक हैं, वे निर्माण श्रमिक नहीं पाये गये हैं। ये जो स्कीम हैं, भवन निर्माण श्रमिक के लिये हैं। इसमें दूसरे लोग भी आवेदन कर देते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि इसके अंदर 33 प्रतिशत एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि आज तक, जब से यह मंडल बना है। यह जुलाई, 2009 से बना है और आज इसको बने हुए लगभग दस साल हो गये हैं। इन दस सालों में पूरे राजस्थान में जो राशि स्वीकृति हुई है, जो श्रमिकों को दी गयी है, वह 1253.54 करोड़ रुपये है। जो 9 सालों में जुलाई तक यह राशि बंटी है। लेकिन हमारे सामने आज स्थिति यह है कि आज जो पैंडेंसी है, वह 2409.81 करोड़ रुपये आज की तारीख में है। इतना बड़ा जो डिफरेंस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लगातार किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह पिछली सरकार के समय से है। आप लोग देखेंगे तो लगातार साल दर साल और पिछले तीन वर्षों में जब शुभ शक्ति योजना आयी है और उसके माध्यम से जब यह लगने लगा है कि 55 हजार रुपये बच्ची की शादी में इस योजना से मिल रहे हैं तो इतने प्रकरण इसके अंदर आ गये। आज 1200 करोड़ रुपये तो शुभ शक्ति के ही बाकी हैं। आज हमारे पास जो बजट है, उससे ढाई गुना ज्यादा देनदारी है। यह भी एक कटु सत्य है कि पिछले पांच वर्षों में जितनी भी ये बिल्डिंग बनी हैं। जितने भवनों के निर्माण हुए हैं, उस रेशो में श्रमिकों के जो आवेदन आये हैं। उस रेशो में हमने सैस तो वसूला ही नहीं। इसमें सैस वसूलने की जो जिम्मेदारी थी, उसका भी हमें निर्धारण करना पड़ेगा कि किन-किन अधिकारियों की कमी रही, जिन्होंने सैस नहीं वसूला। अपने-अपने लोगों को छूट देते रहे और सैस जमा ही नहीं हुआ तो आज श्रमिकों के सामने यह दिक्कत आयी है। इसका कहीं न कहीं, कौन दोषी है, इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट। दो-तीन इश्यु हैं, जिन पर सबका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। एक तो, आप खुद कह रहे हैं कि 1253 करोड़ रुपये हमने 9 वर्षों में दिये हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्णय के बाद यह तथ्य सामने आया है कि 33 परसेंट इसमें फिक्टीशियस हैं। दो चीजें समझने की आवश्यकता हैं। 2006 था, और अब 2019 चल रहा है। 33 परसेंट श्रमिकों का जो आइडेंटिफिकेशन है, वह गलत हो रहा है। सबसे

(श्री अध्यक्ष)

बड़ी आवश्यकता यह है कि हम श्रमिकों के आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया को फूलप्रूफ करें। यदि ये फूलप्रूफ नहीं कर रहे हैं तो आगे भी जाकर यह स्थिति बनेगी, नंबर एक। नंबर दो, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि इन्कम टैक्स में भी एक स्लैब बना हुआ है। आप जो सैस कलेक्ट करना चाहते हैं, मकान कंस्ट्रक्शन करने पर, उसमें आब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए।

जो सैस का निर्धारण करने वाला आदमी है, वह मनमर्जी से निर्धारित करके वियड्रा करता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्या आप ऐसी प्रकिया अपनाएंगे जिससे भवन का जो निर्माण है, उसका कोई आधार हो, उस आधार पर स्वत: वह सामने वाला आदमी उतना सैस दे सके। डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं मिले तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो तथ्य अभी सामने रखे हैं। अभी कोई फैसला करने की बात नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने रखा है। आप स्वयं मानते हैं। इस विभाग से श्रमिकों को फायदा मिले। सही आदमी को पैसे का यूटिलाइजेशन मिले और इस योजना का लाभ पात्र को मिले। इस प्रक्रिया को अच्छे ढंग से करने के लिए सरकार को एक कमेटी बनाकर इस पर चिंतन करना चाहिए जिससे हम इसका प्रभावशाली ढंग से लोगों को लाभ दिला सकें। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार की चर्चा करेंगे तो कोई अंत नहीं होगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक बाकी रह गया। माननीय मंत्री महोदय, मैंने यह भी पूछा था कि यह जो आपका पहले आओ-पहले पाओ, यह जो सारी योजना है, उसमें एक जैसा है या अलग-अलग आपकी योजना है। चाहे शुभ शक्ति हो, चाहे सुलभ आवास हो, चाहे शिक्षा कौशल हो। यह वरीयता आपकी....

श्री अध्यक्ष: मेरे समझ में आ गया। इनकी बात समझ में आ गयी। जिस स्कीम में ज्यादा पैसा है, उसमें पहले आओ-पहले पाओ में ई-मित्र से मेनिपुलेशन हो रहा है। इसलिए आप एक क्राइटेरिया बनाएं। पहले आओ-पहले पाओ, चाहे शिक्षा का हो, चाहे और किसी स्कीम का हो, एक ही तरह की प्राथमिकता होगी तो मेनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। ई-मित्र के संबंध में जरूर आपके आंकड़े आए हैं, आप स्वयं मान रहे हैं कि कुछ ई-मित्रों के मेनिपुलेशन करके हो गये हैं। एश्योर करिए कि ई-मित्र के फार्म आप चैक कर रहे है या

(श्री अध्यक्ष)

नहीं कर रहे हैं? कुल-मिलाकर एक अच्छी योजना का लाभ लोगों को मिले। इसमें यदि हमें किसी नियम, कानून में परिवर्तन करना है तो बैठकर परिवर्तन करके उसका लाभ दिया जाना चाहिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक बाकी रह गया, साहब। माननीय मंत्री महोदय, इसमें नरेगा के श्रमिकों को भी सम्मिलित कर दिया गया है। उसको आप रखेंगे या निकालने वाले हैं? क्योंकि अभी आपने कहा कि सिर्फ भवन निर्माण श्रमिक, ये आप सदन में क्लीयर कर दें।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि जो योजना बनाई है, वह केवल मात्र भवन निर्माण के लिए बनाई है। भवन निर्माण में जो काम करने वाले हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नई है। जो मोटा मुद्दा आ रहा है कि इसमें अलग-अलग आदमी क्लेम कर लेते हैं और अपने आपको वह भवन निर्माण के श्रमिक कहते हैं। विभाग को व्यवस्था करनी चाहिए कि भवन निर्माण का मतलब जो ठेकेदार के अंदर काम कर रहा है, या तो उनके नाम और नाम के साथ संबंध हो, तभी उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी यह तो छूट दे रखी है। मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं कि मैं भवन निर्माण का वर्कर हूं। इसका वैरिफिकेशन कौन करेगा? इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वह भवन निर्माण का ही था और भवन निर्माण में काम करने के लिए आपके पास ठेकेदार है तो ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठेकेदार के अन्दर काम करने वाले हैं, उनका होना चाहिए। ये जो ओपन इंडेंट कर रखा है, उसके कारण ज्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं और आपको आइडेंटिफिकेशन में तकलीफ हो रही है। आप सबकी भावना यह है कि अच्छी योजना है। उस योजना के जो लीकेज हैं, उनको फूलप्रूफ करके कैसे हम ज्यादा श्रमिकों को लाभ दे सकें? इसके बारे में कार्य किया जाना चाहिए। चर्चा समाप्त हुई। 131....

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): धन्यवाद दे रहा हूं साहब। मैं सिर्फ धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको धन्यवाद, आपने ऐसा विषय उठाया। 131, श्रीमती शकुन्तला रावत।

पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की समय-सीमा का निर्धारण

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर

(श्रीमती शंकुन्तला रावत)

निवेदन है कि पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ देते समय विभाग द्वारा पेंशनर्स की रिवाइज्ड पेंशन निर्धारित करते समय अनेक त्रुटियां पाई जाती हैं एवं उन्हें उनका खामियाजा उठाना पड़ता है। पेंशनर्स की 80 से 90 वर्ष की आयु हो चुकी होती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सिर्फ 131 बोलें। आप केवल मात्र 131 बोलें फिर मंत्री जी जवाब दें, फिर आप बोलें। आप बोलिए कि 131 में मैं ध्यान आकर्षित कर रही हूं। बात को समझिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करती हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ध्यान तो आकर्षित कर दिया लेकिन 131 नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: आप मान लीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशनर्स की पेंशन उनके पारिवारिक पेंशन का संशोधन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 30.10.17 को जारी किया गया था। पेंशनर्स और उनकी पारिवारिक पेंशन की 2.57 के फैक्टर से गुणा करके बैंकों को संशोधित पेंशन भुगतान करने का आदेश भी जारी हो चुका था। राज्य सरकार द्वारा मेमोरेण्डम 06.06.18 के साथ जारी टेबल्स की एक्सटेंडेड टेबल दिनांक 05.10.18 को जारी की गयी थी। राज्य की ट्रेजरी से दिनांक 27.06.19 तक कुल 2 लाख 19 हजार 624 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1 लाख 24 हजार 20 आवेदनों को संशोधित पेंशन की अथोरिटी जारी की जा चुकी है, जो 56.70 परसेंट है।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25.01.19 को कुल-मिलाकर जो आवेदन प्राप्त हुए थे, वह थे 1 लाख 81 हजार 504 और संशोधित पीपीओ और एपीपीओ जारी किया गया 34 हजार 237 जो कुल-मिलाकर 18.86 था। इसी तरह से 12.03.19 तक 1 लाख 94 हजार 624 आवेदन प्राप्त हुए और संशोधित पीपीओ और एपीपीओ जारी हुए 63 हजार 398 जो 32.37 था। इसी तरह से 31.05.19 को 2 लाख 14 हजार 624 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 1 लाख 6 हजार 107 संशोधित पीपीओ और एपीपीओ जारी हो गये जो कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

49.4 परसेंट थे। आखिर में, 27.06.19 तक 2 लाख 19 हजार 624 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से संशोधित पीपीओ और एपीपीओ जारी हुए 1 लाख 24 हजार 520 जो कि 56.70 परसेंट थे। अर्थ यह है कि हर माह इसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो समीक्षा बैठक हुई, उस दौरान यह तय किया गया कि माह जुलाई, 2019 तक 70 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा। दूसरा, निर्देश और दिया गया है। वह यह दिया गया कि आगामी तीन महीनों में सभी लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया जाएगा। जिन ट्रेजरीज में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति हुई हो, उनकी साप्ताहिक समीक्षा निदेशक, कोष एवं लेखा और निदेशक, पेंशन द्वारा की जाएगी। कुछ जिलों में 80-90 प्रतिशत तक पेंशन संशोधन प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं। पेंशनर्स की सेवानिवृत्ति के समय चयनित वेतनमान/एसीपी या पदोन्नत कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवा में रहते हुए प्राप्त हो चुका होता है। उसी के आधार पर अंतिम वेतन के अनुरूप पेंशन का निर्धारण किया जाता है। कुछ प्रकरणों में संशोधित पेंशन 2.57 गुणा करके निर्धारित पेंशन की तुलना में वेतन और सेवा अवधि के आधार पर निर्धारण राशि कम आती है। यह निश्चित तौर पर कम आती है। उन प्रकरणों में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.06.18 के अनुसार लाभप्रद पेंशन को स्वीकार करने हेतु बैंकों को निर्देशित कर दिया गया है।

तीसरा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपने बृज बिहारी शर्मा का जिक्र किया जो कि राजस्थान विधान सभा के उप सचिव थे। इनकी प्राब्लम थी। वह यह कहते थे कि मुझे हर माह 190 रुपये का नुकसान होता जा रहा है। क्योंकि वे 30.09.1991 को राज्य सेवा से निवृत्त हुए थे। मेरा निवेदन यह है कि उनको जो आज तकलीफ उठानी पड़ रही है, वह सिर्फ इसलिए उठानी पड़ रही है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा 5 जून, 2018 को एक सर्टिफिकेशन जारी किया गया। यह सर्टिफिकेशन जारी यह किया गया कि इसमें जो कुछ, "Provision of special pay as contained in schedule (III) these rules are applicable to the employee posted in the Government Secretariat, Governor's Secretariat, Rajasthan Public Service Commission, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan High Court and Rajasthan State Election Commission" इसमें विधान सभा का जिक्र

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं था। इस वजह से यह सारी प्राब्लम बृज बिहारी जी को हुई है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना हूं कि हम इसका परीक्षण करवाएंगे और परीक्षण करवाकर यह भी देखेंगे कि आखिर असेम्बली के एम्प्लाइज को यह क्यों नहीं दिया गया? अगर उचित समझा जाएगा तो उनको शामिल करके इनको लाभ दिया जाएगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, एक और है जो एसएमएस में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थे, जिनकी मृत्यु अप्रैल 2017 में हो गयी थी। उनकी पत्नी राजेश्वरी वह भी आफिस के चक्कर काट रही है। मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे कि पिछली सरकार ने इतने सारे जो पैंडिंग पटक रखे थे, उन सबको धीरे-धीरे करके पेंशनर्स की समस्या का आप समाधान कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आगे के प्रकरणों को आप कितने दिन तक निपटा देंगे?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 12 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 21.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 21.3.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 25.4.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी(एसपीएफसी)/2017 दिनांक 6.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 29.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 19.11.2015 में संशोधन किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 28.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 28.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 19.11.2015 में संशोधन किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.8.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 19.11.2015 में संशोधन किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 11.9.2018 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत उपापन के प्रकरणों का वर्गीकरण किया गया है; एवं

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री अंजना उदयलाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं :-

श्री अध्यक्ष: राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, एक बार दुबारा, आपको सारे मेंशन करने हैं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री):

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

1. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-18;

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

2. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-18;

दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आक्षेप-पत्र (वर्ष 2017-18)

3. दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं आक्षेप-पत्र वर्ष 2017-18;

(श्री अंजना उदयलाल)

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

4. राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड, जयपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2017-18;

राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2017-18)

5. राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18;

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट (वर्ष 2017-18)

6. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2017-18;

राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2017-18)

7. राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर की ऑड़िट रिपोर्ट वर्ष 2017-18; एवं

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2017-18)

8. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-18.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम और प्रक्रियाओं के नियम 175 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नियम 175 में कोई भी माननीय सदस्य अगर लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो आपके सम्मुख लिखित रूप से प्रार्थना करता है, आपसे अनुमति लेता है। उसके बाद नियम 176 में यह सदन विनिश्चय करता है कि सदस्य को अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। अध्यक्ष महोदय, गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य हेमाराम जी पिछले दो सत्र से लगातार यहां नहीं आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। वह कल मेरे से मिले हैं। पांइट आफ आर्डर नहीं है। आय-व्ययक पर....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या वह बीमार हैं? चर्चा यह है कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने कह दिया। मेरे से मिलकर गए हैं, कल भी मिले हैं मेरे से। (व्यवधान) आय व्ययक पर चर्चा, नरेन्द्र बुड़ानिया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): बीकानेर पूर्व से आने वाली माननीय सदस्या नहीं आ रही हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह चर्चा है कि उन्होंने अपने पद से क्षुब्ध होकर त्याग पत्र दे दिया ...(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): बीकानेर वालों को तो बुलाओ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हाईपोथिकेशन बातों को हाउस में चर्चा का अधिकार नहीं है, विराजिए। आय-व्ययक पर चर्चा, श्री नरेन्द्र बुडानिया।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट पर विचार प्रकट करने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तारानगर विधान सभा क्षेत्र की पीड़ा को समझा, वहां के किसानों की समस्या को समझा और बीस हजार हैक्टेयर क्षेत्र को पुन: कमाण्ड में लाने की घोषणा की। आज तारानगर विधान सभा क्षेत्र के किसान जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के उप नेता बोल रहे थे तो उनका भाषण सुन रहा था। वह इतने शालीन हैं, इतने अच्छे से अपनी बात कहते हैं लेकिन कल मुझे ताज्जुब हुआ

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

कल उनके हर शब्द में थोड़ा प्राउड सा नजर आ रहा था। क्यों आ रहा था, यह समझ की बात नहीं है कि कहां कोई बात हुई है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हार-जीत तो होती रहती है। यह प्रजातंत्र का एक नियम है, एक जीतता है और एक हारता है।

(13.45 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): महाराज, मैं तो हारा नहीं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): आपने स्वीकार किया है, मैं बता दूंगा अभी। आपने कहा आप जीतकर हारे और हम हारकर जीते, स्वीकार किया है आपने। सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य की मैं एक बात की प्रशंसा करना चाहता हूं। अब वह मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं, कल उन्होंने हमारे लोकप्रिय नेता राहुल जी को धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी, उनके इस्तीफ़े के लिए। आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं गांधी परिवार त्याग और बलिदान का नाम है। इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया और सोनिया गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी को याद करिए जिन्होंने प्रधान मंत्री का पद तक ठुकरा दिया, इसको कहते हैं त्याग। आप युवा नेता का हौंसला देखिए, उन्होंने हार को स्वीकार किया और इस्तीफा दिया, आप कम से कम इस बात से सबक तो लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): अभी यह बात कही गयी कि हम लाठियां खाकर आए हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत सालों से उनको जानता हूं, मेरे मित्र हैं, लाठी के तो वह कभी नजदीक ही नहीं आए फिर कहां से लाठी लगी यह समझ के बाहर की बात है। महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर औद्योगिक विकास में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूं, हमें तो 6 महीने ही हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, क्या कर रहे हो।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): 6 महीने ही हुए हैं और 6 महीने में 3 महीने आचार संहिता का सामना किया है। मैं बताना चाहता हूं कि 2014-

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

15 में शुद्ध औद्योगिक विकास 30.97 प्रतिशत था। आपके शासन में 2017-18 आते-आते 29.66 प्रतिशत हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औद्योगिक विकास में आपका क्या योगदान है, हमारी सरकार का क्या योगदान रहा है और क्या योगदान होगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक बात की और बधाई देना चाहता हूं। वह किसानों के मसीहा हैं। उन्होंने किसानों की समस्या को बहुत अच्छे से समझा है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि यदि राजस्थान में आज सबसे बड़ी दिक्कत है तो आवारा पशुओं की है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए हमारा किसान सारी-सारी रात सर्दी व गर्मी में खड़ा रहता है। मुख्य मंत्री जी ने किसानों की पीड़ा को समझा है, राजस्थान में नंदी गौशाला खोलने का निर्णय लिया है, आपने किसानों का दिल जीत लिया है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप किसको कहना चाहते हैं 'आवारा पशु'?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने किसकी तरफ इशारा किया माननीय सदस्य?

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): नहीं, मैंने किसी की तरफ इशारा नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मुझे एतराज है। सख्त एतराज है, सभापति महोदय, आपने कहा किसकी तरफ इशारा कर रहे हो, इन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। मैं आपको पशु नजर आता हूं?

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): नहीं, मैंने आपकी तरफ नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं किया न?

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आगे भी नहीं करोगे न?

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): मैंने आपकी तरफ नहीं किया।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह जांच का विषय है। अकेले खड़े हुए हैं, जैसे ही आवारा पशु का नाम हुआ, खुद खड़े हुए। यह भी तो पूछ लो, आप खड़े होकर सफाई क्यों दे रहे हो।

श्री सभापति: कोटा में जैसे ओम-शांति है न, वैसे वहां भी है। यह चूरू का आपसी मामला है, आप बीच में मत कूदो।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): सभापति महोदय, मैं लम्बे समय से जन सेवा कर रहा हूं और मैं यह जानता हूं कि मुझे किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। मैं कभी भी किसी व्यक्ति के सम्मान में ठेस लगे, ऐसी बात नहीं कहता।

महोदय, मैं एक बात के लिये मुख्य मंत्रीजी को और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 4-5 असाध्य बीमारियां हैं और जिनका गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है, हार्ट का हो, किडनी का हो, लीवर का हो, कैंसर का हो, इसमें आपने गरीबों की तरफ ध्यान दिया और मुफ्त इलाज की घोषणा की है। कितने ही पैसे लगें वह सरकार देगी। यह बहुत सराहनीय कदम है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैंने अख़बार में पढ़ा हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सरकार ने बजट में योजनाओं के नाम बदलने का काम किया है। उन्होंने बताया है कि बजट में मुख्य मंत्रीजी ने 'मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान' का नाम बदलकर 'राजीव गांधी जल संचय योजना' कर दिया और 'किसान राहत कोष' का नाम बदलकर 'कृषक कल्याण कोष' कर दिया।

महोदय, यह बहुत अच्छा किया, पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने हमें याद दिला दिया। यह जो राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना चली उसमें हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हजारों करोड़ रुपये। और इस योजना को एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपा, जो राजस्थान के बारे में 'र' भी नहीं जानता। महोदय, मैंने यह भी सुना कि बड़े-बड़े लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे और कुछ अधिकारियों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस अंगुली को तोड़ दिया गया।

महोदय, मेरे सामने जो सदस्य बैठे हैं, उनमें कुछ मंत्री भी रहे। मैं उनके दर्द को समझता हूं। महोदय, इस अभियान में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या काम हुए और लोगों को कितना लाभ मिला। इसकी ऑडिट तो होनी चाहिए। इतना पैसा खर्च हुआ है। यदि हम इसकी ऑडिट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं राजस्थान के लिये अच्छी बात नहीं है, राजस्थान के लोगों के लिये अच्छी बात नहीं है। ये जो हजारों करोड़ खर्च किये, इसकी एक जांच भी होनी बहुत आवश्यक है।

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

दूसरी बात उन्होंने किसान की बात कही है, किसान राहत कोष का नाम बदल दिया। आपने तो कितने नाम बदले हैं। हम तो किसानों की बात करने वाले व्यक्ति हैं। किसानों का दर्द समझते हैं, पीड़ा समझते हैं। लेकिन मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सरकार ने किसान के लिये कुछ भी नहीं किया। यदि किया होता तो ये आत्म-हत्याएं नहीं होतीं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उनके पिछले राज के अन्दर कितने किसानों ने आंदोलन किया। जयपुर की तरफ कूच करना पड़ा किसानों को, किसान की बात करते तो नहीं करना पड़ता।

सभापति महोदय, हालांकि आज का यह वक्त नहीं है, यह मौका नहीं है। आज तो मैं बजट के ऊपर भी बोलना चाहता हूं। फिर कभी किसी दिन मौका मिला तो मैं बात करूंगा। पिछली सरकार में मैं मंत्रियों की हालत देखता था। मुझे बहुत ही चिंता थी इस बात की। मैं यह भी बताऊंगा, मुझे मौका लगा तो यह भी बताऊंगा कि पी.डबल्यू.डी. के अन्दर सड़क निर्माण में क्या-क्या गुल खिले। मैं यह भी बताऊंगा कि खनन के अन्दर, खनन घोटाले की असलियत क्या थी। महोदय, ऐसे और भी मुद्दे हैं, जिनके बारे में मौका लगा तो मैं बताऊंगा। आज मैं नहीं बताऊंगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार का मैंने कामकाज देखा और यह कामकाज सिर्फ फेसलिफ्ट और कास्मेटिक डवलपमेंट था, इसके अलावा कुछ नहीं।

सभापति महोदय, राजस्थान को आज यदि सख्त जरूरत है तो पानी की, बिजली की, सड़क की, स्कूल की और अच्छे अस्पतालों की। पिछली सरकार ने इनकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया। कोई छोटी-मोटी जगह, कोई एक-दो जिलों में हुआ तो मुझे पता नहीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): हर पंचायत में जगह-जगह स्कूल खुले हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): पिछली सरकार की यदि कोई प्राथमिकता थी तो वह अमानीशाह नाले की थी। मैं अमानीशाह नाले के खिलाफ नहीं हूं। काम होना चाहिए, इस प्रकार के काम भी होने चाहिए। लेकिन ये काम तब होने चाहिए, जब राजस्थान की सरकार के पास में सरप्लस पैसा हो, महोदय, राजस्थान के विकास की कीमत पर नहीं। आज

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

विकास की कीमत पर यदि ऐसे काम होंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बुरा होगा। यदि वह सरकार मैट्रो के ऊपर या रिफाइनरी के ऊपर ध्यान देती तो मैं समझता हूं कि लाखों लोगों को रोजगार मिलता। (व्यवधान) महोदय, पिछली सरकार के अन्दर कहा गया कि हम पांच लाख युवाओं को रोजगार देंगे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैट्रो से रोजगार कैसे मिलता?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, बीच-बीच में आप इंटरवीन क्यों कर रहे हैं?

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): लेकिन पांच लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही, सच्चाई जनता के सामने है, राजस्थान के सामने है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट भाषण के अन्दर 75 हजार नौकरियां देने की घोषणा की है। महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस सरकार के अन्दर रिफाइनरी पर बहुत तेजी से काम होगा और लाखों लोगों का विकास होगा।

सभापति महोदय, अब मैं एक-दो बातें बजट के बारे में बोलना चाहता हूं। बजट में 27 हजार करोड़ रुपया, जो हमारा अपूरणीय घाटा बताया गया है, जो पिछली सरकार की फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन का नतीजा है। 2012-13 में हम रेवेन्यू सरप्लस में थे लेकिन 2018-19 तक आते-आते रेवेन्यू डेफिसिट 29 हजार करोड़ तक पहुंच गया और फिस्कल डेफिसिट हमारा तीन प्रतिशत से भी अधिक चला गया, जो बहुत ही चिंता का विषय है।

महोदय, पिछले पांच सालों के अन्दर सरकार ने जो जोखिम भरे निर्णय लिये, जोखिम भरा जो कर्ज लिया उसको पूरा करने के लिये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महोदय, 2014 के अंत तक राजस्थान पर एक लाख 29 हजार करोड़ का कर्ज था, जो 2018-19 तक आते-आते 03 लाख 10 हजार करोड़ तक कर्ज पहुंच गया। यानी राज्य की जी.डी.पी. का साढ़े तैंतीस प्रतिशत, यह बहुत चिंता का विषय है।

महोदय, आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो बच्चा पैदा होता है, होते ही उसके ऊपर 45 हजार रुपये का कर्ज होता है। हमारी प्रति व्यक्ति आय है साढ़े 74 हजार रुपये, यानी छह हजार रुपये प्रति महीना। हमारी राजस्व प्राप्ति कुल एक लाख 91 हजार करोड़ रुपये की है और कर्ज कितना है, 03 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का, जो अभी अनुमान में

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

(14.00 बजे)

बताया गया है। राज्य पर कुल भार हमारे सकल घरेलू उत्पाद का करीब सवा 33 प्रतिशत रहने वाला है जो चिंता का विषय है।

महोदय, मैं उन बिंदुओं पर आता हूं जो बहुत चिंता बढ़ाने वाले हैं। हमारा सकल घरेलू उत्पाद 8 लाख 33 हजार 770 करोड़ रुपये का है जिसमें कृषि का योगदान 24.82 प्रतिशत है, उद्योगों का योगदान 30 प्रतिशत है और सामाजिक क्षेत्र से 45 प्रतिशत आता है। यह समझ से परे है कि 2013 में जब हमारी सरकार ने पिछली सरकार को काम-काज सौंपा था तब वृद्धि दर सवा 11 प्रतिशत के आस-पास थी और जो घटकर अब 8 प्रतिशत तक पहुंच गयी है।

माननीय सभापति महोदय, देश की जी.डी.पी. में राजस्थान की हिस्सेदारी जहां वर्ष 2012-13 में 4.96 प्रतिशत थी वह वर्ष 2018-19 में घटकर 4.89 प्रतिशत रह गयी।

हम लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं और सिंचित क्षेत्र कम है, सिंचाई कम जगह पर होती है, खेती कम जगह पर होती है और मैं यह समझता हूं कि सिंचित क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। मुझे इस बात की चिंता, अफसोस एवं दु:ख भी है कि पिछली सरकार के अंदर एक हैक्टेयर जमीन सिंचाई के लिए नहीं बढ़ाई। अगर बढ़ाई है तो आप बता दें, मैं करैक्ट कर लेता हूं लेकिन इसकी तरफ सोचा ही नहीं गया।

माननीय सभापति महोदय, आज मैंने अभी बजट के अंदर देखा कि स्मार्ट मीटर लगाने की बात कही गयी है। जरूर लगाना चाहिए। स्मार्ट मीटर से हमारे उपभोक्ता को लाभ होगा, सुविधाएं मिलेंगी लेकिन ऊर्जा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने बीकानेर के लोगों से बात की है? आप बीकानेर के लोगों से बात तो करें। हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं, मैंने इनका एक पत्र पढ़ा था। उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बात कही और एक प्राइवेट कम्पनी को जो बहुत बड़ा लाभ दिया, उसकी जांच करवाने की बात कही। मैं उनको आज यह याद दिलाना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच सालों के अंदर हम गरीब हुए हैं, पिछड़ गये हैं, खुद मुख्य मंत्रीजी ने यह अपने बजट भाषण में कहा है। उन्होंने कहा कि बेवजह, बेबजट फिजूलखर्ची के बहुत से किस्से हैं और उन्होंने

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

यह भी कहा है कि यह ठीक करने का काम मेरा है। यह ठीक करने का काम मेरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था को जल्दी ही पटरी पर लाएगी क्योंकि वह अकबर है। अकबर का मतलब है बड़ा आदमी, बड़ा। अकबर से मतलब है बड़ा, वह अकबर है, हमारा रहनुमा बनकर आया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। आप इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। आपका कोई हर बात पर इंटरवीन करना जरूरी है? विराजिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): अकबर का मतलब बड़ा होता है। अकबर का मतलब बड़ा। वह अकबर है, हमारा रहनुमा बनकर आया है, सुन लो।

"वह अकबर है, हमारा रहनुमा बनकर आया है,
फजां के बाद खिजां में गुल खिलाने आया है।"

ये सारे काम माननीय मुख्य मंत्रीजी को करने हैं।

माननीय सभापति महोदय, भविष्य की दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा कि राजस्थान की प्रगति के लिए एक तो हमको रिफाइनरी पर खास ध्यान देना चाहिए। पिछले वर्ष 2018-19 में 3883 करोड़ रुपये का राजस्व राजस्थान को मिला था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): हां, बिलकुल। माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट में ही करता हूं। आपका हुक्म हो गया तो मैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, पांच मिनट, आप पूरे पांच मिनट लीजिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, 3883 करोड़ का राजस्व मिला है, इसे बढ़ाकर 30 हजार करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य होना चाहिए तभी हम यह जो इतना बड़ा घाटा है, जो राजकोषीय घाटा है, इसको पूरा कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं Sustainable Development Goals की बात करना चाहता हूं। इसको एचीव करने के लिए हमको सभी

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

स्तरों पर प्रयास करना होगा। 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने Transforming our word का एजेंडा जारी किया था, जिसको पाने के लिए कई लक्ष्य हैं और 2030 तक हमें टार्गेट एचीव करना है। भारत सरकार और जो अन्य प्रदेश हैं वह इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में यह काम बहुत धीमा चल रहा है और इंडिकेटर पर राजस्थान का स्थान 59वें स्थान पर है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि Goals में Water conservation और आम जन को पानी की जरूरत पर ध्यान दिलाना चाहिए। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है और मुझे माननीय मुख्य मंत्रीजी पर विश्वास है कि उन्होंने जिस प्रकार से मुख्य मंत्री बनने के बाद इस समस्या की ओर ध्यान दिया है तो यह आगे भी तेजी से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जो मैंने पहले भी कहा है कि यह राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है और इसके ऊपर हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई, एक गिलास पानी है, इस पानी से सिंचाई भी करना है, पीना भी है, दूसरा काम भी करना है और यह काम तब ही होगा जब हम जन-जागरण का काम शुरू करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। आप इधर से आइए। आप इधर से आइए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): इसके लिए और दूसरे काम भी करने होंगे, इसके लिए जन जागरण का सघन कार्यक्रम चलाना होगा।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि-

"कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों,
आसमां में सुराख जरूर होगा।"

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना संकल्प प्रकट किया, हम सब उनके साथ ताकत के साथ में खड़े हैं और आसमां में सुराख जरूर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, दो दिन पूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, वह पूर्णतया भ्रामक, आंकड़ों का मकड़जाल तथा बिना वित्तीय व्यवस्था किये घोषणाओं का पिटारा है। इसे केवल जन को भ्रम में रखने की घोषणाओं का एक पुलिंदा कहा जा सकता है और साथ में शायद वह भूल गये कि भारत एक संघीय ढांचा है जिसके अंदर राज्य भी रहते हैं और राज्य केन्द्र की योजनाओं पर निर्भर है। आज ऐसी कई योजनाएं हैं, चाहे वह शिक्षा की योजना हो, चाहे पानी की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे महिला बाल विकास की योजनाएं हों, सामाजिक योजना हो, सब पर केन्द्र की सहायता राज्य को मिलती है लेकिन इस बजट भाषण में पैरा तीन में जो कहा गया है-

'वे हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं,
हम तो तूफ़ानों से टकराकर कारवां चलाते हैं।'

क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम केन्द्र से टकराहट लेकर राज्य का उत्थान चाहते हैं? उसके बिना क्या राज्य चल सकता है? शायद वह संविधान को भूल गये, संघीय ढांचे को भूल गये। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि हम जिस संविधान के अंतर्गत काम करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अपनी अलग-अलग राजनीतिक सोच हो सकती है लेकिन इस प्रकार का सोच होना वास्तव में बड़ा पीड़ादायक है।

और तो और, मैं कहना चाहूंगा कि इस वर्ष केन्द्र से 1114 करोड़ रुपये ज्यादा वित्तीय सहायता राजस्थान को मिली है। उसके लिये धन्यवाद देना तो दूर की बात रही, लेकिन आप टकराने की बात कर रहे हो। यह बड़ी पीड़ा की बात है।

इसके साथ, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हर सरकार जनता का कल्याण चाहती है, पर जब बात होती है बजट रखने की, तो एक-दूसरे पर वित्तीय कुप्रबन्धन का आरोप लगाती है। एक सरकार आती है, वह कहती है पिछली सरकार का कुप्रबन्धन था। दूसरी आएगी, वह कहेगी पिछली सरकार का कुप्रबन्धन था। केवल अपने आपको ही कुशल वित्तीय प्रबन्धन का ठेकेदार मानकर वह चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा कहना है हर सरकार जब जनता का कल्याण चाहती है तो निश्चित रूप से योजनाएं बनाती है, उस हेतु वित्त का कितना प्रबन्धन करती है, उन योजनाओं की प्रायोरिटीज क्या रखती है और उसके साथ फिर अधिकारी उसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे

(श्री वासुदेव देवनानी)

लगता है कि इस समय राज्य में अधिकारियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। राज्य के दो सत्ता के केन्द्र बन गये हैं और उसमें भी बजट भाषण के बाद मुख्य मंत्रीजी ने जब प्रेस वार्ता की तो प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं जनता के प्यार के कारण सी.एम. बना हूं। इसको लगातार कल भी इन्होंने दोहराया है, कहीं आज भी दोहरा रहे होंगे। शायद पहली बार मुख्य मंत्रीजी को यह कहने की आवश्यकता पड़ी, तो क्या इससे लगता है कि मुख्य मंत्रीजी अपने आपको असुरक्षित पा रहे हैं? क्या उनको मुख्य मंत्री बनाने में राहुल गांधीजी का कोई रोल नहीं था, क्या संसदीय बोर्ड का कोई रोल नहीं था, क्या आपके दल के सब विधायकों का कोई रोल नहीं था? और इस सबको नकार करके यह बजट भाषण के बाद कहा है इसलिए मैं पहले नहीं कहता, यदि वह नहीं कहते तो, और यह सब इसलिए कि आप राज्य में दो शक्ति के केन्द्र जो बने हैं, मुझे लगता है जिस प्रकार गोवा और कर्नाटक में चल रहा है, राजस्थान में कब उथल-पुथल हो, क्या यही बजट मुख्य मंत्रीजी लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, यह बड़ा चिन्तन का विषय लगता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बोलने की आदत छोड़िए आप लोग।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इस पर मैं चार पंक्तियां आपके सामने रखूंगा-

'दूसरों पर दोष डालना इनकी पुरानी आदत है,
बरगलाने में सदा इनको महारत है,
विकास यह कर नहीं सकते,
सिर्फ इनका स्वार्थ है।
पानी, बिजली और विकास,
इनके लिये महाभारत है।'

किसी प्रकार की कोई इनकी सोच नहीं और सरकारें प्रबन्धन तो करती रहती हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपने बजट भाषण में पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजस्थान को कर्जे में छोड़ गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ऐसी कौनसी सरकार है जिसने कर्जा नहीं लिया हो। जब इन्होंने सरकार छोड़ी तो उस समय 1 लाख 29 हजार करोड़ कर्जा था और उसमें भी यदि 80 हजार करोड़, जो बिजली कम्पनियों का था, वह अलग था जिस समय हमने सरकार छोड़ी थी, उस समय बिजली का केवल 15 हजार करोड़ कर्जा था और जब आपने छोड़ी तो उस समय 75 हजार करोड़, 80 हजार करोड़ कर्जा छोड़ गये। उसको यदि सम्मिलित कर लोगे तो लगभग 2 लाख करोड़ के करीब यह कर्जा हो जाता है। वर्तमान में 3 लाख करोड़ है। आपने भी प्रति वर्ष इतना कर्जा लिया और आज ही क्यों, जब कर्जा आपको नहीं लेना है तो तय कर लो कि हम कर्जा नहीं लेंगे। इस बार 34 हजार करोड़ रुपये, आप कर्जा ले रहे हो जो इस साल तक पूरा होगा तो यह कर्जा लेना तो शायद प्रत्येक सरकार के लिये जरूरी है, लेकिन इसके लिये आरोप-प्रत्यारोप करना, यह उचित नहीं लगता। कर्जा लिया जाए, लेकिन किस कारण से लिया जाए? कर्जे से यदि सम्पत्तियों का निर्माण होता है, तब तो लगता है ठीक है, लेकिन यदि अपने खर्चों के लिए लेता है तो वह गलत है।

आपने जब कर्जा लिया तो आपने केवल 66 प्रतिशत सम्पत्तियां बनाईं और हमारे समय में 85 प्रतिशत सम्पत्तियां बनी हैं। इससे लगता है केवल कर्जे की बात करना एक प्रकार से जनता को भ्रमित करना है।

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में आरोप लगाया कि 2018-19 में पूर्व सरकार ने 9 हजार करोड़ से अधिक की घोषणाएं कीं, जिसका बजट में प्रबन्धन नहीं था। क्या स्वयं भूल गये कि जब उन्होंने 2012-13 का बजट रखा था, उस समय 14 हजार करोड़ की घोषणाएं करके गये। 9 हजार की तुलना में आप 5 हजार करोड़ की ज्यादा घोषणा कर गये, उसमें किसी प्रकार का कोई वित्तीय प्रबन्धन नहीं था। यहां तक पता नहीं था, केवल पत्थर लगाकर चले गये। कहां जमीन है, कहां क्या है? रिफाइनरी का कहीं कोई पता-निशाना नहीं था। चुनाव के पहले पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी को बुलाकर आपने पत्थर लगवा दिया। इस प्रकार की उन्होंने कई घोषणाएं कीं, लेकिन उसको याद नहीं करेंगे। केवल पूर्व सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप करके आगे बढ़ेंगे और इन आरोपों-प्रत्यारोपों से इस राजस्थान का भला नहीं होने वाला। तय होना चाहिए कि जनता का भला किसमें है, जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। उस पर यदि चर्चा करते तो शायद ठीक रहता।

(श्री वासुदेव देवनानी)

लेकिन, फिर भी मैं उनको एक बात के लिये धन्यवाद देता हूं उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि बिजली के मामले में राज्य आत्मनिर्भर है। यह कोई छह महीने में तो आत्मनिर्भर नहीं बना। यह पिछले पांच साल, लगातार हमारी सरकार के द्वारा जो बिजली उत्पादन के काम में प्रबन्धन किया, उसके लिये नई योजनाएं बनायीं, उनको क्रियान्वित किया, उनको पूरा किया। उसी का ही परिणाम है कि आज बिजली के मामले में राज्य आत्मनिर्भर है।

दूसरा, उन्होंने माना गुड-गवर्नेंस के लिये ई-गवर्नेंस में राजस्थान अग्रणी है। यह अग्रणी भी छह महीने में तो नहीं बना। यह लगातार पांच साल तक हमारी सरकार के द्वारा जो ई-गवर्नेंस का हमने काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान देश भर के अंदर अग्रणी है और इसलिये मैं कहना चाहूंगा, दो बातों के लिये तो उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन कर्जे और बाकी बातों पर जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, वह वास्तव में उचित नहीं है।

यदि वह बजट प्रस्तुत करने से पहले केन्द्र का बजट पढ़ लेते और देखते कि केन्द्र का बजट किस आधार पर बना है? केन्द्र का बजट बना है रिफार्म, केन्द्र का बजट बना है उसके बाद परफार्म और उसके बाद केन्द्र कहता है ट्रांसफार्म। यानी रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म, तीनों को मिलाकर यदि बजट बनता है तो जनता को राहत होती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने किया कापी फार्म, उनकी कापी करते जाओ, उस फार्म को यहां पर रख दो। यह जो नकल और कापी का आपने अंदाज किया, मैं सोचता हूं उससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली। आपने केवल योजनाओं के नाम बदले। 'भामाशाह कार्ड योजना' से पता नहीं आपको क्या परेशानी थी, आपने उसका नाम बदल दिया 'राजस्थान जन आधार योजना', आपको ग्रामीण गौरव, राजस्थान का तो गौरव शब्द राजस्थान के लिये बहुत आवश्यक रहता है, उस गौरव को भी पसन्द नहीं करते कि किसी का गौरव बढ़े। आपने 'गौरव पथ' को कह दिया 'विकास पथ', मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन, जिसकी अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, जल स्वावलम्बन, उसका कह दिया 'राजीव गांधी जल संचय योजना', आपने एक आर्थिक आयोग बनाने की बात कही। वह हमारे नीति आयोग की बिलकुल नकल है। यानी इस प्रकार की केवल यदि हम चर्चा करेंगे नाम परिवर्तन करके उन्हीं योजनाओं को लागू करना तो एक कापी फार्म से राजस्थान को कोई नई दिशा नहीं मिलने वाली है। नई दिशा यदि लेनी है तो इन सारी बातों पर विचार करते। हमारी केन्द्र

(श्री वासुदेव देवनानी)

की सरकार ने एक-एक विषय पर, चाहे महिलाओ की हो, मैं उन योजनाओं पर आपका समय नहीं लेना चाहूंगा, कि उन योजनाओं का यहां पर जिक्र करूं, लेकिन इस प्रकार की कई योजनाएं, जिसके आधार पर महिलाओं का भला हुआ, उज्ज्वला योजना से, जनधन खाते से भ्रष्टाचार की मुक्ति हुई। राजीव गांधी कहा करते थे कि वहां से एक रुपया चलता है, पन्द्रह पैसे ही पहुंचते हैं। 34 करोड़ नये खाते खुलवाकर सीधा एक रुपये में से एक रुपया जनता के या जन के खाते में जाता है। इसको कहते है परफार्म करना। अब ट्रांसफार्म में किस प्रकार से जीवन हो रहा है, मैं समझता हूं शायद वह अगले बजट के लिये, आपके लिये छोड़ता हूं कि उसमें जरूर इसकी चर्चा करूंगा।

साथ में, जो विकास की योजनाएं हैं, आप कहते हैं हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। आपके पास कोई रोडमैप तो है ही नहीं। रोडमैप का मैं चाहूंगा कि आपके पास जो बजट है, बजट में 55 हजार 800 करोड़ तो केवल वेतन पर खर्च हो रहा है, 22 हजार 579 करोड़ पेंशन पर खर्च हो रहा है, 23 हजार 132 करोड़ ब्याज पर खर्च हो रहा है, बाकी आपके पास रुपया कहां है? उन रुपयों का खर्चा करके विकास करेंगे, लोगों को क्यों आप असत्य का पुलिंदा पकड़ा रहे हो? इस प्रकार से विकास की योजनाएं कोई धरती पर आने वाली नहीं हैं।

यह बजट में पूरी तरह असत्य कहा गया। हमने कोई कर नहीं लगाया। क्या आपने एक सप्ताह पहले ही डीजल-पैट्रोल पर 4 प्रतिशत वैट नहीं बढ़ाया। इस तरीके से आपको कितने हजारों-करोड़ की आय हुई? क्या आपने गैस पर साढ़े पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत टैक्स नहीं किया? क्या आपने फोर व्हीलर-टू व्हीलर पर स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं बढ़ाया? लेकिन, इन सबको तो आप भूल गये। केवल आरोप लगाने और थोथी योजनाएं जनता को बताने में आपने अपनी महारथ को बताया।

फिर एक बड़ी घोषणा की जिसकी आपने वाहवाही लूटने की कोशिश की, वह की मौहल्ला क्लीनिक। यह मौहल्ला क्लीनिक क्या है? शायद दिल्ली से उन्होंने नकल कर ली। लेकिन आज आपके पास जो अस्पताल हैं, जो पी.एच.सी. हैं, जो सी.एच.सी. हैं उनमें ही आपके पास स्टाफ नहीं है, डाक्टर्स नहीं हैं, जनता ढूंढ़ रही है और उस समय मौहल्ला क्लीनिक किसके हवाले छोड़ोगे? क्या उसको झोलाछाप डाक्टर्स के भरोसे छोड़ोगे या कहां से लाओगे? किसी प्रकार का कोई रोड मैप नहीं है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

जब नौकरियों की बात कही, उन नौकरियों में भी आपने मेडिकल में केवल 15 हजार भरने की बात कही। कुल कितने पद खाली हैं, इसकी कभी चर्चा की? यानी लाख से अधिक पद खाली हैं, 15 हजार तो ऊंट के मुंह में जीरा है।

शिक्षा में आपने कहा कि हम 21 हजार पद भरेंगे, टोटल डेढ़ लाख से अधिक नियुक्तियां शिक्षा विभाग में हम अकेले करके गये। 21 हजार में भी मुझे लगता है कि कहीं जो पद अभी आर.पी.एस.सी. के पास पड़े हैं, या कहीं अभी विज्ञापित हुए हैं लेकिन परीक्षा नहीं हुई, क्या उसमें तो यह सम्मिलित नहीं है? इसका कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। फरवरी में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, 58 हजार पद उस समय खाली थे, उसके बाद रिटायर हुए, यानी इतने सारे पद खाली होने के बाद भी हम केवल 21 हजार की करते हैं तो मैं समझता हूं यह रोजगार के साधन की बात कहना बेमानी होगा। इसके साथ आपने बाकी जो पदों के लिए कहा है, उसमें भी कहीं स्पष्टता नहीं है कि कब तक, क्या यह पांच साल में पद भरे जाएंगे? आपका पुराना रिकार्ड कहता है कि आपने 1998 से लेकर 2003 तक एक भी पद की नियुक्ति नहीं की थी, फिर 2008 से 13 के बीच में भी कोई नियुक्ति नहीं कर पाये। घोषणाएं कर दीं, आप कोर्ट के चक्कर में पड़ गये और एक भी नियुक्ति नहीं हो पायी। तो मुझे लगता है कि शायद इन नियुक्तियों का भी कोई यह हश्र तो नहीं होगा। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता लगती है।

फिर शुरू के कुछ पैरा में आपने महात्मा गांधी के बहुत गुणगान किये हैं। अपने आपको उनका अनुयायी बताया है। भाई, महात्मा गांधी को तो आप भूल चुके थे। केवल वोट लेने के लिए, मनरेगा को छोड़ करके कहां गांधी को याद किया? महात्मा गांधी को तो भूल गये। यदि महात्मा गांधी को याद किया तो आकर भारतीय जनता पार्टी ने याद किया, नरेन्द्र मोदी जी ने आकर याद किया और अभी भी सारे एम.पीज. को कहा है कि एक-एक एम.पी. डेढ़ सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा करेगा, महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार-प्रसार करेगा। लेकिन आपने, आपने तो केवल उनका नाम लेकर सत्ता हासिल करने के अलावा कुछ नहीं किया और केवल अहिंसा की बात करते रहे। एक कोई प्रकोष्ठ गठन की बात कही लेकिन यह सब कागजों पर है, गांधी के प्रति आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, +++

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, इस पर एतराज है। महात्मा गांधी के प्रति हमारी पूर्ण आस्था है और यह यहां पर बात करते हैं, इनके मन में क्या विचार हैं, किसी से छिपे हुए नहीं हैं।

श्री सभापति: जो भी इर्रिलेवेंट हो उसको हटा दिया जाए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वह तो केन्द्र सरकार ने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। (व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): साथ में मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, शांत रहेंगे तो मैं जल्दी खतम करूंगा। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): भारत माता की जय बोलने से मना किया था इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): भारत माता की जय मना किया था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने मना किया। भारत माता की जय तो बोलो।

श्री सभापति: आप अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो बोले, आपने अपने प्रधान मंत्री जी को और अपने अध्यक्ष से गलत बुलवाया।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय मंत्री महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कोई अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। आप विराजिये एक बार।

पुन: आपसे विनम्रता से आग्रह है। कल भी यही बात हुई, दूसरा वक्ता बोलना शुरू हुआ जिसमें आप फिर शुरू होने लग गये। सदन परम्पराओं

(श्री सभापति)

से चलेगा, नियमों से चलेगा लेकिन चलेगा तब जब अपन सब एकजुट होंगे। मुझे निर्देश देने की जरूरत नहीं है आपको, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मेहरबानी करें, गम्भीरता बरतें। जनता ने आप पर भरोसा करके यहां पर भेजा है। या तो आपके लिए खुली डिबेट करा दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय से कह दें कि एक घंटे तक आपकी जो मर्जी आये सो बोलो और जैसे हंसना है हंसो, रोना है रोओ। बिलकुल बर्दाश्त के बाहर है। गम्भीरता बरतें, अपन सब एक-दूसरे का सहयोग करें सदन तभी चलेगा।

माननीय वासुदेव देवनानी। मिस्टर अर्जुन लाल जी, बीच-बीच में बोलने की यह परम्परा बंद कर दीजिए आप, बिलकुल बर्दाश्त के बाहर है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह योजनाओं के नाम केवल नेहरू और गांधी परिवार के नाम क्यों रखते हैं? यदि देश के प्रधान मंत्रियों से प्रेम है तो क्या एक भी योजना का नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से रखा? क्या एक भी योजना का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा? क्या एक भी योजना का नाम डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के नाम से रखा? और भी देश के महापुरुष हुए हैं, चाहे दीनदयाल उपाध्याय या दूसरे हों। उनसे तो चिढ़ लग गयी, जहां भी दीनदयाल उपाध्याय का नाम आता है वहां पर इनके नाम हटा देते हैं। तो देश के जितने महापुरुष हैं, चाहे वे क्रांतिकारी रहे हों, उस समय तो कोई बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस रही होगी, बी.जे.पी. तो नहीं थी। तो हरेक को बी.जे.पी. के साथ जोड़ते हुए केवल उनके नाम आगे नहीं रखेंगे, केवल एक ही परिवार। क्या इनको यह भय है क्या कि यदि हमने दूसरों के नाम से रखा तो हमारा कहीं नेहरू जी और गांधी जी के परिवार...

श्री सभापति: पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं तो योजनाओं पर जो नाम लिखे हैं उन्हीं को पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति: आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): तो कहीं इनकी महानता कम तो नहीं होगी। इस प्रकार का इनको क्यों संदेह हो रहा है कि इंदिरा गांधी और नेहरू की महत्ता कभी कम होने का डर तो इनको नहीं है?

(श्री वासुदेव देवनानी)

दूसरा, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें कन्यादान योजना की घोषणा की है। कन्यादान योजना एस.सी., एस.टी., माइनोरिटीज के बी.पी.एल. गरीब परिवारों के लिए 21 हजार देने का, इन्होंने आर्थिक दृष्टि से कमजोर सवर्ण लोगों की बालिकाओं के लिए भी क्यों नहीं घोषणा की? केवल एक वर्ग को करने की तुलना में यदि सारे के लिए करते तो आर्थिक दृष्टि से भी सवर्ण लोगों की बच्चियां भी बहुत गरीब हैं, जिनके यहां शादी होना मुश्किल है और उनकी शादी के बिना कितनी कठिनाई आ रही है। इसका यदि यह करते, कोई क्राइटेरिया करते कि आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर परिवारों को हम रखेंगे तो उसमें अच्छा रहता। इन्होंने केवल इसका रख करके किया, मेरा सुझाव है कि सारे समुदायों के गरीब, सवर्ण, जिनको केन्द्र सरकार ने अभी आर्थिक दृष्टि से आरक्षण भी दिया है, तो उनको यह भी दिया जाए।

साथ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको इन्होंने छोड़ दिया है। आयुर्वेद विभाग को तो भूल ही गये। इनको कोई भारतीय चिकित्सा पद्धति शायद पसंद ही नहीं, केवल एलोपैथी की ओर बढ़ चले। चिकित्सा मंत्री भी बैठे हैं, शायद इनके ध्यान में होगा कि आयुर्वेद विभाग को सम्पूर्णतया पूरे बजट में से गायब कर दिया है। आयुर्वेद विभाग की अपनी कोई योजनाएं हैं। आज आयुर्वेद की पद्धति इतनी प्रचलित है, लोग इसको पसंद करते हैं और आपने उसके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया।

और तो और पानी, पानी जिससे सारा राजस्थान त्रस्त है, आज बूंद-बूंद के लिए हाहाकार है। मैं अजमेर से आता हूं, अजमेर के तो हाल बीसलपुर के सबको पता है, केवल एक महीने का पानी बाकी है और उसके लिए हमारी पिछली सरकार ने ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर लाने के लिए कहा, छह हजार करोड़ का प्रोजेक्ट छोड़कर गये, पूरे राजस्थान के लिए 8 हजार 450 करोड़ रुपये पानी के लिए, इसका मतलब पानी आपकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। बिना पानी के राजस्थान कैसे जियेगा? उसके बिना कैसे औद्योगिक विकास होगा? इन्होंने किसी प्रकार का उस पर बजट प्रोविजन नहीं रखा है। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा राजस्थान के साथ इन्होंने पूरी तरह अन्याय किया है।

कहते हैं कि आप पूरे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, केवल एक संभाग के तो नहीं हैं? पूरा बजट दो-तीन संभागों को कर दिया, पूरा जोधपुर संभाग

(श्री वासुदेव देवनानी)

को दे दिया। आज अजमेर संभाग को एक पैसा तक नहीं दिया, केवल एक पुष्कर का नाम लिया, उसमें भी लोगों को भ्रमित किया कि उसमें आपके केबल अण्डर ग्राउण्ड डाल रहे हैं, शहर के अन्दर की तो पहले ही डल चुकी है, बाहर का एक थोड़ासा पार्ट है। हमने तो सोचा था कि हमारे यहां कैबिनेट मंत्री हमारे जिले के हैं, वे हमारे लिए कुछ लाएंगे। हमारा यह स्वप्न था, इनसे अपेक्षाएं थीं। या तो मुख्य मंत्री जी की टोली के नहीं होंगे या फिर दूसरी इसलिए बात इनकी मानी नहीं होगी। लेकिन मेरी अपेक्षा है कि अभी भी जब जवाब आये तो ये कुछ उसमें संशोधन करवाकर अजमेर के लिए पीने के पानी कम से कम बीसलपुर योजना तो स्वीकृत कराएं। अजमेर की मेडिसिटी की इनकी कल्पना थी, यहां पर मेडिसिटी बने।

इसके अलावा घोषणा पत्र में पूरी तरह चकमा दिया है। किसानों की कर्जा माफी, यदि किसानों के लिए पूरा प्रोविजन रखते, 99 हजार 800 करोड़ से सम्पूर्ण कर्जा माफ होता है, आज तक नहीं रखा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते का कोई प्रोविजन नहीं रखा। इस प्रकार लोगों को धोखा दिया। राइट टू हैल्थ, राइट टू हैल्थ के बारे में भी सरकार कुछ नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह अपेक्षा है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ समन्वय बैठाते हुए आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला होगा। टकराएगी तो उससे राजस्थान की जनता का किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। रिपिटेशन तो किया है, इलैक्ट्रिकल व्हीकल नीति, यह तो केन्द्र सरकार ने बना ली।

आपने कहा कि पाकिस्तान जाने वाला पानी रोकेंगे। यह तो केन्द्र सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी। आपने कहा, आर्थिक परिषद का निर्माण करेंगे। वह नीति आयोग पहले से ही है। किसान राहत आयोग है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वह कृषक कल्याण कोष के रूप में किया। बाकी जो कुछ घोषणाएं की हैं, चाहे आंगनबाड़ी सहायकों का मानदेय हो, चाहे स्कूल के कमरे हों, चाहे किसानों की बात हो, सारा का सारा केन्द्र सरकार का पर्याय है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में कह सकता हूं कि आपने केवल डेढ़ हजार करोड़ ही रखा है। कितने कमरे बनेंगे? कितने कमरों की आवश्यकता है?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जरा हमारा 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए कि कितने हजारों करोड़ों के हमने कमरे बनवाए। लोगों का भी सहयोग लिया और सरकार से भी पैसा दिया। आपने उसको केवल ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर कर दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आंगनबाड़ी सहायकों के मानदेय के लिए वाहवाही लूट रहे हो। वह तो पूरा केन्द्र का पैसा है।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इस प्रकार मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि टकराहट की नीति छोड़ो। जनता के कल्याण की बात करो। असुरक्षित हो, असुरक्षित हो, यह तो आप लोग जानो। लेकिन कम से कम जनता की सेवा, जब तक कुर्सी पर हो, तब तक करते रहो।

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिए। विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह आपका आंतरिक मामला है कि मुख्य मंत्री कौन रहता है। यह आपका विषय है। लेकिन जनता भी इसको जानना चाहती है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मुझे बजट की चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। चाहे विधान सभा के चुनाव हों या लोक सभा के चुनाव हों, हर राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव घोषणा-पत्र जारी करती है। राज्य के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत प्रदेश के तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं। मुझे भी इस विधान सभा में तीसरी बार उनके कार्यकाल के दौरान आने का मौका मिला।

सभापति महोदय, इन पिछले 20 वर्षों में 3 बार कांग्रेस की सरकार रही। जो-जो अशोक जी गहलोत ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में बात कही,

(श्री बाबूलाल नागर)

उन्होंने चुनाव घोषणा-पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया। मुख्य मंत्री जी ने अपनी पहली बैठक में मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि हमारे काम करने का यह आधार रहेगा। यह तरीका रहेगा।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें माननीय सदस्य। डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मुख्य मंत्री जी ने इस बजट भाषण में कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्य मंत्री थे तो प्रदेश में ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं शुरू कीं जिसमें आम गरीब, किसान, नौजवान की दुआओं से फिर यह कांग्रेस की सरकार बनी। जो फ्लैगशिप योजनाएं उन्होंने शुरू की थीं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया।

सभापति महोदय, चाहे मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना हो, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे हिन्दुस्तान में दूसरा, तीसरा राज्य राजस्थान बना। बीपीएल को 2 रुपये किलो गेहूं देश के 2-3 राज्यों के साथ ही हमने राजस्थान में भी लागू किया। यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा चालू की। लेकिन बीपीएल को 1 रुपये किलो गेहूं देने की बात जो मुख्य मंत्री जी ने की है, निश्चित रूप से इससे उस गरीब की उन्होंने सुध ली है।

सभापति महोदय, नि:शुल्क दवा योजना लेकर आए। 450-500 दवाइयां कीं, इससे राजस्थान में गरीब की बहुत दुआएं मिलीं। आज मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने 608 तरह की दवाइयां राजस्थान में नि:शुल्क दवा योजना में आम गरीब को उपलब्ध कराने का काम किया है।

सभापति महोदय, पेंशन योजना, यह एक ऐसी योजना है जिससे गरीब को बहुत ज्यादा आत्मीय बल मिलता है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान नई पेंशन योजना राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने लागू की थी। पहले पेंशन योजना में जिसके बालिग बच्चे होते थे, या 1-2 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन होती थी, उसको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती थी। यहां तक कि विधवा को भी अगर उसके 25 साल से बड़ी कोई संतान होती थी तो उसको विधवा पेंशन भी नहीं मिलती थी। उन्होंने उस फ्लैगशिप योजना को आगे बढ़ाते हुए पेंशन योजना भी बढ़ाई।

ब्याज मुक्त ऋण योजना, जिसको पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मुख्य मंत्री जी ने वापस ब्याज मुक्त ऋण योजना लागू की। आज प्रदेश में अगर किसान को मजबूत करना है तो पशु धन की तरफ ध्यान

(श्री बाबूलाल नागर)

देना होगा। उन्होंने मुख्य मंत्री दुग्ध संबल योजना के अंतर्गत पिछली सरकार में 2 रुपये अनुदान देने का काम शुरू किया था। लेकिन पिछली बार जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो राजस्थान में सरकार का पहला आदेश निकाला था, कि जो 2 रुपये दूध का अनुदान किसानों को दे रहे हैं, वह बंद किया जाता है। मुख्य मंत्री जी ने वापस किसानों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। मुख्य मंत्री जी किसानों को मजबूत बनाने के लिए अनेक योजनाएं लेकर के आए हैं।

सभापति महोदय, इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि प्रति वर्ष किसान को अकाल से जूझना पड़ता है। किसान पर जो कर्जा है, उसको उसे बुवाई, जुताई, खाद और बीज के लिए लेना पड़ता है। कोआपरेटिव बैंक तथा अन्य बैंकों से लोन लेना पड़ता है। मैं मुख्य मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि ऋण माफ योजना में आपने चुनाव घोषणा-पत्र को पूरा लागू किया। लेकिन इस ऋण माफ योजना से बहुत से ऐसे गरीब किसान जो कि समय पर ऋण चुका रहे थे, उनमें हालांकि हताशा भी हुई कि हमने समय पर ऋण चुकाया लेकिन हमें कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। अगर राजस्थान के किसान को मजबूत करना है तो जो फसल की बुवाई, जुताई और बिजाई होती है, राजस्थान सरकार को उस किसान के लिए पर हैक्टेयर या पर बीघा गिरदावरी करानी चाहिए। कहां पर कितनी बुवाई और बिजाई हुई है, उसके आधार पर अगर किसान को अनुदान दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि किसान को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान को बीज, खाद और जब फसल पैदा नहीं होती, तब कर्ज लेना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता में भी बहुत से काम हाथ में लिए हैं। मेरे यहां पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हमने केवीएस, दूदू स्वीकृत कराई थी। उसने समर्थन मूल्य पर खरीद करना शुरू किया था। पिछली सरकार में मूंग और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद की थी। उसमें नियमों के अनुसार किया था। पिछली सरकार ने उसको वेयर हाउसिंग में रख दिया। जो नई केवीएस बनी थी, सवा लाख रुपये पर मंथ उसको देना पड़ रहा था। उसके कोई आमदनी नहीं थी और करीब 12-13 लाख रुपये देने पड़े। आज वह केवीएस, जो कि कांग्रेस सरकार के समय पर खुली थी, उसकी हालत खराब हो रही है। जब आपने केवीएस, दूदू को क्रय एजेंसी बनाई तो उसका कोई लेना-देना नहीं था। आपने नियम के

(श्री बाबूलाल नागर)

अनुसार खरीद की। जो सवा लाख रुपये महीना वेयर हाउस में किराया लगा, वह केवीएस, दूदू पर डाल दिया। जिसके कारण उसकी स्थिति बहुत खराब हो गयी।

सभापति महोदय, पेयजल के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 8450 करोड़ का प्रावधान रखा है। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में मीठा पानी भी उपलब्ध कराने का कमिटमेंट किया है। जब अशोक गहलोत जी पहली बार प्रदेश के मुख्य मंत्री बने थे तो वह फ्लोराइड प्रभावित गांवों के लिए, चाहे जयपुर में हों, चाहे नागौर में हो, चाहे टोंक हो, इनके लिए बीसलपुर की दूदू पेयजल योजना लेकर के आए थे। उस समय 700 करोड़ की योजना थी और बीसलपुर का पानी चालू हो गया था। लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही के कारण पिछले 4 साल से, मैं दूदू उप खण्ड की बात कर रहा हूं, दूदू उप खण्ड में 157 राजस्व गांव हैं, उनमें से करीब 90-100 गांवों में बीसलपुर का एक बूंद पानी नहीं आया। मैं मानता हूं कि इस साल बीसलपुर बांध में पानी का अभाव है। लेकिन पिछले 4 सालों में बीसलपुर में पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी उस योजना को खंड-मंड कर दिया गया। सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि वह योजना कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुई थी। वहां की जनता को बीसलपुर का पानी मिलना था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस बीसलपुर दूदू पेयजल योजना का वापस पुनरुद्धार किया जाए। वैसे भी उस योजना का 2021-22 तक आधार रखा गया था। अब आने वाले 30 साल तक बीसलपुर के पानी से दूदू की जनता को लाभान्वित करना है तो इस बजट में ही उसका प्रावधान रखा जाए।

दुबारा सर्वे करवाया जाए, दुबारा प्रावधान करके डीपीआर बनाई जाए और दुबारा दूदू-बीसलपुर योजना में वापस इसको अपनी कार्य योजना में लेना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज चिकित्सा के सम्बन्ध में इसी सरकार ने अपने बजट में बहुत प्रावधान किए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी यह व्यक्तिगत पीड़ा भी है कि दूदू एक ऐसी जगह है जहां राजस्थान के तीन संभाग के लोगों को दूदू से होकर राजस्थान की राजधानी में आना पड़ता है। आज सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं राजस्थान में दूदू में होती है। माननीय सभापति महोदय, वहां कोई ब्लड बैंक नहीं है, वहां हास्पिटल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको जयपुर

(श्री बाबूलाल नागर)

एसएमएस अस्पताल में लेकर आते हैं, बहुत से लोग रास्ते में ही मर जाते हैं, बहुत से लोग प्राण त्याग देते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, आप एक बार सांसद भी रह चुके हैं, अजमेर में दूदू भी है विधान सभा क्षेत्र और वहां से आपको उप चुनाव जिताकर भी भेजा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दूदू, यह केवल दूदू की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): विराजे हैं, विराजे हैं, मेरे बड़े भाई ने मुझे याद दिलाया कि यह विराजे हैं, धन्यवाद।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह केवल दूदू की जनता के लिए नहीं है। दूदू आज राजस्थान से, चाहे उदयपुर से आओ, चाहे जोधपुर से आओ, अजमेर से आओ, किसी भी डिवीजन से आओ, दूदू से होकर गुजरना पड़ता है। दुर्घटनाएं कोई पूछकर नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर एक ब्लड बैंक होना चाहिए। दूदू में उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र खुलना चाहिए जिसमें कम से कम 300 बैड का हॉस्पिटल वहां रहे। कई दुर्घटनाओं में मैंने देखा है। ब्यावर के विधायकजी एक बार आंदोलन कर रहे थे जिला बनाने को लेकर और रास्ते में बीमार हो गए। बीमार होने पर मेरे पर दूरभाष पर समाचार आया, फोन आने के बाद मैंने उनसे सम्पर्क किया। मैंने सम्पर्क किया और कहा कि ब्यावर के विधायकजी पैदल चलकर आ रहे हैं, इनका ध्यान रखो। मगर माननीय सभापति महोदय, जहां ब्लड बैंक नहीं हो, जहां मशीनें नहीं हों, अन्य कोई सुविधा नहीं हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दूदू में उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र खोलें।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा पिछली सरकार में हमने नि:शुल्क दवा योजना और जांच योजना शुरू की थी। अभी दवाइयां बढ़ाई हैं, जांच भी बढ़ाई है, आपने कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी, इनके लिए आपने मेडिकल कालेजों में नि:शुल्क इलाज और जांच की व्यवस्था रखी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में नौजवान लोग हैं उन लोगों को अधिकतर जब गांवों में जाते हैं तो कोई 18 साल का नौजवान, कोई 25 साल का नौजवान, कोई 30 साल का नौजवान, अगर वहां पता पड़ता है कि किसी के हार्ट अटैक हो गया, किसी के कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गयी।

(श्री बाबूलाल नागर)

आप राजस्थान में इस नौजवान को आज बचाना चाहते हो तो जो आपने तीन मेडिकल कालेजों में, जितने भी मेडिकल कालेज हैं प्रदेश में, इसमें जांच की व्यवस्था कर रखी है, आपने कार्य योजना में जो पूरे राजस्थान की नि:शुल्क दवा योजना का प्रावधान रखा है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पूरे राजस्थान में उप खण्ड स्तर पर, मैं यह नहीं कह रहा कि गांव और तहसील स्तर पर करिए लेकिन उप खण्ड स्तर पर राजस्थान में जो निवासी हैं उनको साल में एक बार किडनी, कैंसर, हार्ट अटैक की आपको जांच फ्री करने का प्रावधान रखना चाहिए। जिससे कोई बीमारी ही नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय, इससे न आपके भामाशाह योजना का सहारा लेना पड़ेगा और न मेडिकल कालेज में आना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आज समस्या है, इन बीमारियों का पता ही तब चलता है जब आदमी मर जाता है। जब आदमी की डैथ हो जाती है, उसको यह पता ही नहीं चलता कि मेरे हार्ट की प्रोब्लम है, मेरे कैंसर की प्रोब्लम है, अगर यह जांच हो जाती है तो कम से कम वह अपना इलाज शुरू करवा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने भामाशाह योजना लागू करके अच्छा काम किया था लेकिन खाद्य सुरक्षा से आपने इसको जोड़ा इसकी वजह से, आपको पूरी जानकारी होगी कि पूरे राजस्थान में इस खाद्य सुरक्षा में जितने लोगों के गेहूं बंद हो गए और अधिकतर ऐसी जगह जहां नैट नहीं चलता है, जहां गेहूं समय पर नहीं मिलता है, राशन डीलर गेहूं नहीं देता है, अगर उन्होंने गेहूं नहीं लिया है तो भामाशाह योजना का उनको लाभ नहीं मिलता है।

मेरे दूदू क्षेत्र में ही पिछले छह महीने मैंने 9 हजार लोगों के जिनके गेहूं बंद हो गए थे उनको वापस खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा, आम गरीब जिसको परेशानी के समय आवश्यकता है, इसको आपने खाद्य सुरक्षा से जोड़ा है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के आम आदमी को, गरीब आदमी को चाहे कोई भी क्राइटेरिया लें, लेकिन आम आदमी के लिए करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, कोई अंकित नहीं होगा। विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलें और समाप्त करें दो मिनट में।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जिन उप खण्डों में महाविद्यालय नहीं है, वहां सरकार ने कार्य योजना बनाई हे। मेरे क्षेत्र में फागी एक ऐसा उप खण्ड है, गरीब क्षेत्र है, वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। वहां के लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्राइवेट कालेजों में जाकर पढ़ें इसलिए मैं चाहूंगा कि नई कालेज खोलने का मामला हो तो फागी में नया कालेज खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई के सम्बन्ध में इस सरकार ने अनेक प्रावधान किए हैं लेकिन जिन 13 जिलों को शामिल किया है उनमें सिंचाई की परियोजनाओं के पुनरुद्धार का काम करेंगे उसमें जयपुर जिला शामिल नहीं है। माननीय सभापति महोदय, कालख बांध और छापरवाड़ा बांध इसी जयपुर जिले के हैं, सिंचाई के लिए ऐसे बड़े बांध हैं जो रियासतकाल में बने हुए थे जिनमें चार-चार, पांच-पांच, टोंक जिला हुआ, जयपुर जिला हुआ और अजमेर जिले के कुछ गांवों में जहां पर सिंचाई का काम होता था, किसानों को पानी दिया जाता था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि उसमें जयपुर जिले को शामिल करते हुए छापरवाड़ा और कालख बांध को इसमें लेने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं खाद्य विभाग के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नोन पीडीएस सामग्री है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, समाप्त करता हूं।

नोन पीडीएस की सामग्री आपने अन्नपूर्णा भण्डार पिछली सरकार ने खोले लेकिन आपको यह मनन करना पड़ेगा क्या कारण है कि ये अन्नपूर्णा भण्डार क्यों नहीं सफल हुए। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने एमओयू किया और जिस सामान को इन्होंने अन्नपूर्णा भण्डार में रखा है, वह आम बाजार में कम कीमत पर, सस्ता मिलता है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार, चूंकि राशन दुकानों पर यदि हर रोज की आवश्यकता की सामग्री मिलेगी तो

(श्री बाबूलाल नागर)

निश्चित रूप से गरीब को इससे राहत मिलेगी, ग्लोबल टेंडर लगाएं और जब इतना बड़ा बाजार, 30-35 हजार दुकानें हैं, आप किसी भी मैन्युफैक्चरर को देंगे, उत्पादनकर्ता को देंगे तो निश्चित रूप से उसमें काफी अंतर मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे याद है, हम पिछली सरकार के दौरान 'राज चाय' लेकर आए थे, करीब 3-4 लाख क्विंटल चाय हमने एक-एक महीने में राजस्थान के लोगों को उपलब्ध कराया था। उसका एक बड़ा कारण था कि हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी कम्पनियों से चाय लेकर आए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें। सबसे पहले कल जब वाद विवाद समाप्त हुआ था तब आपकी तरफ से बोल रहे थे, आज शुरूआत उन्होंने की, फिर आपको बुला लिया, यह निर्दलीय हैं विधायक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए। मुझे पता है। श्री अमीन खां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। खां साहब, मैंने आपको पुकारा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: मेहरबानी करके विराजिए आप, सहयोग करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) श्री अमीन खां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: विराजिए। श्री अमीन खां। किसी का अंकित नहीं हुआ है। श्री अमीन खां का अंकित होगा।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, तारीख 10 जुलाई, 2019 के दिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस सदन में परिवर्तित बजट पेश

(श्री अमीन खां)

किया वर्ष 2019-20 का। मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं लेकिन सारे बजट की एक-एक लाइन पढ़ी जरूर है। कुदरत भी यदि हमें सपोर्ट करती है तो काफी चीजें हमें जुबानी याद भी हो जाती हैं। आज के देश के हालात, आज के राज्य के हालात, आज की दुनिया के खर्च, शौक और व्यवहार के अनुसार...

इससे ज्यादा अच्छा बजट राजस्थान का कोई भी वित्त मंत्री पेश नहीं कर सकता था और मुख्य मंत्री जी की सोच और काबिलियत की हम तहे दिल से तारीफ करते हैं। इसके आगे चलकर मैं यह कहना चाहूंगा कि कल जैसलमेर से आने वाले सदस्य ने जो इस सदन में बात कही, उसके अनुसार हम सबको मिलकर चलना चाहिए। चुनाव हम लड़ते हैं, तब तो जुदा हैं, जुदा रहेंगे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन चुनाव खतम होने के बाद में एक-दूसरे के दुश्मन या एक-दूसरे को बदनाम करने की नीयत से बोलना इंसानियत का किसी मजहब ने दर्जा नहीं माना। अगर कोई ऐसा करता है तो यह उचित नहीं है। अच्छे आदमी को अच्छा कहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अर्थशास्त्र पर इतना ही जानता हूं कि कर्जा लेकर, भीख मांगकर दुनिया में कोई घर या आदमी सुखी न बना है और न बनेगा। कर्जा माफ करने की यह रीति चाहे भारतीय जनता पार्टी करके खुश हो जाए, चाहे कांग्रेस खुश हो जाए, यह अक्लमंदी की बात नहीं है। अगर हकीकत में कोई राजनीतिक दल गरीब इंसान को सबल इंसान के बराबर लाना चाहता है और उस पर पैसा खर्च करने का दिल है तो गरीब इंसान के बच्चों को अच्छी कालेज, अच्छी स्कूलें मुहैया कराएं। ग्रेजुएशन तक तमाम खाने-पीने का, किताबों का, ट्यूशन का खर्च राज्य सरकार वहन करे और उसके बाद जब कहीं सर्विस का नंबर आता है तो उनके लिये आपको बोनस के रूप में नंबर देने चाहिए।

आज के हालात में हर इंसान जानता-समझता है। आज एक करोड़पति आदमी है, एक ठेकेदार आदमी है, एक सरकारी अफसर है, उसी स्कूल में गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। क्या उनके बच्चों की पढ़ाई में चाहे इंटरव्यू में उन्हें वे पीछे रख सकते हैं? नहीं रख सकते। रिजर्वेशन देश की आजादी के बाद मिला है। उस रिजर्वेशन में ऐसे कई भील, मेघवाल आज तक अपने गांवों में बैठे हैं। उनकी पुरानी सदी की ही गरीबत चल रही है। उनके लड़के अफसर क्यों नहीं बनते? उनके पास साधन नहीं हैं।

(श्री अमीन खां)

हम सिंधी मुसलमान पुराने जमाने के मारवाड़ में रहते हैं राजस्थान के। इसके अलावा कहीं नहीं हैं और सिंधी मुसलमान। गाडोलिया, लोहार की तरह भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, पेशेवर पशु-पालक थे। इनका आज तक भी किसी तहसील में कोई चपरासी तक नहीं है। यह क्यों? इसलिए नहीं कि इन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, इनके घरों में आज तक पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। यही हालत रही, गवर्नमेंट और सभी पार्टियों ने स्पेशल इंतजाम करने की नहीं सोची तो हमारा काम भेड़-बकरी चराने तक का ही रहेगा। आगे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम इसमें किसी दूसरे को कसूरवार नहीं बनाते। हमारी आदत पड़ी हुई है।

हमारे ऐसे दूसरे भाई कौन हैं? एक तो ये गाडोलिया लोहार हमारे भाई हैं, एक ये लाल साफे वाले रैबारी हमारे भाई हैं। बाकी सब हमसे आगे निकल गये हैं। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि कर्ज में किसी व्यक्ति को, किसी स्टेट को डुबोना, यह बुद्धिमानी नहीं है। सबसे पहले हमारे देश में कर्ज चौधरी देवीलाल ने माफ करने की शुरुआत की। उन दिनों में मीडिया, खबरें वगैरह नहीं थीं। बीबीसी से मैं रेडियो से रोजाना खबरें सुनता था।

चौधरी देवीलाल की पोती से एक बीबीसी के संवाददाता ने पूछा चौधरी देवीलाल ने घोषणा की है कि वे 10 हजार तक का सारा कर्जा माफ कर देंगे, क्या यह अच्छा काम है? उस लड़की ने कहा, अच्छा तो नहीं है। उसने कहा कि यह अनपढ़ आदमी है, यह कर सकता है और उसकी पोती ने यह महसूस किया कि काम अच्छा नहीं है, लेकिन अनपढ़ आदमी को देश की अर्थव्यवस्था का कोई पता नहीं रहता।

मेरा निवेदन है कि गरीब कमजोर तबका इस रिजर्वेशन के बाद भी अभी तक कमजोरी के स्तर पर है और इन्हें सुधारने के लिये सरकार जो खर्चा करे, उसमें उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे, इनकी आवासीय स्कूलें ज्यादा खोले। इनके लिये उच्च ग्रेड की स्कूलों, कालेजों में अच्छा इंतजाम करे और इनका सारा खर्चा गवर्नमेंट वहन करे। इससे गरीब सबल के बराबर आ जाएंगे। कर्जे की बात और मांगने की बात आपके भी धर्म में है, हमारे भी धर्म में है। हमारे धर्म में मांगणियार वगैरह हमसे मांगते हैं। हमारे मजहब में लिखा है कि मांगणियार की रोटी खाना हराम है और मेघवाल की रोटी खाना हराम नहीं है। उसका रीजन बताया है कि भीख मांगना और चोरी करना, ये दोनों गुनाह बराबर हैं। मांगणियार का खाना नहीं खाना चाहिए।

(श्री अमीन खां)

मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह की एक तालीम बनाइए, इस तरह का बंदोबस्त करें ताकि गरीबों के बच्चे सबल के बच्चों के बराबर आ जाएं। मौजूदा रीति-रिवाज, कानून और नियम जो बने हुए हैं, इसमें गरीब तो यहीं सब्र करेंगे और सबल इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ मेरे क्षेत्र की एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: बहुत खूब।

श्री अमीन खां (शिव): मुख्य मंत्री जी ने अपनी पूर्व की सरकार में तहसील गुढ़ामालानी, चौहटन और रामसर में 601 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया था, नर्मदा नहर का पानी गांवों में पहुंचाने का और अभी बजट में मुख्य मंत्री बोले हैं शिव तहसील, गुढ़ामालानी और रामसर तहसील। शिव तहसील में गडरा रोड तहसील अलग हो गयी है। उसका नर्मदा से नाम जोड़ने का आप संशोधन करें और शिव तहसील जो है, वह इंदिरा गांधी नहर मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल से जो बाड़मेर आ रही है, उसमें उसका प्रावधान करिए।

आखिर में मैं यह कहता हूं, पहले भी एक बात कही है, अगर इस राजस्थान और इस देश की सीमा की मजबूती का सबसे अच्छा दिमाग और काबिलियत से किसी ने काम किया तो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहन लाल सुखाड़िया ने किया। उस वक्त इस नहर का नाम था राजस्थान नहर। यह राजस्थान नहर आज जैसलमेर तक बन गयी है और जैसलमेर से आगे उस नहर का प्लान था गुजरात के कच्छ के रण तक पानी पहुंचाने का। कच्छ का रण दूर रह गया, इंदिरा गांधी के जमाने में और चंदनमल जी जब इंदिरा गांधी नहर मंत्री थे, तब उन्होंने गडरा रोड तक यह पानी पहुंचाने का ऐलान किया था और वे मौके पर पहुंचकर जनता को आश्वासन भी देकर आये थे।

उन्होंने शिव तहसील की ढाई लाख बीघा जमीन को सिंचित करने का ऐलान किया था। अब उस नहर में बाड़मेर जिला, जैसलमेर में पालिटिकल पावर जो होती है, उसमें हम कमजोर हैं, बीजेपी के वक्त में भी हमारे आदमी कमजोर थे और कांग्रेस के वक्त में भी हम कमजोर रहे, इसलिए पानी कभी बीकानेर से इधर गया, कभी नागौर से इधर गया, कभी जोधपुर से इधर गया, उस पानी में केवल हमारी जनता का ही हित नहीं है, इस देश की सुरक्षा का भी बड़ा हित है और राजस्थान के अकाल को खतम करने का भी उस पानी में बड़ा हित है।

(श्री अमीन खां)

आखिर में मैं कहूंगा कि राजस्थान में गाय और भैंस के लिये, सबसे कीमती घास तीन हैं- सेवण, धामण और गठिल। इनको एक तो हमारे खेतों में ट्रैक्टरों के जरिये खतम कर दिया और एक ये जो विलायती बावलिया कहते हैं, इसके पंख जहां झड़ते हैं, यह सेवण घास और कोई फसल, गठिल या धामण खतम हो गयी है। यह स्टेट के लिये बहुत बड़े खजाने को बर्बाद करने का काम हम महसूस करते हैं।

(15.00 बजे)

फोरेस्ट विभाग को इन दोनों-तीनों घासों को बचाने का विशेष बन्दोबस्त बजट में करना चाहिए। आखिर में इतनी ही बात कहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर का पानी गडरा रोड तक पहुंचाया जाए, यह केवल हमारा ही हित नहीं है इस देश की सुरक्षा का भी हित है। पूरे राजस्थान के लोगों के पैसों का हिस्सा हम खाते हैं रिलीफ डिपार्टमेंट के जरिये तो उनके भी साथ न्याय हो जाए और वहां के पशुपालक लोग भी दूध पीकर खुशहाल रहेंगे। तालीम के लिए हमारी गडरा रोड तहसील ऐसी है जिसमें 118 गांव हैं। इन गांव और तहसील एरिया में आज तक न प्राइवेट कालेज है न कोई सरकारी कालेज है। जनगणना के आंकड़े, स्टेटिस्टिक्स विभाग के आंकड़े यह साबित करते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा शिक्षा में स्तर राजस्थान का है और राजस्थान में शिक्षा का सबसे ज्यादा नीचा स्तर बाड़मेर जिले के बोर्डर एरिया के गडरा, रामसर, चौहटन और सेड़वा में है। तो सरकार का फर्ज बनता है कि जो सबसे ज्यादा कमजोर किसी विषय में है उसको ऊपर उठाने के लिए वहां गडरा रोड में एक सरकारी कालेज खोला जाए। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): हिन्दी के हास्य कवि हैं अशोक चक्रधर, इनकी चार लाइनें हैं। 'एक नये-नये बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा- आज कार मैं चलाऊंगा, ड्राइवर ने कहा- हुजूर मैं उतर जाऊंगा, यह कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए।' माननीय सभापति महोदय, बजट की प्रतिध्वनि कुछ ऐसी लगती है।

बजट किसी भी सरकार का प्रतिबिम्ब, आईना, उसकी दृष्टि, उसका विजन, उसका डाकूमेंट, यह सब कुछ होता है। महात्मा गांधी जी की तस्वीर मेरे सामने है, 150वीं जयन्ती है और माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनमें

(श्री सतीश पूनियां)

राजस्थान के लोग महात्मा गांधी जी की छवि देखते हैं, कभी मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, इस छाया में राजस्थान का यह बजट उन्होंने पेश किया। लगभग 6 बार पानी पिया और 13 बार केन्द्र को, नरेन्द्र मोदी जी और विपक्ष को उसमें कोसा। माननीय सभापति महोदय, इस देश का लोकतंत्र इसकी ताकत है और इस देश के तमाम महापुरुष जिन्होंने आजादी दिलायी, लोकतंत्र को ताकत दी, उसी से दल निकले, उसी से विचार निकला। महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज्य की कल्पना करते थे, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय उसी अन्त्योदय के आंदोलन की बात करते थे।

इस बजट में बातें तो बहुत हैं, 55 पेज हैं और मैं यदि एक-एक का विवेचन करूंगा तो शायद मेरा समय पूरा हो जाएगा और पिछली बार का मेरा अनुभव यह है कि आप मुझे टोक भी जल्दी देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम शब्दों में, 55 पेज तो नहीं, लेकिन 2-4 पेज में, सीमित शब्दों में अपनी बात आपके बीच में रखूं। बजट एक ऐसा विशेष शब्द है जिसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री, ज्ञानी, ज्ञाता, ये सब लोग अपनी बात रखते हैं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी तो नहीं हूं लेकिन कुछ सामान्य चीजें हैं जिनकी मैं यहां विवेचन कर सकता हूं, विश्लेषण कर सकता हूं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि के नाते, एक दल के एक विशेष कार्यकर्ता के नाते।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने जो सर्वोदय की कल्पना की लेकिन इस बजट में मारवाड़ के गांधी द्वारा पेश किया गया बजट, इसमें विभेद साफ दिखता है। मैंने जिन 13 बातों की आलोचना की बात कही, गांधी जी के जीवन में आलोचनाओं का उनके जीवन के दर्शन में कहीं स्थान नहीं था लेकिन सर्वोदय की भावनाओं को साफ नकारता हुआ यह बजट एक सम्भाग को 13 बातों की सौगात देता है, दूसरे सम्भाग को किसी को दो देता है, किसी को तीन देता है। जोधपुर सम्भाग में, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन यह बजट यदि संतुलित होता तो मुझे खुशी होती। गांधी ने पुअरेस्ट आफ द पूअर और लास्ट में इनकी बात, ये दोनों महानुभावों ने कही है, गांधी जी ने भी कही और पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कही। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है पर इस बजट के बाद, मैं लगातार पिछले 4-5 बजट को देखता हूं तो ग्रामीण विकास के लिए बजट की तीव्रता लगातार घटती जा रही है। क्षेत्रीय असंतुलन की बात मैंने कही। साथ

(श्री सतीश पूनियां)

ही बजट के बाद जब प्रेस कान्फ्रेंस हुई, मैं उन राजनीतिक बातों का उल्लेख तो नहीं करना चाहता था लेकिन इनके पहले के मुख्य मंत्रियों की प्रेस कान्फ्रेंस भी देखी हैं, ये पहले मुख्य मंत्री हैं जो यह कहते हैं बजट के बाद कि आप सब चाहते थे कि मैं सी.एम. बनूं और इसलिए मैंने शपथ ली। माननीय, बजट का विषय है, इस राजनीतिक छाया में इस बात का औचित्य क्या है, मैं समझ नहीं पाया।

माननीय सभापति महोदय, इस संघीय लोकतंत्र में केन्द्र की एक बड़ी भूमिका है और प्रत्येक राज्य को एक बड़ा पैसा जो चाहे जीएसटी के जरिये आये, चाहे सैण्ट्रल टैक्सेज के जरिये आये, एक बड़ा पैसा केन्द्र की सरकार देती है। दो दर्जन से भी ज्यादा ऐसी योजनाएं हैं जो केन्द्र सरकार की छाया में राजस्थान में राजस्थान की सरकार चलाती है। तीन तरीके से अर्जित किया हुआ जो राजस्व है, जीएसटी, केन्द्रीय कर और राज्य के वाणिज्यिक और आबकारी कर, उसमें जीएसटी और सैण्ट्रल टैक्स तो 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करते हैं लेकिन स्टेट का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति 80-90 परसेंट ही होती है। सरकार ने घोषणाएं खूब कीं और राजकोषीय घाटा 32 हजार 800 करोड़, कर्जा माफी के साढ़े 13 हजार करोड़, ठेकेदारों के 40 हजार करोड़, यानी सरकार घोषणाएं करेगी तो 86 हजार करोड़ के नये कर्जे लेने पड़ेंगे और यह राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा कर्जा होगा। यह सारा तनख्वाह, पेंशन, अन्य मद, सब्सिडी, पूंजीगत खर्चे अगर निकाल दूं तो राजस्थान में विकास के लिए मात्र 35 हजार करोड़ रुपया बचता है।

महोदय, दावे खूब हुए लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पर्यटन के क्षेत्र में 141 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस बार मात्र 130 करोड़ रुपये है, लगभग 5 करोड़ देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं जिनसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बनता है लेकिन उस पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए राजस्थान की सरकार की, इस बजट की मंशा मुझे कमजोर लगती है। मैं हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर शहर को जो दुनिया के, देश के जो 17 आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर चयन किये, जिसमें ताजमहल भी शामिल है, फतेहपुर सीकरी भी शामिल है, हिन्दुस्तान की सरकार ने उस आमेर को आइकानिक टूरिज्म सेंटर के रूप में शामिल करके अपनी प्रतिबद्धता राजस्थान के पर्यटन के प्रति दिखाई है। उद्योगों की बात

(श्री सतीश पूनियां)

यहां होती है, रोजगार के जनरेशन की बात हुई लेकिन उद्योग मंत्रालय को मात्र 108 करोड़ रुपये मिला है जिसमें 96 करोड़ रुपया तो केन्द्र की सहायता है। परिवहन विभाग को 486 करोड़ रुपये है जिसमें 200 करोड़ रुपये तो सिर्फ बसों की रियायत में चला जाएगा। माननीय, कृषि की अर्थव्यवस्था की बात हमने की लेकिन इसमें दूसरे राज्यों ने 6.4 प्रतिशत यदि बजट का आबंटन किया तो राजस्थान की सरकार का 4.30 प्रतिशत हिस्सा इस बजट का था। यहां पर कानून व्यवस्था की, अराजकता की, पुलिस के आधुनीकरण की काफी बहस हुई लेकिन 2.7 प्रतिशत बजट का प्रावधान पुलिस के लिए है जबकि दूसरे प्रदेशों में 3.9 प्रतिशत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत विस्तार से इसलिए नहीं कहूंगा कि इस सदन की शुरुआत की बहस का मुद्दा है किसान की कर्जा माफी। बहुत बातें हुई हैं, जनता भी जानती है और इसलिए जनता की अदालत ने उस आधार पर, बेशक लोक सभा के चुनाव में मोदी जी बड़े कारक रहे होंगे लेकिन राजस्थान की जनता आक्रोश में थी, निराशा में थी। उसी का कारण था कि यह जो दल सत्ता में बैठा है, जिसको यह मद था कि जनादेश से, जनमत से और बहुमत से सरकारें चलती हैं उसी का नतीजा था, उस किसान और बेरोजगार का आक्रोश था कि 25 की 25 लोक सभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में आईं और 184 विधान सभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और सत्ता में बैठे हुए मित्रों को मात्र 15 सीटों पर बढ़त मिली।

मैं समझता हूं कि यह प्रश्न जब तक हल नहीं होगा, समाधान नहीं होगा। 59 लाख किसान, 99 हजार करोड़ का कर्जा, इसका जब तक सैटलमेंट नहीं होगा, इस सदन के सामने जनता की अदालत में यह यक्ष प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा।

महोदय, रोजगार और युवा मामले में मुख्य मंत्री जी की मंशा ठीक रही है। उन्होंने हमेशा इस बात का वादा किया है, 31 जनवरी, 2019 को इंडिया स्टोन मार्ट थी जयपुर में, मुख्य मंत्री जी ने कहा आजीविका और रोजगार आज की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

आर्थिक समीक्षा सरकार की कहती है 2018 में 1 लाख 81 हजार 249 बेरोजगारों का पंजीयन किया। एक अंग्रेजी अख़बार लगभग जो आंकड़े

(श्री सतीश पूनियां)

प्रकाशित करता है, इस समय राजस्थान में जो पंजीकृत बेरोजगार हैं, 6 लाख 3 हजार 653 हैं। सरकार कहती है कि 75 हजार सरकारी नौकरियां देंगे, कोई रोडमैप नहीं, समय सीमा नहीं है। उसके बाद गजब कर दिया, 32 नम्बर पेज पर पैरा 133, जिसमें कहा मुख्य मंत्री युवा रोजगार योजना होगी। 1 लाख रुपये का ऋण एक लाख युवाओं को राजस्थान की सरकार देगी। जिसमें इस वर्ष 25 हजार लोगों का इस ऋण में प्रावधान किया है। मुझे लगता है कि 1 लाख में कैसा उद्योग लगेगा, कैसी उसके रोजगार को संतुष्टि मिलेगी। मुझे नहीं लगता है, राजस्थान का नौजवान संतुष्ट हो पाएगा।

इसी में खेल और खेल के बजट की घोषणाएं कीं, लेकिन युवा और खेल संस्थाओं के लिए सरकार ने जो पैसा दिया है, वह पिछले 2018-19 में लगभग 135 करोड़ था और 2019-20 में 122 करोड़ रुपये के लगभग अनुमानित बजट एलोकेट किया है। माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी आबादी नौजवानों की गांवों में रहती है। पुलिस और सेना के लिए प्रशिक्षण की तैयारी वे लोग करते हैं। सरकार ने कई बार यह दृढ़ता से कहा है कि हम खेलों को विकसित करेंगे, खेल नीति बनाएंगे। लेकिन, इस बजट में उन नौजवानों के लिए जो अपने गांव में 400 मीटर की दौड़ और ओपन जिम की, उस तरह की फैसिलिटी की उम्मीद लिए बैठे थे। अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में पढ़ा कि जो मैडेलिस्ट थे, उनके लिए सरकार ने जो नीति की घोषणा की थी कि इनको हम आवास के लिए स्थान देंगे, मकान देंगे, अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अपनी घोषणा को अंजाम देगी।

माननीय सभापति महोदय, संविदाकर्मी राजस्थान में एक बड़ी तादाद में हैं। उनका आंदोलन चला, कांग्रेस के मित्र गये, लम्बी-लम्बी बातें कीं, बड़े भाषण दिये, लेकिन वे संविदाकर्मी इंतजार कर रहे थे राजस्थान की सरकार यह घोषणा करेगी कि उनको नियमित कर देंगे। आपके जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 15 में बिन्दु नम्बर 3 में लिखा है सरकार में संविदाकर्मियों एनआरएचएम, एनयूएचएम, पैराटीचर, उर्दू पैराटीचर, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अनेक विभागों के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): संविदाकर्मियों को सरकार का आश्वासन था, आपकी सरकार के जन घोषणा पत्र में, मुझे लगता है कि एक बड़ा मजाक और, इस बजट में यह कहा है कि पेज नम्बर 44 बिन्दु नम्बर 187 कि श्रीमान बी.डी. कल्ला जी एक समिति की अध्यक्षता करेंगे और इसके बारे में कुछ सुझाव देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि राजस्थान का यह बजट, जिसमें ऐसे कुछ ठोस संशोधनों की आवश्यकता है। पर्यटन को ताकत मिले, खेती को ताकत मिले और राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को एक बड़ा आधार मिले। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बार-बार यह बात आती है कि सदन की तरफ से...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सत्ता पार्टी की तरफ से ये बात आती है कि हम लोगों ने जनमत हासिल किया, हमने जनादेश हासिल किया और इस वजह से हम सत्ता में हैं। मुझे लगता है कि लोक सभा के चुनाव ने तो निश्चित रूप से यह बता ही दिया होगा पर मुझे यह कहते हुए...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): कोई हर्ज नहीं है कि यह बजट बिलकुल नीरस है, दिशाहीन है, आंकड़ों की जादूगरी है। इससे सरकार का भला होने वाला नहीं है न प्रदेश का भला होने वाला, ऐसा लगता है मिर्जा गालिब साहब ने ठीक ही कहा था-

उम्र भर यही गलती करते रहे
धूल चेहरे पर थी और
आईना साफ करते रहे

मैं जहां से आता हूं माननीय सभापति महोदय, आमेर एक पुरातन कस्बा है, पुराना विधान सभा क्षेत्र है जयपुर का...

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): जहां पर एक तहसील की, राजकीय महाविद्यालय की, रैफरल जिला अस्पताल की, सड़कों की मरम्मत की, बीसलपुर से पेयजल को जोड़ने की...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा। माननीय प्रजापत।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, जब माननीय लोकप्रिय मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी वरिष्ठता का बिलकुल ध्यान नहीं है आपको।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सामने वालों में और विशेषकर राठौड़ साहब का जो मैं चेहरा देख रहा था, उनका नूर फीका पड़ रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शानदार बजट पेश किया है, कल जब जवाब देंगे तो उनके पास में बोलने के लिए शायद कुछ नहीं है बजट के बारे में।

माननीय सभापति महोदय, शानदार बजट पेश करके यह साबित कर दिया कि राजस्थान के गरीबों के लिए भगवान हैं। एक अवतार के रूप में माननीय अशोक गहलोत जी को भेजा है। माननीय सभापति महोदय, केन्द्र में जो थोड़े दिन पहले बजट पेश किया गया उसमें दो बातें मुझे सुनने को नहीं मिली। एक अटैची की जगह लाल कपड़े में बजट लेकर आए। ये लाल कपड़ा अपनी संस्कृति, हिन्दुओं का प्रतीक और युवाओं में इस बात की चर्चा शुरू हो गयीं। दूसरा यह बजट शब्द है, जो अंग्रेजी का है। जब बजट की जगह उन्होंने बही खाते का जो नाम दिया, इनसे ही खुश कर दिया। ये कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया, हर वर्ग के लिए चाहे युवा, बुजुर्ग, महिला, अमीर, गरीब कोई भी इस बजट से वंचित नहीं रहा है। ये माननीय मुख्य मंत्री जी ने ध्यान दिया है।

माननीय सभापति महोदय, आज जो ये सब कह रहे हैं शायद ऐसा महसूस कर रहे हैं कि दो-चार साल में हिन्दुस्तान में जो सब कुछ हुआ है, वह मोदी जी के आने के बाद में हुआ है। ये ऐसा बताते हैं कि 1995 के करीब 3 हजार मेगावाट राजस्थान में लगभग बिजली का उत्पादन हो रहा था और आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि 21 हजार 71.66 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। आज आत्मनिर्भर हैं तो धीरे-धीरे प्रगति राजस्थान ने की है। आज सड़कों की लम्बाई में ले लें तो करीब 1980-82 के दौर में 41 हजार 194 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में थीं और आज हमें कहते हुए बड़ी खुशी है कि 2 लाख 36 हजार 575 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में बन गयीं तो ये राजस्थान ने जो प्रोग्रेस की है, कोई दो-चार सालों में नहीं हुआ।

मैं यह नहीं कहता हूं सिर्फ कांग्रेस ने ही राजस्थान का विकास किया

(श्री मदन प्रजापत)

है, चाहे भैरोसिंह जी का राज रहा होगा, सबने मेहनत की है। राजस्थान की जनता जन प्रतिनिधि को भेजती है, ऐसा कोई जन प्रतिनिधि नहीं, जो कहे कि मैं विकास नहीं करूं। ऐसा कोई जन प्रतिनिधि 200 में नहीं है कि मेरा राजस्थान आगे नहीं बढ़े, सबके मन में चिंता है और आज समय हम सबको मिलकर राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान का विकास हो, इस कड़ी में हमें कारगर कदम उठाने पड़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जब 1983 में 2 लाख 17 हजार 397 टू-व्हीलर थे। आज गर्व महसूस होता है, 1 करोड़ 37 लाख 31 हजार 554 टू-व्हीलर सड़कों पर घूम रहे हैं तो क्या ये तीन-चार सालों में टू-व्हीलर राजस्थान में गये। ये गहराई से मंथन करने योग्य बात है। कार कहीं-कहीं देखने को मिलती थी, बड़े-बड़े राजे-रजवाड़े, उद्योगपति घरानों में कार और फोर-व्हीलर गाड़ी थी और आज हमें खुशी है कि आज कारों की संख्या 28 हजार 53 से बढ़कर 12 लाख 5 हजार के ऊपर है। आज इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है कि राजस्थान जो आगे बढ़ा है, उसमें जो योगदान रहा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। माननीय सभापति महोदय, आज दूसरे राज्यों की तुलना करें तो चिंता होती है कि उन राज्यों की तुलना में आज राजस्थान आगे नहीं है। इस बात का उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं कि आज एक लाख लोगों पर हिमाचल प्रदेश में 22 बैंक हैं और राजस्थान में सिर्फ दस बैंक हैं। केरल में 18 बैंक हैं और उत्तर प्रदेश में राजस्थान से भी कम आठ हैं। आज इनकी जमाबंदी को देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 1 लाख 28 हजार 625 जमा पूंजी बैंक में है और राजस्थान में मात्र 48 हजार 823 बैंक में जमा पूंजी है। साक्षरता दर की बात करें तो जब 1951 में 7-8 परसेंट साक्षरता दर थी और महिलाओं का कहते हुए बड़ा दु:ख होता है मात्र 2.66 प्रतिशत और आज इस बात की खुशी है कि राजस्थान 66.11 प्रतिशत और महिलाओं की भी बढ़कर 52.12 प्रतिशत साक्षरता दर है। आज दूसरे राज्यों की तुलना में अपन आगे नहीं हैं लेकिन राजस्थान ने प्रगति की है और अपन सबका दायित्व बनता है मिल-जुलकर राजस्थान को आगे बढ़ाएं।

माननीय सभापति महोदय, पहले एक कहावत थी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी और बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है आज उलटा हो गया है। खेती करना कोई नहीं चाहता। खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है और आज मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करते

(श्री मदन प्रजापत)

हुए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो किसान कल्याण कोष के लिए एक हजार करोड़ रुपये का बजट रखा है यह किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं इस बारे में बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार केन्द्र का डर बता रहे थे मेरे सामने वाले भाई। केन्द्र में हमारी सरकार है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि राज्य का जो हक है वह हमारा हक कानून में है कोई खैरात में नहीं दे रहे हैं। आपको राजस्थान के प्रति गंभीरता नहीं है या तो मना कर दो कि राजस्थान को देना बंद कर दे और अगर राजस्थान का हित आप सोचते हैं, जनता का दर्द है तो अपन सभी मिल-जुलकर चलें मोदी जी के पास में कि राजस्थान को अलग से विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि राजस्थान प्रगति करे। या तो आप मना कर दें और या साथ चलकर राजस्थान के विकास के लिये दो कदम आगे बढ़ाएं। बार-बार इस बात का डर कि केन्द्र में हमारी सरकार है। हमारा हक है यह कोई खैरात नहीं है। राजस्थान के जल क्षेत्र में आजीविका सुधार परियोजना, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपमें जज्बा, हौंसला और हिम्मत है कि पाकिस्तान का पानी रोककर राजस्थान में उपयोग में लिया जाएगा। मेरे सामने वाले साथी बार-बार कह रहे हैं कि मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया इसलिए राजस्थान में पानी आ रहा है। रोकने के लिए बात जरूर हुई है, रोका कहां है? ये असत्य आंकड़े मेहरबानी करके, इनको मैं यह भी कह सकता हूं कि बीजेपी का अगर दूसरा नाम अगर कोई दे असत्य की फैक्टरी कहें तो भी ठीक होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज पानी के लिए आठ हजार करोड़ रुपये देकर मेरे क्षेत्र में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, जोधपुर, उम्मेदसागर, कल्याणपुर, समदड़ी, पाटौदी क्षेत्र के लिए जो बजट दिया है उसके लिए माननीय कल्ला साहब मंत्री जी विराजमान हैं, मैं माननीय मंत्री जी और लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, तीन साल की उद्योगों में छूट के साथ में मुझे गर्व है कि बाड़मेर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने रिफाइनरी के बाद में जो यह सौगात और तोहफा दिया है इससे ज्यादा खुशी बाड़मेर के लोगों के लिए हो नहीं सकती। मैं समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का, पूरी सरकार का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ और आप यह कह रहे हो।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्व बीजेपी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बजरी माफिया को पनपाने में और ईमानदार लोगों को चोरी सिखाने का श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने दवाइयां और बढ़ाईं, मैं याद दिलाता हूं 2013 की जब इन्होंने महारानी जी पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, खैरात बांट रहे हैं और यह राजस्थान में जो दवाई दी जा रही है वह जहर है। यह सच है या असत्य है, यह आकलन जनता कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, कम्प्यूटर क्रांति के जनक युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न राजीव गांधी जी के नाम से योजना शुरू की है। माननीय मुख्य मंत्री जी का शुरू से रहा है पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और मैं यह भी कह सकता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा राजस्थान के आम गरीब के प्रति है। आज मैं कह सकता हूं कि यह कन्यादान योजना शुरू करके नानी बाई का मायरा और पाण्डवों के समय धर्मा का मायरा डाली बाई और रामदेव जी, एक गरीब बहन इंतजार करती है कि मेरा भाई मेरे आएगा और मुझे कन्यादान में कुछ देकर जाएगा। यह सौगात जो आपने दी है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी बातें जो सामने वाले कर रहे थे, मुझे हंसी आती है। भाजपा राज में गरीबों की पैरवी करने के कारण मुझे 36 कौम के कार्यकर्ताओं के साथ में एक महीने तक जेल में रखा। मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या कसूर था मेरा? क्या किसी गरीब की पैरवी करना गुनाह है? उसके बावजूद भी आपने चार साल रिफाइनरी को रोका। हमको सौ किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी। आज मुझे गर्व है बिना गलती अगर जेल जाना पड़ा, मुझे गरीब की पैरवी के लिए अगर जेल जाना पड़े तो यह मेरे लिये गर्व की बात है, लेकिन यह न्याय की और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे तब मेरे मन में याद आई कि ये कौनसे न्याय की बात करते हैं बिना कसूर के और ये

(श्री मदन प्रजापत)

अधिकारी कह रहे थे, मुझे पानी की बोतल तक अंदर नहीं दी गयी कि ऊपर से दबाव है। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि ऊपर कौन है तो बोले कि नाम नहीं बता सकते हमारी मजबूरी है। क्या गरीब व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता? क्या गरीब की पैरवी करना गुनाह है?

माननीय सभापति महोदय, इनके मुंह से ये न्याय की बातें शोभा नहीं देतीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पुष्कर, नाथद्वारा, वेणेश्वर धाम के कार्यों से यह साबित कर दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी वाकई में ही सच्चे कोई राम भक्त हैं तो अशोक गहलोत जी हैं। स्कूलें बंद किसने कीं? बीजेपी ने। गरीब का सपना था मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। आरटीई के तहत पच्चीस प्रतिशत गरीबों के लिए एडमिशन की शुरुआत किसी ने की है तो वह कांग्रेस ने की। महाराणा प्रताप महाविद्यालय बंद किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। महाराणा प्रताप के नाम की वाहवाही कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, खूब मौके मिलेंगे बोलने को। माननीय सदस्य, और मौके मिलेंगे।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, दो करोड़ लोगों को वादा करके धोखा किसने दिया? मोदी जी ने और पहले ही बजट में 75 हजार नौकरी का तोहफा किसने दिया? लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने। माननीय सभापति महोदय, 6 हजार ई-मित्र और हजारों युवाओं के लिए बूथ खोलकर यह साबित कर दिया, मैं यह मानता हूं कि पकौड़े तलने से दूध के बूथ और और ई-मित्र शानदार साबित होंगे। पाकिस्तान के दो टुकड़े किसने किये?

श्री सभापति: विराजिये। माननीय श्री विट्ठल शकर अवस्थी। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। मुझे पता है कागज, लेकिन समय की सीमा है अपनी। एक मिनट में समाप्त करिये अब आप।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): हां, एक मिनट में। माननीय सभापति

(श्री मदन प्रजापत)

महोदय, मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने कौन गये? भारतीय जनता पार्टी। बिना बुलाये जाना और चुनाव में वोटों की वाहवाही कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी। सभापति महोदय, गोशालाओं में अनुदान देकर, नंदीशाला खोलकर अशोक गहलोत जी ने साबित कर दिया चाहे गोपालन का अलग मंत्रालय हो, यह सारी अगर कोई हिम्मत कर सकता है तो माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी कर सकते हैं। बीजेपी में हैं तो हिन्दू। कांग्रेस का मतलब हिन्दू विरोधी और रातोंरात वही आदमी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वह पक्का हिन्दू। क्या गंगाजल से धोकर या कोई फिल्टर मशीन लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने? माननीय सभापति महोदय, जो खुद की औरत के साथ में धोखा कर सकता है उनको तीन तलाक की चिन्ता है। माननीय सभापति महोदय, गांधी जी का शुरू से विरोध किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। संघ पर प्रतिबंध किसने लगाया? सरदार पटेल साहब ने। बाबा साहेब का विरोध किसने किया? बीजेपी ने। हमें डर लग रहा है आने वाले समय में ये यह भी कह देंगे कि इंदिरा गांधी जी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता थीं। इस बात का हमें दु:ख और दर्द है और मैं अंत में माननीय सभापति महोदय, यह कहना चहता हूं कि यह शानदार बजट गरीब के हित में बजट है, किसान के हित में बजट है, इसका मैं दिल से समर्थन करता हूं। पूर्ण समर्थन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। जय गौमाता। जय भारत।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, अभी परसों 10 तारीख को इस सदन के मुखिया ने अपनी सरकार का पहला इस प्रदेश का बजट रखा और उसमें दूसरे नंबर पर लिखा बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का ऐसा आईना है जिसमें जनता अपनी उम्मीदों और सपनों का प्रतिबिंब देखती है। सब लोग यह सोचते थे कि जब बजट रखेंगे तो जिस तरह का जन घोषणा पत्र इनकी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जनता के सामने रखा था, उसका बहुत सारा हिस्से का इसमें समावेश होगा। लेकिन बजट के बाद जब बजट पर बहस शुरू हुई तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सरकार का इस बजट के प्रति कांग्रेस पार्टी का रवैया कैसा है इसी से यह साबित हो गया कि इस बजट की बहस की शुरुआत सरकार की तरफ से हुई वह एक निर्दलीय विधायक ने की। उन्होंने भी बजट पर न बोलकर, किस तरह

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

से मैं मुख्य मंत्री को खुश कर सकूं, इस तरह के बजट भाषण की शुरूआत हुई है, इससे यह साबित होता है कि यह बजट कांग्रेस में भी लोकप्रिय नहीं है। कांग्रेस में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो इस बजट भाषण के वाद विवाद की शुरुआत कर सके।

श्री सभापति: बजाय भूमिका के आप सीधे-सीधे आ जाओ वर्ना मैं समय नहीं दूंगा। फिर आप कहेंगे कि दो मिनट, मिनट, अभी आप सीधा बजट पर बोलिए, फिर मैं समय नहीं दूंगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, ऐसा तो अन्याय कैसे होगा। मैं बजट पर ही बात कर रहा हूं।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, यह बजट पर बोल रहे थे क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। आपका बोलना जरूरी है?

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ऐसा मत करो, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आप आसन पर विराजें हैं, आप महान हैं। सभापति महोदय, हमसे न्याय करो, हमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। अभी माननीय सदस्य कुछ भी बोले, हमारे सदस्य ने अभी शुरुआत ही नहीं की, इससे पहले ही आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी चाणक्य नीति का मैं भी कायल हूं। मुझे आप साफ-साफ कहते हैं कि 10 मिनट में जबर्दस्ती ही बैठा देना और उसके बाद माननीय सदस्य के सामने कहते हैं कि बोलने दो। यह तो आपके और मेरे बीच की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): डेढ़ मिनट हुआ था इनको।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): डेढ़ मिनट ही नहीं हुआ, कुल दो-पांच सैकिण्ड हुए हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलो आप।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): इस बजट में जिस तरह से आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार ने उदय योजना को बिना सोचे समझे लागू किया। सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

करना चाहता हूं कि उदय योजना किस कारण से लागू हुई और क्यों करनी पड़ी, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि जो हमारे तीनों विद्युत प्रसारण निगम थे, वह कंपनियां आज दिवालियापन के कगार पर आ चुकी थीं, बैंकों ने उनको फाइनेंस करने से इन्कार कर दिया था और सारी कंपनियां बंद होकर राजस्थान की विद्युत व्यवस्था बिलकुल समाप्त होने के कगार पर थी तब जाकर सरकार मजबूर होकर यह उदय योजना लेकर आई। यह सारे कुकर्म आपकी पिछली सरकार के थे जिन्होंने 75-80 हजार करोड़ का कर्जा इन कंपनियों पर थोपा था। असत्य बोलने की कोई लिमिट होती है। आपने जिस तरीके से इस बजट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरू की गयी योजनाओं को...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इधर देखिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शुरू की गयी योजनाओं का नाम परिवर्तन करके, स्वरूप परिवर्तन करके इस बजट में लिखा है, लगता है कि इस राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का यह बजट है।

आज हमारे किसान जिस तरह से परेशान हैं, कर्ज के कारण से आत्महत्या करते हैं लेकिन जिस तरह से इस विधान सभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने इन किसानों को ठगा है, ऐसी ठगाई राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। कई प्रश्नों के माध्यम से आज मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि जब हमने कह दिया तो खाते में तो मान लो, जमा हो गया। यह किसानों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, उनको नया ऋण नहीं मिल रहा है। वह खाद, बीज की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और उनके लिये आप यह कहते हो कि हमने ऋण माफ कर दिया। 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 जैसे पहली क्लास में गिनती सिखाते हैं उस तरह से राजस्थान की जनता को आपने गिनती सिखाकर यह कहा था कि हम 10 दिन में ऋण माफ कर देंगे। आपने तो 48 घंटे की घोषणा कर दी और आज 200 दिन के लगभग इस सरकार को आये हुए हो गये, न तो आपने खाते में ऋण माफ किया है, न नये ऋण की व्यवस्था की है। आप कहते हैं हम मोदी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि बैंकों से हमारे किसानों ने जो लोन लिया है, उसकी माफी की व्यवस्था करो। क्या जब आपने घोषणा की थी तो मोदी जी से चर्चा करके यह घोषणा की थी कि

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

हम किसानों का ऋण माफ करने जा रहे हैं? किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हो? अपनी घोषणाओं को अगर आप मोदी जी पर थोपोगे तो राजस्थान की जनता खुली आंखों से देखती है और यह जो लोक सभा में आपको रिजल्ट मिले हैं, इसका बहुत बड़ा परिणाम है एक तो आपकी कृषक ऋण माफी योजना और दूसरा बेरोजगारों को जो 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की आपने घोषणा की थी। सरकार को कुल 1825 दिनों का कार्यकाल मिलता है, सातवें महीना निकल रहा है, सातवें महीने में बेरोजगार लोगों को एक पैसा आपने आज तक नहीं दिया और आपने कहा हमारी सरकार आते ही हम पैसा देंगे।

आंगनबाड़ी योजनाओं में केन्द्र सरकार ने 20 सितम्बर, 2018 को आदेश निकाल कर राजस्थान सरकार को पैसा दे दिया था। आपने आज इस बजट में कहा कि हम मानदेय बढ़ा रहे हैं, यह सरासर असत्य है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह तो उनका एरियर खाना चाहते हैं। भारत सरकार ने जो आंगनबाड़ी का पैसा दिया है, उसमें जब 1 अक्टूबर से लागू करने की योजना थी, उसकी आप जुलाई में जाकर घोषणा कर रहे हो। पैसा सारा केन्द्र सरकार का और वाहवाही आप लूटना चाहते हो। उसमें भी आप उन सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एरियर खाना चाहते हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह का धोखा किसी के साथ मत करो। दगा किसी का सगा नहीं, करके देख लो और लोक सभा चुनाव इसी का परिणाम है।

आज हमारे प्रदेश में रेत की बहुत बड़ी समस्या है। रेत माफिया पनप चुका है। हमारे भीलवाड़ा जिले में तो कई थाने ऐसे हैं जो महीने के 50-50 लाख की मंथली के थाने माने जाते हैं, केवल रेत की मंथली 50 लाख है। ऐसे थानों को आप व्यवस्थित करके इस रेत माफिया से मुक्ति दिलाइए तब जाकर हमको लगेगा कि वास्तव में आप इस रेत की समस्या के लिये गम्भीर हैं। मेरे भीलवाड़ा जिले से रेत के ट्रक और ट्रोले भर-भरकर एमपी और मुम्बई तक जाते हैं। कट्टों में रेत जा रही है। आप राजस्थान में अगर खनिज फेल्सपार और सोडियम का निर्गमन रोकते हैं तो इस रेत का निर्गमन भी राजस्थान से बाहर रोकना चाहिये जिससे हमारे राजस्थान की नदियां बच सकें। सभापति महोदय, राजस्थान की नदियों में जो रेत बचा है, यह बहुत कम समय का रेत है। जिस तरह से रेत का दोहन हो रहा है, लाखों साल की इस प्रकृति की प्रदत्त यह रेत है। यह रेत कोई सरकारों ने नदियों में नहीं डाली है। हमारे जो

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

प्राकृतिक संसाधन हैं, जितनी नदियां हैं, लाखों साल से यह रेत इकट्ठा हुई है और जिस तरह से हम इसका दोहन कर रहे हैं, यह हमारे किसानों के साथ और हमारी प्रकृति के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। इस रेत को सरकारी अधिकारियों के मकड़जाल से बाहर निकालना होगा। जिस तरह से हमारे वन कटे, उस वक्त हमारे अधिकारियों और नेताओं ने आंखें मूंदे रखीं। आज अरबों रुपये हम पौधारोपण पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से सरकारी अधिकारी आने वाले 5-10 सालों में ऐसी योजना बनाएंगे कि नदियों में रेत खतम हो गयी, अब हमारी भूमि में पानी जाना बंद हो गया, पानी का ठहराव बंद हो गया, अब वापस नदी में रेत भरनी पड़ेगी।

ऐसी-ऐसी योजनाएं बनायी जाएंगी कि जैसलमेर, बाड़मेर से रेत लेकर आओ और नदियों में डालो। समय रहते अगर हम चेतते हैं, तो वास्तव में हम राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। सभापति महोदय, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस बजट में आपने नंदीशालाओं की घोषणा की है। जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की घोषणा हमारी सरकार ने की थी और हमारी सरकार ने जिला स्तर पर नंदीशालाएं खोल दीं, उसके बाद आपने यह कोई नया काम नहीं किया है। ये नंदीशाला आप पंचायत समिति स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी की 70 सालों की जो तपस्या है, गाय को हमने इस तरह से प्रचारित किया आप परेशान हो गये कि हम कैसे इस गाय के नाम से निकलें तब जाकर आज आप भी गाय को पकड़ना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, आप निश्चित रूप से पकड़िये। गौमाता हम सबकी माता है। भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च स्थान गौमाता का है। आपने किसी भी मजबूरी में गौमाता और नंदियों को पकड़ा है। पकड़ा तो सही, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। (व्यवधान) हमने नहीं छोड़ा। हमने आपको पकड़ाया। आप भी मानो, थोड़े दिनों में राम मंदिर भी आप बोलोगे, यह हमारी गारंटी है। आप थोड़े दिनों में बोलने वाले हो कि राम मंदिर बनना चाहिए।

आपने जिस तरह से गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ रखा, इसमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मन में स्वीकार होना चाहिए कि पिछली सरकार की अच्छी योजनाएं हैं। आपने केवल आलोचना की है। पिछली सरकार का जितनी बार इसमें नाम आया है। आलोचना के अलावा, एक भी योजना की आपने बड़ाई नहीं की। जबकि उन योजनाओं के नाम आपने बदले। आपने कहा

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

कि आपकी मुफ्त दवा योजना थी, वह बंद कर दी। मैं पूरे सदन के सामने चेलेंज से कहता हूं कि एक भी दवा योजना, एक भी अस्पताल में कहीं बंद हुई हो तो आप साबित करिये, अन्यथा इस तरह के असत्य आरोप लगाना आप बंद करिये। लेकिन आप इस तरह के आरोप मत लगाइए कि आपने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया। अब हम नयी योजनाएं चालू कर रहे हैं।

हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री बैठे हैं। कल भी बात की थी कि वसूली होती है। मेरे भीलवाड़ा शहर में वसूली की जा रही थी और वसूली कर्मचारी को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर मौत हो गयी। सारे अधिकारी/कर्मचारी थे, सब भाग गये। कोई जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने कल वादा तो बहुत जोरदार किया है, लेकिन जिस तरीके से वसूली हो रही है, जहां देखो वहां। जब हम जयपुर आते हैं तो एक हाथ में लकड़ी है और साइड में जीप खड़ी है। जब ट्रक वाला वह लकड़ी देखता है तो अपने आप रुक जाता है कि काका जी ने रोक लिया है। कृपा करके आप इस परम्परा को बंद करवाइये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): एक मिनट मैं आपका जवाब दे दूं। इन्होंने वसूली के लिए कहा है। मैंने कल भी सदन को कहा था। ये जो साइड में खड़े रहते हैं। पहले तो लोगों की शिकायत थी कि साइड में खड़े होकर चैकिंग नहीं होती है। ओवरलोडिंग ही ओवरलोडिंग चलते हैं। चैकिंग चालू हो गयी है तो बोल रहे हैं कि वसूली चालू हो गयी है। आप ऐसे अधिकारियों का नाम दो, कोई प्रूफ दो। कल माननीय सदस्य ने कहा कि वसूली का मेरे पास वीडियो है। मैंने कल इनसे मांगा। मैं कार्यवाही करूंगा। आप बताओगे, आओगे, पक्की कार्यवाही करेंगे। ऐसे थोड़े ही है न कि कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। बिल्कुल अलाउ नहीं किया है। आप विराजिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, इस बजट में यह घोषणा की गयी है कि जनता की मांग पर भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

हाई लेवल ब्रिज का कार्य 40 करोड़ की लागत से प्रारम्भ करवाया जाएगा। साथ ही, शहर की 200 फीट रिंग रोड को मिलाने के जौधड़ास चौराहे पर रुपये 50 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह घोषणाएं यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा पिछले डेढ़ वर्ष से स्वीकृत योजनाएं हैं और कोठारी नदी पर पुलिया का काम आलरेडी चालू हो चुका है। इस तरह से भ्रमित करने से क्या होगा? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा करें और इस तरह के भ्रम फैलाने वाली घोषणाओं से तो कम से कम हमको बचाएं।

आज वास्तव में जरूरत है। भीलवाड़ा शहर में अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है तो रेलवे फाटक हमारा बंद रहता है। 24 घंटों में 13-14 घंटे बंद रहता है और शहर को दो पार्ट से जोड़ता है। इतना ट्रैफिक रहता है, इतना आवागमन रहता है, लेकिन वहां आज तक आरओबी नहीं बना। जहां जरूरत है, वहां की आप घोषणा नहीं कर रहे हो। जोधड़ास चौराहे पर 200 फीट रिंग रोड को जोड़ने के लिए आप आरओबी का निर्माण करते हो। जहां जनता की आवश्यकता है, वहां के लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जब मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो इसको रिवाइज करके रेलवे फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की कृपा करें, जिससे भीलवाड़ा की जनता को राहत मिले। मेरा एक निवेदन है कि पुर कस्बा है, नगर परिषद एरिया है। उसमें 40 साल पुरानी पीएचसी है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी अभी विराजमान नहीं हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं, साथ बैठे रहते हैं, मेरी तरफ से उनको आप निवेदन कर दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): जब वह पीएचसी खुली थी तो पांच हजार की आबादी है। उस पीएचसी में आज 40 साल के बाद 40 हजार की आबादी है। शहर से 13 किलोमीटर दूर वह पुर कस्बा पड़ता है। उस कस्बे में 40 हजार की आबादी के लिये आज तक सीएचसी की कोई व्यवस्था नहीं है। कृपा करके, मेहरबानी करके पुर में सीएचसी खोलने की व्यवस्था करें। यह बजट जनता को भ्रमित करने वाला और बिल्कुल नीरस बजट है। इससे जनता को कोई आशा नहीं है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्रीमती मंजु देवी।

श्रीमती मंजु देवी (जायल): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। 15वीं विधान सभा के प्रथम बजट पर गरीबों के मसीहा सम्माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को मैं राजस्थान की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। कृषि, सड़क, बिजली, पानी, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, महिला, युवा, पत्रकार, शहीद और सैनिक सब लोगों को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आम अवाम और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट बनाया है, उसके लिये मैं तहेदिल से बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी, विपक्ष में बैठे हुए, मैंने कल भी सुना और आज भी सुबह से चर्चा चल रही है और कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आपको कहना पड़ेगा कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। पर आपकी अंतरात्मा जरूर इस बात को मानेगी कि यह बजट पहला बजट है और यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग किसान है और किसान के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा की है वह वास्तव में तारीफ के काबिल है। किसान की मांग के अनुरूप खाद और उन्नत कृषि के तरीके समझाने के लिए कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम आयोजन किया। इससे निश्चित तौर पर किसानों को फायदा मिलेगा। केन्द्रीय सरकारी बैंकों से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने की है तो हम यह कह सकते हैं कि यह बजट किसान कल्याणकारी बजट है। आप सभी लोग जानते हैं। गायों की व्यवस्था बहुत खराब है।

सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। गायों की स्थिति खराब है। एक्सीडेंट होते हैं। ऐसी स्थिति में गौ-वंश संरक्षण के लिए विशेष बंदोबस्त को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति स्तर पर नंदी-गौशालाएं खोलने का प्रावधान रखा गया, इसके लिए मैं उनको तहेदिल से बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहूंगी।

प्रदेश में सड़कों के तंत्र को मजबूत करने के लिए आपने 500 की आबादी तक गांव को जोड़ने का जो प्रावधान किया है, इससे निश्चित तौर पर छोटे गांवों को लाभ मिलेगा। आपने पेयजल और ऊर्जा के लिए भी बहुत ही सराहनीय घोषणाएं की हैं। काम किये हैं। दो दिन पानी व बिजली पर चर्चा

(श्रीमती मंजु देवी)

चली। विपक्ष वाले भी अपनी बात कह रहे थे। मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों को जनता ने मौका दिया और मैं उस जिले से आती हूं जहां पर नाथूराम जी मिर्धा और रामनिवास जी मिर्धा, नागौर ने दिए हैं। नागौर को पानी से हमेशा वंचित रखा गया और वाघापट्टी के नाम से नागौर जिला फेमस था। मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और हमारे मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत को तहेदिल से बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद देना चाहूंगी कि वह नागौर जिले के लिए भागीरथ बनकर आए और वहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी लेकर आए जिसकी वजह से नागौर की जनता आपको धन्यवाद देना चाहेगी।

मैं आपको वह दिन भी याद दिलाना चाहती हूं 20 जून, 2013 को जायल में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी आईं और वहां पर नहरी पानी का शिलान्यास किया था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने माननीय पूर्व मंत्री, किरण माहेश्वरी जी भी यहां विराजमान हैं, आपको नागौर जिले का प्रभारी भी बनाया गया। आपने उस वक्त भी नागौर जिले में पानी के लिए जो नहरी परियोजना थी, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। आप देखने जरूर आईं थीं। भ्रमण करने जरूर आई थीं। लेकिन आपने नागौर जिले में नहरी पानी परियोजना के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। इस वजह से जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में, एक ही विधान सभा क्षेत्र में दो प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। आधे गांवों में घर-घर कनेक्शन का प्रावधान किया गया है और 120 गांव ऐसे हैं, जिसमें मातासुख परियोजना का काम चल रहा है। एक ही विधान सभा क्षेत्र में दो प्रकार की योजना होने की वजह से जनता में भारी आक्रोश है। मैं सदन के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि आप पूरे विधान सभा क्षेत्र में घर-घर कनेक्शन योजना के माध्यम से जायल की जनता को पानी दिलाएं।

साथ ही, चिकित्सा के क्षेत्र में भी मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक गरीब व्यक्ति जिसका घर भी बड़ी मुश्किल से चलता है, अगर किसी परिवार का सदस्य बीमार हो जाए और उसके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं हो तो ऐसे में माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने उस गरीब का, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए नि:शुल्क दवा का जो प्रावधान किया, वह सराहनीय है। आजकल ऐसी बीमारियां बन गयी हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं,

(श्रीमती मंजु देवी)

जिसमें आदमी भी चला जाता है और उसका घर भी बर्बाद हो जाता है। आपने उनको राहत देने का काम किया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। महिला एवं बाल विकास के लिए भी आपने प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की स्थापना की है। उसमें महिलाओं को व्यवसाय हेतु निश्चित तौर पर सहयोग प्रशिक्षण, शिक्षा, पुनर्वास आदि काम करने की गतिविधियों का संपादन किया जाएगा, जो महिलाओं के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आपने मानदेय बढ़ाया, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं इस बजट के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि चाहे विपक्ष इसकी कितनी भी निंदा करें, कितनी ही कमियां निकाले परन्तु यह बजट वास्तव में आम जनता के लिए, गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र में सराहनीय बजट है। शब्दों को विराम देने से पहले अंत में अपनी बात को कहते हुए यह जरूर कहना चाहूंगी-

चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए।
काम करो तो ऐसे करो कि पहचान बन जाए।।

सभापति महादेय, मैं आपके माध्यम से इस बजट की सराहना करते हुए इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं और तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद व आभार देना चाहूंगी। धन्यवाद। राम-राम सा।

(15.55 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मेवाड़ की एक पुरानी कहावत है, धान खांये धनी रो और गीत गाये वीरां को। यहां इस बजट के अंदर पहली लाइन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय बजट में जनता को केवल यकीन करवाने का प्रयास किया गया है। यानी केन्द्रीय बजट से उनकी बहुत नाराजगी है, ऐसा लगा। मैं यहां पर बजट एट ए ग्लांस, 2019 का, अभी का लेटेस्ट है, उसको देख रही थी। उसमें केन्द्र से राज्य को जो सहायता मिल रही है, वह है 11.45 परसेंट और जो सेन्ट्रल टैक्स का शेयर स्टेट को मिल रहा है, वह है 19.08, यानी टोटल 30.53 परसेंट शेयर केन्द्र बजट का स्टेट को मिलता है। चाहे वह ग्रांट के रूप में हो,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

केन्द्रीय टैक्स का जो पार्ट हमें मिलता है, उसके रूप में हो, उसके अलावा लोन्स वगैरह यह सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन यह सारा जो पैसा केन्द्र का इतना आने के बाद भी और सब कुछ होने के बाद भी हम यह कहें कि केन्द्र सरकार के बजट से बहुत निराशा है तो मुझे लगता है जब हम सोचते हैं कि हम कोई अच्छा काम करें तो हमे शाबासी मिलनी चाहिए। लेकिन जो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए।

बात यहां यह आती है कि जब कोई सरकार बनती है तो सरकार बनने के पहले वह कुछ वादे करते हैं, जनता के बीच में। कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यह-यह काम करेंगे। इसी प्रकार अभी जो कांग्रेस शासित सरकार है, इस पार्टी ने भी कुछ वादे किये थे जनता से और यह जन घोषणा पत्र जारी किया था। मैं उस जन घोषणा पत्र को कल यू ट्यूब पर देख रही थी। मैंने देखा कि उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान में उप मुख्य मंत्री हैं, मुख्य मंत्री जी भी बैठै थे उस प्रेस कांफ्रेस में और घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़े विश्वास के साथ में कह रहे थे कि यह केवल घोषणा पत्र नहीं है, हमारा कमिटमेंट है। हम जब सरकार में आ जाएंगे तो अक्षरश: इसकी पालना करेंगे। 400 के करीब उसकी घोषणाएं थीं। उन 400 घोषणाओं की तो यहां चर्चा नहीं करना चाहती। लेकिन मुख्य-मुख्य घोषणाओं की चर्चा करना चाहती हूं। जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने कहा था कि हमें तो बस आने दो, केवल आने की देर है, हम सत्ता में जैसे ही आ जाएंगे, हम राजस्थान का सारा सिनेरियो बदल देंगे और नये राजस्थान का निर्माण कर देंगे। राजस्थान के किसानों का दस दिन के अंदर सारा कर्जा माफ कर देंगे। वह जो भाषा उनकी चल रही थी और जो बाडी लैंग्वेज था प्रेस कांफ्रेस में, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे बस इनके आने की देर है और तुरन्त सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। अब आठ महीने हो गए हैं इनको आए। इतने समय में क्या-क्या इन लोगों ने कर लिया? कितना कर्जा माफ कर दिया? आंकड़े नहीं हैं। कामर्शियल बैंक का भी कर्जा माफ करेंगे। लेकिन कामर्शियल बैंक का कर्जा कहां से माफ करेंगे, कैसे करेंगे? वे कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार को हम लिखेंगे कि कामर्शियल बैंक का भी कर्जा माफ करें। कामर्शियल बैंक का कर्जा माफ करने के लिए केन्द्र सरकार को लिखेंगे।

आपने जब प्रेस कांफ्रेस की थी, जन घोषणा पत्र जारी किया था तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह क्यों नहीं कहा था कि हम उनसे पूछकर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करेंगे। तब तो उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे और तुरन्त कर देंगे। उस घोषणा पत्र के अंदर सारी बातें सिर्फ और सिर्फ लुभावनी थीं और जनता को गुमराह करने के लिए थी। इसके अलावा, कुछ भी नहीं था। इसलिए साफ दिख रहा है जो घोषणा पत्र में कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, कामर्शियल बैंक के लिए। यह बजट पूरा पेश कर दिया और कहीं कोई प्रोविजन नहीं है। आपको केन्द्र से मांगने की क्या जरूरत है? आप कामर्शियल बैंक को जितना ऋण लिया हुआ है, कामर्शियल बैंक के अंदर दे दीजिए। आटोमैटिक कामर्शियल बैंक आपका सारा ऋण माफ कर देगा। लेकिन जब सहकारी बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं और कहते हैं कि दो लाख तक का माफ करेंगे। सहकारी बैंक की तो लिमिट एक लाख तक की है। कोई किसान जब लोन लेता है बियोंड एक लाख तो वह ले नहीं सकता। एक लाख के अंदर पचास हजार तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तभी माफ हो गये। अब जो शेष रहा है, वह बीस हजार-तीस हजार, ये रहा है। उसकी भी लिस्टें हो रही हैं, वह भी कुछ काम पूरा नहीं हुआ।

किसानों को कहा कि हम आपके यहां पर 12 घंटे बिजली देंगे। अभी 6 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। उसमें भी इतनी ट्रिपिंग हो रही है कि 6 घंटे की बिजली में भी 10 से 15 बार तो ट्रिप होती है। किसान अपने आपको बहुत ठगा-सा महसूस कर रहा है। उसे ऐसे लग रहा है कि मुझे वास्तव में इस सरकार ने किस प्रकार से ठगा है। मुझे ऐसा गुमराह किया कि कहीं जाति के नाम पर गुमराह किया।

(16.00 बजे)

कुछ जाति के नाम पर गुमराह किया, कहीं किसानों के नाम पर कहा, कहीं युवाओं के लिए कहा कि हम आपको नौकरी दे देंगे। इस बजट में इन्होंने युवाओं के लिए बात कही कि हम 75 हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे देंगे। 75 हजार का आंकड़ा कहां से आया। माननीय अध्यक्ष जी, यह वह आंकड़ा है जो सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी अर्थना आरपीएससी को भेज दी थी, सब-ओर्डिनेट सर्विसेज को पिछली सरकार में भेज दी थी। उनकी परीक्षाएं हो गयीं, कई के इंटरव्यू बाकी हैं, कई के केवल रिजल्ट घोषित करने बाकी हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि जब मुख्य मंत्री जी अपना जवाब पेश करें तो यह 75 हजार नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, अभी पाइप लाइन में हैं उसके अतिरिक्त हैं या जो पाइप लाइन में हैं वही हैं, इसको जरा स्पष्ट करें। ताकि

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हम लोगों को पता चले कि नई 75 हजार दे रहे हैं या वही 75 हजार हैं जो हम लोगों ने 75 हजार पाइप लाइन में डाले थे, जिसके हम लोगों ने एग्जाम वगैरह सब कराए थे।

यहां इन्होंने बात कही कि हम लोग जनता क्लिनिक खोलेंगे। इन्होंने बजट में कहा कि राज्य में गांव, गली, मौहल्ले में जनता क्लिनिक खोली जाएगी। जनता क्लिनिक की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्लिनिक खुलनी चाहिए। मेडिकल सुविधाएं जनता को मिलती हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है लेकिन प्रजेंट सिनेरियो क्या है? प्रजेंट सिनेरियो यह है कि अगर मैं राजसमंद की बात करूं तो राजसमंद के अंदर हमारे जिला मुख्यालय पर हास्पिटल है, जिला चिकित्सालय है उसकी यह स्थिति है कि उसके स्वीकृत पद तो 63 हैं और कार्यरत मात्र 33 हैं, अभी 30 पद तो डाक्टर्स के रिक्त पड़े हैं। टैक्निकल स्टाफ के 50 से भी ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। पीएचसी में चले जाओ, सीएचसी में चले जाओ, न तो वहां डाक्टर है, न नर्सेज हैं, न कम्पाउण्डर हैं और आप कह रहे हैं कि हम इससे और नीचे जाएंगे, मौहल्लों के अंदर जनता क्लिनिक खोलेंगे। यह बात इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि राजस्थान सरकार तो इसमें नहीं कर सकती, यह केन्द्र की योजना आ रही है, कहीं उसी योजना की झलक आएगी कि जब वहां से पैसा मिलेगा तब यहां काम शुरू होगा। बजट में इन्होंने क्लिनिक खोलने की बात तो कह दी लेकिन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है वहां 150 बैड़ हास्पिटल राजसमंद में हैं, अभी 230 से ज्यादा व्यवस्था की हुई है, वह 300 बैड हास्पिटल तो कम से कम करते। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करते तो समझ में आता लेकिन यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तो कुछ है नहीं। बजट एट ए ग्लांस के अंदर इन्होंने जो पिक्चर दिया है उस पिक्चर के अंदर रेवेन्यू एक्सपंडीचर, जो कहना चाहिए नोन डवलपमेंट एक्सपंडीचर, वह नोन डवलपमेंट एक्सपंडीचर ही 72.07 है टोटल बजट का।

इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाले हैं, कैपिटल आउटले है वह मात्र 8.36, अब आप सोचिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर 8.36 परसेंट हो, यह कैपिटल पर एक्सपंडीचर करने वाले हैं, तो कहां से उम्मीद कर सकते हैं कि यह सब करेंगे। पिक्चर तो बहुत अच्छी दिखाई जाती है लेकिन जो सार निकलता है, किताब में छपता है अगर उसे कोई देखेगा तो पता चलेगा कि कैपिटल आउटले मात्र 8.36 परसेंट है। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पैरा नम्बर 59 में इर्रिगेशन के लिए कहा कि 21 जिलों के अंदर, उसमें राजसमंद भी है, कहा है कि 517 करोड़ के 55 कार्य शुरू किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है सितम्बर महीने में टेंडर लगे राजसमंद की नहरों को रिपेयर करने के लिए। नंदसमंद से राजसमंद की झील के अंदर पानी आता है, नंदसमंद से नहर है, राजसमंद झील से लैफ्ट कैनाल, राइट कैनाल, इन सब कैनाल को बने 55-60 साल हो गए, कभी एक बोरी सीमेंट भी नहीं लगा। उनको रिपेयर करने की बात आई। उनको रिपेयर करने के लिए 28 करोड़ रुपये पूर्ववर्ती सरकार ने सैंक्शन किए, जिसके टेंडर हो गए, वर्क आर्डर हो गए, वर्क आर्डर होने के बाद आचार संहिता लग गयी, काम शुरू नहीं हुआ, जैसे ही सरकार बनी, दिसम्बर के एंड में एक मीटिंग माननीय मुख्य मंत्री जी के लेवल पर हुई। उस मीटिंग में कहा जाता है कि कौन-कौनसे वर्क आर्डर दिए गए हैं, उन वर्क आर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है। यहां पर कैंसिल हुआ, हमने उसी समय माननीय मुख्य मंत्री जी को लैटर लिखकर दिया कि जो वर्क आर्डर हो गया उसको आपने कैंसिल कर दिया, नहरों के रिपेयर के कैंसिल कर दिए। आज उन्होंने कहा कि हम करेंगे, अब पता नहीं कौनसा करेगे 533 के अंदर। एक बार कैंसिल करना, फिर उसकी सैंक्शन करना यह बहुत ही अजीब सा लगता है। पानी की योजनाओं के संदर्भ में इस तरीके से....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, दस मिनट हो गए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ओनली थ्री मिनिट्स। इतना सबको दिया है....

श्री अध्यक्ष: टैन मिनिट्स हो गए, प्लीज वाइंड अप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): टैन मिनिट तो नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष: मैं बिना घड़ी के बात नहीं करता हूं। प्लीज अब आप वाइंड अप करिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पांच मिनिट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, फिर मुझे टाइमिंग करना पड़ेगा। एक मिनट बस।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपने राजसमंद ज़िले के अंदर पीने के पानी को, राजसमंद जिला डार्क जोन जिला है, राजसमंद के अंदर पीने का पानी नहीं है, कितना ही नीचे चले जाएं, खोद लें, ट्यूबवैल में पानी नहीं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है, कुए सूख गए हैं। उस राजसमंद में पेयजल योजना के लिए, जो पानी लेकर आना है देवास योजना हो, माही योजना हो, जिसकी पानी की स्कीम बनी हुई है, डीपीआर बनी हुई है, उसके बारे में यहां पर कुछ भी नहीं कहा गया। आप कह रहे हैं हम बड़ी-बड़ी योजनाएं ला रहे हैं। योजनाएं कहां से ला रहे हैं, जो योजनाएं पाइप लाइन में है, जिन योजना की डीपीआर बनी है, तो राजसमंद को क्या पूरे मेवाड़ को उपेक्षित किया है। प्रतापगढ़ में जाखम बांध की योजना बनकर तैयार पड़ी हुई थी, सैंक्शन दी हुई थी, उस योजना के बारे में कहीं कुछ नहीं है। डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, देवास थर्ड एंड फोर्थ की योजना, उनके बारे में कहीं भी कुछ नहीं कहा गया।

इन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि हम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि तैयार कर रहे हैं, उस निधि के अंदर हम पैसा रख रहे हैं और महिलाओं का उद्धार करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को छह हजार से साढ़े सात हजार तो सितम्बर में, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक वीड़ियो कांफ्रेस सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ की थी, तभी घोषित कर दिया था। एक अक्टूबर से तो उन्हें पैसा मिल जाना चाहिए था। एक अक्टूबर से लेकर हम जुलाई, 2019 में आ गए, अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। वह सारा पैसा केन्द्र का आपके पास पड़ा है, आप उसका ब्याज खा रहे हैं। आज बजट के अंदर घोषणा कर रहे हैं कि हम छह हजार से बढ़ाकर साढ़े सात हजार करेंगे, यह राज्य सरकार नहीं बढ़ा रही है, यह केन्द्र सरकार ने बढ़ाया है। उच्च शिक्षा के अंदर...

श्री अध्यक्ष: हो गया। प्लीज वाइंड अप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उच्च शिक्षा के अंदर उन्होंने जब कहा था कि हम महिलाओं की आजीवन मुफ्त शिक्षा करेंगे, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि महिलाओं की मुफ्त शिक्षा करेंगे। कालेज के अंदर बच्चियां पढ़ती हैं उनको आज भी कालेज विकास शुल्क देना पड़ता है। खेल शुल्क, छात्रसंघ शुल्क, वाचनालय शुल्क, और तो और एसएफएस के जितने भी कोर्सेज हैं उनका पेमेंट करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज वाइंड अप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): Yes. Winding up, Sir. मेडिकल, इंजीनियरिंग इन सबके अंदर शुल्क, ऐसा नहीं है कि फ्री है। फ्री

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एजुकेशन की बात यहां पर कर रहे है। जन घोषणा पत्र में कहा कि हम सरकार में आ जाएंगे, हम महिलाओं की शिक्षा मुफ्त करेंगे, लेकिन महिलाओं की शिक्षा मुफ्त नहीं हुई। कहा गया कि हर ज़िले में महिलाओं के लिए आईटीआई पोलीटैक्निक खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, अब हो गया, धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि रेलमगरा हमारा क्षेत्र है, जहां पर हम चाहते हैं कि कालेज खुले, वहां पर घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): केवल एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, 15 मिनट हो गए। राठौड साहब, it's too much.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं वाइंड अप कर रही हूं। सिर्फ एक-दो बात कहकर वाइंड अप कर रही हूं। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र के अंदर कहा कि हम लोग कालेज एजुकेशन के अंदर एक भय मुक्त वातावरण देंगे, यह मैं नहीं कह रही हूं, यह जन घोषणा पत्र की बात है, इन्होंने लिखा कि भय मुक्त। भय मुक्त कैसे, यहां तो यह हालत है कि कालेज के प्रोफेसर है वह कब पढ़ाएंगे, कौनसे टापिक पर पढ़ाएंगे, यह कमिश्नरेट से जाता है।

श्री अध्यक्ष: आप वाइंड अप नहीं कर रहे, धन्यवाद।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उन लोगों के ट्रांसफर 300 और 700 किलोमीटर दूर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, अब नहीं, थैंक यू। राजकुमार गौड़।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है, सर थैंक यू वैरी मच।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही शानदार बजट दिया है। सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जिस प्रकार राजस्थान के लोगों को मुख्य मंत्री जी से उम्मीद थी उसी के अनुरूप मुख्य मंत्री जी ने विषम परिस्थिति होते हुए भी शानदार बजट दिया है।

(श्री राजकुमार गौड़)

मेरे कुछ साथियों ने कहा कि यह बजट झूठा है, फरेब है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी सरकार का बजट महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। उसे असत्य कहकर हम शायद लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। भा.ज.पा. के साथियों ने किसानों के बारे में चिंता की। मेरे मित्रों ने नकली दूध के बारे में चिंता की, मावे के बारे में चिंता की, सिंचाई के बारे में चिंता की, बिजली की कमी के बारे में चिंता की और यहां तक कहा गया कि दवाइयां भी जो मिल रही हैं, वह प्रभावहीन हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह पांच और छह माह में सब कुछ हो गया। अगर चार और पांच माह पूर्व ये परिस्थितियां सारी शानदार थीं तो क्या कारण हैं कि चार और पांच माह में आज ये सब कमियां आ गयीं। अगर ये दवाइयां ठीक नहीं होतीं तो लाखों लोग जो रोजाना दवाइयां लेते हैं उसके रिजल्ट्स क्या आते, शायद हम लोगों ने इस पर कभी नहीं सोचा।

अध्यक्ष महोदय, जनता हम लोगों के बारे में सोचती है कि हम विधान सभा में जाएंगे, उस इलाके की मांगों के बारे में बोलेंगे। यहां आकर शायद कानून बनाएंगे। गरीब आदमी के बारे में बातें करेंगे, मजदूर के बारे में बातें करेंगे और किसान के बारे में बातें करेंगे। जैसा कि मेरे बहुत ही सीनियर लीडर, बी.जे.पी. के हमारे बड़े नेता, विपक्ष के नेता ने, किसान के बारे में जब बात हो रही थी, किसान के कर्ज को माफ करने की बात हो रही थी तो बहुत सुन्दर बात कही थी कि हम लोगों को उनके बारे में सोचना चाहिए। हम सब लोग मिलकर उनके बारे में सोचें, केवल भाषण नहीं दें। परन्तु बहुत दु:ख होता है कि जब भाषण का अंत किया तो माननीय ने भी केवल अपने नेताओं की बड़ाई करने के अलावा, पंडित जवाहरलाल नेहरु और इन्दिराजी के बारे में जब बात आती है तो न जाने क्यों व्यंग्य कसा जाता है, क्यों व्यंग्य कहा जाता है। इन्दिराजी ने इस देश के लिये बलिदान दिया, राजीव गांधी ने इस देश के लिये बलिदान दिया। 'ओहो' कहना बड़ा सरल है, कभी बलिदान दें, तब बाद में आकर बात करना, तब हमें अच्छा लगेगा। वाह-वाह कहना बढ़िया है, सोचिये जरा आप। जिन लोगों ने देश के लिये कुर्बानी दी, उनको आज हम याद करें, उनको नमन करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको भी कुर्बान किया था।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि हमें तो इसमें भी कहीं गुरेज नहीं है। वाजपेयीजी ने पार्लियामेंट में कहा था,

(श्री राजकुमार गौड़)

जब पहले प्रधान मंत्री बने, तब कुछ साथियों ने वहां कहा था कि देश में कुछ नहीं हुआ, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कहा था, अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम अपने बुजुर्गों पर शक कर रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इस बात को याद रखिये। हमेशा हम लोगों ने उस बात को सराहा है। चाहे आप दीनदयालजी की बात करें, वाजपेयीजी की बात करें, हमें कोई गुरेज नहीं है। पर जब आप राजीव गांधी सेवा केन्द्र को अटल सेवा के नाम से जारी करते हैं तब आप सोचिये ये काम किसने शुरू किये, जिन बातों की आज आप बात कर रहे हैं। तब यह देखें कि यह शुरुआत किसने की। आप बनाइये, अटलजी के नाम से नई योजना शुरू करते, कहां किसी को तकलीफ थी। दीनदयालजी के नाम से शुरू करते, कहां किसी को तकलीफ थी। परन्तु आप, उन महान विभूतियों ने, जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी दी, उनके नाम बदलकर क्या संदेश देना चाहते हैं, यह बात हम लोग समझ नहीं पाये।

महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि 2008 और 2013 के बीच में गंगानगर में एक बहुत बड़े दानदाता ने मेडिकल कालेज बनाने की घोषणा की थी। सरकार ने स्वीकृति दी। परन्तु पांच साल कुछ नहीं हुआ। फिर शायद राठौड़ साहब बुरा मान जाएंगे। हमने कोशिश की कि बी.जे.पी. मिलकर उन पर दबाव बनाएं कि मेडिकल कालेज बी.डी. अग्रवाल साहब शुरू करें। परन्तु वह मेडिकल कालेज शुरू नहीं हो सका और आज दुबारा मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में गंगानगर में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की, इसके लिये मैं मेरी तरफ से और हनुमानगढ़ और गंगानगर की पूरी जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर, करणपुर, संगरिया सहित आठ कालेज जो 2008 और 2013 के बीच में स्वीकृत किये गये थे, उन कालेजों को वापस निजी कालेज बना दिये। मुख्य मंत्रीजी ने दुबारा इन कालेजों को सरकारी कालेज बनाने की घोषणा की है, उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। सूरतगढ़ में सरकारी कालेज का नाम स्वर्गीय गुरुशरण छाबड़ाजी, हमें बैर नहीं है उनके लिये भी, वे भी बी.जे.पी. के नेता थे। आज हम उनको नमन करते हैं, उनके नाम पर जो कालेज की स्थापना की बात मुख्य मंत्रीजी ने की है, उसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

(श्री राजकुमार गौड़)

किसानों के लिये बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। किसानों के जब काम करने की बात आती है, तब उन सब बातों को भूल जाते हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने एक लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी., दो लाख मीट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण करने के लिये घोषणा की है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद करता हूं। किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण की घोषणा, 2008 और 2013 के बीच में की गयी थी। मैं मेरे साथियों से यह पूछना चाहूंगा कि यह योजना बंद क्यों हो गयी और मुख्य मंत्रीजी को दुबारा इसकी घोषणा करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर यह चालू रहती तो शायद दुबारा घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्य मंत्रीजी का मैं इसके लिये भी आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि जो फसली ऋण की योजना है, इसको दो लाख रुपये तक किया जाए। दो लाख रुपये किसान कभी भी अपनी फसल के लिये ऋण बिना ब्याज के उठा सके। सरकार को इसके लिये करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, 2008 और 2013 के बीच में जो काम गहलोत सरकार द्वारा, जो अभी किसानों की बात कर रहे थे, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वे बुरा नहीं मानें। हम सब लोग मिलकर किसानों के लिये सोचें, गरीब के लिये सोचें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, सौर ऊर्जा पर 2008-2013 के बीच में 86 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था, जो मेरे दोस्तों, आपके राज में वह 45 से 60 प्रतिशत तक हो गया। अगर यह 86 प्रतिशत रहता तो किसानों को फायदा होता। मित्रों, 2008 और 2013 के बीच में गहलोत सरकार द्वारा फव्वारा व ड्रिप पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था, जो गत सरकार ने 50 से 60 प्रतिशत कर दिया। अगर यह भी 90 प्रतिशत रहता तो किसानों को इससे फायदा होता।

जहां तक गंगानगर में डिग्गियों का सवाल है, डिग्गियों पर पहले गहलोत सरकार तीन लाख रुपये देती थी, बी.जे.पी. सरकार बनने के बाद दो लाख रुपये हो गयी। जाते-जाते वसुन्धराजी ने तीन लाख रुपये शुरू किये और तीन लाख रुपये का जो रिजल्ट निकला...

श्री अध्यक्ष: Please wind-up.

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): रिजल्ट यह निकला कि गंगानगर में 250 डिग्गियों का विशेष प्रावधान था, उस वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत केवल अपना फायदा उठाने के लिये घोषणा कर दी कि कोई भी डिग्गी बना सकता है तो उसके लिये 5300 स्वीकृतियां जारी हो गयीं। 4320 डिग्गियां बन गयीं। 1260 का आप लोगों ने भुगतान किया। 3115 का पेमेंट 95 करोड़ 72 लाख आज भी बकाया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन डिग्गियों का पेमेंट जल्दी करवाएं। इसमें किसानों का क्या दोष था। केवलमात्र फायदा उठाने के लिये घोषणा कर दी। इसमें भी, तीन लाख रुपये में से एक लाख 20 हजार रुपये केन्द्र सरकार देती है और एक लाख 80 हजार रुपये राज्य सरकार देती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जल संसाधन के लिये 4675 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 78 लाख रुपये बीकानेर कैनाल, जिसके लिये आज तक कभी सोचा नहीं था, मुख्य मंत्रीजी ने बिना लाभ देखते हुए, बजट से पूर्व 03 जुलाई को ही 98 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये। यह सबसे बड़ा तोहफा है। जो बात मोदीजी करते हैं, मोदीजी कह रहे हैं बार-बार कि पानी को पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सर, दो मिनट, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): ये 98 लाख रुपये जारी करने से बीकानेर कैनाल की मरम्मत हो जाएगी और फिरोजपुर फीडर की भी मरम्मत कर देंगे तो पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं जाएगा। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और किसानों को इससे राहत मिलेगी।

ऊर्जा विभाग के लिये 30170 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसमें काफी काम करने की आवश्यकता है। हम लोग इसमें काम करें, जिससे लोगों को फायदा मिल सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सर, एक मिनट। गंग कैनाल से जो हमें पानी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। वाइंड-अप करें, वाइंड-अप करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): छह राज्य राजमार्गों के लिये 927 करोड़ रुपये दिये, उसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने एन.जी.टी. के निर्देशों की पालना कर, मैं चाहूंगा कि गंदे पानी का जो मैंने जिक्र किया था, वह गंदा पानी बंद किया जाए। मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश में विभिन्न हवाई पट्टियों को विकसित करने की बात कही उसके लिये धन्यवाद। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूगा कि लालगढ़ हवाई पट्टी को भी उसमें जोड़ने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। हो गया, माननीय सदस्य, हो गया।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): अंत में कहना चाहूंगा कि डीजल और पैट्रोल पर वैट बढ़ाने की बात आ रही है। केन्द्र सरकार ने दो रुपये लीटर बढ़ाया, स्टेट ने चार प्रतिशत वैट बढ़ाया। मैं मेरे इन साथियों से कहना चाहूंगा कि सब लोग मांग कर रहे हैं कि जी.एस.टी. में इसको शामिल किया जाए। मैं चाहूंगा कि यह प्रस्ताव पास हो, सब लोग मिलकर प्रस्ताव करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें कि जी.एस.टी. में पैट्रोल, डीजल को शामिल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राकेश पारीक। माननीय सदस्य, बोलिए।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इस सदन में मुझे लाने वाले उस नेता का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, वह युवा नेता सचिन पायलट साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज इस राजस्थान की सात करोड़ जनता में से 200 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने दीजिए। उनकी भावना को बोलने दीजिए।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): 200 आदमियों में मैं शामिल हुआ। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट दिया जिस बजट में समाज के हर वर्गों को उन्होंने छुआ है। आज चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, महिलाएं हो, चाहे पानी के लिए पैसा हो, आज नन्दी-शाला के नाम से पंचायत समिति में गौ-शाला के लिए बात हो। मैं सेवा दल

(श्री राकेश पारीक)

का अध्यक्ष भी हूं, अभी भाई साहब बात कर रहे थे हिंगोनिया गौ-शाला में जो दुर्दशा देखी गयी थी बी.जे.पी. के राज में, उस सब चीज को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह जो निर्णय लिया गायों के लिए, गौ-माता भी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का शुक्रिया अदा करेंगी और राजस्थान की जनता भी गायों के लिए सी.एम. साहब ने यह जो काम किया है, इसके लिए बहुत-बहुत आशीर्वाद देगी।

उर्वरक के लिए भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में उर्वरक लाने के लिए पुलिस के डंडे किसानों को खाने पड़ते थे, यह एक ऐसा पहलू है जिसको सी.एम. साहब ने छुआ और यूरिया और डी.ए.पी. का अग्रिम भण्डारण करने की जो व्यवस्था की है, इसके लिए भी हम सी.एम. साहब का धन्यवाद करते हैं।

अब मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं जो मगरा क्षेत्र है। उस मगरा क्षेत्र की मेरी कुछ समस्याएं हैं, मैं आपके माध्यम से सी.एम. साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा एस.डी.एम. हैडक्वार्टर है भिनाय में, वहां पर छात्रों के लिए एक महाविद्यालय खुलवाया जाए। मेरे एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसका विधायक और सांसद तो अजमेर से चुना जाता है और सारा प्रशासनिक नियंत्रण भीलवाड़ा जिले में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भीलवाड़ा जिले के भगीरथ बने हुए हैं, चम्बल लेकर आए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि मेरी वह जो कानिया ग्राम पंचायत जिसकी पंचायत समिति हुरड़ा है, उसका जिला प्रमुख भीलवाड़ा में है, सांसद और विधायक हम अजमेर में हैं, उस कानिया ग्राम को इस चम्बल योजना से जोड़ा जाए। आप तो इतने महान हैं कि जब भीलवाड़ा जोड़ सकते हैं तो मेरे एक साधारण कार्यकर्ता के पूरे मसूदा इलाके को भी चम्बल योजना से जुड़वाने का अगर प्रयास करेंगे तो मैं आप सब लोगों का बहुत ही ऋणी रहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में तीन डीवाई.एस.पी. आते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि एक डीवाई.एस.पी. नसीराबाद बैठता है विजयनगर का, एक डीवाई.एस.पी. केकड़ी बैठता है भिनाय का और एक डीवाई.एस.पी. ब्यावर में बैठता है मसूदा का तो मेरे यहां पर विजयनगर के अंदर डीवाई.एस.पी. का कार्यालय खुलवाने के लिए भी मैं आपसे मांग करूंगा।

(श्री राकेश पारीक)

आज इस सदन में बोलने के लिए आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना समय दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: दस मिनट।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): दस मिनट, कोशिश करता हूं।

श्री अध्यक्ष: घड़ी देख लें भले ही।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनाव के बाद जो इस राजस्थान का पोलिटिकल सिनेरियो बना, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, कांग्रेस सरकार बनाएगी ऐसा लगा। तीन-चार दिन कशमकश चली और आखिर मारवाड़ का जादू चल गया।

उसके बाद मुख्य मंत्रीजी का जालौर आना-जाना एकदम अचानक बढ़ गया। कोई बहाना मिले, कोई अवसर दिखे, जालौर आकर बहुत प्रेम से मिलते, बहुत घूमते-फिरते और जो भी कोई मांग रखते उस पर तुरन्त हां भर देते। जालौर की जनता ने कहा कि हमको आर.ओ.बी. चाहिए, वहां पर बहुत समस्याएं हैं तो उन्होंने कहा कि कर दूंगा। अखबारों में आया। लोक सभा चुनावों के बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ कि आना बंद हो गये। जालौर वालों से बात करना बंद। जालौर की बात सुनना बंद।

अब इस बजट भाषण के पैरा नम्बर-36 में लिखा है कि- 'एक लाख से अधिक कुल वाहन भार वाले समस्त फिजिबल रेलवे फाटकों पर रेल मंत्रालय के सहयोग से इस वर्ष 2 आर.ओ.बी. एवं 32 आर.यू.बी. का निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे।' इसी सदन में माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी ने मेरे एक प्रश्न के जवाब में यह कहा था कि जालौर का जो रेल फाटक है वहां का वाहन भार तीन लाख से ऊपर है। एक लाख से ऊपर वालों का आप दे रहे हैं तो पहला नम्बर उसका लगना चाहिए था। वह आपको याद नहीं आया। उसको नहीं बनाया, दूसरे बनाए यह जालौर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उप मुख्य मंत्रीजी भी पिछले महीने जून की 11 तारीख को वहां पर आए थे। उनको भी हमने कहा था तो भरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि हां, यह आर.ओ.बी. बनना चाहिए, बहुत बंद रहता है, मैं खुद खड़ा रहा कितनी देर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

तक, यह बनना ही चाहिए। तीन लाख वाहन भार वाला आर.ओ.बी. नहीं बन रहा है और उससे कम वाले, एक लाख वाले बन रहे हैं, यह जालौर के साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ और बातें जहां जालौर की उपेक्षा हुई है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आप छह स्टेट हाई वे दे रहे हैं, पर जालौर जिले को एक भी नहीं। इस पूरे बजट भाषण में जालौर का नाम सिर्फ एक बार आया है, वह भी सांचौर के संदर्भ में कालेज के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टेट हाई वे हमको नहीं मिलेगा।

सिंचाई परियोजनाएं, बांधों का जीर्णोद्धार केन्द्र सरकार के पैसों से डी.आर.आई.पी. से, सिंचाई परियोजना का जिक्र हो रहा है लेकिन जवाई पुनर्भरण गायब। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 300 किलोमीटर की दूरी तक जवाई नदी जालौर जिले में बहती है और जब जवाई नदी में बहुत पानी होता है, जवाई बांध बहुत ओवर-फ्लो हो रहा होता है तो उसकी मार हम झेलते हैं, बाढ़ से परेशान हम लोग होते हैं और जब हमको पानी की जरूरत होती है तब हमको पानी नहीं मिलता है।

(16.27 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

कम पानी तो हम परेशान, ज्यादा पानी तो हम परेशान और हमको वह नहीं मिल रहा है। जवाई पुनर्भरण यदि होता है तो जालौर का पूरा जिला एकदम सरसब्ज हो सकता है। हमको पीने के लिए भी और खेती के लिए भी अच्छा पानी मिल सकता था लेकिन उसकी चर्चा नहीं। ऐसे ही माही परियोजना, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, जब पेयजल की बात आई तो नर्मदा पेयजल योजना की चर्चा होती है, बजट भाषण में पैरा क्रमांक-66, बाड़मेर जिले का नाम लेकर कहा जाता है कि इतना पैसा देंगे। शिव, चौहटन, गुढ़ामालानी, अच्छी बात है उनको भी दीजिए पर जालौर में भी नर्मदा के पानी से हंड्रेड परसेंट आबादी को पेयजल देंगे यह सरकार का कमिटमेंट है। एफ.आर. प्रोजेक्ट के क्लस्टर भी पूरे नहीं हुए, वह बंद पड़े हैं। टी.आर. प्रोजेक्ट क्लस्टर्स की अभी आपकी डी.पी.आर. भी नहीं बनी, उसके लिए पैसा नहीं है। बाड़मेर के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

लिए पैसा है। क्यों? बाड़मेर ने ज्यादा एम.एल.ए. दिये इसलिए? आपके सारे नेता बढ़-चढ़कर बोल रहे हैं कि हम बिलकुल भी भेदभाव नहीं करते, हम बड़े दिल वाले हैं, यह आपका बड़ा दिल दिख रहा है? बाड़मेर ने एम.एल.ए. दिये तो उनको नर्मदा में पैसा मिल रहा है और जालौर ने एम.एल.ए. नहीं दिये इसलिए नर्मदा में पैसा नहीं मिल रहा है, यह प्रमाणित हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, रीको, 11 जिलों में यह काम करेंगे, नई परियोजनाएं बनाएंगे। जालौर में ग्रेनाइट की 1200 फैक्ट्रियां हैं और हर महीने एक-दो नयी फैक्टरी लग रही हैं। इस मंदी के दौर में भी हर महीने दो-दो नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, वहां के लिए आपके इस बजट में एक पैसा नहीं है।

जनजाति विकास के लिए आप दुनिया भर की बातें करते हैं। अब जनजाति में जो भी सिनेरियो है, जनजाति के नाम पर जो आरक्षण है या और जो सुविधाएं हैं, आधे से ज्यादा तो हमारा यह पूर्वी राजस्थान खा जाता है, थोड़ा-बहुत बचा हुआ मेवाड़ के हिस्से में आता है लेकिन जालौर और बाड़मेर में जो भील समाज है, वह ट्राइबल एरिया में आपके नहीं आता। वह भी जनजाति में है, गरीब है, बहुत पिछड़े हैं, आज की तारीख में सबसे पिछड़ा समाज यदि कोई राजस्थान में बचा है तो वह भील समाज है, उनके लिए आपके बजट में कुछ नहीं, एक शब्द नहीं।

सभापति महोदय, किले की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं। जालौर के किले पर रोप-वे बनाने के लिये सात करोड़ रुपया भारत सरकार के पर्यटन विभाग से आया हुआ पड़ा है राजस्थान के पास, उसका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। 9 महीने हो गये आपको, उसके लिये कुछ नहीं कर पा रहे। उसके कोई टेंडर नहीं कर पा रहे आप, उसके लिये और कोई काम नहीं कर पा रहे। और नया कुछ देते, नहीं देते, हमारी भारत सरकार से पैसा आया हुआ है, वह तो देते हमको। वह भी आप नहीं कर पा रहे हैं।

पांच हवाई पट्टियां बनाएंगे, तो उसमें भी आपको जालौर याद नहीं आता है। जालौर के लोग अप्रवासी बहुत हैं। पूरा भारत भरा पड़ा है। पूरी दुनिया का कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं होगा, जहां जालौर का व्यापारी नहीं मिले। आप शुरू करिए, डेली फ्लाइट चल सकती है जालौर, लेकिन वहां हवाई पट्टी आप विकसित नहीं करेंगे। जालौर से ऐसी क्या नाराजगी है मुख्य मंत्री महोदय की मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि जालौर से नाराजगी दूर करिए। जालौर भी आपके राजस्थान का ही एक हिस्सा है, उसको देने के बारे में उदारता रखिए और यदि आप उदारता करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वह उदारता कहीं भी नजर नहीं आयी। इसलिए मैं एक अपनी कविता की दो पंक्तियां आपको सुनाना चाह रहा हूं:-

'उम्मीदें तो खूब जगाईं,
लेकिन खाली दामन था,
हम घनघोर घटा समझे थे,
वह आभासी बादल था।'

जिसको हम घनघोर घटा समझे थे, वह आभासी बादल था। सिर्फ आभासी बादल निकला, हमको दिया कुछ भी नहीं और जो कुछ राजस्थान के लिये वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, इस बजट में जितना कुछ प्रावधान आप कर रहे हैं, यह कर देंगे, वह कर देंगे, 70 से 80 प्रतिशत भारत सरकार के उस बजट में से आपको मिल रहा है, उसके आधार पर वाहवाही लूट रहे हैं या फिर जनता के आधार पर लूट रहे हैं।

नन्दीशाला खोलेंगे, भामाशाहों के भरोसे, वैसे ही कर रहे हैं। भामाशाह तो वैसे ही कर रहे हैं। आपके भरोसे नहीं है वह। आपके कहने का इंतजार नहीं कर रहे हैं वह। वह अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं। आप चिकित्सा केन्द्र खोल रहे हैं, क्या नाम दिया है? उसमें भी दवा आप देंगे, लेकिन चिकित्सक कौन लाएगा, बैठने की जगह कौन देगा, भामाशाह देगा, तो आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप कर रहे हैं।

पशु चिकित्सा उप-केन्द्र आप खोलने जा रहे हैं। इस वर्ष 400 खोलेंगे। जो इस समय चल रहे हैं, उनमें तो डाक्टर-कम्पाउंडर दे दो। वह खाली पड़े हैं। भामाशाहों ने करोड़ों रुपयों की लागत से भवन बनाकर दिये हुए हैं जालौर जिले में और पूरे जिले के 90 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। वह तो हमसे हो नहीं रहे, नये और खोलेंगे।

इसी प्रकार से गौ-पालन, गौ-शालाओं के अनुदान, नन्दीशाला, भामाशाह तो हैं ही, सी.एस.आर. के भरोसे, राजस्थान सरकार के बजट से नहीं, सी.एस.आर. के भरोसे, इस बजट भाषण में लिखा है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सड़कों को जोड़ें। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कों की मरम्मत करेंगे। आपकी जेब से क्या लग रहा है? 500 से अधिक आबादी वाले 1009 नये गांवों को जोड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान की धरती पर 250 से अधिक की आबादी की कोई ढाणी, गांव नहीं बचा, जो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नहीं जुड़ा हो, यह 500 की आबादी वाले गांव आप लाये कहां से, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है समझने में।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन गांव हैं, जो आज तक नहीं जुड़े।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): 000

श्री सभापति: विराजिए। बैठे-बैठे बोलने की आदत छोड़िए। विराजिए आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बिजली के बारे में बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने इसी किताब में लिखा है 41 नम्बर पर - 'विगत वर्षों में 21 हजार 770 मेगावाट बिजली का नया उत्पादन होने से हम बिजली के उत्पादन के मामले में सरप्लस हैं।' वह आपके कारण हुआ है? पांच साल की मेहनत से हुआ है। उसकी शाबाशी देने को तैयार नहीं, उसकी तारीफ करने को आप तैयार नहीं। सरप्लस आपको दे रहे हैं, उसके बावजूद बिजली हमको नहीं मिल रही है। बार-बार कटौतियां हो रही हैं, बार-बार ट्रिपिंग आ रही है, जो नहीं होता था, वह होने लग गया। यह आपकी उपलब्धि है। एक लाख नये कनेक्शन देंगे। अब तक जो दिये हैं, वह पिछली सरकार के खरीदे हुए सामान के स्टाक के आधार पर दिये हैं। अब नया देने की बात कर रहे हैं, सामान कहां है, पहले सामान तो खरीद लीजिए, उसके लिये तो पैसा जुटा लीजिए।

जनता क्लिनिक और नि:शुल्क दवा की मैंने बात कर ली। आप नि:शुल्क दवा दे रहे थे, अच्छी बात है। कुछ दवाएं आपने देनी शुरू कीं, कुछ जांचें आपने शुरू कीं, अच्छी बात है। उसके बाद भामाशाह योजना आयी, सिर्फ दवा नहीं, उसमें आपरेशन भी हो रहे थे। भामाशाह योजना को आदर्श मानकर भारत सरकार ने 'आयुष्मान भारत योजना' लागू कर दी। वह हमारे यहां लागू

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

नहीं हो रही है। उसमें हम कमजोर पड़ रहे हैं, उसका हम प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं। राज्य सरकार के हिस्से का प्रीमियम तो आपको भरना होगा। वह नहीं भर पा रहे हैं हम। इसलिये आज 'आयुष्मान भारत योजना' का पूरा लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहा है और आप शाबाशी लेने जा रहे हैं। 'कन्यादान योजना' हथलेवा में 21 हजार देंगे।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जी। हथलेवा में 21 हजार देंगे। 'शुभलक्ष्मी' योजना चल रही है। श्रमिक कार्ड होल्डर, माता-पिता की बच्चियों को 50 हजार रुपया सरकार देती है। कितना पैंडिंग पड़ा है, जरा अपना हिसाब-किताब खंगालिए। अगर वह 50 हजार रुपया देने को नहीं है, नहीं मिल रहा है और वह पैसा दिलाने के नाम पर नये-नये दलाल खड़े हो गये आपके। उन दलालों को कंट्रोल करिए और वह पैसा भिजवाइए। हथलेवा बाद में कर लेना, पहले जो योजना है और जो एप्लीकेशंस आपके पास आ चुकीं, वह तो करिए। वह भी हमसे नहीं हो रहा है।

आरोप लग रहा है हमारी सरकार पर, 22 हजार स्कूल बंद कर दिये। हमने बंद कर दिये, गलत कर दिये। आप कह रहे हो वह गलत कर दिये तो आपको खोलने चाहिए थे न। आप कितने खोलेंगे मात्र 50, 22 हजार के बदले में 50 खोलेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करिए माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): और क्रमोन्नत विद्यालयों की जब आप बात करते हैं तो उच्च माध्यमिक विद्यालय 500 बनाएंगे। पूर्व राजस्थान सरकार वसुन्धरा जी नेतृत्व वाली, जिसने एक आदेश में हर पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय कर लिया था, उससे पहले 2003 से 2008 वाले में हर पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय किया था। उससे पहले भैरोंसिंहजी हर पंचायत मुख्यालय पर आठवीं करके गये थे। यह सारे हम कर चुके। आपको तो थोड़ा-बहुत करने को बचा है, वह भी आप ठीक से कर लें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री पदमाराम।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आखिरी बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, सिर्फ एक मिनट और लूंगा। 'अभय योजना' में आप कह रहे हैं 3500 से 10 हजार नये कैमरे लगाएंगे। जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार लगाकर गयी, उन

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कैमरों की मेंटिनेंस और मानिटरिंग नहीं हो रही। कोई देखने वाला नहीं कि उन कैमरों में क्या दिख रहा है, क्या रिकार्ड हो रहा है, वह तो पहले व्यवस्था कर लीजिए और नये कैमरे लगाने की बात बाद में करिए।

अंतिम बात, मैं करना चाहता हूं। कुछ अच्छी बात जरूर आपकी सरकार ने की है, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थानी भाषा सिखाने के लिये एप बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य कदम है। राजस्थानी भाषा सिखाने का एप बनाने के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजस्थानी भाषा को अपने घर में तो मान्यता दे दो। द्वितीय राजभाषा का दर्जा तो दे दो। वह आपके हाथ में है। भारत सरकार के हाथ में जो है, वह संविधान की अनुसूची होगी, पर राजभाषा का दर्जा देने का काम तो आपके हाथ में है। वह आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने एक नई अकादमी बना दी 'जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी' बहुत अच्छा किया आपने, पर जो 9 या 11 अकादमियां हैं, वह सारी खाली पड़ी हैं, उनके पद भर लीजिए, उनमें काम-काज शुरू कर लीजिए।

अंत में, अग्निशमन वाहन की जो बात की गयी है। मैं आखिरी बात आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नगरपालिकाओं में तो अग्निशमन वाहन हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र सारा खाली पड़ा है। पंचायत समिति मुख्यालय पर तो कम से कम एक अग्निशमन वाहन दे दीजिए, पंचायत तक बाद में जाइए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): पंचायत समिति लेवल तक भी यदि अग्निशमन वाहन दे देंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करूंगा आपकी सरकार का भी, लेकिन इस बजट के आधार पर तो कुछ भी धन्यवाद करने लायक मुझे लगा नहीं। एक राजस्थानी भाषा के अलावा, बाकी सब बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसकी निन्दा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, सम्माननीय गहलोत साहब द्वारा 10 जुलाई को 2019-20 का परिवर्तित बजट पेश किया, उस पर बोलने के लिये आपने मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत बड़ा आभार, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट राजस्थान की दशा और दिशा

(श्री पदमाराम)

तय करने का बजट है। इस बजट के अंदर किसान, गरीब, मजदूर, युवा, उद्योग सबको आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान कैसे आगे बढ़े, राजस्थान में खुशहाली कैसे आये, राजस्थान में शांति, अमन, चैन, राजस्थान की प्रगति कैसे हो, पूरा प्रावधान इस बजट में है।

माननीय सभापति महोदय, दो दिन से बजट पर चर्चा हो रही है। प्रतिपक्ष के सभी वरिष्ठ माननीय सदस्य, कोई चार बार जीतकर आया है, कोई पांच बार जीतकर आया है, कोई सात बार जीतकर आया है, कोई आठ बार जीत कर आया है और सब यह फर्मा रहे हैं यह बजट भ्रांति का बजट है, भ्रम पैदा करने वाला बजट है, इस बजट में कोई विजन नहीं है, इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत वरिष्ठ माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पहले जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके अन्दर क्या पहले प्रावधान किये जाते हैं? उनके अन्दर क्या पहले बजट उपलब्ध करने के बाद में आगे नई नीतियां तैयार की जाती हैं? सिर्फ इनका दायित्व है, यह विपक्ष में हैं, यह अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपने नम्बर बढ़ाने के लिए कांग्रेस के बजट की प्रशंसा नहीं करेंगे, इसके लिए हम सहमत हैं परन्तु जो अच्छा हुआ है, जो अच्छे के लिए किया है उसके बारे में तो यह थोड़ी बात करें।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार यह बात कर रहे हैं कि सेन्टर की योजना, सेन्टर का बजट, सेन्टर में जो भी बजट है, राजस्थान में जो भी बजट है, बजट आम पब्लिक का है। सेन्टर में भी पब्लिक की सरकार है और यह भी पब्लिक की सरकार है हां, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सम्माननीय मोदी जी प्रधान मंत्री हैं। प्रधान मंत्री जब चुनाव होते हैं उस समय पार्टी के होते हैं और चुनाव जीतने के बाद में प्रधान मंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। देश का जो हिस्सा, देश का जो फंड पूरे राजस्थान के अन्दर मिलता है वह किसी मेहरबानी से नहीं देते, वो विशेष दर्जे का नहीं देते। पिछले पांच साल में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज था और सेन्टर में भी भारतीय जनता पार्टी का राज था, आपने कौनसी नई योजना लागू की, आप वहां से कौनसा ऐसा नया तोहफा लेकर आये जो राजस्थान की जनता पर आपने बड़ी मेहरबानी कर दी? ऐसी कौनसी योजना है, एक भी योजना आप बताओ। भामाशाह योजना, भामाशाह योजना के अन्दर पांच साल तक राजस्थान की जनता को फोटो स्टेट कॉपियों के अन्दर घुमा-

(श्री पदमाराम)

घुमाकर उनकी हालत खराब कर दी। एक-एक परिवार का पांच-पांच, दस-दस हजार रुपये का खर्चा हुआ, यह भामाशाह योजना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके दिल में किसान के लिए दर्द है, पीड़ा है। उन्होंने पहले ऋण माफी के अन्दर विधान सभा में प्रावधान रखा, उसके बाद में पानी के लिए रखा, उसके बाद में बिजली के लिए रखा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसान एक अन्नदाता है, किसान की मजबूती के लिए हम सब जनता की मेहरबानी से यहां आये हैं और अपने को किसान के बारे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। किसान कड़ी मेहनत करता है, रात-दिन मेहनत करता है, दिन को, रात को, धूप में मेहनत करता है, रात को कड़ी सर्दी में भी पानी की सिंचाई करता है, उसके बाद में भी वह अपना जो अनाज पैदा करता है उसकी पूरी कीमत उसको नहीं मिलती है, उसकी पूरी मजदूरी उसको नहीं मिलती है, उसके बारे में इस सदन में बात होनी चाहिए। अपन उसका विकास कैसे करें, किसान को मजबूती कैसे दें, किसान को सबल कैसे करें, उसके बारे में अपने को बात करनी चाहिए, वह कोई नहीं करता है। सब अपना नम्बर कैसे बढ़े, पार्टी के अन्दर अपना वर्चस्व कैसे हो, पार्टी के नेता अपनी प्रशंसा कैसे करेंगे, उसके बारे में करते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसान के बारे में सोचा, किसान निधि बढ़ाई और एक हजार करोड़ रुपये, एक हजार करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि है। किसानों की फसल खराब हो जाएगी, किसानों को समय पर अपनी उपज का मूल्य नहीं मिलेगा, किसान को सहायता देने के लिए प्रावधान किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बारे में बात करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने किसान की फसल का, अपने खेत के पड़ौस में नया व्यापार खोलें, उस फसल का नवीनीकरण करें और उसका उचित मूल्य प्राप्त करें, उसके लिए प्रावधान किया, वे धन्यवाद के पात्र हैं।

किसानों को प्राकृतिक खाद कैसे पैदा की जाए, उसको प्रोत्साहिन कैसे किया जाए, उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, उनकी फसल की उपज अच्छी कैसे मिले, उसके लिए भी प्रावधान किया, वे धन्यवाद के पात्र हैं।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा नहर का कुछ हिस्सा आ रहा है। नर्मदा नहर पांच साल में तैयार हुई। पूर्व के हिस्से को इनको कमाण्ड घोषित कर दिया और उत्तर और पश्चिम का हिस्सा एक इंच भी कमाण्ड नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नर्मदा नहर में चौहटन विधान सभा क्षेत्र के जिन किसानों ने अपनी अमूल्य जमीन दी है, अपने बच्चों का भरण-पोषण करने वाली जमीन नर्मदा नहर के अन्दर एक्वायर हुई है, वहां नहर बनी है, उसको कमाण्ड क्षेत्र घोषित करें। यह मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि ऊर्जा के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले पीरियड में नई स्कीमें लागू कीं, नये सब-सेन्टर पैदा किये और ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती हो, उसके लिए कई नये आयाम पैदा किये, उसके मार्फत आज राजस्थान विद्युत में सरप्लस है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह हमने पिछले पांच साल के अन्दर तैयार किया इसलिए सरप्लस है, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पिछले पांच साल में कितनी इकाइयां लगायीं, उसके अन्दर कहां-कहां लगायीं, उससे क्या सरप्लस हुआ, उसकी आप वाहवाही ले सकते हो, वह लेने के आप हकदार हो परन्तु पिछले सालों के अन्दर जो कांग्रेस राज में नये आयाम स्थापित किये, उससे जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसकी वाहवाही आपके लेने की नहीं है, हम सब उसके अन्दर भागीदार हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के महानुभावों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, पंचायत मुख्यालयों पर कैम्प लगाकर लोगों से डिमाण्ड भराई, उन डिमाण्ड का लोग आज दिन तक चक्कर लगा रहे हैं। दीनदयाल ज्योति योजना लागू की, उस दीनदयाल ज्योति योजना के अन्दर इनके जो चहेते थे, जो इनकी चहेती पंचायतें थीं उनके तो इन्होंने कनेक्शन करवा दिये, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी 35 हजार गरीब लोग दो-दो, तीन-तीन, चार-चार साल से डिमाण्ड भरे हुए चक्कर लगा रहे हैं, काम करने वाला कोई नहीं है। अभी ऐसा सुनने में आया कि दीनदयाल योजना बंद कर दी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी योजना के तहत जिन गरीब परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर में रोशनी करने के लिए जो डिमाण्ड भरी है उनको, 35 हजार वंचित परिवारों को कनेक्शन दिलाने की आप व्यवस्था करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): साहब, अभी शुरू किया है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): थोड़े रुको तो सही। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि कनेक्शन, चुनाव से पहले जो आनन-फानन में दुनिया भर की आपने डिमाण्ड निकाली, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 हजार 400 डिमाण्ड निकाल दी और अभी आप फर्मा रहे थे हमारे समय में जो सामान था उससे ही वाहवाही लूट रहे हैं, 300 कनेक्शन किये अभी सात महीने के अन्दर 1050 कनेक्शन हुए हैं, 1650 कनेक्शन आज भी बाकी हैं। मैंने अभी एस.ई. साहब से कहा है, उन्होंने कहा कि पूरा माल आया हुआ है और आने वाले दो महीने में रबी की फसल पैदा होते ही, उससे पहले-पहले आपके कनेक्शन कर दिये जाएंगे। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन किसानों ने कौनसी गलती कर दी? उनकी डिमाण्ड निकाल दी, उन्होंने पांच-पांच लाख का कर्जा ले लिया और आप उनको समय पर कनेक्शन नहीं दे सके, किसानों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अभी गर्ग साहब ठीक ही फर्मा रहे थे, मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूं कि हमारे बाड़मेर जिले में अनुसूचित जनजाति के रहने वाले भील समाज के लोग बहुत गरीब हैं, पिछड़े हैं, आदिवासियों के समान हैं, टाडा, माडा में उनको पूरी सुविधा मिलती है, उनको वहां कनेक्शन मिलते हैं, इन्होंने क्या गुनाह किया? हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, बार्डर पर रहने वाले गरीब लोग हैं, अभी झोपड़ियों में रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को दो बार निवेदन भी किया है, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि उनको सिर्फ कृषि कनेक्शन के अन्दर प्राथमिकता दें। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि जो बजट के अंदर बेरोजगारों को लोन के लिए 75 हजार का प्रावधान किया था, उसमें प्राथमिकता दें।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मेरे वाला समय इनको दे दो।

श्री पदमाराम (चौहटन): दो मिनट। सभापति महोदय, मैं आपसे

(श्री पदमाराम)

निवेदन कर रहा हूं कि हमारे वरिष्ठ लोग, पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि हमारा यह काम नहीं हुआ। अभी गर्ग साहब फर्मा रहे थे कि जालौर का ध्यान नहीं रखा। जालौर के अंदर पिछले 5 साल में आपके एमएलए थे। आपका राज था तो आपका पूरा काम हो गया होगा? कोई काम पैंडिंग रहा ही नहीं होगा?

श्री सभापति: विराजिए। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री पदमाराम (चौहटन): इस कारण से आपका नाम नहीं लिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): एक मिनट, एक मिनट।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मेरा दे दीजिए इनको। 3 मिनट मेरा दे दीजिए इनको।

श्री पदमाराम (चौहटन): दो मिनट बस। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं प्रशासन के बारे में यह बात कर रहे हैं कि बजरी माफिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हमने 6 महीनों में ऐसा कोई थाना चेंज नहीं किया है। पूरे थानेदार चेंज नहीं किए। 5 साल के अंदर आपने क्या किया? आपने जो अड्डा बनाकर रखा है, आपने जो लूटने का काम किया है, वह आकर हमको भुगतना पड़ रहा है। हॉस्पिटल खाली हैं, हास्पिटलों में कोई डाक्टरों का ट्रांसफर नहीं किया।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा आपसे निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री की सोच है कि जनता को सुख देने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए 75 हजार भर्ती की घोषणा की है। इस बजट के अंदर आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, प्रत्येक को आगे बढ़ावा देने के लिए, रिफाइनरी के अंदर जो प्रावधान किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय एक मिनट, कासनियां जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

माननीय श्री रामप्रताप कासनियां।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया। लेकिन मेरे ऊपर थोड़ी मेहरबानी रखना।

सभापति महोदय, बजट पर चर्चा हो रही है। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता कि सरकार आई, सरकार चली गयी, उसने यह कर दिया, इसने यह कर दिया, इससे राजस्थान का भला नहीं होने वाला है। इस प्रांत की जो योजनाएं हैं, नाम बदलो, कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरकार बदलने के बाद जो योजनाओं को बदला जाता है, इससे यह प्रदेश बहुत पीछे चला गया। अगर इस प्रांत को बहबूदी प्रदान करनी है तो कम से कम 20 वर्ष की आगामी योजनाएं बनाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सरकार चाहे किसी की आए, किसी की जाए, योजना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहो, उसने वह कर दिया, इसने यह कर दिया। इस बजट में सांप और गोहरे हैं। मैंने जितनी मेरी सूझबूझ है, उसके अनुसार पढ़कर देखा है। कुछ नहीं है लीपापोती है।

सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में और राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही थी। कर दिया किसानों का भला? हो गया किसानों का भला? बेरोजगारों को रोजगार दे दिया? बेराजगारी भत्ता दे दिया?

श्री सभापति: इधर देखें माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने जो अच्छा काम किया है, उसका बखान करने में कोई संकोच नहीं है। इन्होंने भी थोड़ा-सा भला काम किया, मैं इनका भी प्रचार करूंगा। राजस्थान के अंदर, जब से नहर बनी है, तब से लेकर एक फूटी कौड़ी इन्होंने अपने 50

(श्री रामप्रताप कासनियां)

साल के राज में खर्च नहीं की। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार केन्द्र सरकार से धन लाई, अपने खजाने से पैसा दिया और राजस्थान नहर को दुबारा पक्की करने का काम किया है। प्रथम चरण की जितनी नहरें हैं, उन सबको नई बनाने का काम किया है। पक्के खाले बनाने का काम किया है। आपने अपने इस बजट के अंदर कितनी किलोमीटर की लाइनिंग की है और पूर्ववर्ती सरकार ने कितनी करवाई? एक वर्ष की तुलना कर लो। पता लग जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चहता हूं सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सुंदर बात कही कि राजस्व के अंदर हम सरलीकरण करके किसानों के काम करेंगे। पिछले 50 वर्ष से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर टी.सी. के काश्तकार हैं, टेम्परेरी आबंटन, वह बूढ़े हो गए, आज दिन तक उनको खातेदारी नहीं मिली है। ऐसे हजारों की संख्या में लोग आज भी वंचित हैं। मैं रेवेन्यू मंत्री जी से, सरकार से चाहूंगा कि वे जो टी.सी. के काश्तकार हैं, जो पात्र हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि अपात्र लोगों को दें, पात्र को दें। इसके अलावा जिन काश्तकारों ने किश्तें जमा करवा दीं। पुख्ता आबंटन हो गया। 10-10, 20-20 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक खातेदारी नहीं मिली।

सभापति महोदय, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पुख्ता आबंटन हो गया, लेकिन रिकार्ड में अमलदरामद नहीं होने के कारण पटवारियों ने रकबा राज की सूची में उसको पकड़ लिया और गजट में विशेष आबंटन के लिए साया करवा दिया। काश्तकार जमीन पर बैठा है। किश्त उसने भर दी। स्माल फेज के आवंटी, मीडियम फेज के आबंटी, इस तरह से हजारों काश्तकारों की भूमि गजट में साया करवा दी। वह अपनी भूमि छोड़ेंगे नहीं। नियम के अनुसार आप उनको बेदखल नहीं कर सकते। उनको जयपुर और गांव के बीच में लटकाने का काम मत करो। अगर राहत देनी है तो पात्र लोगों का रकबा गजट से बाहर निकालो।

सभापति महोदय, इसके अलावा, नियम तो सरकार ने बना रखे हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने बनाए थे, लेकिन सरकारी भूमि पर 15-15, 20-20 वर्ष के कब्जे हैं, उनका नियमन करने का प्रावधान है। नियमन क्यों नहीं कर रही है सरकार? काश्तकारों के जो रेवेन्यू से संबंधित मामले पैंडिंग पड़े हैं, उनका निस्तारण किया जाए।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता था, उस बात पर आना चाहता हूं। सदन इस बात का साक्षी है कि मैंने जब सर्वप्रथम हाउस में आकर शपथ ली थी, उस दिन कई लोगों ने सोचा कि यह क्या बोल रहा है, मैंने शपथ लेने के बाद एक शपथ ली थी कि इस प्रांत के अंदर जब तक आवारा पशुओं का सरकार कोई प्रबंध नहीं करेगी, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र किया है कि हम इसका प्रयास करेंगे। आवारा पशुओं के लिए कोई न कोई प्रबंध सरकार करने का प्रयास करेगी। यह प्रयास शब्द जो है, इसको हटाओ। आपने इस तरफ थोड़ा-बहुत किया है। पंचायत समिति के स्तर पर एक नंदीशाला खोलने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि टैक्स लगाओ, किस-किस मद पर लगाओ, उसमें आपने एक-दो पर तो लगा दिया।

(17.00 बजे)

आपने अभी तक गौशालाओं को एक फूटी कौड़ी अनुदान की नहीं दी है, अब नन्दीशाला खोलने जा रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा। मैं सरकार को फिर सुझाव देता हूं कि यह बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, किसान इससे इतना ज्यादा दु:खी हैं। यह केवल मेरे क्षेत्र की ही बात नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर यह समस्या है। अगर वाकई में सरकार गम्भीर है तो इसका प्रयत्न यह करना चाहिए कि जिन पंचायतों के अंदर सरकारी भूमि पड़ी है वहां दो-दो, चार-चार पंचायतों के बीच में गौशालाओं का निर्माण करें। सरकार ने टैक्स पहले ही लगा रखा है, 100 रुपये का स्टाम्प खरीदो तो 10 रुपये गौशाला के नाम का टैक्स लगता है। शराब पर टैक्स का मैंने कहा था, आपने लगा दिया। सौन्दर्यीकरण के साधनों पर आप टैक्स लगाओ, सोने पर लगाओ, चांदी पर लगाओ, महंगी दारू है इस पर और टैक्स ठोको। पशुओं का इन्तजाम करो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सिर्फ 5 वर्ष सरकार को कठिनाई है, 5 वर्ष के बाद गौशाला स्वत: ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी अगर नीयत है तो।

माननीय सभापति महोदय, अब तो ऐसी व्यवस्था हो गयी, इस आधुनिक युग में डाक्टर लोग कहते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान से 100 गाय अगर ब्याएंगी तो 95 बछड़ी लाएंगी। ऐसी व्यवस्था हो गयी, गौशाला के अंदर नस्ल सुधार के लिए राठी, थारपारकर, ये जो अपने राजस्थान की मुख्य नस्लें हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी तो कुछ ही नहीं हुआ। बस यही दिक्कत है। माननीय सभापति महोदय, न तो मैं कोई ध्यानाकर्षण जानता, न 295 जानता, न स्थगन जानता, आज ही तो थोड़ा मौका मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व में बीजेपी से पहले आपकी सरकार थी। आपने एटा-सिंगरासर माइनर के नाम से जिज्ञासा लोगों में पैदा की थी। फिर वहां आंदोलन हुए, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उस आंदोलन के अंदर भाग लिया, पूर्ववर्ती सरकार ने उन गांवों को विशेष पैकेज बनवाकर बिजली के कनेक्शन दिए। बिजली के कनेक्शन देने के बाद में विशेष आबंटन की जो राशि है, वह उनसे जमा करवाई, आधे पैसे, उसमें कुछ लोग डिमांड राशि जमा नहीं करवा पाए, ऐसे 60-70 किसान हैं जो वंचित हैं। माननीय सभापति महोदय, वे अब जमा करवाना चाहते हैं उनको छूट दी जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे पता नहीं, क्या बीमारी हुई है जब से आपका राज बना है तब से गांव में पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिजली के बार-बार कट लग रहे हैं, मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान का मुझे पता नहीं कि क्या है। मेरे क्षेत्र में आए दिन बिजली के कट लगते हैं, एक घंटे चली फिर ट्रिपिंग, यही हालत काश्तकारों की है तो बिजली के अंदर सुधार करें।

माननीय सभापति महोदय, आप एक-दूसरे पर आरोप मत लगाओ, काम करोगे तो हम अपने आप आपके गुणगान करेंगे। जैसा मैंने नन्दीशाला के लिए आपको धन्यवाद दिया है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप काम करो लोग आपको अपने आप याद रखेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। सहयोग करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में भी यही हाल है, पद रिक्त हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। भारतमाला एक रोड है, जो मेरे क्षेत्र के अंदर से होकर गुजरती है, उसका मुआवजा बहुत कम है। आज माननीय सदस्य डीएलसी रेट बढ़ाने का विरोध कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि डीएलसी रेट बहुत ही कम है और उनको मुआवजा डीएलसी रेट से चार

(श्री रामप्रताप कासनियां)

गुणा मिलेगा। भारतमाला के अंदर जिन काश्तकारों की भूमि आ रही है उनको बाजार दर के चार गुणा के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए, यह मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा,
आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा,
शीशा हूं टूट गया तो खनक छोड़ जाऊंगा।

श्री सभापति: शीशे का बता रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि आवाज जरूर छोड़ जाएंगे आप। शीशे का तो नहीं पता टूटेगा कि नहीं टूटेगा लेकिन आवाज जरूर छोड़ देंगे, यह मैं कह सकता हूं। वरदान ही है आवाज आपके पास भगवान की दी हुई। भगवान की दी हुई आवाज आपके पास है, वरदान है।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के बजट 2019-20 के ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। चूंकि मेरा जीवन का पहला बजट है और यह सोच रहे थे हम सब लोग कि हर बार हम सब लोग सुनते थे, देखते थे कि चुनावी साल में इस तरीके का बजट लाया जाता है लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्री, अशोक गहलोतजी को, सभी वर्गों को साधने वाला बजट, राजस्थान के विकास को बढ़ाने वाला बजट वह लेकर आए।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं नौजवान हूं, युवा हूं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कि युवाओं को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वह है रोजगार। 75 हजार नौकरियों का वादा इस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मैं राजस्थान के युवाओं की तरफ से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नौजवानों की पीड़ा को समझकर नौकरियों का वायदा किया। क्योंकि पिछली सरकार में हम लोग देखते थे, दो-तीन साल तो भर्तियां नहीं खुलीं, खुली उसके बाद आधी से ज्यादा भर्तियां कोर्ट में जाकर अटक गयीं।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का नौजवान जो गांव से निकलकर, ढाणी से निकलकर, रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में, बड़े-बड़े कस्बों में, बड़े-बड़े शहरों में जाकर कोचिंग लेता है, ज्यादातर लोग किसान परिवारों के हैं, मजदूर परिवारों के हैं। माननीय सभापति महोदय, एक गरीब किसान पांच बीघा, दस बीघा जमीन का काश्तकार, उसकी तमन्ना होती है कि उसका बेटा पढ़-लिखकर अच्छी जगह पर जाए, अपना नाम रोशन करे। वह पूरे साल मेहनत करता है, रात दिन खेत में मेहनत करके पैसा कमाता है और उस पैसे से बेटे को कोचिंग करवाता है, उसका कालेज में दाखिला दिलवाता है। पूरे साल वह कोचिंग करता है, जब भर्ती आती है तो पता चलता है कि वह भर्ती कोर्ट में जाकर अटक गयी या सरकार ने भर्ती निकाली ही नहीं। यह खेल पांच साल पूरे बीजेपी के राज में चलता रहा। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि नौजवानों की पीड़ा को समझकर अच्छे रोजगार के अवसर उन्हें दिए।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की पिछली सरकार ने, आदरणीय गहलोत साहब ने, पूरे देश को एक नई योजना दी, पूरे देश में जो योजना प्रचलित हुई वह नि:शुल्क दवा योजना थी। गांव से, ढाणी से, गरीब परिवार का आदमी, मजदूर आदमी, हास्पिटल में इलाज करवाने आता था, जेब में पैसे नहीं होते थे और पैसे के अभाव में वह दम तोड़ देता था। इस पीड़ा को समझने का काम उन्होंने किया। पिछली सरकार में नि:शुल्क दवा योजना लेकर और इस बार उससे भी बड़ा काम उन्होंने किया कि लाखों रुपये खर्च होने वाली बीमारी, किडनी, हार्ट, कैंसर, जो आज अमूमन हर गांव की बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, उसको भी इस दायरे में लेकर आए, मैं पूरे गांव, ढाणी, किसान परिवारों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, हमारे कई साथी अभी बात कर रहे थे, जब सर्दी का महीना होता है, फसलों का समय होता है, बिजाई का समय होता है, काश्तकार को उस समय खाद की आवश्यकता होती है। डीएपी की आवश्यकता होती है, यूरिया की आवश्यकता होती है, पर पिछले पांच साल में हमने देखा कि जिस प्रकार से कालाबाजारी हुई, पुलिस लाइन लगाकर यूरिया और डीएपी बांटने का काम करती थी। काश्तकार परेशान होता था। आज मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को कि एक लाख मीट्रिक टन डीएपी और दो लाख मीट्रिक टन यूरिया के भण्डारण की बात उन्होंने इस बजट में की, यह काश्तकारों के लिये बहुत खुशी की बात है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, जैसा कि पक्ष-विपक्ष के सभी लोग बात कर रहे थे, पेयजल की आज बहुत भारी समस्या हमारे गांवों में है। जल स्तर नीचे चला गया है। इंद्र देव मेहरबान नहीं हो रहे और उसी का परिणाम है कि आज गांवों में पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज हमारा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण और मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पीने के पानी की बहुत समस्या है। हमारे सांसद साहब ने पिछला चुनाव लड़ा, तब भी घोषणा की थी कि हम भी यमुना का पानी जयपुर जिले में लेकर आएंगे।

हमारे जयपुर जिले के संजीवनी, रामगढ़ बांध, हमारे छितोली बांध, भुचारा बांध, बनेड़ी बांध जो आज सूखे पड़े हैं, मैं आप पक्ष और विपक्ष, सभी लोगों से निवेदन करता हूं, क्योंकि पानी की आवश्यकता सभी को है, केन्द्र सरकार से हम लोग यह मांग करें कि यमुना का फ्लड का पानी अगर लिफ्टिंग सिस्टम से इन बांधों को भरने का काम करे तो पूरे जयपुर ग्रामीण से पानी की समस्या खतम हो जाएगी।

सभापति महोदय, अभी मुझसे पहले जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने ढाई सौ की आबादी के गांव भी सड़कों से जोड़ दिये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव, जिनमें आज भी पांच सौ से भी ज्यादा की आबादी है, वे गांव आज भी बिना सड़कों के हैं। मैं राजस्थान की सरकार और आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पांच सौ से ज्यादा की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की उन्होंने घोषणा की।

सभापति महोदय, नये कृषि कनेक्शनों का जब मामला आता था, जो कि पांच-पांच साल से पैंडिंग था, आज उस पीड़ा को समझने का काम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया। एक लाख नये कृषि कनेक्शनों की घोषणा इस बजट में की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, जब चुनाव की बात आती है, हमारे विपक्ष के साथी गांधी जी और अंबेडकर जी को याद करते हैं, लेकिन कभी सरकार के समय उन्हें याद नहीं करते। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पंचायत समिति मुख्यालयों के ऊपर अंबेडकर भवन बनाने की उन्होंने घोषणा की।

सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस की सरकार ने, जब आदरणीय गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे, हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया। पेंशन शुरू की, जिसकी हमारे विपक्षी लोग मजाक उड़ाते थे कि आज गांव में

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

एक बुजुर्ग होता है, जरूरी नहीं है कि उस पेंशन के पैसे से उसका पेट भरता हो, लेकिन उसकी जेब में जब पांच सौ और एक हजार का नोट होता है, वह सम्मान के साथ उस गांव में जीने का काम करता है। अब पहली बार हमारी सरकार ने इस पेंशन को बढ़ाकर साढ़े सात सौ रुपये और साढ़े सात सौ रुपये को बढ़ाकर एक हजार करने का काम किया, इसके लिये मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। 62 लाख पेंशन भोगी लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, जयपुर की सड़कों, बड़े-बड़े शहरों की सड़कों पर हम लोग देखते हैं, हर बत्ती, हर चौराहे पर भिक्षावृत्ति के बहुत बुरे हालात हैं। भिक्षावृत्ति को बंद करने का काम आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया, इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें सदन के सामने रखना चाहता हूं कि हमारा विराटनगर विधान सभा क्षेत्र उप-खण्ड मुख्यालय भी है और विधान सभा हैडक्वार्टर भी है। विराटनगर का इतिहास बहुत पुराना है।

सभापति महोदय, वहां पर एक सरकारी महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। हमारे छात्र-छात्राएं तीस-चालीस किलोमीटर दूर कालेजों में पढ़ने जाते हैं। छात्र तो फिर भी चले जाते हैं, लेकिन छात्राओं के लिये बहुत बड़ी परेशानी है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि विराटनगर में जल्दी ही एक नया कालेज खोला जाए जिससे हमारे छात्र-छात्राओं के पढ़ने का काम सुचारु रूप से चल सके।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे विराटनगर का बहुत पुराना इतिहास है। विराटनगर में महाभारतकालीन सभ्यताएं हैं। जिस प्रकार से इतिहास बताता है कि पांडवों ने एक साल का अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। आज विराटनगर में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विराटनगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे वहां के लोगों के लिये रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ें और विराटनगर पर्यटन के मानचित्र पर आ सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, नंदी गौशाला का मामला। जैसा कि हम लोग गांवों, कस्बों में देखते हैं कि आज आवारा पशु, हमारी गौ माता सड़कों पर घूमती हैं, नंदी सड़कों पर घूमते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। बीजेपी के लोग गाय के नाम पर वोट मांगने का काम तो हमेशा करते हैं, लेकिन गाय के बारे में सोचने का काम कभी नहीं करते। हमारी कांग्रेस की पिछली सरकार जब थी, तब भी गौशालाओं के लिये अच्छा अनुदान कांग्रेस की सरकार ने दिया। फिर अगले पांच साल में गौशालाओं को कोई अनुदान मिलने का काम नहीं हुआ। न ही कोई अनुदान बढ़ाने का काम हुआ।

हिंगोनिया गौशाला में हजारों गायें मर गयीं, पर उन्हें कोई संभालने वाला नहीं मिला। सवाई माधोपुर में गौशाला में हजारों गायें मारी गयीं, कोई संभालने वाला नहीं मिला। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि नंदी गौशाला खोलने की घोषणा उन्होंने इस बजट में की। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2019-20 के राज्य परिवर्तित बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीति और विकास का आईना होता है, जिसमें जनता की उम्मीदों और सपनों का प्रतिबिंब दिखायी देता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विकास का कोई ऐसा माडल इस बजट के दस्तावेज में दिखायी नहीं देता है। यह बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल और खोखली घोषणाओं का पिटारा लगता है। माननीय सभापति महोदय, भाजपा सरकार की योजनाओं का ही नाम बदलकर इन्हें इस बजट में दर्शाया गया है। राजस्थान मरु प्रदेश है, यह सब जानते हैं। पानी की कमी है, मानसून की अनिश्चितता है। गांव और ढाणियां बिखरी आबादी में रहते हैं। यह राजस्थान के विकास में सबसे बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को स्वीकार करके जो सरकार प्रदेश को विकास की दौड़ में आगे ले जाए, उसी सरकार को जनता हमेशा याद रखती है।

प्रदेश में पचास साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। राजस्थान का

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सम्पूर्ण विकास नहीं हो सका। यह प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा है। आजादी से लेकर 1977, तीस वर्षों तक आपका राज रहा। 1980 से 1990 के दस वर्षों तक आपका राज रहा। 1998 से 2003 के पांच वर्ष तक, 2008 से 2013 के पांच वर्ष तक और 2018 से वापस आपका शासन आ गया। कुल-मिलाकर आज तक आपने पचास वर्ष तक राज भोगने का काम किया है। राजस्थान प्रदेश को बीमारू बनाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है।

आज राजस्थान में बिजली, पानी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार जैसी समस्याओं का चरम आपके रहते हुए पचास सालों में हो गया। पूरा प्रदेश माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है। भू-माफिया, जिसका मैं भुक्तभोगी हूं, भीलवाड़ा में मेरी जमीन पर सवर्ण लोगों ने कब्जा कर लिया, बड़ी मुश्किल से उसको मुक्त कराने का काम मुझे करना पड़ा। बजरी माफिया, उसकी तो पूरा का पूरा सदन इस बात की चिंता करता है कि बजरी माफिया पैदा हो गये। टोल माफिया, शराब माफिया, अवैध वसूली करने वाले माफिया और ऐसे कई माफिया बन गये हैं। सभापति जी, ये माफिया बने, वह तो ठीक है लेकिन इन माफियाओं का हर वर्ष जन्म दिन भी मनाया जाता है। हर साल किसने कितना बड़ा काम किया है, बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों में जाकर इनका जन्म दिन भी मनाया जाता है, उत्सव होता है।

मेरा एक निवेदन है कि बजरी की समस्या इतनी बड़ी है और मैं बनास नदी के किनारे रहने वाला हूं, 25-30 किलोमीटर नदी हमारे क्षेत्र में पड़ती है और वहां से राजसमन्द से, मातृकुण्डिया, कारोई, हमीरगढ़, भीलवाड़ा तक जाती है। वहां से हजारों ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेलर 50-50 टन के रोज बजरी भरकर निकलते हैं। वहां पर एसडीओ, पुलिस कोई भी कार्यवाही करती है लेकिन आज पकड़ते हैं और कल फिर वे बजरी लेकर चले जाते हैं। अफीम ले जाना आसान हो रहा है इस प्रदेश में लेकिन रेत निकालकर ले जाना, उनके आगे रैकी करती हुई गाड़ियां चलती हैं और जितनी भी बजरी माफियाओं के द्वारा गाड़ियां चलाई जा रही हैं उन पर नम्बर प्लेट एक पर भी नहीं है, न ट्रेलर पर नम्बर प्लेट है, न ट्रैक्टर पर है, न डम्पर पर है। इतनी बड़ी अनदेखी इस सरकार के द्वारा हो रही है। मेरा निवेदन है कि समय रहते हुए इन बीमारियों का इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारियां कैन्सर बनकर सरकार के

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

लिए नासूर बन जाएंगी। ये सब माफिया मिलकर राजस्थान की जनता को लूट खाएंगे और यह मरु प्रदेश बीमारू प्रदेश बनकर रह जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर 6 में दर्शाया गया है - 'हमारी सरकार शुरू से ही सामाजिक न्याय, सर्वधर्म समभाव, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास की प्रबल हिमायती रही है। हम सदैव अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों सहित हाशिये पर खड़े लोगों के समग्र उत्थान के सिद्धान्तों पर चले हैं।' कितने ही समग्र विकास पर चल रहे हैं, वह मैं आपको निवेदन करूं। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो एससी, एसटी, पिछड़े और गरीब लोगों के उत्थान की बात आज कोई इस देश में करने वाला नहीं होता। आजादी के 70 वर्षों बाद गरीब का बेटा, एससी, एसटी का बेटा, एससी, एसटी का दूल्हा शादी करने जब जाता है तो उस गांव के अन्दर घोड़ी के ऊपर बैठकर निकलने में उसको बड़ी बाधाएं आती हैं। क्या यही हमारा सामाजिक न्याय है? हमने 70 वर्षों तक क्या किया? हम सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बना पाये। एससी, एसटी के पूरे के पूरे तबके को हमने वंचित रखा, शोषित रखा, पीड़ित रखा और कोई सुनने वाला नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर वोट बटोरने का काम जो सरकारों ने किया है वह हमें आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। सामाजिक न्याय सबको मिले, ऐसा हम सबको करने की आवश्यकता है। 50 वर्षों तक पंचायती राज के आरक्षण से एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को वंचित रखा गया। मैं इस अवसर में तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत को जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में करके एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को जन प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। यह न्याय होता है, सामाजिक न्याय यह होता है। खाली कागजों में कहने से सामाजिक न्याय नहीं होता है, उसके लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं।

सभापति महोदय, पैरा नम्बर 8 में लिखा है- 'हमारी प्राथमिकता का पूरा ब्यौरा जन घोषणा पत्र में दर्ज है, जिसे हमने सरकारी कार्य योजना का अंग बनाया है। इस कार्य योजना को चरणबद्ध रूप से पूरा करने का दृढ़ निश्चय रहेगा।' मेरा निवेदन है कि आपकी सरकार ने जन घोषणा पत्र को सरकारी योजना का अंग बनाकर जन घोषणा पत्र में आपने किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही है। माननीय सभापति महोदय, जब आप घोषणा पत्र को दस्तावेज बनाते हो तो सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की बात

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कही है आपने और यह सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की बात भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी से आपने कहलवा दी और वह जादू चल गये, लोग भ्रमित हो गये, वोटों की फसल आपने काट ली वर्ना यह सम्पूर्ण कर्जे की और साढ़े तीन हजार रुपये बेरोजगारों के भत्ते की बात यदि चुनावों में नहीं करते तो दृश्य पिछले वाला होता, हम उधर होते और आप इधर ही होते। लेकिन आपने जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम किया है...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अभी तो चार मिनट हुए हैं साहब।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): चार मिनट में एक पेज पढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आपका-हमारा हमेशा साथ रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यदि आपने उस समय यह घोषणा करके वोट नहीं बटोरे होते तो सरकार को परिवर्तन होना मुश्किल था। फिर जनता को जैसे ही पता चला कि आपने जनता को ठगा है, सम्पूर्ण कर्जा माफ नहीं किया, न ही साढ़े तीन हजार बेरोजगारों को भत्ता देने का काम किया, लोक सभा के चुनावों में जनता ने आपको यह सब दिखा दिया और 184 विधान सभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और लोक सभा में आपको डबल शून्य दिया गया है। यही जनता है राजस्थान की। मेरा निवेदन है कि असत्य ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। प्रदेश में तो यह हाल हुए ही हैं, देश में 18 राज्यों में आपकी सरकार नहीं है और 18 राज्यों में आपका एक भी प्रतिनिधि लोक सभा का नहीं है।

सभापति महोदय, तीन मिनट में बात पूरी करूंगा। पैरा नम्बर 10 - 'पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गयी थी।' 'गत सरकार के अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण....' मेरा एक निवेदन है, इन शब्दों से मुझे तकलीफ है, कुप्रबन्ध और अविवेकी। यहां जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, क्या कोई जीती हुई सरकार अपने वित्तीय प्रबन्धन को खराब करना चाहेगी? यहां जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, इनमें विवेक नहीं है? यानी हमारे ही अधिकारी हमको ही अविवेकपूर्ण, कुप्रबन्धन का जिम्मेदारी ठहराते हैं। जब बजट तैयार किया गया था, जब हमारी सरकार में बजट तैयार किया गया था उस समय ये अधिकारी नहीं थे क्या बजट बनाने वाले? यही अधिकारी उस समय थे लेकिन अधिकारियों की चापलूसी के कारण

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

जब भी सरकारें बदलती हैं तब यही अधिकारी उनकी चापलूसी करके हमारे पर जले पर नमक डालने का काम करते हैं और हमको ही, जीते हुए प्रतिनिधियों को अविवेकी कहलाने का काम हमारे मुख्य मंत्री जी के द्वारा करवाये गये हैं, मैं इसकी निन्दा करता हूं। यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति न अविवेकी है, न कुप्रबन्धन करने वाला है। इस ब्यूरोक्रेसी से हमको सावचेत रहने की आवश्यकता है। ये सभी जन प्रतिनिधि समझदार, गुणी हैं। अभी एक बार सदन में बात आई थी कि 10 हजार का कर्जा माफ करने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट। कृषि के लिए, किसान की बात नहीं करूंगा तो माननीय सभापति महोदय, ये यही कहेंगे कि यह किसान का बेटा होने के बाद भी किसान की बात नहीं करता। मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे गाय भी बच सकती है, किसान की आर्थिक स्थिति भी, माली हालत भी ठीक हो सकती है....

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो ही मिनट में। मेरा एक निवेदन है कि किसानों की चिंता सब करते हैं, यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं आधे से ज्यादा किसान के घर से आने वाले हैं लेकिन वास्तव में जब किसान के बारे में चर्चा की जाती है तो सदन में 60-70 माननीय सदस्य रहते हैं, बाकी किसी को चिंता नहीं है। सबको चिंता है सड़क की, हास्पिटल की, होटल की। बड़े-बड़े उद्योगपतियों की चिंता है लेकिन उस किसान की चिंता नहीं है।

मैंगारंटी के साथ कहता हूं, ईमानदारी के साथ सदन में बैठकर कि किसान जो 80 प्रतिशत राजस्थान में है, उनकी चिंता कर देते तो उनकी माली हालत सुधारने का काम कर दें, अच्छी नीतियां बना दें तो कोई उद्योग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये किसान ही हमारी आर्थिक मदद कर देगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। श्री हरीश जी मीना।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: नहीं, नहीं। बिलकुल बंद करिए, बंद करिए, विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए। प्लीज-प्लीज सहयोग करें, ऐसे नहीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं निवेदन कर रहा हूं महानरेगा को कृषि के साथ जोड़ दिया जाए। यदि किसान के साथ महानरेगा जुड़ जाएगी और गोपालन के साथ महानरेगा जुड़ जाएगी। वह कैसे जुड़ेगी, खेती के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है। खेत की जुताई के लिए, निराई के लिए, गुड़ाई के लिए, पिलाई के लिए खेती की रखवाली के लिए, फसल की कटाई के लिए, फसल की निराई के लिए, फसल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। गोपालन के लिए चारा बुआई, चारा कटाई, गायों को चारा डालना, गायों के स्थान की सफाई करना, गायों को जंगल में ले जाना, दूध निकालना आदि कार्यों के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है। महानरेगा योजना को यदि किसान को जो खेती करता है, दो गायें उसको दे दी जाएं। एक हैक्टेयर जमीन पर जो खेती करेगा उसको मजदूरी दे दी जाए, एक काश्तकार को 100 दिन की मजदूरी मिलेगी तो बीस-तीस हजार रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। गाय पालने के लिए भी बीस-तीस हजार की सहायता मिलेगी तो निश्चित रूप से किसान की माली हालत सुधर जाएगी। आपने जो बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। श्री हरीश जी मीना।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): और एक निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम राजस्थान सरकार को, आदरणीय अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें माननीय सदस्य को। बोलने दें आप। विराजिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, यह ऐसा बजट है, जिसमें राजस्थान जैसे विशाल प्रदेश का, हर कौने का, हर क्षेत्र का और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हर तरह की यहां समस्याएं हैं। हमारा मरु प्रदेश

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

है, पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। सरकार ने हर क्षेत्र को महत्ता देते हुए निराकरण करने का समाधान किया है। आने वाले पांच वर्षों के लिए एक नक्शा, एक खाका तैयार किया है। वे बधाई के पात्र हैं।

सर्वप्रथम राजस्थान जैसे प्रदेश में कृषि की महत्ता को देखते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि को कैसे लाभदायक बनाया जाए, किसानों के हित की बनाई जाए, उसके बारे में सोचा। चाहे किसान के पानी की बात हो, सिंचाई के पानी की बात हो, खाद की बात हो, बीज की बात हो, व्यापार की बात हो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया जैसे व्यापारियों के 'ease of doing business' होता है, वैसे किसानों के लिए 'ease of doing farming' होनी चाहिए। ऐसे जो नवाचार हैं, ऐसी नई सोच है, उसको मैं बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, जो नारा दिया हमारी सरकार ने कि 'खेती में हो जान, तो सशक्त होगा किसान' तो खेती में जान डालने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। क्योंकि, मैं आज असलियत बताऊं सर, कोई भी किसान अपने बेटे से खेती नहीं करवाना चाहता। वह पैसे देकर चपरासी भर्ती करवा देगा, बाबू भर्ती करवा देगा, खेती इतनी अलाभदायक हो गयी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। विराजिए, विराजिए, बोलने दें उन्हें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय श्री लाहोटी, अपने स्थान पर जाइए, आप। नियमों की अवहेलना करते हैं। दूसरी जगह आकर बैठते हैं, वहां बैठकर बोलते हैं आप बैठे-बैठे। जाइए अपने स्थान पर। मेहरबानी करके डिस्टर्ब मत करिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गरीब किसान अपनी जमीन गिरवी रखकर, पैसा ब्याज पर लेकर, अपने बच्चे को पढ़ा लिखाकर, नौकरी करवाने को तैयार है, खेती नहीं करवाना चाहता। ये आपकी समझ का फेर है, जो आप इसको समझ नहीं पाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप इधर देखकर बात कहें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, खेती के साथ-साथ ही राजस्थान में पशुपालन जुड़ा हुआ है। खेती भी तभी लाभदायक होगी, जब पशुपालन को आप इससे जोड़ेंगे। हमारे विपक्ष के साथियों ने गाय के नाम पर

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

राजनीति की, गाय के विकास के लिए, गोपालक के विकास के लिए कुछ नहीं किया। बस गाय माता-गाय माता, वोट बटोरते गये, चलते गये। आज स्थिति यह हो गयी कि गोपालक भी मर रहा है, गाय भी मर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सरकार को कि हर पंचायत समिति स्तर पर उन्होंने नंदीशाला स्थापित करने का निर्णय लिया और गाय को कैसे हम लाभदायक बना दें, पशुपालन को कैसे लाभदायक बना दें, इसके लिए अनेक कदम उठाये हैं। जैसे कि अजमेर में सलेमाबाद में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय, इसी को आगे बढ़ाते हुए जोधपुर में एक नवीन पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोला जाना है।

सर, इसके साथ-साथ एक आग्रह मेरे क्षेत्र का भी, पूर्वी राजस्थान में गायें तो कम हैं। सर, भैसें बहुत हैं और हरियाणा की तर्ज पर जैसे हरियाणा में भूपेन्द्र सिंह जी हुड्डा की सरकार ने मुर्रा भैसों की परवरिश के लिए, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मुर्रा इंस्टीट्यूट खोले हैं, तो पूर्वी राजस्थान में इसी तर्ज पर अगर भैंस की किस्म को और लाभदायक बनाने के लिए कोई रिसर्च सेन्टर खोला जाए तो हमारे क्षेत्र के लिए हितकारी होगा।

सर, आवारा पशुओं से निजात पाने के लिए, आवारा पशु आप स्वयं जानते हैं, सीकर आते-जाते हैं, रोड पर आप आदमी से तो बच सकते हैं, आवारा पशु से नहीं बच सकते। ये देन हमारे विपक्ष के साथियों की, इन्होंने गाय-गाय करके इतनी गायें कर दीं कि गाय को घर में जगह नहीं और सड़क पर उनके चलने का स्थान नहीं। उसके कारण गाय की दुर्दशा हो रही है, अनेक एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएं खोलने का जो निर्णय लिया है, यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, सकारात्मक निर्णय है।

सर, इसी तरह गांव का, राजस्थान का विकास जब तक नई सड़कों का निर्माण नहीं होगा, इसके बिना आवागमन के साधन नहीं बढ़ेंगे, हमारा विकास अधूरा रह जाएगा। चाहे शहरी सड़क हो, चाहे ग्रामीण सड़क हो। सबमें जिस तरह से बजट का प्रावधान किया है, बहुत ही स्वागत योग्य है।

सर, एक नई योजना जो हमारी सरकार लाई है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर विकास पथ, एक नई योजना है। मैं मानता हूं हर ग्राम पंचायत को उसका लाभ मिलेगा। हमारे ग्रामीणों को, गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

मेरा सिर्फ सरकार से यह सुझाव रहेगा कि इसकी लम्बाई अभी से तय कर दें कि दो किलोमीटर की, एक किलोमीटर की, तीन किलोमीटर की, ताकि आगे जाकर इसमें काट-छांट नहीं हो। जो पंचायत स्तर पर आप विकास पथ बनाएंगे, उसके स्पेसिफिकेशन भी अगर दे दिये जाएं तो और सरल रहेगा।

सर, इसी तरह एक प्रगतिशील कदम जो हमारी सरकार ने लिया है। किसान पूरे राजस्थान में सर्दियों के दिनों में बिजली से परेशान थे, किसानों को बिजली रात में दी जाती थी, कड़ाके की सर्दी पड़ती है उधर बिजली आती तो सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी तीन वर्ष में किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। मैं मानता हूं यह किसानों के हित में, कृषि के हित में एक बहुत ही अच्छा कदम है। इसका हम सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए।

सर, पेयजल की जो प्रोब्लम है। चूंकि, राजस्थान एक मरु प्रदेश है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। हर क्षेत्र के लिए पेयजल की व्यवस्था की गयी है। नई-नई योजनाएं लाई गयी हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हमारी जनता को पीने के पानी की और भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सर, मैं मेरी कांस्टीट्युएंसी के बारे कुछ बात कह दूं। मेरे कांस्टीट्युएंसी में बीसलपुर डैम है। बीसलपुर डैम पूरे राजस्थान का पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे अजमेर, जयपुर और आस पास के पूरे इलाके जुड़े हुए हैं। पर, दुर्भाग्य कभी-कभी मुझे पीड़ा होती है कि जो देवली तहसील है, उसके गांव नहीं जुड़े हुए तो मेरा सरकार से आग्रह है पानी आप कहीं भी दें, पर पहले हमारी आपूर्ति पूरी कर दें देवली क्षेत्र की। देवली उनियारा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसका भी ध्यान रखें, उन लोगों का हक बनता है। उनको पानी मिले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा।

सर, जो नये औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने हैं रीको द्वारा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, नागौर, दौसा आदि, बहुत ही सराहनीय कदम है। उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे प्रदेश से बेरोजगारी दूर होगी, मैं इसका स्वागत करता हूं, बहुत ही अच्छा कदम है।

सरकार ने एक चीज जो हमको विरासत में मिली थी उसकी भी बजट में घोषणा की है। बजरी माफिया, यह बजरी माफिया राठौड़ साहब, आपको

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

पता होगा कहां छोड़ गये, कहां से लाये आप और हमारे गले की घंटी बन गयी। तो इसमें कहां से इसका क्या अंत होगा लेकिन हम भुगत रहे हैं। कर्म आपके, भुगत हम रहे हैं, आप तो निकल गये। आराम से बैठे हो तो इसका हमको सबको मिलकर पक्ष और विपक्ष सबको मिलकर सोचना चाहिए। इससे क्या है कि जगह-जगह हर गांव में, हर क्षेत्र में आपराधिक गिरोह तैयार हो रहे हैं। वे सिर्फ बजरी का ही काम नहीं करते और क्राइम में भी इन्वोल्व होते हैं चाहे शराब के क्राइम हों, चाहे जमीनों के क्राइम हों। एक अपराध अपराध को जन्म देता है। इसको रोकने के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसके लिए मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि मुझे स्वयं को भुगतना पड़ा और मुझे एक आंदोलन करना पडा छोटा-सा। क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी एक आदमी की हत्या कर दी गयी थी और बड़ी मुश्किल से मुझे वहां सफलता मिली। इसमें मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा उस दौरान यह घोषणा की थी कि जो दोषी हैं उनको अविलम्ब गिरफ्तार किया जाएगा। पर डेढ़ महीने से अधिक का समय हो गया, दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए जबकि उसका पोस्टमार्टम भी हो गया बोर्ड के द्वारा। एक भी दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप इधर आ जाओ माननीय सदस्य, दोषियों को गिरफ्तार नहीं कराएं तो हमें कहना। आपके साथ हम खड़े हैं। सभापति महोदय, यह कैसी विडम्बना है डीजीपी रहे एक माननीय सदस्य आज इस सदन में अपनी व्यथा कह रहे हैं, पीड़ा कह रहे हैं और एक महीने बाद भी अगर कोई गिरफ्तार नहीं हो...

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनको आश्वासन दिया गया था। मैं निवेदन करूं यह बात सभापति महोदय, पूरा राजस्थान सुन रहा है। हरीश जी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ संघर्ष में हम खड़े हैं। इनके भरोसे मत रहना आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर। विराजिये आप पहले। बार-बार परम्परा याद दिलानी पड़ेगी आपको। जब आसन खड़ा हो तब तो आप विराजें। कम से कम इतना तो करें आप। विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करने दीजिये उनको।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय हरीश जी मीना। माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, इसी तरह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जो सरकार ने कदम उठाये हैं वह बहुत स्वागत योग्य हैं। वर्तमान में जयपुर के एसएमएस हास्पिटल में वरिष्ठ नागरिक एवं बीपीएल परिवारों हेतु सीटी स्कैन एवं एमआरआई की जो नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी उसको लोगों ने बहुत सराहा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब राजस्थान के समस्त मेडिकल कालेजों में यह सुविधा दी है। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जिससे पूरे प्रदेश के गरीबों को इसका लाभ मिलेगा। सर, इसमें अनेक हास्पिटलों को क्रमोन्नत किया गया है तो मेरा सरकार से आग्रह है मेरे कांस्टीट्युएन्सी में भी एक छोटा-सा हॉस्पिटल है देवली का, उसको भी अपग्रेड कर दिया जाए तो बहुत फायदा रहेगा। क्योंकि देवली चार जिलों के कोने पर है। वहां अजमेर जिला भी मिलता है, टोंक भी मिलता है, बूंदी भी मिलता है और झालावाड़ भी मिलता है। चारों जिलों के लोग आते हैं, इस हास्पिटल को अगर क्रमोन्नत किया जाए तो मैं इसके लिए आभारी रहूंगा।

सर, गहलोत साहब की एक छवि है गांधीवादी और संवेदनशील व्यक्ति की और वे अवैध शराब और शराब की लत के बहुत खिलाफ हैं। वे एक नयी योजना लाये हैं कि युवाओं में पान मसाला गुटखा खाने की लत से स्वास्थ्य को हानि होती है, इसको उन्होंने चिह्नित किया और पहचाना मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जैसे शराब के एडवर्टाइजमेंट पर पाबंदी है इसी तरह गुटखा और पान मसाला के एडवर्टाइजमेंट पर सरकार पाबंदी करे क्योंकि इससे हमारा पूरा युवा बर्बाद हो रहा है, पूरा देश बर्बाद हो रहा है।

सर, अनेक नयी मेडिकल कालेजें खोली जा रही हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए इसका मैं स्वागत करता हूं। गंगानगर में पिछले पांच साल से वैसे ही धूल चाट रही थी एक योजना उसको

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सरकार ने पुन: शुरू किया है। यह पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है और मैं मानता हूं कि वहां की जनता को लाभ मिलेगा।

सर, हमारे पूर्वी राजस्थान में 7-8 जिले आते हैं। मैं तो खास तौर से मेरे आस-पास के लगते हुए जिलों का आपसे जिक्र कर दूं। सवाईमाधोपुर, दौसा, टोंक, करौली में एक भी मेडिकल कालेज नहीं है। अगर कोई जगह नहीं मिलती हो तो मैं तो आग्रह करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र उनियारा में एक मेडिकल कालेज खोला जाए तो मैं सरकार का बहुत-बहुत आभारी रहूंगा।

सर, एक बहुत ही अच्छा कदम जो सरकार ने उठाया है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाने का यह बहुत ही अच्छा कदम है। मैं मानता हूं इससे हमारे गरीबों को, किसानों को, सबको लाभ मिलेगा। एक जो यह पेन्शनर्स का है, स्वतंत्रता सेनानियों की पेन्शन बढ़ाने का। मैं किसी की पेन्शन बढ़े उसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में तो राजाओं का राज था, अंग्रेजों का राज था ही नहीं और ये फ्रीडम फाइटर्स कम होने के बजाय प्रति वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान का जैसा इतिहास मैंने पढ़ा है, थोड़ा-बहुत पढ़ा-लिखा आदमी हूं, एक भी आदमी को फांसी नहीं लगी फ्रीडम स्ट्रगल में। एक भी आदमी काला पानी नहीं गया तो स्वतंत्रता सेनानी किस बात के हैं ये? किसके खिलाफ लड़े थे ये? तो सरकार जरा यह तय कर दे कि कितने लोग हैं उनके नाम दर्ज कर ले। क्योंकि हर साल ये बढ़ते जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मीसा में तरह-तरह के लोग बंद हुए, चोर बंद हुए, गुंडे भी हुए, अपराधी भी हुए, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी हुए और जब उनको पेन्शन देने की बात आई तो राजनीतिक कार्यकर्ता तो पीछे रह गये और जो आवारा लोग थे वे आगे बढ़ गये। सरकार पर बहुत बड़ा बोझ है तो इनको जरा दोनों को देखें कि जेल तो गये पर किसलिये गये? तो मैं आग्रह करूंगा कि फ्रीडम फाइटर्स का ध्यान से देखा जाए और उनकी पेन्शन बढ़ाई जाए, इसका मैं पक्षधर हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, जानकारी करके बोलना चाहिए। माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं मीसा बंदियों के लिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मैं बिलकुल बता दूंगा, सर। बताऊं? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। विराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप इधर देखकर के बात कहें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आपने हाजी मस्तान का नाम सुना है वह भी आपके साथ बंद था।

श्री सभापति। माननीय सदस्य।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सारी-सारी, सर। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत तरह के लोग गये थे ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उसको पेन्शन मिल रही है क्या? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, को बोल रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय श्री मीना जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: एक बार समाप्त करने दीजिये आप उनको। एक बार विराजें आप। आसन पैरों पर। अलाउ नहीं किया मैंने आपको। विराजें आप। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। आसन पैरों पर है। माननीय श्री अभिनेश महर्षि जी, विराजिये। श्री मीना जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, अब मैं सिर्फ आपकी तरफ देखूंगा और कहीं नहीं देखूंगा। सर, मैं सरकार का स्वागत करता हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए। यह बहुत दिनों से इनकी परेशानी थी। सरकार ने इसको सुना और समाधान किया, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसी तरह एक वर्ग है मदरसा पैराटीचर्स। मेरे क्षेत्र में भी बहुत हैं, उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। क्वालिफाइड टैक्निकल आदमी हैं सर, ये शिक्षा देते हैं। अब स्थिति क्या हो गयी इनकी, तनख्वाह तो रह गयी 7200 और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हो गयी 7500, दोनों की क्वालिफिकेशन में फर्क है, दोनों के कार्य में फर्क है, तो मैं यह नहीं चाहता कि आंगनबाड़ी वालों की कम की जाए। पर, इनका भी इनकी योग्यतानुसार मानदेय बढ़ाया जाए।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, एक जो पिछले पांच साल में राजस्थान में सबसे बड़ा अन्याय हुआ है आजादी के बाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिये। आसन का कम से कम थोड़ा बहुत तो ध्यान रखो। सारी सीमाएं पार कर रहे हो।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): राजस्थान में हर कल्याणकारी सरकार, हर संवेदनशील सरकार गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम से स्कूलें खोलती है, और यह श्रेय मैं राजेन्द्र सिंह जी को और उनकी टीम को देना चाहूंगा कि इन्होंने साढ़े सतरह हजार स्कूल बंद किये हैं। वह कौनसा विकास का माडल था? एकीकरण के नाम पर, यह स्कूलें कहां बंद हुई, जहां गरीब लोग रहते थे, गरीबों की बस्तियों में, पिछड़े लोगों की बस्तियों में। आप क्या चाहते हो कि गरीब नहीं पढ़े?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): एक मिनट, एक मिनट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। (व्यवधान) जीनगर साहब, यह आसन की बिलकुल अवहेलना है। जब कोई आदमी अपनी बात कह रहा है तो कहने दो, कोई जरूरी है आपका हर बार बीच में खड़ा होना। आपको इतने अवसर मिलते हैं, आपके सचेतक महोदय आपको हर बार बुलवाते हैं। (व्यवधान) मुझे कब सोना है, कब जागना है, मुझे पता है। आप मेरी चिंता बिलकुल मत कीजिए। आप जागरुक रहें क्योंकि आप उधर बैठे हैं, आपकी जागरुकता ज्यादा जरूरी है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): आदरणीय सभापति महोदय, मैं सरकार का स्वागत करना चाहूंगा कि राजस्थान में खेल नीति को जो प्राथमिकता दी है, क्योंकि खेलों से हमारे युवाओं का विकास, युवाओं का स्वास्थ्य, युवाओं का चिंतन जुड़ा हुआ है और इसको सरकार ने बढ़ाने का काम किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): लास्ट सर, खेलों का सबसे आदर्श स्टेट हरियाणा, केरल और पंजाब है। वहां स्कूल, कालेज में और प्रदेश

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

स्तर पर टूर्नामेंट होते हैं, एक कल्चर है। उसी माडल को सरकार लागू करे। हम केवल अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पैसा दे रहे हैं। अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनेगा कब, जब स्कूल में, कालेज में, यूनिवर्सिटी में खेल है ही नहीं। मैं चाहता हूं खेलों को उस स्तर पर भी बढ़ावा दिया जाए ताकि अच्छे-अच्छे खिलाड़ी, हमारे युवा वहां खेलें, धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, मैं अलाउ नहीं करुंगा। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) प्लीज सहयोग कीजिए। मैंने पुखराज जी का नाम पुकारा है, प्लीज विराजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, प्लीज सहयोग कीजिए। माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। बार-बार क्यों खड़े होते हो, मैं खड़ा हूं। श्री पुखराज (अनुपस्थित), श्री बलवान पूनियां।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, बजट 2019-20 आशान्वित कदम उठाने का जो प्रयास किया गया है और बिना भेदभाव के दिल बड़ा करके इलाक़े की परिस्थिति के अनुसार मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया, उसमें श्रीडूंगरगढ़, भादरा में गवर्नमेंट कालेज, गंगानगर में मेडिकल कालेज, रायसिंहनगर और संगरिया, जहां दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं, वहां जिन कालेजों को पहले कांग्रेस के शासन में राजकीय कालेज घोषित किया गया था, बाद में उनको बीजेपी के शासन काल में प्राइवेट कालेज कर दिया था, वापस गवर्नमेंट कालेज करना इस बात का परिचय है कि दिल बड़ा करके बजट पेश किया है, इस बात के लिये मैं धन्यवाद करना चाहूंगा।

मैं धन्यवाद इस बात के लिये भी करना चाहूंगा ''साधु ऐसा चाहिये जैसा सूप सुभाव, सार सार को गहि रहे थोथा देय उड़ाय।'' इसलिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत सारे पहलुओं को बजट में समाज के हिस्सों को छूने का जो प्रयास किया है, बजट पेश किया तो ऐसा लगा कि आप चिंता करते हैं हैरान की और परेशन की। यह भी चर्चा है कि आप मिलते हैं जनता के हर हिस्से से और हर वर्ग से, चर्चाएं आम यह भी हैं कि आप यूं ही अशोक नहीं हो जाते हैं, किसी से न मिलने के लिये कभी कोई वसुन्धरा भी होना पड़ता है। कविता इतनी ही सुनाऊंगा आज। (व्यवधान) राठौड़ साहब खुश हैं या नहीं, मैं उधर नहीं देख रहा था, मैं आसन की तरफ देख रहा था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, जनता को उम्मीद हर सरकार के बजट से रहती है। मैं यह नहीं कह रहा, आज तक किसी भी सरकार ने बजट पेश किया तो वह बजट गलत होगा, वह बजट खराब रहा होगा। केन्द्र का बजट भी कभी खराब नहीं होता। राज्य का बजट भी खराब नहीं होता। भाजपा का बजट भी खराब नहीं होता। कांग्रेस का बजट भी खराब नहीं होता। कम्पेरिजन करेंगे तो केरल में सीपीएम का बजट भी खराब नहीं होता, पर बजट किसके लिये सही और किसके लिये कम होता है, यह चर्चा करना जरूरी है, comparison between Congress, BJP and CPM, comparison between Kerala and Rajasthan, comparison

(श्री बलवान पूनियां)

between India and Kerala. (व्यवधान) हां केन्द्र का बजट, केरल का बजट, राज्य का बजट, किरण जी क्या हुआ? पीपीपी मोड को वहां बंद किया गया, अडाणी जी को जो हवाई जहाज का सर्टिफिकेट बेचा गया था ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप इधर देखकर बात कहें, आपस में बात नहीं करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): केन्द्र सरकार ने जब उसको पीपीपी मोड पर दिया तो केरल की सरकार ने उसको रोक दिया। पर एक चीज है, the comparison between Kerala and Rajasthan and we are proud of you about the decision on Chhabra and Kalisindh. You need to give a U.O. Note on PPP (Public-private partnership) mode. Do you understand?

सभापति महोदय, पीपीपी मोड पर जब छबड़ा और कालीसिंध को नहीं दिया गया तो एक संदेश है, वह संदेश यह है कि आप निजीकरण को उतना बढ़ावा नहीं देना चाहते जैसे केन्द्र की सरकार दे रही है। रेल को बेचा जा रहा है, दूसरे सारे सरकारी संसाधन बेचे जा रहे हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा केरल में 40 ऐसे संसाधन हैं जो आज भी सार्वजनिक हैं। जिसमें से 20 संसाधन आज भी लाभ में चल रहे हैं। जिस तरह से छबड़ा का और कालीसिंध का डिसिजन सरकार ने लिया, सरकार के फैसले से यह यूनिट खड़ी की गयी, आज इनको पीपीपी मोड पर किसलिये दिया जाए, नहीं देना चाहिये। इस बात के लिये हम स्वागत करते हैं। हम इस बात का स्वागत करते हैं कि 1976 में इंदिरा गांधी जी ने जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात को आगे बढ़ाया, इंदिरा जी के आदर्श को तो स्वीकार करते हैं लेकिन इंदिरा जी की नीतियों को धीमे-धीमे ढीला छोड़ा है और उसी से आज यह परिस्थिति हुई कि चारों तरफ से मांग उठती है, कोई राजनीतिक रूप से यह कहता है कि यह बजट गलत है, यह बजट सही है लेकिन उसके पीछे तमाम साथियों ने मांग उठाई है कि मेरे क्षेत्र में यह कर दो, मेरे क्षेत्र में वह कर दो, मुझे खाळा दे दो, मुझे नहर दे दो, मुझे बजट दे दो। यह आज तक इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि 1990 के बाद हम लगातार तेजी से निजीकरण की तरफ बढ़ते गये। हम इंदिरा जी के उन आदर्शों को पीछे छोड़ते गये। मैंने पहले भी कहा था "साधु ऐसा चाहिये जैसा सूप सुभाव, सार सार को गहि रहे थोथा देय उड़ाय।" सभापति महोदय, आज

(श्री बलवान पूनियां)

हम चाहते हैं, मेरा प्रदेश चाहता है कि यहां के नौजवान रोजगार पाये। 75 हजार पदों के लिये सरकार ने घोषणा तो की, पर हम व्यवस्था चाहेंगे कि आप 2013 की भर्तियों की तरह इन पदों को लटकाएंगे नहीं। आज भी 2013 में जिन भर्तियों का अनाउंस किया गया था. उन भर्तियों में 2014 की लैक्चरर की

(18.00 बजे)

की भर्ती को अब पूरा किया जा रहा है और 2013 जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती अभी तक जारी है। इसलिए 75 हजार पदों की जो घोषणा हुई, उनको तुरन्त लागू करेंगे। आप कहने को कुछ भी कहें। पांच साल का बीच में एक शासन दूसरे दल का भी निकल गया, लेकिन आज भी जारी है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि वाहनों से कोई प्रदूषण नहीं होगा, इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की घोषणा की। यह घोषणा हमें यूं लगती है कि कहने के लिये शब्द अच्छे हैं, लेकिन सरकार ने कोई वाहन नीति डिक्लेयर नहीं की है। एक घर में कितने वाहन होंगे। एक वाहन से दूसरा वाहन ऊपर चढ़ने को हो। एक साल में लाखों वाहन और हमारे बेड़े में शामिल हो रहे हैं। सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए प्रदूषण की चिंता बजट में की है। लेकिन इसके लिए स्पष्ट नीति घोषित नहीं की है।

गुटखे पर प्रतिबंध की बात हुई। लेकिन साहब रोक की बात हुई है, पूर्ण प्रतिबंध की बात नहीं हुई है। हमारी मांग है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अगर गुटखा अच्छा है तो फिर सबको खिलाया जाए। अगर बुरा है, रोक लगाना चाहते हैं, तो पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कैंसर जैसे रोग पैदा न हों। हम जिक्र भी करना चाहेंगे कि बजट के अंदर हमारे इलाकों के लिए जो-जो चीज जरूरी थी, जिसकी हमें उम्मीद थी। कुछ चीजें अभी बाकी रह गयी हैं। जनता ने वोट, पिछले विधान सभा के चुनाव में, जब सदन में बार-बार चर्चा चलती है, हमारे साथी लोक सभा चले जाते हैं। सभापति महोदय, आप सोचिये जब राजस्थान में विधान सभा का चुनाव था तो लोग यह बात कहते थे कि केन्द्र में बीजेपी को वोट देंगे, पर राजस्थान में कांग्रेस को वोट देंगे। ये 27 लोग आये हैं।

मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। यह कांग्रेस और बीजेपी की आलोचना नहीं है। यह इस बात की आलोचना है कि जनता पीड़ित है। जब

(श्री बलवान पूनियां)

चुनाव नजदीक होता है तो हर कोई उनका हाथ थामने की कोशिश करता है, लेकिन चुनाव निकलने के बाद हाथ थामने वाले लोग बहुत कम बच जाते हैं। कहने के लिये लोग चाहे कुछ भी कहें, यह कहें कि पांच साल में यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट में हमने आज भी बहुत सारे पहलुओं को नहीं छुआ है। छुआ है तो थोड़ा-बहुत छुआ है।

कृषि में, धन्यवाद मुख्य मंत्री जी का कि तारानगर की 20 हजार हैक्टेयर जमीन और कमांड करने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया, लेकिन आज एटासिंगरासर, सूई ब्रांच का, भादरा नोहर का किसान जो बाट जोह रहा है, जिसकी जमीन उपजाऊ है, वह कमांड होना चाहता है। आज भी युमना के चलते सीकर का किसान, झुंझुनूं का किसान, नागौर का किसान सिंचाई के लिये पानी मांगता है। हमारी जमीन उपजाऊ है। हमारी जमीन दो फसली और तीन फसली है। लेकिन हम व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं।

मैं एस.एम.एस. हास्पिटल गया। एस.एम.एस. हास्पिटल में इतने काबिल डाक्टर हैं। ये इन सरकारों द्वारा लाये गये हैं। कांग्रेस और बीजेपी लायी है, इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन संसाधन, 8 बैड और पेशेंट 60 हैं। अधिक दबाव है। पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा इलाज देने वाला एस.एम.एस. हास्पिटल राजस्थान में है। इसके पास सबसे ज्यादा रोगी आते हैं। ठीक होकर जाते हैं। मैं खुद ठीक होकर आया हूं। लेकिन अभी भी दबाव है। हमें बजट में और ज्यादा प्रावधान करने पड़ेंगे। जो 32 हजार करोड़ का ऋण है। ये 40 हजार करोड़ भी चढ़ जाए, जनता स्वस्थ होगी तो उतार देगी। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं कि आपने मौहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया, लेकिन मैं कहता हूं कि मौहल्ला क्लिनिक नहीं, उससे पहले डाक्टर, कम्पाउंडर, होम्योपैथिक डाक्टर, लोगों को बीमार होने के बाद ठीक करने के लिये नहीं, उनको स्वस्थ जीवन देने के लिए खोले जाएं। वे बीमार न हों, उससे पहले उनको बचाया जाए। उसकी जांच करके यह बताया जाए कि अब आप बीमार नहीं होंगे, अब आपके कोई बीमारी नहीं होगी। कैंसर, हमारे कैसे फैल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। मैं भुगतभोगी हूं। मैंने कैंसर से मां खोयी है। जब मां को कैंसर ने घेर लिया तब पता चला कि कैंसर है, वह ठीक नहीं होगी। पता नहीं, कितने लोग कैंसर से चले जाते हैं। इसलिए मैं सारे सदन से चाहता हूं राजस्थान की सरकार इस चीज का प्रबंध करे कि हम बीमार हों, उससे

(श्री बलवान पूनियां)

पहले हमें पता चल जाए कि यह अमुक बीमारी हो सकती है। आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी बीमार न हो, इस बात के लिए हम तेजी के साथ आगे बढ़ें, हमारा बजट इस बात पर हो। हमारे बच्चे इतने खुशहाल हों कि वे गाना गाएं-

'चले जैसे हवायें सनन सनन, उड़े जैसे पंछी गगन गगन,
रहें हम लोग सब मगन-मगन'

साथियों, मैं सभापति जी के मार्फत यह बात भी कहना चाहता हूं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो आत्मा है, समाजवाद की। हम तेजी से पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह पूंजीवाद, हो सकता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिये काम आ सकता है, जनता के अधिकतर विषय में सबसे ज्यादा काम आएगा तो सहकारिता और सरकारी सिस्टम काम आएगा। मैंने केरल का जिक्र इसलिए किया, केरल में सहकारी बैंक की 800 ब्रांच, 28 हजार करोड़ के फायदे में हैं। इसलिए हमारे टोटल के टोटल 200 मैम्बरों के खाते सहकारी बैंकों में हों, तब संदेश जाएगा कि हम सहकारिता को मजबूत करना चाहते हैं। हम एसबीआई बैंक में चले गये, एचडीएफसी बैंक चले गये, आईसीआईसी बैंक चले गये और लोगों को सहकारिता पकड़ाना चाहते हैं। Why, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हमें मूर्ख नहीं बनाना, हमें सहकारिता को आगे बढ़ाना है।

हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो आज भी मांग कर रहे हैं कि हमें रोडवेज की बस चाहिये। अगर सरकारी और सहकारी सिस्टम कमजोर होगा। साहब, रोडवेज की बस नहीं मिलेगी। रोडवेज की बस तब मिलेगी जब रोडवेज के घाटे को उबारने के लिये हमारी सरकार और हम सब कृतसंकल्प होंगे। हम आलोचना नहीं करना चाहते कि बीजेपी के पिछले पांच साल में ये हुआ और कांग्रेस के पांच साल में ये हुआ। बीजेपी और कांग्रेस नहीं, आज बजट है और पांच साल यही पार्टी राज करेगी जो राज में बैठी है, लेकिन पांच साल तक हम जनता को रिलेवेंट क्या दें। हम सब साथी बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। सब साथियों की चिंता यही है कि वे अपने इलाके का काम करें। काम का रिलेशन बजट से है। बजट आएगा, संसाधन पैदा होंगे, राजस्थान की विभिन्न चीजों से हमारा घाटा तब पूरा होगा, जब हम सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे। हम लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, घाटा पूरा नहीं होगा। रूपाराम जी चुपचाप

(श्री बलवान पूनियां)

सुन रहे हैं। शायद बैठे या नहीं बैठे। रूपाराम जी बार-बार कहते हैं, मैं इनकी बात को कोट करना चाहूंगा कि हम लोग अगर हमारे भीतर झांककर देखकर देखेंगे तो सही रहेंगे। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है। मैं सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सीनियर साथी हैं। आज शायद पंद्रहवां दिन है विधान सभा मैं बैठने का। पूरे दिन के लिए विधान सभा एक बार भी स्थगित नहीं हुई। मैं पुराने साथियों को सैल्यूट करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक ऐसा रास्ता दिया, जिस मंच पर हम रात के दस बजे तक बोल पाते हैं।

हो सकता है हमें यह कहना पड़े कि साहब नंदीशाला खोल रहे हैं। साहब, मैं नंदीशाला के पक्ष में नहीं हूं। मुझे हिंगोनिया गौशाला याद आ जाती है। मैं देशी गाय की नस्ल के सुधार के पक्ष में हूं। मेरे घर में आज भी देशी गाय है। मैं चाहता हूं कि हमारी देशी गाय की नस्ल में सुधार हो। ये जो सड़कों पर अमरीकन खाकड़ घूम रहे हैं, इनका निस्तारण हो। खुल्लम-खुल्ला कह रहा हूं, ये गाय नहीं है साहब। ये हिन्दुस्तान की संस्कृति की चीज ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रोडेक्ट है, जो गाय के नाम पर राजनीति करने की इजाजत दे सकता है। किसी का बच्चा छीन सकता है। आज एक बेटा और बेटी ही हैं। देशी गाय की हम कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन देशी गाय की हालत देखिये। अभिनेश, बुरा मत मानना। मैं लोक सभा के चुनाव में रतनगढ़ क्षेत्र में गया था। गाय प्यासी मर रही थी। गाय का फोटो जरूर जीवित दिख रहा था, लेकिन जिंदा गाय यूं हलक रही थी। उस गाय की दुर्गति हम नहीं देख सकते। उनको रिलेवेंट तभी किया जाएगा, उनको ठीक तभी किया जाएगा, जब हम देशी गाय की नस्ल का सुधार करेंगे। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारा नौजवान हमें देख रहा है, यूट्यूब के जरिये, सोशल मीडिया के जरिये। हम सब लोगों को देख रहा है। कोई अपने आप को यों समझे कि मैं जनता को धोखा दे दूंगा। नहीं साहब, सुबह से लेकर शाम तक के खर्च को भी वह पढ़ता है और हम सब लोगों के डोल भी वे लोग देखते हैं। इसलिए हमें अतार्किक बात नहीं करनी चाहिए। हमें मांग करनी पड़ेगी, जो जनता से जुड़ी हुई है। हमें बात करनी पड़ेगी, जो जनता को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। मैं तो तमाम साथियों से यह बात कहना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिये यह बजट अच्छा है या बुरा है। उससे पहले मैं तो

(श्री बलवान पूनियां)

यह चाहता हूं कि सब साथियों के इलाके में जो-जो चीजें, जो-जो मांगें हमारी बाकी हैं, सरकार उनको पूरा करे। सरकार हमारे विधायकों के कोटे के पांच करोड़ रुपये करे। सवा दो करोड़ में काम नहीं चल रहा है। अभी साथी हमीर जी भायल सारे कागज लेते हुए फिर रहे थे। सबने दस्तखत किये। शायद हम सदन में स्पीकर साहब को यह कागज भी देंगे। हम राजस्थान की सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने राजस्थानी भाषा के अभिलेखों का हिन्दी की भाषा में अनुवाद करने के लिये साफ्टवेयर और राजस्थानी भाषा को सीखने के लिए एक एप का निर्माण किया है। कल मैंने जब केरल की बात पढ़ने के लिए जब कम्प्यूटर खोला तो मलयालम में उनका बजट डाला हुआ था। किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा को हम बढ़ावा देंगे। मां बोली को बढ़ावा देंगे। मां बोली में बोलेंगे। मां बोली में आगे बढ़ेंगे, तो इससे हमारी भावनाएं और मजबूती के साथ संघर्ष के लिये आगे बढ़ेंगे।

रीको द्वारा हनुमानगढ़ के कोला में 2009 में जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। उसमें आज तक एक भी उद्योग नहीं लगा है। कोला गांव को उजाड़ दिया गया। उसके पास की जो उपजाऊ जमीन थी वह रीको के नाम से 10 साल पहले हैंडओवर कर ली, लेकिन अभी तक उसमें कोई उद्योग नहीं है। इसलिए उस प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाए। वहां जो राष्ट्रीय राजमार्ग 754-क निकल रहा है, लोगों में उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि 2009 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार बाजार रेट के अनुसार उनको मुआवजा मिले।

अभी डीएलसी रेट से मुआवजा में वह किसान अपनी कीमती जमीन नहीं दे पाएगा। इसलिए राजस्थान की सरकार इस बात का प्रबन्ध करे। हम चाहते हैं कि आपने आंगनबाड़ी में सहायिकाओं का, कार्यकर्ताओं का सबका मानदेय बढ़ाया तो साथिनों का मानदेय भी बढ़ाया जाए। साथिनों को पीछे क्यों छोड़ा जाए और साथिनों का हैड आफिस राजीव गांधी केन्द्र में रखा जाए। हम चाहते हैं कि होमगार्ड के जवानों से चुनाव से पहले वादा किया गया था कि होमगार्ड के जवानों को काम भी पूरे साल मिलेगा और उनको जीने के लायक मानदेय भी मिलेगा, सरकार यह मांग पूरा करेगी। हम चाहते हैं, उदयलाल जी अच्छे आदमी हैं और जल्दी से जल्दी नये किसानों को कर्ज देना शुरू कर देंगे क्योंकि बहुत सारे इलाके में बरसात हो गयी है। लोगों को कर्ज चाहिए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कर दिया है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार इस कर्ज के अनुमान को बढ़ा ले लेकिन जो रिलीफ जनता चाहती है, उस रिलीफ को करे। इसके साथ-साथ हम यह चाहते हैं कि बिजली के अंदर सरकार ने अभी जो प्रावधान किए हैं, बजट के उस प्रावधान को थोड़ा और चैक करे। स्थायी शुल्क के नाम पर, अन्य देय के नाम पर अभी भी जनता की जेब पर भार बना हुआ है। उस भार से सरकार रिलीफ दे। किसानों को और प्रदेश की जनता को खुशहाल करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, बजट पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दस जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है, कुछ बातें उसमें ठीक कही हैं लेकिन उन्होंने आमजन के लिए जो सुधार करने का विचार करना चाहिए, वह नहीं के बराबर किया गया है। यह एक असत्य का पुलिंदा बनाकर उस रूप में पेश किया है। राजस्थान की जनता जिस दिन से सदन चलता है, उसी दिन से पूरे बच्चे-बच्चे की नजर विधान सभा में कैसे बजट पेश किया गया? और किसके ऊपर किया गया, उस पर पूरा फोकस रहता है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार बजट के अंदर काश्तकारों के लिए जो बातें कही गयी हैं, काश्तकारों के लिए जो योजना बनाई है। सबसे पहले तो खेती उनका घर है। खेती के अंदर आज अंग्रेजी बबूल इतने पनप गए हैं जगह-जगह पर, चाहे पाली के ऊपर हो, चाहे रोड के ऊपर हो। कभी-भी इसके ऊपर ध्यान नहीं गया। आज आधे काश्तकार, आधे नहीं होंगे तो दस परसेंट तो हैं ही, उनके खेतों के अंदर अगर दो साल तक नहीं जाएंगे तो अंग्रेजी बबूल बड़े-बड़े हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि रोड के ऊपर भी चारों तरफ जैसे छावनी बनी होती है, उस रूप में अंग्रेजी बबूल पनप रहे हैं। इससे खेती चौपट हो रही है। अगर काश्तकारों की सुध लेने का काम है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अंग्रेजी बबूल रहित राजस्थान बनाने के लिए हमको कदम बढ़ाना चाहिए। नरेगा के अंदर इस योजना को जोड़ना चाहिए। नरेगा के अंदर पंचायती राज हो, चाहे किसी विभाग के अंदर हो, जितने भी नरेगा के काम हो रहे हैं, इसमें पचास परसेंट काम ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। सभापति महोदय, वह आम जनता के लिए बनी है। जनता को उसका लाभ

(श्री शंकर सिंह रावत)

मिलना चाहिए। इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। जब भी माननीय मुख्य मंत्री रिप्लाई देंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, उस घोषणा पत्र में पैरा 14 के अंदर लिखा था प्रदेश में नये जिले, उप खण्डों और तहसीलों की घोषणा की थी। मेरे हिसाब से यह कहीं पर भी अभी तक हुआ नहीं है। राजीव गांधी पाठशाला वाले जो 1200 रुपये के पैराटीचर लगाए थे, वे भी अभी तक पता पूछ रहे हैं कि कहां रहते हैं ये लोग? मेरा निवेदन है कि उनके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि रेलवे लाइन पर जो कोरिडोर लाइन निकल रही है, इसमें राजस्थान में जहां पर भी अण्डरब्रिज बनाये गये हैं, वह एक तरह से मौत के कुए के समान हो रहे हैं। हमारे ब्यावर में, और किसी जगह की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ब्यावर में दो मौत इस अण्डरब्रिज के अंदर हो चुकी हैं। इसलिए जहां पर भी है, केन्द्र सरकार से इसकी मांग करके इसके ऊपर भी ओवरब्रिज की योजना बनाने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए। योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए वादे सब किए थे।

अभी हमारे कांग्रेस के सदस्य बोल रहे थे कि सभी जगह पर बहुत अच्छा विकास किया है। बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं। मेरा निवेदन है कि अजमेर जिले के लिए और ब्यावर के लिए एक भी घोषणा नहीं की गयी1 यह बहुत ही दु:ख की बात है। ब्यावर शहर में महिला कालेज होना चाहिए। ब्यावर में मेडिकल कालेज मिलना चाहिए। ब्यावर अस्पताल, अमृत कौर हो, चाहे पीएचसी राजियावास, बड़ाखेड़ा, किशनपुरा, सीएचसी जवाजा, टाडगढ़, डाक्टर स्टाफ बिल्कुल नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय, कोई कागज पढ़ रहे हैं, उनसे निवेदन है। ब्यावर को यूआईटी का दर्जा नहीं मिला। ब्यावर को जिला नहीं बनाया। जवाजा को तहसील नहीं बनाई। ब्यावर में साकेत नगर थाना नहीं खोला गया जो वर्षों से मांग चली आ रही है। जल संसाधन विभाग के द्वारा रातानाड़ा फीडर, सुरेघाटा फीडर, सारोड़ फीडर के लिए बजट एक भी रुपये का नहीं दिया गया। जवाजा में सब-स्टेशन बिजली का भी नहीं दिया गया। इस प्रकार हम इसको असत्य का पुलिंदा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यह सरकार सिर्फ योजना बदलकर अपना बजट पेश करने का काम कर रही है। इससे काम चलने वाला नहीं है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि घोषणा पत्र में जो बताया गया है, उसी के अनुसार सब काम होना चाहिए। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है, माननीय आप हंस रहे हैं। आपके लिए ही कह रहा हूं, विशेषकर आप कोई केकड़ी के मंत्री नहीं है, अजमेर जिले के मंत्री नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं कि ब्यावर के अंदर एक भी डाक्टर नहीं लगाया गया है। सारे डाक्टर के पद खाली पड़े हैं, स्टाफ के भी खाली पड़े हैं। उनको भी आप भरने का काम करें। अभी परसों के दिन वहां पर एक मरीज को आपरेशन थियेटर में लेकर गए और मरीज का आपरेशन होने से पहले उससे कहा कि जेब में से पैसे निकालो, बाद में ऑपरेशन करूंगा। थियेटर में से उस मरीज को बाहर निकलना पड़ा। आपको पता लगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने उसको एपीओ किया। लेकिन आपको सस्पैंड करना चाहिए। ऐसे डाक्टर पर कार्यवाही करेंगे तब जाकर राजस्थान की जनता सुखी रहेगी। उनको छूट देना, यह अच्छा काम नहीं है।

सभापति महोदय, अभी गौ माता की रक्षा के लिए सरकार ने एक नंदीशाला की घोषणा की है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह नंदीशाला में जो आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए लिखा है, आवारा पशुओं में गाय को आवारा पशु बताया गया है या रोजड़ों को बताया गया है। यह थोड़ा क्लीयर हो जाए। गाय आवारा नहीं हो सकती है। मैं यह कह रहा हूं कि आवारा शब्द किसके लिए काम में लिया गया है। रोजड़ों के लिए तो रोजड़ों को अगर सरकार पकड़ कर बंद कर सकती है, मेरे खयाल से एक भी नहीं पकड़ सकते आप। दूसरा, ये नंदीशाला गौशाला का काम करेगी या कांजी हाउस का काम करेगी क्योंकि कांजी हाउस पहले भी खुले हुए थे। उसके अंदर चारा, पानी गाय को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऐसा तो नहीं है कांजी हाउस के रूप में इन गायों को अंदर डालकर उनकी हत्या हो। इनका पाप और लगेगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि गाय के नाम पर गाय को चारे की व्यवस्था, वह भूखी मरती है, चारों ओर राजस्थान के किसी भी कोने में हो, हाइवे हो या कोई भी रोड हो, उसके ऊपर गाय भटकती रहती है। आपको-हमको कोसती रहती है। सदन के अंदर आने वालों को सबको कोसती रहती है। हमारा सबका फर्ज बनता है कि राजनीति से ऊपर उठकर, भाजपा-कांग्रेस से आगे बढ़कर, इस सदन को गाय पर ध्यान देना चाहिए। गाय के लिए चारे की व्यवस्था चाहे

(श्री शंकर सिंह रावत)

विधायक कोष से भी हो। अभी पूनिया जी ने बताया है कि विधायक कोष 5 करोड़ का बनना चाहिए। मैं भी उनसे सहमत हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में कर रहा हूं। गाय के लिए भी आपको कोई न कोई कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार एक विधायक को आप चीफ सैक्रेटरी के ऊपर का दर्जा देने की बात कह रहे हैं, यह सबके लिए बात बता रहा हूं। अगर वह विधायक ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कल तो आप मेरे लिए गज़क लेकर आए थे और आज आरोप लगा रहे हो ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेरी बात तो सुनें, गज़क तो खाने के लिए होती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सच्ची बात यहां पर नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री शंकर सिंह जी रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति जी, दो मिनट। मैं आपके अलावा कहीं नहीं देख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस निरीह व्यक्ति के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे इस प्रकार का आभास हो रहा है। यह सत्ता में बैठे हुए लोग जो प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रस्ताव का मैं भी समर्थन करता हूं। (व्यवधान) उस प्रस्ताव के बारे में सदन को अवगत करा दें।

श्री सभापति: मुझे भी उन सारे षड्यंत्रकारियों को चिन्हित करना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रस्ताव मंजूर करवा लिया अब इस पर चर्चा करवा लीजिए ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति: शंकर सिंह जी। राठौड़ साहब, आप इधर जाकर सुर्री छोड़ते हो, उधर बैठकर फिर आप आंखों ही आंखों में आप इशारेबाज़ी करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अब इशारों की उम्र चली गयी। इशारों-इशारों में बात नहीं होती...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन को जरूर जानने का अधिकार है प्रस्ताव क्या है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं राठौड़ साहब के कक्ष में जाकर स्वयं बताकर आऊंगा क्योंकि वह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज समय नहीं हो तो अगले दिन की कार्य सूची में रख ले इसको ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह व्यवस्था प्राइवेट बिल ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आप दयालु है इनके इशारों के लिए आप मेरा समय मत काट देना। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको तो 2-4 मिनट का समय एक्स्ट्रा मिल गया।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लगभग 100 सालों से भी ज्यादा, कई गांव ऐसे वंचित हैं जो राजस्व गांव बने हुए हैं, बसे हुए हैं, पंचायत मुख्यालय है जिस प्रकार सरवीना शिवनाथपुरा, गणेशपुरा, नरवदखेड़ा, सिंघाड़िया, केशवपुरा, गोविन्दपुरा, मालपुरा, बलाड़, अतितमंद, गोहाना, सनवा इत्यादि गांव 100 साल से ज्यादा के बसें हुए हैं लेकिन वह आज भी चरागाह के अंदर हैं। सरवीना गांव वन विभाग के अंदर है। उनके लिए कोई न कोई योजना हो। वह चरागाह में है, दूसरी सिवायचक जमीन नहीं है, उसके रिप्लेसमेंट में कोई जमीन देने का नहीं है। तो कोई न कोई रास्ता निकालकर उन गांवों को वापस आबादी में करवाने के लिए मेरा आपसे निवेदन है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

किसानों के लिए इस सरकार ने वादा किया था, अभी कह रहे थे कि आपकी 25 सीटें लोक सभा में आ गयीं। आपने किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा करके बहुत भूल की है, आप अगर उसको पूरा कर देते और 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ते का आपने युवाओं को वादा किया था वह दे देते तो निश्चित आज आपकी कहीं न कहीं दो-चार सीट आने का काम हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): बस दो मिनट में अपनी बात कहूंगा। आपने रिफाइनरी के लिए कहा था। मैं राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देता हूं, रिफाइनरी के नाम पर 56 करोड़ का एमओयू हुआ था वह भाजपा सरकार के अंदर सिर्फ 16 करोड़ रुपये का ही एमओयू हुआ। जो 40 हजार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली राशि थी उसको बचाने का काम वसुन्धरा सरकार ने किया, धन्यवाद की पात्र हैं।

अभी काफी लोग बोल रहे थे कि केन्द्र की सरकार यह नहीं कर रही, केन्द्र सरकार क्या कर रही है, कुछ देख नहीं रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मोदी सरकार जो काम कर रही है, वह कांग्रेस के पहले के वर्षों में, वर्षों पुरानी दी हुई समस्या, कश्मीर की समस्या से अभी जूझ रही है, भारत की जनता को उससे मुक्ति दिलाने का काम किया जा रहा है।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री रफीक खान।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): आपने इस बजट पर जो बोला है वह बिलकुल असत्य का पुलिन्दा है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री रफीक खान।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): आपने बोलने का मौका दिया धन्यवाद। श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बजट के प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों का जिक्र किया और उन पर अमल करते हुए विकास के नये आयाम तय करने का बजट दिया। बजट सत्र में सभी लोगों ने अलग-अलग

(श्री रफीक खान)

तरीके से अपनी बात कही। कुछ लोगों ने कविता पढ़ी, कुछ लोगों ने शेरो-शायरी पढ़ी। मैं भी एक शेर हमारे मुख्य मंत्री जी को नजर करता हूं-

"जिनको प्यारी खुद्दारी है, जो फकीरी मिज़ाज रखते हैं,
अपनी ठोकर में ताज रखते हैं
जिनकी कल पर निगाह होती है,
वह अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं।"

दूरगामी बजट पेश किया गया। विपक्ष के कई नेताओं ने उस पर कमेंट किए। किसी ने उसे उदासीन बताया, किसी ने निराशाजनक बताया, उनके लिए भी एक शेर पढ़ना चाहता हूं।

बजट के बारे में अभी से कोई राय मत बनाना मेरे दोस्तों, यह वक्त भी बदलेगा और आपकी राय भी बदलेगी।

निःसंदेह यह बजट महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। राजस्थान असेम्बली इलेक्शन से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने एक जन घोषणा पत्र जारी किया। सरकार बनते ही जन घोषणा पत्र को सरकार की कार्य योजना के अंग में तब्दील कर दिया, मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कल चूरू से आने वाले विधायक कमेंट कर रहे थे और रेवेन्यू सरप्लस व रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे थे। कांग्रेस के पिछले कार्यकाल 2010-11 में हमारी सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट को रेवेन्यू सरप्लस में तब्दील किया। जब हमने सत्ता छोड़ी तो हमारी स्थिति रेवेन्यू सरप्लस की थी। हमारा 2018-19 में सरप्लस 29 हजार करोड़ रुपये का था। चूरू से आने वाले माननीय विधायक ने इस पर कमेंट किया। बहुत जोर दिया कि बोम के पेज नम्बर 17 पर प्रारूप ए (वन) पर एक टेबल है, टेबल पर जोर दिया और कहा कि यह 29 हजार करोड़ नहीं 24 हजार करोड़ हैं। यह तो माना कि 24 हजार करोड़ रुपये रेवेन्यू डेफिसिट में 2018-19 में तब्दील हुए।

2014 में जब हमने सत्ता छोड़ी तो कुल कर्ज 01 लाख 29 हजार करोड़ रुपये था। 2018-19 में बदलकर 03 लाख 09 हजार करोड़ रुपये हो गया। हमारे टैन्योर में सरकार ने कर्ज लिया तो रिफाइनरी की सौगात दी। जयपुर शहर की बात करें तो मैट्रो दी, एलीवेटेड रोड दी, ब्रिज दिए, पुल दिए, टनल दी। इन्होंने 01 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया और प्रदेश को कुछ नहीं दिया। 01 लाख 80 हजार करोड़ रुपये अगर हर एक असेम्बली में डिवाइड करें तो 900 करोड़ रुपये एक असेम्बली में आते हैं। जनता इनसे

(श्री रफीक खान)

900 करोड़ रूपये का हिसाब मांग रही है कि इन्होंने यह पैसे कहां खर्च किए। यह बहुत बड़ी जांच का विषय है। (व्यवधान) जांच भी होगी, चिंता क्यों कर रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अगर ये कांग्रेस के चलाये, कांग्रेस के दिये हुए सिद्धांतों पर चलते तो शायद ऐसा नहीं होता।

पिछली सरकार का एक लाख 80 हजार करोड़ का अतिरिक्त लोन, जो सारे मानकों को क्रोस कर गया, वित्तीय मानकों को क्रोस कर गया, जब कल इस बारे में आदरणीय संयम लोढ़ाजी बात कर रहे थे तो इनका जवाब था कि आप अब लोन क्यों ले रहे हो। यह लोन आपके कृत्यों को छिपाने के लिये, उनका ब्याज चुकाने के लिये लिया जा रहा है।

पिछली सरकार के टाइम एग्रीकल्चर में इन्होंने 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ करने की घोषणा की। एक डिफैक्टिव पालिसी लाई गयी। 2013 में इनकी सरकार आई। 2018 तक इनको किसानों की याद नहीं आई। सभापति महोदय, 2018, चार साल तक, 48 महीने तक ये सोते रहे। नोटबंदी आई, नोटबंदी में किसानों ने आत्महत्याएं कर लीं। नोटबंदी में किसानों ने अपनी खाद-बीज के पैसे अपनी जमीनों के भाग को बेच करके चुकाये। किसानों की याद इन्हें 48 महीने बाद आई, जब चुनावी साल आया। जनता ने इनको जवाब दिया। किसी ने कहा कि हम इधर होते, आप उधर होते। राठौड़ साहब समझते हैं, मारवाड़ी में बोलूंगा, बड़का न मरता तो घर की फौज खड़ी हो जाती। पर वै मर ग्या बिचारा, जद थे वठां हो और म्हे अठां हां।

कांग्रेस की सरकार आई। सरकार ने 17 तारीख को, आदरणीय अशोक गहलोतजी मुख्य मंत्री बने, 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर किसानों के ऋण माफी की घोषणा की और दो लाख रुपये तक की घोषणा की। इन्होंने जो 50 हजार रुपये तक के ऋण की घोषणा की थी, नाम 50 हजार रुपये था, सभापति महोदय, 50 हजार रुपये को जमीन की सीमाओं में बांधा गया था। दो हैक्टेयर तक की भूमि पर 50 हजार रुपये का ऋण माफ किया गया था। तो अगर किसी किसान के पास 10 हैक्टेयर जमीन थी तो उसको 10 हजार रुपये का बैनिफिट हुआ, 10 हजार रुपये का ऋण माफ हुआ।

एक सरकार 48 महीने में नहीं जागी, एक सरकार ने 48 घण्टे में

(श्री रफीक खान)

फैसला किया। मैं किसानों का ऋण माफ करने के लिये मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं। इन्होंने जो ऋण माफ किया उसमें सिर्फ दो हजार करोड़ रुपये का भुगतान इन्होंने किया। इनके हिस्से का भी छह हजार करोड़ का अतिरिक्त भार हमारी सरकार पर है।

ऊर्जा की हम बात करें, ऊर्जा उत्पादन में इन्होंने पिछले पांच साल में कोई काम नहीं किया। कांग्रेस सरकार आई, बिजली पर बहुत सारी चर्चा हुई। अभी दो-तीन तक बहस बिजली और पानी पर चली। इसीलिये मैं सदन का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दो-तीन महीने हमारे आचार संहिता में चले गये। जितना सा भी टाइम हमें मिला, उतने थोड़े-से टाइम में हमने 793 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया। यह मैं सदन में आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं।

जल संसाधन की बात करते हैं। बीसलपुर योजना में 170 एम.एल.डी. पानी की अतिरिक्त सप्लाई की एक योजना थी, जो हमारी पिछली सरकार शुरू कर चुकी थी। इनकी लालफीताशाही की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से वह योजना पेंडिंग रही। अभी इस टैन्योर में, अभी 2019 में उसके टेंडर हुए हैं और मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि अब ये टेंडर होने जा रहे हैं और अगले साल तक हम उम्मीद करते हैं कि हम 170 एम.एल.डी. अतिरिक्त पानी जयपुर शहर को दे पाएंगे।

जयपुर शहर की मैं बात करूं, मैं जब भी जयपुर शहर की बात करता हूं इनके, भा.ज.पा. के विधायक यहां से नदारद हो जाते हैं। पानी का संकट था, जितना पानी बीसलपुर में अवेलेबल था उतना पानी, अगर सारा पानी हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे देते तो आज बीसलपुर डैम सूख चुका होता। एक कंटिन्जेंसी प्लान बनाया गया। मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी को, मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, 700 बोरिंग जयपुर में नये बनाये गये और 180 एम.एल.डी. पानी, ग्राउण्ड वाटर ले करके सप्लाई में जोड़ा गया, जिससे हम आज का दिन देख पाये और बीसलपुर का पानी आज भी सप्लाई में जारी है।

मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने आते ही जो पानी का संकट पिछले कई सालों से चला आ रहा था उसको दूर किया, और जब हमने बोरिंग कराये तो इनके नेता हमारे यहां आये और आकर बोले कि ग्राउण्ड वाटर तो आलरेडी नीचे जा रहा है, आप बोरिंग करा रहे हो!

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैंने पहले भी जवाब दिया और फिर जवाब देना चाहता हूं कि पिछले 10 साल हम बीसलपुर का पानी यूज कर रहे हैं। ग्राउण्ड वाटर तो बढ़ा है, कम हुआ ही नहीं है।

बहुत सारे सब्जैक्ट हैं। आपने वार्निंग दे दी है तो मैं लिमिटेड करके कुछ मुद्दों पर आता हूं।

डिमोनेटाइजेशन के बाद में, नोटबंदी के बाद में ट्रेड और इंडस्ट्री की एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। उद्योगपतियों ने, ट्रेडर्स ने आत्म-हत्याएं कीं। इकोनोमिक सिस्टम बिगड़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं रहे, कैश-क्रंच आ गया। आज की तारीख में आज तक के इतिहास में, आजादी से लेकर अब तक जितना बड़ा इकोनोमिक क्राइसिस है, उतना कभी नहीं था।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आज अगर कोई भी आदमी, कोई भी उद्यमी अगर फैक्टरी लगाने जाता है तो, सभापति महोदय, रीको के पास में 500 मीटर जमीन नहीं है देने के लिये। इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये, ट्रेड डवलपमेंट के लिये कोई काम नहीं किया। मुझे खुशी है कि इस बात की सीरियसनैस को समझते हुए मुख्य मंत्रीजी ने पिछले महीने एम.एस.एम.ई. के साथ मिलकर एक योजना लागू की।

श्री सभापति: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं। मैं बोलने का सुबह से इंतजार कर रहा हूं।

श्री सभापति: बाकी तो हैं, लेकिन आपके लिये बहुत अवसर आएंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप मेरे को दो मिनट दें।

ट्रेड और इंडस्ट्री की हालत खराब हुई तो इस बात को समझते हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जमीन नहीं होने की बात को समझते हुए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने एक पालिसी लांच की, जिसमें कहा गया कि किसी भी आदमी को राजस्थान में व्यापार करने के लिये, राजस्थान में इंडस्ट्री लगाने के लिये तीन साल तक किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, सहयोग करें आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): किसी भी प्रकार का कोई भी लाइसेंस

(श्री रफीक खान)

लेने की जरूरत नहीं है। एक महीने के अंतराल, एम.एस.एम.ई. की साइट पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन है।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दो मिनट, सर। दो-तीन बातें इम्पोंटेंट रह गयीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, सहयोग करें आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): दो मिनट, सर।

किसी भी उद्योगपति को अगर आनलाइन करने की छूट दी गयी और आनलाइन रजिस्ट्रेशन में हम एक महीने का आंकड़ा देखेंगे तो करीब 800 रजिस्ट्रेशन एक महीने के अन्दर-अन्दर हो चुके हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।

श्री सभापति: आप पूरा समाप्त नहीं कर पाएंगे, आप समाप्त करें इसको। आप कंक्लूड करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, मैं करता हूं। राहुल गांधीजी ने जब पिछली साल पार्लियामेंट में पूछा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्रजी मोदी ने दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था तो प्रधान मंत्रीजी का जवाब था कि 50 हजार आटो-रिक्शा बिके। एक आटो-रिक्शा पर तीन आदमी को रोजगार मिलता है। मैं सदन के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक आटो-रिक्शा पर तीन आदमी को रोजगार मिलता है? बहुत सारी बातें उन्होंने रोजगार से रिलेटेड कीं, पकोड़े तलने की बात की। आपने मेरे को समय कम दिया इसलिए मैं सीधा मुद्दे पर ही आता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। श्री लक्ष्मण मीणा। माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें, ऐसे नहीं। सहयोग करें, बिलकुल नहीं। प्लीज विराजिए। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि कंक्लूड करें तो आप कर नहीं रहे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक मिनट सर। एक हजार करोड़ रुपये का ऋण आगामी पांच वर्षों में युवाओं को दिया जाएगा और डिफरेंट एजेंसीज से लाभान्वित किया जाएगा।

एक मेरी डिमांड सदन के माध्यम से पैराटीचर्स के लिए है।

श्री सभापति: आप विराज जाइए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जिस तरह से आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ाई गयी है, उसी तरह से अगर मदरसा पैराटीचर को भी उसी श्रेणी में शामिल किया जाए और उनकी सैलरी बढ़ाई जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पूरी तो करने दें, सर।

श्री सभापति: अब आप कर नहीं रहे, क्या करूं मैं?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सर, तैयारी मैंने कितनी कर रखी है, बताओ आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। अब आप सहयोग प्लीज। धन्यवाद मैं दे दूंगा उनको। श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जयपुर को हैरिटेज सिटी में तब्दील करने की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: साथ में आप इसमें मुख्य मंत्रीजी का भी जोड़ दीजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को वर्ष 2019-2020 के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले दो दिन से दोनों ही पक्षों से जो डिबेट हो रही है वह सुन रहा हूं। मैंने जो आर्थिक सर्वे जारी किया, उसको पढ़ा, बजट की एक-एक लाइन पढ़ी है। यहां पर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, बहुत ही विस्तृत भू-भाग है, कई समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है और जो संसाधन है, उनको देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट बनाया है मेरे खयाल से इससे बेहतर बजट हो ही नहीं सकता था, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, वैसे इस बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं। खेती से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स के संबंध में है, महिला सशक्तिकरण के संबंध में है लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान जो पहले कभी नहीं रखे गये थे, वह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रखे हैं।

जैसे मैं बताऊं कि इन्होंने इस बजट में यह प्रावधान रखा है- सार्वजनिक जवाबदेही कानून, माननीय सभापति महोदय, अपन यहां बैठकर सब कानून बना देते हैं, उसकी क्रियान्विति की जिम्मेदारी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की है, उस पर रहती है लेकिन जब तक वह अच्छी प्रशिक्षित ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, समय-समय पर जो प्रशासन में नवाचार होते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी ही नहीं होगी और उनके 35-40 साल के जो सर्विस कैरियर है, उसमें समय-समय पर उनको जब तक प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो वह पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो सकेंगे, वह सरकारी योजनाओं को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अबकी बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो राज्य सेवा के अधिकारी हैं, उनको उनके सेवा काल में कम से कम तीन प्रशिक्षण की बात कही है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है।

इसी तरीके से सार्वजनिक जवाबदेही कानून भी है जो मेरे खयाल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि हम सब पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हैं और जब तक अकाउंटेबल नहीं होंगे तो अपन पब्लिक का भला नहीं कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, वैसे इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित, खेती से संबंधित हमारे सभी माननीय विधायकों ने चर्चा की है लेकिन जो हमेशा एक चीज रहती थी कि जब भी फसल बोई जाती थी तो डी.ए.पी. और यूरिया की किसानों को जबर्दस्त किल्लत होती थी लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में एडवांस में ही डी.ए.पी. का 1 लाख मैट्रिक टन और यूरिया का 2 लाख मैट्रिक टन का एक स्टाक करने की बात कही है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हम इसका स्वागत करते हैं।

इसी तरीके से जब सदन में किसानों के बारे में चर्चा हो रही थी तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से सर्व-सम्मति से सबका यह कहना था कि किसानों को दो ब्लाक में दिन में बिजली दी जाए। जब हम उन बिजली कम्पनियों से बात करते थे तो उनका यह कथन था कि हमारे पास यह

(श्री लक्ष्मण मीणा)

सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम उनको यह बिजली दे पाएं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि तीन साल में जो सिस्टम है, उसको अप-ग्रेड किया जाएगा। 33 के.वी.ए. के जितने भी ट्रांसफार्मर्स हैं, उन पर 600 ट्रांसफार्मर्स ऐसे लगाए जाएंगे कि हम उनको दो ब्लाक में बिजली दे सकें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, इसमें किसानों का बहुत ही बड़ा भला होगा और रात्रि को जो जगते रहते थे, ठंड के समय में परेशान रहते थे, उनको इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोत साहब ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में पहले यह निर्णय लिया था कि को-आपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है, वह ब्याज मुक्त था, उसको बीच में बंद कर दिया था पिछले पांच सालों में। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी 1600 करोड़ का ऋण देंगे और वह ब्याज मुक्त ऋण होगा, यह बहुत बड़ी किसानों के लिए एक उपलब्धि है। ब्याज मुक्त यह ऋण होगा, यह बहुत बड़ी एक रियायत किसानों को है।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। किडनी, हार्ट, कैंसर के लिए इन्होंने जांचें नि:शुल्क की हैं और जो मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं उनको भी, पहले जो 608 प्रकार की देते थे, उसमें 104 प्रकार की दवाइयों की और वृद्धि की है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इसी तरीके से महिलाओं के लिए महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी कई काम किये गये हैं और यह जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, उनका मानदेय तो बढ़ाया है लेकिन तीन श्रेणी की और हैं, आशा सहयोगिनी, ग्राम साथिन और शिशुपालन गृह की कार्यकर्ता, वह भी काम करती हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है, इनका इसमें नहीं बढ़ाया गया है तो हम मांग करते हैं कि इसमें भी उनका बढ़ाया जाए।

सड़कों में काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं कि जितने भी हमारे मिसिंग लिंक्स हैं, जो टूटी-फूटी सड़कें हैं, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, यह स्वागत योग्य निर्णय है।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार के क्षेत्र में जो स्टेट सबसे बड़ा एम्प्लायर होता है, सबकी अपेक्षाएं होती हैं कि सरकार की नौकरी में जाएं।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 19 विभागों में 75 हजार नौकरियां देने का इसमें एक प्रावधान रखा है जो बहुत ही स्वागत योग्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण इनका निर्णय है इससे हमारे जो युवा लोग नौकरी की तलाश में थे, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हालांकि, यह छोटा लगता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारे जो बच्चे, गांवों के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, बेरोजगार होते हैं, जो बाम्बे के अंदर प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाते हैं, वह होटलों में ठहर नहीं सकते, बहुत महंगाई है, बाम्बे में।

उन प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुम्बई जाने पर परीक्षार्थियों को, जो राजस्थान भवन है, उसमें रियायती आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

इसी प्रकार से स्वतन्त्रता सेनानी हैं, उनको भी सर्किट हाउसों में रहने की सुविधा उपलब्ध होगी, यह भी एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वहां के बारे में मैं दो-तीन चीजों की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बस्सी विधान सभा क्षेत्र के एक तरफ चाकसू विधान सभा क्षेत्र है, दूसरी तरफ दौसा स्टेट हाइवे नंबर-दो गुजरता है। पिछले तीन साल के दौरान, जो 14 किलोमीटर सड़क बस्सी विधान सभा क्षेत्र में होकर गुजरती है, बाकी का सुदृढ़ीकरण कर दिया, सात मीटर चौड़ाई की सड़क बना दी गयी है, लेकिन पता नहीं क्या कारण थे कि उस सड़क को, 14 किलोमीटर बस्सी विधान सभा की छोड़ी गयी है। मैं मांग करता हूं कि इस बजट में ही घोषणा करें कि उस 14 किलोमीटर की सड़क को भी बनाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): हां, करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने पहले एक बीसलपुर पेयजल परियोजना वहां लागू की थी, जिसमें बस्सी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया गया था।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(18.51 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

पिछले 2013 से लेकर अगस्त, 2018 तक उस योजना की क्रियान्विति हुई है, लेकिन उसमें इतनी खामियां रखी गयी हैं कि बजट 40 करोड़ की सेविंग होते हुए भी कई ढाणियां और मौहल्ले ऐसे थे, जिनको पानी उपलब्ध नहीं कराया गया और अगस्त, 2018 में उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि जो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं, बस्सी मुख्यालय है, जो बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं, वह बीसलपुर के पानी से वंचित रह गयीं, उनको भी पानी उपलब्ध कराया जाए।

इसी तरीके से बस्सी विधान सभा क्षेत्र, जिसमें एक भी सरकारी कालेज नहीं है। करीब 25 हजार बच्चे-बच्चियां, जो रोजाना अप-डाउन करते हैं जयपुर में, उनके लिये एक सरकारी कालेज की घोषणा की जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय हायर एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी यहां बैठे हैं, हम उनका भी ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहेंगे कि इसी बजट में उसकी घोषणा की जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड-अप करें प्लीज।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): थैंक्यू, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे बढ़ाया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक घंटा।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री पुखराज।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे आपने बजट की महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आता हूं, वह विधान सभा क्षेत्र सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले में आता है, भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जोधपुर शहर के विकास के लिये, जोधपुर की जनता के लिये जो विभिन्न योजनाएं दी हैं, चाहे वह एलीवेटेड रोड हो, चाहे मल्टी लेवल आई.सी.यू. हो, चाहे पशु चिकित्सालय हो, चाहे पशु विज्ञान महाविद्यालय हो, इन सबके लिये मैं हृदय की गहराई से उनका आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

साथ ही, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो 2012-13 में बजट पेश किया था, उस वक्त मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भोपालगढ़ ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की जो घोषणा की गयी थी, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं माननीय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में इस घोषणा को इम्प्लीमेंट देकर क्रियान्वित करें।

साथ ही, भोपालगढ़ के अंदर जो सी.एच.सी. हास्पिटल है, इसको भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, सरकार के मुखिया, श्री गहलोत साहब द्वारा ही घोषणा की गयी थी कि इस सामुदायिक केन्द्र को 100 बैड का हास्पिटल बनाया जाएगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ में आज भी 30 बैड का हास्पिटल चल रहा है, उसमें किसी तरह की 100 बैड की सुविधा नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने पिछले सत्र में जनवरी के अंदर इस हास्पिटल के लिये एक प्रश्न भी लगाया था, जिसमें माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया था कि वर्तमान में भोपालगढ़ हास्पिटल 100 बैड का चल रहा है, जबकि हकीकत में आज भी वहां 30 बैड का हास्पिटल संचालित है। उस हास्पिटल में मातृ शिशु कल्याण सेंटर की बिल्डिंग का अनावरण किया गया। पूर्व भाजपा

(श्री पुखराज)

सरकार के तत्कालीन चिकित्सा मंत्री, सम्माननीय प्रतिपक्ष के उप-नेता राजेन्द्र जी राठौड़ साहब ने उसका अनावरण किया था। उस वक्त भी उसकी सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति निकाली गयी। वित्तीय स्वीकृति नहीं निकालने के कारण उसमें किसी तरह के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हैं और आज भी वह 30 बैड का हास्पिटल चल रहा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी वित्तीय स्वीकृति निकालकर इस हास्पिटल को 100 बैड की जो पूर्ववर्ती घोषणा है, उसको पूरा करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन करें।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली भाजपा सरकार के द्वारा भोपालगढ़ मुख्यालय पर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की स्वीकृति दे दी गयी थी। उसमें सिर्फ उपाधीक्षक की पोस्टिंग करनी है, उनको पद-स्थापित करना है। वह अभी तक हुआ नहीं है। भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंदर तीन थाने आते हैं- खेड़ापा, भोपालगढ़ और आसोप। आसोप जो थाना है, वर्तमान में उपाधीक्षक कार्यालय बिलाड़ा के अंदर है, उससे लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो स्वीकृत पोस्ट है, उसको शीघ्र भरें ताकि भोपालगढ़ की जनता को इसका लाभ मिले और भोपालगढ़ के अंदर अभी जो वर्तमान के अंदर माहौल है माननीय, वह बड़ा डरावना बना हुआ है। पुलिस प्रशासन बिलकुल पंगु स्थिति में है। आज से पिछले छह महीने में कई तरह की करीब 25 चोरियां हुई हैं और कोई भी चोरी आज तक नहीं खुली। मर्डर हुए, वह भी नहीं खुले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह डिप्टी एस.पी. का जो पदस्थापन है, पोस्टिंग है, वह जल्दी करें ताकि जनता को इन चोरियों से और जो मर्डर हो रहे हैं, जो भयावह स्थिति बनी है, उससे राहत मिले।

(19.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि इन्होंने विभागों में 75 हजार की वेकेंसी निकाली है, अलग-अलग पद किये हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन वेकेंसीज में जो नियुक्ति दी जाए उसमें राजस्थान के मूल निवासी, जो युवा बेरोजगार साथी हैं उनको वरीयता दी जानी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करे। चाहे स्थानीय मूल निवासी बेरोजगारों को रिजर्वेशन दें या फिर राजस्थान का

(श्री पुखराज)

सामान्य ज्ञान का पेपर उसमें डाल कर करें। जो हमारे पडौसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश में जो स्थानीय मूल निवासी युवा हैं उनको 80 परसेंट का रिजर्वेशन दिया गया और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए प्राइवेट सैक्टर में भी 70 परसेंट का रिजर्वेशन कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और प्रतिपक्ष के नेता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करें यह राजस्थान की गम्भीर समस्या है बेरोजगारों की, युवाओं को रोजगार देने की, उसमें यह सबसे बड़ा कदम होगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): राजस्थान के अन्दर जो सामाजिक समरसता का ताना-बाना बुना हुआ है वह बना रहे और हमारे जो युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं वे रास्ता नहीं भटकें, उनको रोजगार मिले। जो हमारे पड़ौस के राज्य हैं, चाहे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, चाहे यू.पी. है, इन सभी स्टेट ने अपने मूल निवासी युवाओं के लिए रिजर्वेशन कर रखा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन भर्तियों में राजस्थान के मूल निवासी जो बेरोजगार युवा हैं, उनको वरीयता दी जाए, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई प्रावधान करें।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): चाहे प्रस्ताव लाना पड़े, चाहे अध्यादेश लाना पड़े, जो भी करना पड़े, इन भर्तियों के अन्दर उनको महत्व मिले। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि बजट घोषणा की इस बुकलेट में पैरा नम्बर नौ में लिखा है - 'यह बजट जनता का बजट है। हमने समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके, उनकी भावनाओं और बहुमूल्य सुझावों को इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया है।' लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सुबह से लम्बी चर्चा हो रही है और इस चर्चा

(श्री जोराराम कुमावत)

में कई क्षेत्रों से कई माननीय विधायकों ने बताया कि मेरे क्षेत्र में बजट में कुछ नहीं लिया, वे कहें मेरे क्षेत्र में बजट में कुछ नहीं लिया तो यदि सभी लोगों की भावनाओं को लेकर यह बजट बनाया होता, सभी जन प्रतिनिधियों की राय लेकर यह बजट बनाया होता तो निश्चित रूप से यह अच्छा बजट होता। सभी लोगों की राय नहीं ली इसलिए यह बजट निराशाजनक है।

अध्यक्ष महोदय, इस बुकलेट के पैरा नम्बर 73 में लिखा है, 'जवाई बांध से शिवगंज ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल योजना के सर्वे हेतु एक डी.पी.आर. बनाई जाएगी,' यह बजट में लिया गया है। निश्चित रूप से यह डी.पी.आर. बनाने के लिए मेरी कोई मनाही नहीं है, सरकार जो चाहे करे लेकिन मैं इस बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि जवाई बांध पुनर्भरण की योजना पहले से माननीय वसुन्धरा राजे जी ने लागू कर रखी है। उसमें डी.पी.आर. बनाने की कार्यवाही भी चल रही है! एक चरण की डी.पी.आर. बन गयी है और दूसरे चरण की डी.पी.आर. की कार्यवाही भी चालू है जिसमें 8.45 करोड़ का 22.11.2016 को वर्क आर्डर भी हो गया था। डी.पी.आर. का कांट्रेक्ट वैपकोस कम्पनी लिमिटेड, गुड़गांव को गया है। तो निश्चित रूप से इस डी.पी.आर. में जवाई बांध पर साबरमती बेसिन का अधिशेष जल जो गुजरात बह कर फालतू जा रहा है, उस जगह पर वाकल, पामेरी, साबरमती, सेई नदियों पर बांध बनाकर 25 किलोमीटर सुरंग 65 किलोमीटर पाइप लाइन का निर्माण कर नाणा गांव के पास जवाई नदी में छोड़ा जाएगा और वह सीधा जवाई बांध में आएगा। निश्चित रूप से यह डी.पी.आर. का कार्य चालू है, दो चरण में इस डी.पी.आर. को करने के लिए 19.02.2018 को श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस परियोजना को दो चरणों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित करें। इसकी अनुपालना में मैसर्स वैपकोस कम्पनी लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित करने के प्रस्ताव तैयार किये गये।

तो निश्चित रूप से इस पूरी परियोजना की डी.पी.आर. पहले से ही बनी हुई है तो यह नई डी.पी.आर. बनाने से सरकार को क्या फायदा होगा? मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई बांध का पानी सुमेरपुर और आस पास के सभी विधान सभा क्षेत्र, पूरे पाली जिले में, आहौर क्षेत्र में भी और शिवगंज के कई क्षेत्रों में भी, सुमेरपुर विधान सभा के कई गांवों को पानी नहीं पहुंच रहा है। लोग बिना फिल्टर का हैण्डपम्पों व कुओं का पानी पी रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में, सुमेरपुर से कई

(श्री जोराराम कुमावत)

योजनाएं बनी हैं, पीने के पानी के लिए योजनाएं बनी हैं, जवाई क्लस्टर फर्स्ट, जवाई क्लस्टर सेकिण्ड, जवाई क्लस्टर थर्ड और जवाई क्लस्टर फोर्थ, यह चार योजनाएं बनी हैं जिसमें 811 गांवों को पानी देने का इन योजनाओं में है।

मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि जवाई बांध से पानी ले जाने की योजनाएं तो खूब बना लीं लेकिन पानी लाने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। आज तक जवाई बांध में पानी लाने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। एक प्रयास जरूर हुआ था जब भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे तो कालीबोर बांध का पानी सेई बांध में डलवाया था और वह पानी जवाई में आ रहा है। दूसरा प्रयास जब वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री थीं, उस समय एक प्रयास और हुआ था सेई डैम का जो ओवरफ्लो है वह आठ फीट ऊपर बढ़ा करके जो पानी गुजरात जा रहा था उसे जवाई में लाने का काम किया तो निश्चित रूप से उस कारण से ही यह पूरे पाली जिले के गांवों को पेयजल के लिए और सुमेरपुर व आहौर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मेरा सरकार को निवेदन है कि जवाई बांध मौसम आधारित बांध है और जब कैचमेंट एरिया में बरसात होती है तो बांध भरता है, नहीं होती है तो थोड़ा-बहुत ही पानी होता है और बाकी सेई से आता है, इस तरह से गुजारा चलता है। जवाई बांध का इतिहास रहा है कि दस साल में एक बार ओवरफ्लो होता है, दस साल से पहले कभी ओवरफ्लो हुआ नहीं और हमेशा खाली रहता है। 1986 में ओवरफ्लो हुआ था, 1996 में ओवरफ्लो हुआ, 2006 में ओवरफ्लो हुआ, 2016 में ओवरफ्लो हुआ और पिछली बार 2017 में भी ओवरफ्लो हो गया। तो निश्चित रूप से यह जवाई बांध का रिकार्ड है और जवाई बांध मौसम आधारित बांध है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बांध में जब बरसात का पानी कम आता है तो वहां पर पीने के पानी के लिए और किसानों के बीच में संघर्ष आता है। कई बार इतना जबर्दस्त संघर्ष हो जाता है कि एक बार तो किसानों को 36 घंटे नेशनल हाई वे रोकना पड़ा और निश्चित रूप से प्रशासन को भी उस समय संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बांध हेतु जवाई पुनर्भरण की जो योजना बनी है जो दो चरणों में बनी है, मेरा मानना है कि नई डी.पी.आर. न बनकर योजना लागू की जाए।

यहां से जितना पैसा राजस्थान सरकार डालेगी, उससे अगर ज्यादा

(श्री जोराराम कुमावत)

पैसा होगा और भारत सरकार से लाना होगा तो निश्चित रूप से हम भी ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस जवाई पुनर्भरण योजना को लागू किया जाए। जिससे सुमेरपुर क्षेत्र के किसान, जालौर क्षेत्र के किसान और पूरे पाली जिले की जितनी योजनाएं बनाई हैं, वह योजनाएं खटाई में नहीं पड़ें। वह योजनाएं निरन्तर उपयोग में आएं, इसलिए इस जवाई पुनर्भरण योजना को लागू करवाने व बजट में घोषणा करवाने का मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, अभी, नया सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, मैं घड़ी देखकर बोल रहा हूं।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): मैं नया सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बोलें। प्लीज बोलें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): पहली बार बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बोलें, प्लीज।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है कि जवाई बांध में जो पानी आता है, वहां एक सेई बांध बना हुआ है, उसमें एक साढ़े 6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। उस सुरंग के मार्फत से पानी आता है। ज्यादा बरसात होने पर एक्स्ट्रा पानी आता है सेई डैम में, तो वह पानी गुजरात बहकर जाता है। सेई डैम की सुरंग चौड़ाई में कम है। उस सुरंग की चौड़ाई यदि बढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से और अधिक पानी जवाई डैम में आएगा। उससे भी हमें फायदा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, पैरा नंबर 25 में किसानों के मध्यकालीन, दीर्घ कालीन ऋण माफ करने का सरकार ने जो निर्णय लिया, उसके बाद में उसमें लिखा है कि किसानों की भूमि रहन मुक्त कर दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह ऋण अभी किसी के खाते में गया नहीं है। किसानों की एक बीघा जमीन भी अभी ऋण मुक्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय कैसे बढ़े, किसान को कैसे मजबूत करें, ऐसा कोई प्रयास इस बजट में मैंने नहीं देखा है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की मजबूती के लिए किसानों को 12 घंटे बिजली मिलनी जरूरी है। अभी 6 घंटे बिजली मिलती है। 6 घंटे

(श्री जोराराम कुमावत)

में से 1 घंटा तो ट्रिपिंग में चला जाता है। शेष 5 घंटे में किसान अपनी फसल पूरी तरह से नहीं कर पाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा समय दो।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अब ऐसा नहीं। 10 मिनट से ज्यादा हो गए। प्लीज, वाइंड अप करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि नया सदस्य हूं।

श्री अध्यक्ष: मालूम है। आप वाइंड अप करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): मैं थोड़ा-सा निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बात समझ में नहीं आई?

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): आप तो दयालु हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, बहुत दयालु हैं, इसलिए ही कह रहे हैं। प्लीज, वाइंड अप करें। 12 मिनट हो गए। एक मिनट तो आप आर्ग्यूमेंट में खर्च कर रहे हैं।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): बस 2-3 मिनट में कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज एक मिनट में।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, किसानों को 12 घंटे बिजली मिले। किसानों को समय पर पानी मिले। किसानों की उपज का समर्थन मूल्य सही मिले। किसानों की फसल का रोजड़े पशु नुकसान करते हैं, उनको रोकने की व्यवस्था हो। किसानों के कुओं पर सौर ऊर्जा के पंप लगें। किसानों के लिए खेत पर जो तारबंदी हो, सब्सिडी की व्यवस्था हो। किसानों को समय पर कर्जा मिले। किसानों की समर्थन मूल्य पर फसलें सरकार समय पर खरीदे। यह मेरा सरकार को सुझाव है। सरकार अगर यह करे तो किसानों को फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्य बोले कि भाजपा सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2-4 बातें बताना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अब आप समाप्त करें। हो गया, रामनिवास गावड़िया। प्लीज, अब समाप्त करें। हो गया।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: हो गया। अंकित नहीं हो।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): 000

श्री अध्यक्ष: हो गया। बार-बार नहीं। हो गया। धन्यवाद। रामनिवास गावड़िया। माननीय सदस्य आप विराजें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। माननीय सदस्य। श्री रामनिवास गावड़िया।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में माननीय मुख्य मंत्री एवं राजस्थान के जन नायक ने महात्मा गांधी के विचारों से आत्मसात होकर, अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है, उसके आधार पर राजस्थान की 7 करोड़ जनता की जन भावनाओं के हिसाब से बजट पेश किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को राजस्थान की सम्पूर्ण जनता की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर काफी सार्थक चर्चा हुई। विपक्ष के लोगों ने भी अपने सुझाव रखे। सरकार के माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। आज हम लोकतंत्र की जिस प्रणाली के माध्यम से इस सदन में आए हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। उसी का नतीजा है कि आज सम्पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जनता का राज है। इसमें चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे अम्बेडकर जी हों, उन्होंने इस पूरे देश को एक डोर में पिरोए रखा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जिस डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जिस नौजवान की बात करते हैं, 1969 में इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एक दूरगामी सोच के माध्यम से इस देश को डिजिटल किया। हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1989 में नौजवानों को 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार दिया। उससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी

(श्री रामनिवास गावड़िया)

के नेता किस तरह से गांव, ढाणी में बैठे किसान और नौजवान को ध्यान में रखते हुए अपनी रीति और नीति को लागू करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में किसानों को लेकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कृषक कल्याण कोष का गठन किया है, वह निश्चित तौर पर इस बात को दिखाता है कि आज जो हमारा देश का अन्नदाता है, उसको अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो हमारा देश प्रगति करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी और 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया के अग्रिम भण्डारण की जो घोषणा की है, यह इस बात को दिखाता है कि पिछले राज में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतकर आए, उन्होंने किसानों की बड़ी बात की, लेकिन मुझे याद है कि इस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा था। लेकिन इनके माननीय मुख्य मंत्री जी को, इनके मंत्रियों को और इस देश के प्रधान सेवक को उन लोगों की सुध लेने का समय नहीं था। जो आज 'मन की बात' करते हैं, वह उस समय मौन थे, जब इस देश का जवान सीमा पर शहीद हो रहा था और इस प्रदेश का किसान खेत में आत्महत्या कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किसान की बात करते हैं, उन्होंने एक किसान की कीमत मात्र साढ़े 16 रुपए पर डे आंकी है। जो इस बात को दिखाती है कि उनकी कितनी ओछी मानसिकता है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो जनता क्लिनिक और कैंसर, हार्ट, किडनी जैसी 104 दवाइयों को जो नि:शुल्क दवाइयों में जोड़ा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखते हुए, एक सामाजिक समरसता को पेश करते हुए जो बजट पेश किया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब यहां बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि कुचामन सिटी में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो ब्लड बैंक की घोषणा बजट में की है, इस ब्लड बैंक के लिए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में इनके मुख्य मंत्री

(श्री रामनिवास गावड़िया)

जी ने भी घोषणा की थी। माननीय राठौड़ साहब और कालीचरण जी सराफ ने वहां जाकर फीता भी काटा। लेकिन मात्र कागजों में उसका उद्घाटन किया गया। आज दिन तक वहां कोई भी ब्लड बैंक नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि नागौर जिले का जो सबसे बड़ा कस्बा है, हाई वे के निकट, वहां ब्लड बैंक की जो सुविधा दी है, उसके लिए मैं सम्पूर्ण नागौर की जनता की तरफ से बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, गाय पर काफी चर्चा हुई। मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने आपको बताया।

लेकिन हमारे जन नायक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात पर जोर दिया कि इस विभाग में जो बजट है उसमें 145 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की और पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाओं के उद्घाटन किए जाएंगे उसके लिए राजस्थान की सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से उन गरीब परिवार की बच्चियों के लिए जो 21 हजार रुपये की हथलेवा योजना की घोषणा की है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य फैसला है। आज इस प्रदेश में महिलाओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ाया है, आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं उनका मानदेय बढ़ाया है, प्रियदर्शिनी इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से 1 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(19.21 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहंगा आपके माध्यम से कि पूर्ववर्ती सरकार ने समानीकरण और एकीकरण के नाम पर 17 हजार स्कूल बंद कर दिए। उस समय मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करता था। तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चन्द जी कटारिया राजस्थान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के दिन वहां आए थे। हमने वहां उनका इस बात के लिए पुरजोर विरोध किया कि आपने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को बंद किया, हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को बंद किया। इसके विरोध में पूरे राजस्थान के नौजवानों को सड़कों पर उतकर इनका विरोध करना पड़ा लेकिन इनके कोई

(श्री रामनिवास गावड़िया)

फर्क नहीं पड़ा। इस प्रदेश का नौजवान जेल काटकर आया लेकिन इन लोगों, इनकी सरकार को इस बात की सुध लेने का कोई समय नहीं था कि हमारे नौजवान लोग अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के माध्यम से आगे बढ़कर इस प्रदेश के भविष्य के लिए नींव रखेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर स्कूली शिक्षा में भगवाकरण करने का काम किया। इन्होंने पाठ्यक्रम को चेंज करने का काम किया, इन्होंने अपने भगवाकरण की राजनीति की उस मानसिकता को पूरे प्रदेश के नौजवानों पर थोपने का काम किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी माननीय सदस्य, रामप्रतापजी कासनियां कह रहे थे कि नाम परिवर्तन करने से प्रदेश पांच साल पीछे चला जाता है। मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि निश्चित तौर पर प्रदेश पांच साल पीछे चला जाता है क्योंकि आपने पिछले पांच सालों में पाठ्यक्रमों को चेंज करने का काम किया है, जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने लागू की थीं उनका नाम परिवर्तन करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश का जो नौजवान है, सीमा पर जो खड़ा रहकर इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौच्छावर करने के लिए वहां तैनात है, पिछली सरकार ने, पिछले पांच वर्षों में जितने शहीद हमारे नौजवान देश की सरहद पर हुए, उतने आज दिन तक नहीं हुए लेकिन इनकी सरकार के लोगों को, इनके माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए समय नहीं था कि हम शहीद के परिवार को जाकर सांत्वना दें, उनके आंसू पौंछें। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शहीदों के सम्मान में आबंटित होने वाले भूखण्ड और आवास के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की जो सम्पूर्ण छूट दी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे परबतसर में आज चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि पिछले 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी वहां से जीतकर आई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि परबतसर में जो सीएचसी है, उसको आप क्रमोन्नत करवाकर उसमें बैड बढ़वाएं ताकि जिस लोकेशन पर है, किशनगढ़ से 35 किलोमीटर दूर है, कुचामन सिटी से 35 किलोमीटर दूर है और हाइवे पर है तो माननीय मंत्री महोदय, आप हमेशा से मेरे ऊपर स्नेह रखते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि परबतसर की

(श्री रामनिवास गावडिया)

सीएचसी को क्रमोन्नत किया जाए और परबतसर में बड़्की पीएचसी है उसको सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए।

माननीय मंत्रीजी से मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन्दिरा गांधी नहर का जो पानी है, पूर्व में जब केन्द्र में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो केन्द्र की तरफ से 22.50 करोड़ रुपया नागौर को इन्दिरा गांधी नहर के लिए मिला और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस समय 7.50 करोड़ रुपये नागौर को इन्दिरा गांधी नहर के लिए दिये। आज स्थिति यह है कि पिछले पांच सालों में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा तो इन्होंने सर्वे करवाकर जिन लोगों के घरों में पानी जाना चाहिए था उन बड़ी-बड़ी ढाणियों को पानी से वंचित रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी उस पर विशेष संज्ञान लें, हम चाहते हैं कि जिस ढाणी की आबादी आज 50 से ऊपर है, वहां के हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात रख रहा हूं कि नागौर जिले में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप नागौर में और परबतसर में पेयजल की समस्या है उस पर विशेष ध्यान देकर हमें इस दुविधा से हटाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, कुछ पंक्तियों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा।

नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है,
परिंदों के लिए प्यालों में पानी कौन रखता है,
एक आप और एक हम हैं, जो सम्भाले हैं इस विरासत को,
वर्ना इतने सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है।"

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं थीं, जनता के हित में उसको चालू रखा है, हमारे वन्य जीव प्राणी है गोडावण, उसके संरक्षण के लिए ध्यान दिया है। हमारे प्रदेश की धरोहर किसान हैं, उस

(श्री रामनिवास गावड़िया)

विरासत को बचाने के लिए उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं और गुड गवर्नेंस देने के लिए आज बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर को राजस्थान की एक अच्छा शासन और सामाजिक समरसता पेश करने का जो उदाहरण पेश किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान की सरकार को राजस्थान की सम्पूर्ण जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपा रामजी।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, सदन के उन माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिनका बोलने का नम्बर नहीं है फिर भी बैठे हुए हैं। करीब-करीब वही लोग आखिर में डटते हैं जिनका बोलने का नम्बर आता है।

इस बजट की चर्चा में मेरे माननीय कवि सदस्यों ने भाग लिया है, कोशिश करूंगा सभापतिजी, जो बोल चुके हैं वह बात दुबारा नहीं बोलूं।

राजनीति के बारे में मैंने कोई दस साल पहले पढ़ा था, एक कोई विचारक था इंग्लैण्ड का, उससे पूछा किसी ने कि Sir, what is the definition of politics? उसने जवाब दिया, मैं इस बात से पूर्ण सहमत नहीं हूं लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया कि दुष्ट की अंतिम शरण स्थली जहां है उसको लोगों ने राजनीति कहा है। यह मेरा विचार नहीं है, दुर्जन आदमी की अंतिम शरण स्थली जो है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, एक्सपंज कराओ यह तो, दुष्ट की अंतिम शरण स्थली राजनीति है। आप दुष्ट? हमारा तो कुछ नहीं।

श्री सभापति: सब कर देंगे।

श्री रूपा राम (मकराना): सबके लिए शामिल है, मैं बता रहा हूं, इसमें यह हैख कहा यह है कि दुर्जन को यदि कहीं जगह नहीं मिले ...(व्यवधान) First I am telling. मेरी किसी व्यक्ति विशेष से नाराजगी नहीं है। मैं व्यवस्था की बात है उस पर बोल रहा हूं। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। उसने कहा कि दुष्ट आदमी को कहीं जगह नहीं मिलती।

श्री सभापति: माननीय रूपा रामजी, समय का फिर अभाव हो जाएगा, आप और मैं फिर ...(व्यवधान) कंटेंट नहीं है तो फिर क्या बोलना?

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि बजट चाहे राजस्थान सरकार का हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे किसी भी सदन का हो, बजट वही सच्चा है, अच्छा है, जनहित में है, लोकतंत्र के हित में है, जिसमें यह बताया गया हो, दर्शाया गया हो कि मेरे बजट में शत-प्रतिशत पारदर्शिता और ईमानदारी होगी। बजट कौन गलत पेश करता है? आपने कह दिया तो सचमुच में शुरू हो जाता हूं। उस लोकतंत्र की, उस राष्ट्र की जनता का दुर्भाग्य इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि जनता द्वारा चुना गया जन प्रतिनिधि ही जनता के हित की बजाय अहित की सोचकर अपने ठाठ में बैठा है।

माननीय सभापति जी, जब उस जन प्रतिनिधि पर, जिसने जनता के हित की बजाय अपना हित साधा है, उस पर अगर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं तो यह देश की जनता पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर या संगठन के आधार पर उसी नेता को बचा लेती है, यह हमारे प्रजातंत्र में सबसे बड़ा दुर्भाग्य जनता के लिये है।

अगर नीतियां नयी और नीयत बेईमानी है,
फिर विकास का ढिंढोरा पीटना नादानी है,
माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ ऐसा कर गुजरो,
वर्ना कुर्सी तो आनी और जानी है,
कुर्सी ही नहीं, अब तो जिंदगी भी बुलबुला पानी है।
इस भ्रष्ट व्यवस्था को अमृत समझकर पी रहे हैं,
आएगा कभी तो वफा का दौर,
आएगा कभी तो सच्चाई का दौर,
यह समझकर जी रहे हैं।
पर न तो वह वफा आयी, न सच्चाई आयी,
आया तो सिर्फ दौर, तेरी वफाई का आया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का संक्षिप्त मतलब यही है कि मैं देख रहा हूं सदन की कार्यवाही को। बहुत कोशिश करता हूं कि जो मन में है, जो सच है, वह नहीं बोलूं। बहुत कोशिश करता हूं कि एडजस्ट हो जाऊं। हो नहीं पा रहा हूं, इसलिए संक्षिप्त में इतना ही बोलूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट में लिखा है-

(श्री रूपा राम)

उनके बेवजह बेबजट फिजूलखर्ची के बहुत किस्से हैं,

लगता है इस बेपटरी गाड़ी को ठीक करना मेरे हिस्से है।

यह बात मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे मुख्य मंत्री जी के काम पर या बजट पर शक नहीं है। शायद उन पर कुछ ऐसा दबाव है कि वे चाहकर भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगर आज मुख्य मंत्री जी होते तो शायद कुछ समस्या का समाधान हो जाता। पांच-दस साल रह चुके वे। मैं उनसे यही कहता, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप अच्छा करना तो चाहते हैं, शायद कोई दबाव है, इसलिए आप एक महीने के लिये मुझे मुख्य मंत्री बना दीजिए न। सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा और आप तो उठापटक वाले माहौल में चल रहे हैं और जादूगर भी हैं।

एक महीने में कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं और वैसे भी आप तो जादूगर हैं, एक महीने के बाद आप तो मुख्य मंत्री रहेंगे ही। माननीय सभापति जी, मैंने मेरे विधान सभा के पहले उद्बोधन में भी कहा है, मैं दिल से कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छे काम किये हैं, हमने भी किये हैं। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक-दूसरे की सराहना नहीं करते। हम सिर्फ कमियां ढूंढ़ रहे हैं। यही तो हमारे सदन का दुर्भाग्य है। वैसे बजट पर चर्चा है, राजस्थान की जनता का बहुत खर्चा है, आपके सामने उपस्थित हूं, किसानों के बारे में इतना ही बोलूंगा-

गरीब हूं, मजदूर हूं, किसान हूं,

कहने को मैं देश की शान हूं,

कड़ी मेहनत के बाद भी भूखा मैं क्यों,

इस बात से अभी तक हैरान हूं,

आज भी भ्रष्ट, बेईमान व्यवस्था से मैं बहुत परेशान हूं।

सभापति महोदय, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं। अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा गाना या अच्छा पढ़ने का तब तक कोई महत्त्व नहीं, जब तक वह खुद अच्छा नहीं है।

मेरे घट की मैं जानूं या फिर मेरा रब जाने,

मुझे पागल कहने वाले खुद पागल, वे मेरे मन की कब जानें।

सभापति महोदय, संक्षिप्त में इतना ही कहूंगा किसानों के बारे में, बिजली के बारे में और सड़क के बारे में। किसानों के बारे में, जैसे खेती के

(श्री रूपा राम)

बारे में इसमें दर्शाया गया है, मेरा इतना ही सुझाव है, बिजली, पानी, बीज और खाद इनका मूल्य लागत और उसके बाद किसान की फसल का आप मूल्यांकन कीजिए। आप एक कमेटी बनाइए जिसमें जितना भी बड़ा खेत हो, उसे लेकर आप किसान की फसल का मूल्य अच्छी तरह निकाल लीजिए।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के नाम पर किसान पर क्या-क्या बीत जाती है? मैं कही हुई बात को थोड़े ही कहूंगा। वीसीआर भरना या एक टार्गेट देते हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में कि टार्गेट दे दिया। बहुत बड़ी दुर्दशा है चाहे किसान है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है। वीसीआर भरने का मापदंड क्या है? बिजली की चोरी को रोकने के लिये जो आपके अधिकारी, कर्मचारी जाते हैं, क्या कोई गारंटी है कि वे ईमानदार हैं, इसलिए मनमर्जी से यह जो बिजली की वीसीआर भरी जाती है, इसे भी आप कंट्रोल कीजिए, कम कीजिए। मैं अब संक्षिप्त में आ रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के बारे में मेरा एक सुझाव है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): आप तो कोई गीत सुना दीजिए।

श्री रूपा राम (मकराना): जैसे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे तो यह अलग-अलग जीने का तरीका है, इस पर मैंने लिखा है-

जीबा को ढंग ही जग म न्यारो, न्यारो सा,
कोई न लागै सांच मीठो, कोई न खारो सा,
जीबा को ढंग ही जग म न्यारो, न्यारो सा।

कोई मुझसे नाराज नहीं हो, इसलिए कहा मैंने। अलग-अलग जीने का ढंग है, जो जैसा जिएगा, जैसा करेगा, यह पक्का है, उसे फल मिलेगा। जीबा को ढंग जग म न्यारो, न्यारो सा, कोई न लागै सांच मीठो, कोई न खारो सा।

राजा बणकर बैठग्यो, ओ रे हुक्म करै दिन-रात,
अंतकाल पछताव सी, जब कछु न रह सी हाथ।
अब जग में थारो कोनी सहारो बारो सा,
जीबा को ढंग ही जग म न्यारो, न्यारो सा।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों पर मेरा सुझाव है, हमारे मकराना

(श्री रूपा राम)

में एक सड़क बनी है बोरावड रोड पर अग्रवाल पैट्रोल पंप के सामने 18 साल पहले सीमेंटेड, शायद उस समय हरेन्द्र जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, आज तक वह सड़क टूटी ही नहीं। मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है, सड़क के मसाले का मापदंड एक, डेढ़, तीन का होते हुए भी टूट क्यों जाती है? भाखड़ा बांध से भी मजबूत मापदंड है। आप मुझे दीजिए न, मैं 25 साल की गारंटी देता हूं। आप तीन साल में तोड़ देते हैं उसे। माननीय सभापति महोदय, यह पैसा किसका है? मैं तो कह रहा हूं न मैं एडजस्ट कम हो रहा हूं, फिर भी मेरा दिल एक ही बात कहता है-

सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है,
न हाथी है न घोड़ा है,
वहां पैदल ही जाना है,
सजन रे झूठ मत बोलो।
तुम्हारे महल चौबारे,
यहीं रह जाएंगे सारे,
अकड़ किस बात की प्यारे,
यहीं घुट-घुट के मरना है,
सजन रे झूठ मत बोलो।

यही जीवन का सार है माननीय सभापति महोदय। अभी मैं दो मिनट तो और बोल लूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सदस्य, अभी तो श्रोतागणों ने आना चालू किया है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रूपा राम (मकराना): नहीं, विपक्ष में दम है, आप हमसे कम हैं।

श्री सभापति: आपका कोई अलग से कम्पीटिशन रखवा दूंगा मैं। समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मैं कभी-कभी तो बोलता हूं, आपके कहते ही समझ जाऊं। यह पुलिस पर आया है। माननीय

(श्री रूपा राम)

सभापति महोदय, पुलिस पर आया कि पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है। मैं थाने में गया तो थाने में एक बैल्ट रखा था उसमें लिखा था 'आन मिलो सजना' 'आप आये बहार आयी' और वह पुलिस में फ्रेंडली। मैंने कहा न कि हमारे मुख्य मंत्री जी का सोच गलत नहीं है। उसमें आपने देखा होगा, मैं तो देखते ही वापस आ गया, मैं फ्रेंडली हिसाब से ही थाने के अन्दर गया था कि भाईसाहब, आपने दोस्ती। लिखा भी होता है- 'अच्छों के लिए दोस्त'। यह अभी व्यवस्था जो पुलिस की है वह आपसे छिपी हुई नहीं है। लास्ट में मैं यह चीज कह रहा हूं। सभापति महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दे दीजिये। इन्होंने 180 नम्बर पर लिखा है- 'हमारी सरकार zero discretion, हमारी सरकार, यानी सरकार तो आपणीं, म्हांकी ही है और थै नहीं मानो तो भी म्हे तो हां ही सरकार में। हमारी सरकार zero discretion, यानी अवहेलना, zero corruption तथा zero harassment.....

श्री सभापति: आप बोलिये, मैं सुन रहा हूं।

श्री रूपा राम (मकराना): आप तो खड़े होते ही आसन पांवों पर है लेकिन हम तो हमारे गांवों पर हैं न। यह सब मैं आपको बताऊं, यह क्या है कि जीरो है, हरैसमेंट जीरो परसेंट, अवहेलना जीरो परसेंट, करप्शन है ही नहीं। अब यह जीरो तो अंग्रेजी में लिख दिया ZERO वर्ना जीरो के आगे और एक जीरो लगाकर शुरू में आगे एक लगा देते तो हण्ड्रेड परसेंट हो जाता करप्शन। यह अजीब बातें हैं सर, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। मतलब हरैसमेंट नहीं है क्या यहां? करप्शन नहीं है? किसी भी विभाग में जाकर देख लीजिये। दूसरा आपने गांधी जी के बारे में आगे बहुत कुछ लिख दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रूपा राम (मकराना): दो लाइन गांधीजी के बारे में नहीं बोलूं तो अपने पिताजी थे, mother is confirmed in our society but father is sometimes doubtful. फिर भी मैं राष्ट्र के पिता मानता हूं उनको।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): यह विज्ञान का तथ्य है और समाज में कभी-कभी गड़बड़ियां हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, थे, रहेंगे। इसमें है - श्रम विहीन सम्पत्ति, अंग्रेजी बोलूं तो मैं इतनी बढ़िया

(श्री रूपा राम)

बोलूं कि आप समझ नहीं पाओगे। श्रम विहीन सम्पत्ति, विवेक विहीन भोग विलास, चरित्र विहीन शिक्षा, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवीयता विहीन विज्ञान, त्याग विहीन पूजा, सिद्धांत विहीन राजनीति। मैं आपको बताऊं न कि हमारे मुख्य मंत्री जी का, जिन्होंने बजट पेश किया है इनका सोच अच्छा है लेकिन कहीं न कहीं कोई परेशानी है वर्ना ये शब्द नहीं लिखते। अब इतना अच्छा लिखने के बाद में भी इस पर आप चल नहीं पा रहे हैं, यह तो आप पर है। गांधी जी ने यह भी कहा था, सबसे बड़ी बात कही थी गांधी जी ने कि सच बोलो, हम कितना सच बोलते हैं? आज शायद मुझे सुनकर कितने मेरे दोस्त हंसी करेंगे, मजाक करेंगे लेकिन मैं जीवन का सार बोल रहा हूं। जब यहां से दुनिया छोड़कर जाएंगे न तो मुझे मेरा भगवान पूछेगा कि तुमने क्या किया तो मैं कहूंगा कि मेरे दाता, मेरे पिता-परमेश्वर, जो गीता में, रामायण में और संविधान में तूने कहा, मैंने वह किया लेकिन हमारी संख्या कम थी मेरे दाता, मैं वह कर नहीं पाया जो मैं चाहता था। भगवान कहेंगे कि चलो इसको स्वर्ग में भेजो। जीवन का सार यहीं आएगा।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य, प्लीज। समाप्त करें। समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रूपा राम (मकराना): 'वे इतने नादान हैं कि गुनाह करके भी मुस्कुराते हैं, हमें देखो उनके गुनाह से अपने आप में शर्माते हैं, हमें देखो उनके गुनाह से अपने आपमें शर्माते हैं। मैंने यह किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं लिखा। Here is no enemy in this 'Sadan' हमारे कोई ये दुश्मन नहीं हैं, किसी से मेरी नाराजगी नहीं है। किस-किससे लडूं, अपने आप से लड़ते-लड़ते इस उम्र में पहुंच गया, सर। मैंने पहले भी कहा कि जो शायद ज्यादा सच बोलते हैं उनको पागलों की उपाधि दे दी जाती है लेकिन जीवन का जो सर्व सत्य है वह एक दिन सामने आएगा। आप मंत्री हैं सरकार के, आपको किस बात का डर है, करो मौज-मस्ती राजस्थान तो आपका घर है, करो मौज-मस्ती राजस्थान तो आपका घर है। लेकिन याद रखना, यह कुर्सी आनी और जानी है, मेरी किसी से भी मेरे दोस्त से, मेरे सम्माननीय मंत्रियों से, किसी से नाराजगी नहीं। माननीय सभापति जी, एक बात और, क्या हम लोगों ने, आज गांवों में जाकर देखा एक गरीब की 25 साल की जवान बेटी बाप के सीने पर बैठी है, एक गरीब का पांच साल का बच्चा, सात साल का बच्चा दवाई के बिना तड़प-तड़पकर मर जाता है। एक गरीब को जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल

(श्री रूपा राम)

रही हैं, जिम्मेदारी किसकी है माननीय सभापति जी? हम आज इस परिस्थिति में हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अब भी कह रहा हूं न कि एक बार मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में अच्छा बोल दिया कहीं कि मुझे अच्छे लग रहे हो तो उसमें मेरी पार्टी वाले भड़क गये तो मैंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत विचार रखे हैं, फिर मैं एक बार बताऊं आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार। समय सीमा का ध्यान रखेंगे। माननीय धर्मेन्द्र कुमार जी। समय की सीमा का ध्यान रखें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आज बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, दिनांक 10 जुलाई, 2019 को सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार का जो परिवर्तित बजट प्रस्तुत किया वह बजट कितना जनहित में है, कितना जनता के लिए है यह तो जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। इस सरकार को चुनने के बाद जनता ने यह पहला बजट सुनकर अपने वहोट को कोसना शुरू कर दिया है। जनता को खुश नहीं किया जा सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय, कृपया शांत रहें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): इस बजट को उठाकर, पढ़कर, समझकर यह महसूस होता है कि आम आदमी इस बजट से पूर्ण रूप से ठगा गया है। पूर्व में जो लोक-लुभावने वादे किये गये थे, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, शांत रहें। कृपया शांत रहें। माननीय मंत्री महोदया, प्लीज।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): बार-बार खजाना खाली, खजाना खाली कहकर बजट को पूरा खाली कर दिया गया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाओं को नया नाम देकर अपने नाम से करके अपनी मानसिकता दर्शाने की कोशिश की गयी है। यह बजट पूर्ण रूप से निराशाजनक है तथा महज घोषणाओं का पुलिंदा बनकर रह गया है। बड़े-बड़े वादे कर किसानों को फिर

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है। न तो ऋण माफी की घोषणा पर अमल किया गया है और न ही कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। जिनमें अपने स्तर पर बजट में कोशिश कर सकती है उन्हें केन्द्र के पाले में डाल दिया गया है जैसे लोन सैटलमेंट की बात हो। आपने गली-मौहल्ले में नये क्लिनिक खोलने की बात की है, पर जो पूर्व में हास्पिटल हैं, मैं मेरे रावतसर और पीलीबंगा की बात करता हूं तो वहां डाक्टर नहीं हैं, वहां मेल नर्स नहीं हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और आप गली-मौहल्ले में नये क्लिनिक खोलने की बात कर रहे हो।

महोदय, आप जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं थीं उनका नाम बदलकर नये नाम दे रहे हो इसमें सच्चाई है। अम्बेडकर भवन की जो योजना भारत सरकार ने बनाई है उसका भी आपने नाम दिया है। पण्डित दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का नाम बदलकर आपने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा नाम दिया है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर पर गरीब तबके की जनता को कोई राहत नहीं दी है। खेल नीति में आपने किसी प्रकार से कोई जिक्र नहीं किया है जो प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए काफी गम्भीर और चिंताजनक विषय है। आयुर्वेद, जो चिकित्सा क्षेत्र का एक बड़ा ढांचा है, बजट में उसके लिए आपने कहीं भी किसी प्रकार का बजट प्रदान नहीं किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहरी क्षेत्र से आता हूं और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचाई क्षेत्र में मेरा क्षेत्र है परन्तु बजट में जो इंदिरा गांधी नहर 1965 में बनी थी, उस पर जो पुल बने हुए हैं। उसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गयी है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर योजना में 20 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की बात की है। परन्तु, जो पूर्व के अंदर भाखड़ा और राजस्थान कैनाल है। उसमें भी 10 से 15 परसेंट एरिया असिंचित है। उसका आपने जिक्र नहीं किया, उन लोगों के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाए ताकि उनका क्षेत्र विकसित हो सके। आपने सिंगरासर माइनर का भी नाम नहीं लिया है और आपने भाखड़ा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पक्के खालें निर्माण की बात नहीं की है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे और डा. रामप्रताप जी को, जिन्होंने केन्द्र से 36 सौ

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

करोड़ रुपये लाकर नहर के सुदृढ़ीकरण की बात की। परन्तु, पीछे तो काम बहुत सही हुआ। 31 मार्च, 2019 के बाद बन्दी के बाद में जो काम हुआ उसमें भयंकर भ्रष्टाचार फैला। पानी आने से पहले रात को प्लास्टर वगैरह बांधा और उसके अगले दिन पानी आ गया। यह नहर का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। जिसके कारण से भ्रष्टाचार फैला है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 84 आरडी पुल जो पूरी तरह बंद हो चुका है, 99 आरडी ढाणी का पुल बंद हो चुका है, खोड़ा 110 आरडी का पुल बंद हो चुका है और डबली में पुल बंद हो चुके हैं। उनके लिए बजट प्रदान किया जाएं, क्योंकि काश्तकारों को इधर से उधर जाने में काफी परेशानी होती है। मण्डियों में जाने के लिए 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र सेम ग्रस्त भी है। पिछली सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, इन्होंने सेम के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इस सरकार ने सेम के लिए बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया, जिसके कारण से सेम ग्रस्त जो पम्प स्टेशन, बड़ोपल में लगा है। वह अभी तक शुरू ही नहीं हुआ और न ही उसके कनेक्शन की बात की गयी है। 99 आरडी और दौलतबाग ढाणी में पूर्व में भी पम्प स्टेशन चल रहे हैं जो सेम दाला बड़ा हुआ है, उनकी सिल्ट सफाई की व्यवस्था नहीं की गयी है और सब-ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की गयी है। जो पूर्व सरकार ने बडोपल में सेम का काम शुरू किया था। उसका कलेक्शन कराकर उसे शुरू कराएं और सेम के लिए सरकार इसमें बजट भी डाले।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भारतमाला भारत सरकार ने 754 नम्बर रास्ता, जो अमृतसर से गुजरात जाता है। उसमें हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़ तहसील और पूरे राजस्थान के अंदर जमीन अधिग्रहण की है परन्तु इस अधिग्रहण में जो डीएलसी रेट है, वह कम है, उसकी रेट बाजार भाव की जाए।

सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसी बजट सत्र में चित्तौड़गढ़ के सांसद सी.पी. जोशी ने लोक सभा में प्रश्न किया था और उसमें माननीय गडकरी जी ने उत्तर दिया था कि ये जो बाजार भाव की बात है और

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

रेट की बात है, यह हम तय नहीं करते, जो सरकारें हैं, वे अपने कलेक्टरों को कहकर कमेटी बना करके उस रेट का निर्धारण कर सकती हैं।

मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे। जो काश्तकार बेघर हो रहे हैं, जिनकी जमीन आज सड़क के नीचे आ रही और उनकी जमीन, जो दो टुकड़े में बंट चुकी है। जो टुकडे में बंटी है, उनके लिए पानी, खाद की व्यवस्था हो, और उसके साथ-साथ कमेटी बनाकर के कलेक्टरों को निर्देशित करें कि उन काश्तकारों को सही ढंग से बाजार भाव से मुआवजा मिले।

इसके साथ-साथ मैं आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। सेम के लिए बजट में पैसों का प्रावधान होना चाहिए और नेशनल हाइवे 754 में काश्तकारों की पुकार सुननी चाहिए। पीलीबंगा और रावतसर में जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर पूरा स्टाफ नहीं है, स्टाफ की व्यवस्था की जाए।

अग्निशमन की बात करता हूं। टिब्बी और रावतसर में जो एसडीएम हैड क्वार्टर है, वहां आगजनी अधिक होती है, अग्निशमन वाहन की व्यवस्था की जाए और पीलीबंगा और रावतसर में सरकारी कालेज खोला जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मुकेश भाकर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यवाही के अंतिम माननीय सदस्य के बोलने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय अंतिम वक्ता के बोलने तक बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बजट पर चर्चा में मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि बजट 2019-20, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया, वह बजट मुख्य तौर पर किसान, विकास, सड़क, पेयजल, रोजगार, बिजली, उद्योग, चिकित्सा इनके इर्द-गिर्द रहा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को किसान, गरीब, आम आदमी की पार्टी माना जाता है, उसी तरह इन सब वर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। इन सबको विशेष तौर पर ध्यान में रखकर इस बजट को बनाया गया।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे जो भाजपा के मित्र हैं, जो सदस्य हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि जिस दिन से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस दिन से किस तरह का घमण्ड, किस तरह की भाषा सदन में बोली जा रही है कि हम लोग 25 की 25 सीटें इस राजस्थान में जीतकर आये हैं। आप लोगों के द्वारा जो झूठा राष्ट्रवाद, जो झूठा हिन्दुत्व का ढोंग इस राजस्थान और इस देश में रचा गया उससे राजस्थान और देश की जनता गुमराह हुई।

मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने 25 की 25 सीटें जीतीं। आप लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने के अलावा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि केन्द्र में आपकी सरकार है और 25 के 25 सांसद आप लोगों के हैं। आप लोग पिछले 6 महीने से जो राज्य के बजट में कटौती की जा रही है, जो केन्द्र से आने वाला पैसा राज्य सरकार को भेजा नहीं जा रहा है, उसकी मांग अपने सांसदों से केन्द्र में करवाइये। आप लोग, जो नरेगा का पैसा, जो गांव के गरीब लोग, जिनके रोजगार का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, उसकी मांग आप लोग केन्द्र से करवाइये।

जिस तरीके से समर्थन मूल्य फसलों का नहीं भेजा जा रहा है, उसकी मांग आप लोग केन्द्र की सरकार से करवाइये। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा न्यू पेंशन योजना के तहत जो कर्मचारी आज सड़कों पर धरना दे रहे हैं, आप लोग ओल्ड पेंशन योजना की मांग केन्द्र की सरकार से, अपने सांसदों से करवाइये।

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

जिस दिन से आपकी सरकार बनी है, एक पुलवामा की जो दुर्घटना इस देश में हुई, उसके नाम पर आप लोगों ने वोट लिये, लेकिन उसके बाद निरन्तर सीमा पर जो जवान शहीद हो रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। जिस दिन से आप लोगों की सरकार बनी पैट्रोल और डीजल पर रुपये-पैसे बढ़ाये गये। उनको कम कराने की मांग आप लोग केन्द्र की सरकार से करिए। जिस तरीके से बड़ी-बड़ी बातें आप लोग यहां कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी आप लोगो की है। क्योंकि, आपके 25 सांसद हैं और आप लोग उनसे यह मांग करिए कि जो केन्द्र की सरकार पैसा राज्य को नहीं भेज रही, वह भेजे ताकि लोगों के विकास के काम और तेजी से हो सकें।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने इस बजट में किसान को केन्द्र में रखकर बजट बनाया। उन्होंने कृषक कल्याण कोष की घोषणा की। जिसमें एक हजार करोड़ रुपये किसानों के समर्थन मूल्य के लिए, जो उत्पादों के समर्थन मूल्य के लिए, जो देने होंगे, उसके लिए कृषक कोष की घोषणा की। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जाते-जाते, जो ऋण माफी की घोषणा करके गयी थी 8 हजार करोड़ की, मात्र 2 हजार करोड़ रुपये इन्होंने किसानों को दिये।

(20.00 बजे)

बाकी जो बचे हुए 6 हजार करोड़ रुपये थे वे कांग्रेस पार्टी ने अब चुकाये हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनते ही पचास हजार रुपये तक के फसली ऋण के जो वादा था वह पूरा किया इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा गाय और मंदिर पर राजनीति करके ये लोग सत्ता में आये। पिछली बार का मैं बीजेपी के लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा। इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि सच्चाई सुनी नहीं जा रही है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 56 इंच के कलेजे से सत्ता में आए हैं। 56 इंच का कलेजा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें इनको।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): गाय और मंदिर का नाम लेकर आप लोग सत्ता में आये हैं। पिछली बार जब इनकी सरकार राजस्थान में थी उस समय हिंगोनिया में कितने हजारों की संख्या में गायें मरीं। करौली में खाने

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

और पानी की कमी के कारण कितनी गायें मरीं। उस समय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी, प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, उन लोगों के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने संघर्ष किया इस राजस्थान में और आज इन लोगों ने सत्ता में आने के बाद जो वादे राजस्थान से किये थे एक भी वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। कितने मंदिर जयपुर में तोड़े गये उसका विरोध जनता ने यहां किया। आज जब कांग्रेस की सरकार बनी है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को इस सदन के माध्यम से। आज गांवों में जहां कहीं भी जाते हैं तो लोग यह कहते हैं कि आवारा पशुओं की वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी लोगों के सामने हो गयी है। किसान अगर रात को उन्हें खेत से भगाने जाता है तो कई किसानों की मृत्यु और कई दुघटनाएं राजस्थान में देखने को मिलीं। उन्होंने सरकार में आते ही सबसे पहले जो नंदी गौशालाएं हर पंचायत पर बनेंगी, उसकी घोषणा की। उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि गाय माता को आपने ध्यान में रखा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि सड़क को लेकर, राजस्थान के विकास को लेकर उन्होंने अपने बजट में घोषणाएं कीं। 35 हजार करोड़ रुपये की घोषणा पांच साल के लिए की जिसमें से 6 हजार 37 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष के लिए उन्होंने अपने बजट में रखा। इसके अलावा एक हजार नौ सौ गांव जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं उनके डामरीकरण की घोषणा आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने की।

इसके अलावा चाहे ऊर्जा हो, चाहे उद्योग हो, हर पहलू जो राजस्थान के विकास के पथ पर जाए इसका ध्यान उन्होंने अपने इस बजट में रखा। चाहे पवन व सौर ऊर्जा को नीति बनाने का मामला हो। इसके अलावा मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की जनता की ओर से कि देश का पहला राज्य राजस्थान है जहां उद्यमियों को बिना किसी स्वीकृति के तीन वर्ष तक, बिना किसी निरीक्षण के मुक्त व्यापार और उद्योग लगाने की सुविधा दी। इसके अलावा लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दस करोड़ तक का ऋण ब्याज अनुदान पर देने की घोषणा आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने की।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को जब सरकार इससे पहले कांग्रेस पार्टी की इस राजस्थान में थी तब 608 ऐसी

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

दवाइयां और जांचें थीं जिनको इन्होंने आम जनता के लिए फ्री किया और फिर जब से सरकार बनी है तो 108 नई ऐसी दवाइयां हैं जिनमें विशेष तौर पर हर होस्पिटल में यह देखने को मिलता है कि जिस तरीके से बुखार या अन्य छोटी बीमारियां जो होती हैं उनकी दवाइयां आम जनता खुद वहन करने की स्थिति में रहती है लेकिन कैंसर, किडनी और हार्ट जैसी बीमारियां जो आम जनता आज परेशान है। इलाज के लिए पैसे गरीबों के पास होते नहीं हैं उन दवाइयों को उन्होंने इस बजट में फ्री किया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, छात्र राजनीति, कालेज और यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से कल राठौड़ साहब बोल रहे थे कि कोई विरासत और एक्सीडेंटल राजनीति का हम लोग परिणाम नहीं हैं, यहां नहीं पहुंचे हैं। एक संघर्ष और एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के सामने करते हुए इस सदन में हम लोग पहुंचे हैं। रोजगार को लेकर 15 लाख रोजगार की घोषणा पिछली सरकार ने की। कितने युवाओं ने आंदोलन पांच साल में किया, हर वर्ग, हर कर्मचारी पांच साल सड़कों पर रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने 75 हजार नौकरियों की घोषणा अपने पहले बजट में की।

इसके अलावा नये महाविद्यालय और अन्य तरीके के कौशल विकास की घोषणा उन्होंने अपने बजट में की। आदरणीय सभापति महोदय, मैं विशेष तौर से इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि दो दिन पहले पेयजल पर मेरे को जब बोलने का मौका मिला तो लाडनूं में जो ढाणियां मीठे पानी से बच गयी थीं, पिछली बार सरकार थी तो तीन हजार करोड़ की योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आयी उसके बाद जो कुछ ढाणियां बच गयी थीं उनको लेकर उन्होंने अपने बजट में विशेष तौर पर नागौर की सभी तहसीलों को रखा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्होंने लाडनूं के कस्बों में पचास की आबादी है उसको लेकर जल वितरण योजना को संगठित करने का काम उन्होंने अपने इस बजट भाषण में किया। मैं इस सदन के माध्यम से जो पर्यटन और कला संस्कृति मंत्री है बहुत चीजें हमें इस बजट में दी गयीं लेकिन जिस जिले से मैं आता हूं नागौर से वहां किसान कौम के जो आस्था के प्रतीक हैं, जो कुल देवता वीर तेजाजी महाराज हैं उनकी जन्मस्थली नागौर के खरनाल में है। मैं आदरणीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उनके मंदिर के सौन्दर्यीकरण और वहां

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

लगने वाले विश्व प्रसिद्ध मेले में सुविधाएं और विशेष पैकेज देने की आप कृपा करें, ताकि किसान कौम की आस्था का तीर्थ वीर तेजाजी महाराज खरनाल है, उसको आम राजस्थान और पूरे देश भर में लोगों के बीच में ले जा पायें, चूंकि बीजेपी के लोग गाय की बात करते हैं, गायों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे मैं चाहूंगा विशेष तौर पर तेजाजी महाराज के मंदिर के सौन्दर्यीकरण और विशेष पैकेज देने की घोषणा करें। पुन: मैं आदरणीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपने विशेष तौर पर मुझे यह वक्त दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री जी, तेजाजी के पैकेज की घोषणा कर दो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, मेले में चलेंगे।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे 2019-20 के बजट पर बोलने का मौका दिया। राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत कल्याण में शिक्षा का बहुत-बड़ा योगदान है। एक शिक्षित बालिका परिवार को शिक्षित कर सकती है। इस बजट में बालिका शिक्षा के लिए बजट प्रावधान जो पूर्व में चल रहा था सरकार ने उसमें कोई वृद्धि नहीं की है। कोई विशेष प्रावधान बालिका शिक्षा पर नहीं दिया गया है। इसी वित्तीय वर्ष में पचास प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। 33 जिलों के हिसाब से एक जिले को दो प्राथमिक विद्यालय भी नहीं मिल पाएंगे। जबकि प्राथमिक शिक्षा ही जीवन की प्रथम सीढ़ी है। मेरे क्षेत्र के कई दूरदराज गांवों और ढाणियों में स्कूल आज भी नहीं हैं। इन गांवों और ढाणियों की आबादी लगभग सात सौ होने के बावजूद भी प्राथमिक शिक्षा के लिए चार-पांच किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के तहत 262 करोड़ 40 लाख के जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पी वितरिका जो कि 34 हैड से निकलकर 24 पी टेल तक जाती है। बीस किलोमीटर लंबी वितरिका में पानी की क्यूसैक्स मात्रा पूरी छोड़ते ही टूट जाती है और किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। ऐसी स्थिति ए वितरिका अनूपगढ़ शहर के बीएसएफ के पास में 15ए होती हुई निकलती है, अभी हाल ही में टूट गयी। किसानों की

(श्रीमती संतोष)

खड़ी फसल नरमा, ग्वार की थी वह बर्बाद हो गयी है। काश्तकारों को नुकसान हुआ है। उनको मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान की मरुधरा की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर प्रदेश के करोड़ों लोगों का जीवन आश्रित है। केवल मात्र मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे बीकानेर संभाग का किसान वर्ग इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध सिंचाई जल के सहारे अपने जीवन का ताना-बाना बुनता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए टुकड़ों में वरीयता क्रम बनाने के स्थान पर 6 माह का वरीयता क्रम जारी किया जाए, ताकि रबी और खरीफ की फसल को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध हो सके। वर्तमान में पोंग बांध का जल स्तर भी संतोषजनक है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार-बार रेगुलेशन समय के वरीयता क्रम बनाने से किसान अपने भविष्य को लेकर सदैव आशंकित रहते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि चार में से दो ग्रुप देकर 6-6 माह का वरीयता क्रम बनाया जाए और फसली चक्र के अनुसार करने का कार्य करें।

ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिन काश्तकारों के पूर्व सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के 50 हजार तक ऋण माफ किये थे, आपकी घोषणा के अनुसार 2 लाख तक के ऋण किसानों के माफ किये जाएंगे लेकिन जिन किसानों को पूर्व में ऋण माफी योजना में लाभ मिल चुका है उन काश्तकारों से इस ऋण माफी योजना में भेदभाव किया जा रहा है। किसान ऋण न मिलने से परेशान हैं, खाद बीज के लिये भी उनके पास पैसे नहीं हैं।

प्रदेश में 500 से अधिक आबादी के गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है। चार वर्षों में एक हजार करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। लेकिन यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रथम चरण का चयन कब तक किया जाएगा। पर्याप्त बजट देकर जो सड़कें बिलकुल टूट चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं, उनका शीघ्र पुनर्निर्माण कराया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक हमारी योजना चल रही थी शुभ

(श्रीमती संतोष)

शक्ति योजना, उसमें गरीब परिवार को बेटी की शादी के लिये 50 हजार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। इस योजना में आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर लिये लेकिन उन परिवारों को आर्थिक सहायता अभी तक नहीं मिली है। प्रशासन इन आवेदकों को बार-बार टाल रहा है। भारतमाला सड़क परियोजना जो मेरे क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसमें किसानों की जमीन अवाप्त की गयी थी। अवाप्ति के बाद अभी तक काश्तकारों को स्थानीय प्रशासन द्वारा मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया जा रहा है, उनको शीघ्र मुआवजा दिलाया जाए।

रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना न्यू डवलपमेंट बैंक के ऋण द्वारा इंदिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की रीलाइनिंग वितरण तंत्र जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। जल की एक-एक बूंद राजस्थान वासियों के लिये विशेष महत्व रखती है। राज्य सरकार सिंचित क्षेत्र विकास के माध्यम से किसानों के खालों का पक्का निर्माण करवाने का कार्य करती है किन्तु राज्य सरकार द्वारा सिंचित क्षेत्र विकास विभाग को पर्याप्त बजट न दिये जाने के कारण खाळों के निर्माण का कार्य प्रभावित हो रहा है।

आज जो सबसे बड़ी समस्या है वह दूषित पेयजल की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाकर जनता को राहत प्रदान करे और शुद्ध पेयजल के लिये विशेष कदम उठाये जाएं।

एक हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्या है नशा। आज नशे का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जीरो करप्शन की बात की जा रही है लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा इस बारे में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही है। युवा नशे में डूबता जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विशेष कार्यवाही करके जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए।

हमारी सरकार के द्वारा नि:शुल्क दवाई और जांच की घोषणा की गयी है। मैं कहना चाहती हूं कि हास्पिटलों में डाक्टर के पद खाली हैं। जांच करेगा कौन, दवाई देगा कौन? पहले पदों को भरवाया जाए तभी जनता को इसका लाभ मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे

(श्रीमती संतोष)

अनूपगढ़ क्षेत्र में काफी समय से ट्रोमा सैंटर की मांग की जा रही है। वहां ट्रोमा सैंटर बनवाकर जनता को राहत दें और हमारे घड़साना में नगरपालिका की घोषणा की गयी थी। जिसके बारे में सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहती हूं कि जनहित में काम करके जनता को लाभ पहुंचाएं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान करके जनता को राहत प्रदान की जाए, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद सभापति महोदय, कि आज आपने मुझे बजट चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही में आभार प्रकट करता हूं, बधाई और शुभकामना देता हूं हमारे राजस्थान के गांधी, 36 बिरादरी के मसीहा, गरीबों के हितैषी माननीय अशोक जी गहलोत को, जिन्होंने एक शानदार, एक जानदार गरीब को गणेश, किसान को भगवान मानते हुए आज आम किसान, मजदूर जो गांव की पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, उसको राहत देने के लिये एक बहुत ही शानदार बजट पेश किया है। माननीय अशोक जी गहलोत जब जब सत्ता में आये उनकी हमेशा से एक ही सोच रही कि वह किस तरीके से राजस्थान का विकास कर सकें, किस तरह से वह गरीबों को राहत दे सकें और आज हमें देखने को मिला कि माननीय अशोक जी गहलोत ने जब बजट पेश किया, उन्होंने राजस्थान की 7 करोड़ की जनता की भावना को देखते हुए, पक्ष और विपक्ष को एक समान मानते हुए गरीबों को आगे बढ़ाने के लिये एक ऐसा बजट पेश किया कि आज पूरे राजस्थान की जनता अपने आपको लाभान्वित महसूस कर रही है।

माननीय अशोक जी गहलोत ऐसे नेता हैं जिनको पल-पल राजस्थान की चिंता रहती है। वह जब सत्ता में रहे या बाहर रहे, 24 घंटे, 365 दिन आमजन, किसान, मजदूर, हर वर्ग से मिलते रहे। जनता की जो भी समस्याएं थीं उनको बारीकी से पहचाना और अपने इस बजट में सामूहिक रूप से पेश करते हुए हर वर्ग को उन्होंने छुआ। हम चाहे बात करें कृषि की, हजार करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष बनाया। बात करें हम आवारा पशुओं को राहत देने के लिये पंचायत समिति स्तर पर एक नंदी शाला का निर्माण करना और हमारी गौ माताओं के लिये, पूर्व में गौ शालाओं में जो अनुदान मिलता था

(श्री अमित चाचाण)

उसमें बढ़ोतरी करके बता दिया कि गौ माता भाजपा के लिये तो एक वोट बैंक हो सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी असल में गौ माता की सेवा करना चाहती है, असल में कांग्रेस पार्टी को गौ माता की चिंता है।

माननीय अशोक जी गहलोत ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सड़कों को जोड़ने की बात कही। माननीय अशोक जी गहलोत ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही। माननीय अशोक जी गहलोत ने अपने पूर्व कार्यकाल में भी एक ऐसी योजना चलाई, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, जो राजस्थान में नहीं, देश में ही नहीं, उसकी प्रसिद्धि विश्व में हुई। मैं आज अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसे सदन का सदस्य हूं जिस सदन के नेता एक ईमानदार, 36 बिरादरी को आगे ले जाने वाले हैं। जिन्होंने जब से राजनीतिक जीवन शुरू किया, जब से उन्होंने सफेद कपड़ा पहनना शुरू किया। आज 40 वर्ष बाद भी विपक्ष उन सफेद कपड़ों पर एक रुपये का दाग नहीं लगा सका, ऐसे सदन के नेता का मैं सदस्य हूं और अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण आरोप लगा रहे हैं कि हमने यह कहा, हमारे मोदी जी ने यह कहा, लेकिन मैं आपको 2014 की वह बात याद दिलाना चाहता हूं। आप भूल गये वह विकास की बातें, आप भूल गये वह 15 लाख रुपये की बातें, आप भूल गये वह दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बातें, आप भूल गये वह काला धन लाने की बातें, आपने तो देश को गुमराह करने का काम किया। आज देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज पूरे देश का युवा अपने आपको ठगा हुआ महसूस करता है। आज पूरे देश का नागरिक अपने आपको भय में जीते हुए महसूस कर रहा है क्योंकि आपने जाति और धर्म के नाम पर ऐसे माहौल का निर्माण किया और मुझे आज शंका होती है कि आप लोग वोट से जीते हैं या मशीनों से जीतकर आये हैं। आज पूरे देश के नागरिकों को चिंता हो रही है। जब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से विजयी हुआ, पूरे विधान सभा क्षेत्र में जश्न मनाया गया, हर गांव, मौहल्ले में जश्न मनाया गया लेकिन अफसोस इस बात का है उसी विधान सभा क्षेत्र से जब भाजपा के लोगों ने लीड ली लेकिन प्रत्येक गांव, ढाणी में मायूसी छाई हुई थी। जब भाजपा को वोट दिया गया तो आम नागरिक, आम मजदूर, आम किसान मायूस क्यों था? उन्होंने जश्न क्यों नहीं मनाया क्योंकि मुझे आज भी शंका होती है कि यह लोग वोट से नहीं बल्कि मशीनों से जीतकर आये हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कभी राम

(श्री अमित चाचाण)

मंदिर के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर जो सत्ता हासिल करने का काम किया, इन्होंने कहा कसम हम राम लल्ला की खाते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे क्योंकि अगर तारीख बता दी तो जनता को कैसे बहलाएंगे, ऐसा काम भाजपा वालों ने किया है। माननीय अशोक जी गहलोत ने बहुत बड़ी बातें कीं, बहुत से काम उन्होंने ऐसे किये, सिंचाई की बात कर लें, महिलाओं के मान सम्मान की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, विद्युत में बढ़ोतरी की बात कर लें, ऐसे-ऐसे कार्य करने का काम किया कि आज यह बजट आने वाले समय में एक नई मिसाल कायम करेगा, नये आयाम स्थापित करेगा, राजस्थान को और युवाओं को एक विकास की राह पर लेकर जाएगा, ऐसा बजट हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है।

मुझे एक किस्सा याद आता है, जब मैं चेयरमैन था। नगरपालिका की मीटिंग करता था। विपक्ष के पार्षद जब मीटिंग में आते थे, उस मीटिंग में चाहे मैं वार्डों के विकास कार्यों की घोषणा करता था तो विपक्ष के पार्षदों की यही सोच रहती थी कि हमें विकास से मतलब नहीं, जब सत्ता पक्ष कोई काम करे, हमें तो सिर्फ हल्ला मचाना है और आज देखकर मुझे वही बात याद आ रही है कि सत्ता पक्ष ने चाहे कितना भी काम किया, विकास कार्य करने का काम किया, लेकिन एक इशारा ऐसे होता है। सभी माननीय सदस्य, चाहे उनके क्षेत्र के विकास की घोषणा ही क्यों न की गयी हो, फिर भी वे दबी जबान से यही कहते हैं कि इस बजट में कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, सीएम साहब ने बहुत कुछ राजस्थान को दिया है। उसके हिस्से से हमें भी कुछ न कुछ मिला, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में किसान आज पानी के लिये तरस रहे हैं। पिछले साल में, चाहे हम राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता कहें या सरकार की उदासीनता कहें, किसान जब-जब पानी मांगने गया, उन्हें पानी तो नहीं मिला, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा गालियां जरूर मिलीं। युवा जब-जब रोजगार मांगने गया, उन्हें रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की लाठियां जरूर मिलीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 14 गांव कुंभाराम लिफ्ट योजना के तहत असिंचित क्षेत्र हैं, उनको जल्द अविलम्ब जोड़ा जाए। मेरे क्षेत्र में सूई ब्रांच के अधीन काफी ऐसे गांव आते हैं जो भी असिंचित

(श्री अमित चाचाण)

हैं। मेरे क्षेत्र में एटासिंगरासर के बहुत से मेरे पल्लू क्षेत्र के गांव हैं। उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाए, क्योंकि अगर हमने किसान के हक का पानी उसके खेत में दे दिया, सही बीज दे दिये, फसल का भाव अगर सही दे दिया, किसान के हाथ मजबूत कर दिये, किसान को अब आगे बढ़ा दिया तो मुझे लगता है भविष्य में हमें कभी ऋण माफी शिविरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर किसान मजबूत हो गया तो देश भी आगे मजबूत हो जाएगा। हमारा भारत देश, कृषि प्रधान देश है। हमारा क्षेत्र तभी उन्नति करेगा, जब हम किसानों को आगे बढ़ाएंगे। हमारा देश तभी उन्नति करेगा, जब हम किसानों के हाथ मजबूत करेंगे। तभी हम तरक्की और विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय लगभग 1980 से बना हुआ है।

नोहर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। नोहर का जो भी विकास कार्य हुआ, हमारे भामाशाह परिवार द्वारा किया गया है। चाहे हम उसमें बियानी परिवार की बात करें, जिन्होंने कालेज, हास्पिटल, क्या-क्या चीजें बनायीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी बहनों की शिक्षा के लिए अगर नोहर में एक महिला कालेज की व्यवस्था की जाती है, आज जो हमारी बहनें शिक्षा से वंचित रहती हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हमारी बहनें उस शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजकीय कन्या महाविद्यालय नोहर बनाया जाए। नोहर में आज जो 50 बैड का हास्पिटल है, यह भी भामाशाह द्वारा बनाया गया। वर्तमान में भी भामाशाह, दानदाताओं के द्वारा बहुत से विकास कार्य उसमें जारी हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 165 गांव हैं। हरियाणा बोर्डर पर मेरा नोहर क्षेत्र है तो आपसे निवेदन करता हूं कि अगर सरकार उसको 100 बैड का हास्पिटल कर दे तो आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को बहुत बड़ी सुविधा मिल सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं पुन: एक बार आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए एक बार पुन: धन्यवाद और माननीय अशोक जी गहलोत को बहुत-बहुत बधाई एवं साधुवाद। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री हरेन्द्र निनामा)

वर्ष 2019-20 के बजट पर बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सदन से, मेरे साथियों से भी निवेदन करता हूं कि मैं अंतिम वक्ता के रूप में आपके बीच में हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से 10 जुलाई, 2019 को सदन में बजट पेश किया, वह बजट पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। मैं माननीय वसुन्धरा राजे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द, सिरोही, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के विकास के लिये करोड़ों रुपये का बजट दिया। माननीय अशोक जी गहलोत ने जिस तरह पक्षपात मेवाड़ से किया है, मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बजट का उल्लेख नहीं किया है। इससे जनता में रोष है। पूरे मेवाड़ की जनता नाराज हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी शेखावत को याद करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने टीएसपी क्षेत्र में टीएसपी के छात्र-छात्राओं को पढ़ने के लिए पहली बार नि:शुल्क पाठ्यक्रम वितरण करने का काम किया। स्कूलें खोली गयीं जिसका लाभ पूरे मेवाड़ को मिला। इसका ताजा उदाहरण उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिना भेदभाव किये एक ही आदेश में सभी पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खोलने की स्वीकृति जारी की।

सिंचाई के क्षेत्र में बांसवाड़ा में उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध स्थित है। इस बांध की नहरें आरएमसी, एलएमसी निकलती हैं। उनके रख-रखाव के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि संभाग का सबसे बड़ा बांध माही डैम है, उसकी सुरक्षा हेतु एक पुलिस थाने की व्यवस्था की जाए।

मैं माननीय वसुन्धरा जी को इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इन नहरों की मरम्मत के लिए पिछले समय 165 करोड़ रुपया दिया और काम भी युद्ध स्तर पर हुआ। घाटोल विधान सभा क्षेत्र में पीपलखूंट में हाई लेवल कैनाल की स्वीकृति हुई, इसके लिए भी आपने बजट दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन तहसीलें पड़ती हैं।

(श्री हरेन्द्र निनामा)

इसमें दो उप खण्ड कार्यालय हैं। मेरी मांग है कि दोनों उप खण्ड कार्यालय पर सरकारी महाविद्यालय खोले जाएं। माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उप खण्ड के ऊपर महाविद्यालय खोलने का बजट के अंदर प्रावधान भी रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महाविद्यालय खुलवाने की मांग करता हूं। बांसवाड़ा जिले में माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने एमबीसी बटालियन खोली। प्रतापगढ़ जिले में हाड़ीरानी बटालियन खोली और बांसवाड़ा के बेरोजगारों को एमबीसी में एक हजार की भर्ती का मौका मिला, यह बांसवाड़ा जिला कभी भूल नहीं सकता। बांसवाड़ा जिले के उदयपुर संभाग को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत फायदा हुआ। इसके लिए मैं माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बूंद-बूंद सिंचाई के लिए खमीरा कैनाल का निर्माण, आपके राज से कराया जा रहा है लेकिन वह धीमी गति में है, अधूरा काम है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस खमीरा कैनाल का काम जल्दी से जल्दी पूरा करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आरएमसी कैनाल निकली है, इसमें छोटी-छोटी माइनर हैं, उन माइनरों की मरम्मत के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं कि मरम्मत के लिए बजट दिया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कई सड़कों की स्वीकृति पूर्व सरकार में जारी हुई थी। लेकिन बजट के अभाव में सड़कों का कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश में पीएमजीएसवाई योजना लागू करके सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का एक ऐतिहासिक काम किया। इसी के साथ मैं माननीय अटल जी को पुन: याद करते हुए उनके राज में देश में एक भूरिया कमेटी लागू की गयी। उस भूरिया कमेटी के माध्यम से आज पूरे टीएसपी एरिये में टीएसपी का व्यक्ति सरपंच बन सकता है, प्रधान बन सकता है, जिला प्रमुख बन सकता है, एमएलए बन सकता है और एमपी बनने का प्रावधान किया तो वह श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने देश की नदियों को जोड़ने के लिये जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। जिसमें केन्द्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि जोधपुर से जीतकर गये हैं, उनको दायित्व दिया है, ताकि राजस्थान की

(श्री हरेन्द्र निनामा)

नदियों को भी जोड़ने में कोई कसर नहीं रहेगी। टीएसपी क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहन के लिये पूर्ववर्ती सरकार ने साइकिल वितरण, माननीय वसुन्धरा जी की सरकार ने स्कूटी देने का काम किया, उससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला। मैं देश के प्रधान मंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश में करोड़ों लोगों के मकान पक्के बने।

मेरे विधान सभा क्षेत्र की घाटोल पंचायत समिति राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रथम आई और मैं उस समय प्रधान के रूप में कार्यरत था।

सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार जीतकर आया हूं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 15 जुलाई 2019 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.30 बजे सोमवार, दिनांक 15 जुलाई 2019 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थिति सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर जिले में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियां

113. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में वक्फ बोर्ड की कितनी सम्पत्तियां हैं व किस-किस स्थान पर किस नाम से हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वक्फ बोर्ड में सम्पत्ति दिये जाने का क्या नियम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कब्रिस्तानों में स्थायी निर्माण कार्य किया जाकर आवास व दुकानें बनाकर इन्हें किराये पर दिया जा सकता है या इसमें कोई रह सकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नागौर शहर में वक्फ बोर्ड की कितनी सम्पत्तियां हैं एवं किस-किस स्थान पर हैं व किस नाम से हैं? क्या इन सम्पत्तियों का कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में वक्फ बोर्ड की 984 वक्फ सम्पत्ति का स्थान व नाम परिशिष्ट-अ पर अंकित है तथा राजपत्र में प्रकाशन पश्चात् वक्फ रिकार्ड में पंजीकृत 19 सम्पत्तियां हैं सूची नाम व स्थान सहित परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। इस प्रकार नागौर जिले में वक्फ बोर्ड की कुल 1003 सम्पत्तियां हैं।

(2) केन्द्रीय वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत गठित राजस्थान मुस्लिम वक्फ रेग्युलेशंस 1964 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय वांछित दस्तावेज प्राप्त होने पर वक्फ रिकार्ड में सम्पत्ति को पंजीकृत करने की कार्यवाही की जाती है। प्रारूप के अनुरूप फार्म रजिस्ट्रेशन ओकाफ की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) वक्फ अधिनियम - 1995 के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा वक्फ सम्पत्ति पट्टा-2014 के नियम-03 के अनुसार कब्रिस्तान आदि में कतिपय मामलों में पट्टे की मंजूरी पर निर्बन्ध है। उक्त किराया नियम निम्नानुसार है:- "कतिपय मामलों में पट्टे की मंजूरी पर निर्बन्ध:- (1) कोई

(वक्फ मंत्री)

मुतवल्ली या बोर्ड पट्टे पर कोई मस्जिद, दरगाह खानकाह, कब्रिस्तान या इमामबाडा नहीं देगा। परन्तु ऐसा कोई निर्बन्ध मस्जिद, खानकाह, कब्रिस्तान या इमामबाड़ा के मुख्य परिसर से बाहर स्थित वक्फ की भूमि पर लागू नहीं होगा। परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(4) नागौर शहर के वक्फ बोर्ड की 243 वक्फ सम्पत्तियां राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हैं तथा राजपत्र में प्रकाशन पश्चात वक्फ रिकार्ड में पंजीकृत 03 सम्पत्तियां हैं। सम्पत्तियों के नाम स्थान परिशिष्ट 'अ, ब" पर संलग्न है।

इन वक्फ सम्पत्तियों में से 10 सम्पत्तियों के प्रकरण विभिन्न माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है जो परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ोल के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार का वितरण

114. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कर बच्चों के लिए पोषाहार वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कौन-कौन संवेदक कहां-कहां वितरण कर रहे हैं? क्या संवेदकों से नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर पोषाहार वितरण का कार्य किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत सभी इच्छुक 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पूरक पोषाहार के निर्माण एवं आपूर्ति के उक्त कार्य में संवेदकों को विभाग की ओर से कोई भूमिका नहीं दी गई है। उक्त पूरक पोषाहार का निर्माण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाकर आंगनबाडी केन्द्रों पर अनुबन्ध के आधार पर आपूर्ति की जा रही है।

कानपुर ग्राम (उदयपुर) में जल प्रदूषण से फैल रहे रोगों पर नियन्त्रण की कार्ययोजना

115. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जावर माइन्स में प्रयुक्त केमिकल के कारण गांव कानपुर की जमीन बंजर हो गई है व जल प्रदूषण के द्वारा चर्म रोग फैल रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदूषित जल पीने से गायें व अन्य पशु अपनी जान गंवा चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि विभाग द्वारा किया गया खेतों का मौका मुआयना से प्राप्त सूचना अनुसार जमीन के बंजर होने जैसी स्थिति प्रतीत नहीं हुई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जल प्रदूषण होने के कारण चर्म रोग फैलने से संबंधित कोई भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जावर माइन्स से निकलने वाले प्रदूषित जल में गाय व अन्य पशु पानी पीने से पशुओं में मृत्यु का कोई प्रकरण नहीं है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के लाभार्थी

116. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संभागानुसार स्नातक, शिक्षित, अशिक्षित कुशल एवं अकुशल बेरोजगारों की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2019 में प्रत्येक संभाग में कितने-कितने व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए पात्र माना गया है एवं कितने व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) क्या सरकार ऐसे बेरोजगारों को जो स्नातक नहीं हैं, बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रोजगार विभाग में संभागानुसार स्नातक, शिक्षित, अशिक्षित एवं कुशल एवं अकुशल पंजीकृत आशार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश के प्रत्येक संभाग में पात्र शिक्षित बेरोजगारों को आवेदन करने पर मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत 1 फरवरी, 2019 से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। योजना के तहत 1 मार्च, 2019 से 31 मई, 2019 तक जिन पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये पात्र माना गया है, ऐसे आशार्थियों की संख्या संभागवार/जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। विभाग में ऐसे बेरोजगार, जो स्नातक नहीं हैं, को बेरोजगारी भत्ता देने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की योजना

117. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिला प्रशासन के अन्तर्गत कितने एस.डी.एम. कहां-कहां पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, 1976 के तहत उक्त जिले के एस.डी.एम. के द्वारा कितने बंधुआ श्रमिकों को बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये? 01 जनवरी, 2017 से अब तक जारी किये गये बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले के एस.डी.एम. के द्वारा जारी बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण पत्र के उपरान्त कितने बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिले के विभिन्न एस.डी.एम. द्वारा 1 जनवरी, 2017 से अब तक 468 बंधुआ श्रमिक अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, जिनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(3) Central Sector Scheme For Rehabilitation of Bonded Labour 2016 जो दिनांक 17.5.2016 से लागू की गयी है, की बिन्दु संख्या-6 (2) एवं 6(3) के अनुसार पुनर्वास की कार्यवाही उप खण्ड अधिकारी द्वारा बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा-21 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद ही की जाती है। योजना की प्रति संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर शहर में नन्दीशाला की स्थापना

118. श्री संजय शर्मा (अलवर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कृषि, पशु आधारित न होकर कृषि कार्यो का मशीनीकरण हो जाने से नन्दी खुले में घूम रहे हैं व आमजन को आए दिन नुकसान पहुंचा रहे हैं?

(2) क्या सरकार अलवर शहर में लावारिस गौवंश के लिए गौशाला खोलकर उक्त नन्दियों को संरक्षित व पुनर्वास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त गौवंश को महानरेगा योजना के तहत जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि कार्यों का मशीनीकरण हो जाने के कारण नर गौवंश की उपयोगिता कम होती जा रही है। इन परिस्थितियों में नर गौवंश का समुचित रख-रखाव एवं देखभाल कुछ गोपालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं नर गौवंश निराश्रित/आवारा होकर खुले में घूम रहे हैं।

इस समस्या को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा "नन्दी गौशाला जन सहभागिता योजना" आरम्भ किया गया है।

(गोपालन मंत्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा गौशाला खोले जाने का प्रावधान नहीं है। गौशाला की स्थापना/संचालन का कार्य धार्मिक ट्रस्टों/स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

बजट घोषणा वर्ष 2018-19 की पालना में अलवर जिले में एक नंदी गौशाला स्थापित की जानी थी। इस क्रम में जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा श्री किशन लाल शास्त्री धर्मार्थ गौशाला समिति ततारपुर (मुण्डावर, अलवर) का चयन नंदी गौशाला के रूप में किया गया है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

किसानों के लिए संचालित किसान बीमा योजना

119. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता से जुड़े किसान परिवारों को किसान बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है? यदि हां, तो प्रदेश के कितने किसान किस-किस जिले में किसान बीमा योजना से पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बीमा कम्पनी द्वारा पीड़ित किसान परिवार को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान समय पर कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किस-किस जिले में कितने-कितने किसान परिवार कितनी-कितनी राशि के बीमा क्लेम से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किसान बीमा योजना के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सहकारी बैंकों में किसान बीमा योजना के नाम से कोई योजना संचालित नहीं है।

(2) किसान परिवारों हेतु किसान बीमा योजना नामक योजना नहीं होने से इस योजनान्तर्गत कोई बीमा क्लेम देय होना अपेक्षित नहीं है।

(3) किसान बीमा योजना नामक योजना नहीं होने के कारण इस योजना के नियम उपलब्ध नहीं हैं।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

तिजारा में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

122. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? क्या उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हो चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार के रूप में क्या-क्या वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पोषाहार वितरण का कार्य किस-किस संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कुल 293 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें से 288 संचालित हैं व 5 अक्रियाशील हैं, उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति निम्नानुसार है-

क्र.सं.	आंगनबाड़ी संचालन की स्थिति	केन्द्र
1	विभागीय भवन	21
2	अन्य नि:शुल्क सरकारी भवन, विद्यालयों में	241
3	किरायें के भवनों में संचालित	26
	कुल	**288**

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत पोषाहार के रूप में नास्ता, गर्म पोषाहार, बेबी मिक्स पूरक पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। श्रेणीवार लाभान्वितों को उपलब्ध कराए जा रहे पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत गार्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जा रहे पोषाहार सामग्री का विवरण परिशिष्ट-अ पर समाहित है एवं प्रधान मंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण का कार्य स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्राप्त किया जाकर वितरित किया जा रहा है। जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानों के संचालन हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लम्बित प्रकरण

123. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) व **श्री हरीश चन्द्र मीना** (देवली-उनियारा) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी खानों की पर्यावरण स्वीकृति की पत्रावलियां कब से विचाराधीन हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं होती तब तक उक्त अवधि में भी क्या खनिज विभाग खनिज पर रायल्टी वसूल कर सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(3) क्या पर्यावरण स्वीकृतियां जारी नहीं होने से विभाग की आय कम हो रही है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यावरण स्वीकृति पर्यावरण विभाग द्वारा नहीं, अपितु स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथारिटी द्वारा प्रदान की जाती है। पत्रावलियों का आकलन स्टेट एक्सपर्ट एप्रैजल कमेटी द्वारा किया जाता है। दिनांक 30.6.2019 तक पर्यावरण स्वीकृति हेतु 342 खानों की पत्रावलियां विचाराधीन हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। खान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जब तक पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं होती है तब तक खनन की अनुमति नहीं होने से खनन विभाग रायल्टी वसूल नहीं कर सकता है।

(पर्यावरण मंत्री)

(3) जी नहीं। पर्यावरण स्वीकृति एक वैधानिक प्रकिया है जो एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, 2006 के अधीन जारी की जाती है। इस वैधानिक प्रक्रिया एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 का पालन करने से आय में कोई कमी आना नहीं माना जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बेरोजगारी भत्ता देने की कार्ययोजना

124. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से व कितना एवं पात्रता के क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को तीन हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। 1 जुलाई, 2012 से लागू राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पुरुष व महिला प्रार्थी को 500 रुपये तथा विशेष योग्यजन को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से भत्ता दिया जा रहा था। इस योजना का नाम जून, 2015 से अक्षत योजना कर दिया गया था। अक्षत योजना के तहत 1 अप्रैल, 2017 से संशोधन पश्चात भत्ते की दर पुरुष आशार्थी हेतु 650 रुपये तथा महिला एवं विशेष योग्यजन हेतु 750 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत 1 फरवरी, 2019 से महिला तथा विशेष योग्यजन स्नातक पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी को 3500/- रुपये प्रतिमाह एवं पुरुष आशार्थी को 3000/- प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अक्षत योजना तथा मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के पात्रता एवं नियमों की प्रति परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सरकार की नीतिगत घोषणा के तहत 1 फरवरी, 2019 से महिला तथा विशेष योग्यजन स्नातक पंजीकृत बेरोजगार

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

आशार्थी को 3500/- रुपये प्रतिमाह एवं पुरुष आशार्थी को 3000/- रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रम कल्याण योजना की राशि व्यपगत होने पर कार्यवाही

125. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में श्रमिकों के कल्याणार्थ कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं पर अप्रैल 2014 से मार्च 2019 तक कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया व कितने लक्ष्य प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में आवेदकों के प्रकरण लम्बित होने के उपरान्त भी राशि व्यपगत हुई है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनाओं की राशि व्यपगत होने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों हेतु श्रम वि भाग के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा च लाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त योजनाओं का संचालन "भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996" के अन्तर्गत संग्रहीत उपकर राशि से "भवन एवं अन्य संनिर्माण (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं राजस्थान नियम, 2009 के प्रावधानानुसार जिलों में स्थित श्रम कार्यालयों द्वारा आनलाइन पहले आओ पहले पाओ पद्धति से किया जाता है। स्वीकृत योग्य आवेदनों में सहायता राशि सीधे पंजीकृत हिताधिकारियों के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक पद्धति से जांच उपरान्त हस्तान्तरित की जाती है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(2) मण्डल के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु जिलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाता है, बजट की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले से उपयोगिता प्रमाण-पत्र व माँग प्राप्त होने पर और बजट आरटीजीएस के मार्फत तत्काल हस्तांतरित कर दिया जाता है। उक्त योजनाओं में अप्रैल, 2014 से मार्च, 2019 तक कुल 1192.85 करोड़ राशि का व्यय किया गया है।

(3) मण्डल की योजनाओं का वित्त पोषण निर्माण कर्ताओं द्वारा कराये गये निर्माण कार्य में निर्माण लागत के 1 प्रतिशत संग्रहित उपकर राशि से होता है। जिलों से मांग पत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आरटीजीएस के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें संग्रहित उपकर के लेप्स होने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) योजनाओं के स्वीकृत आवेदनों के क्रम में जिले से प्राप्त मांग पत्र अनुसार राशि आरटीजीएस के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसके लैप्स होने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खाजूवाला में अनुदानित डिग्गियों का बकाया भुगतान

126. श्री गोविन्द राम (खाजूवाला): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में किसानों की करीब चार सौ अनुदानित कृषि डिग्गियों का दस करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है? क्या सरकार उक्त डिग्गियों के बकाया का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कृषि विभाग के माध्यम से निर्मित अनुदानित डिग्गियों का भुगतान बकाया है। चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन एवं बजट प्राप्त होने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महुवा में संचालित पशु उप केन्द्र

109. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुहवा में वर्ष 2013 से पूर्व कुल कितने पशु उप केन्द्र संचालित थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से 30 नवम्बर, 2018 तक कितने पशु उप केन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र महुवा में वर्ष 2013 से पूर्व कुल 10 पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्वीकृत थे, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महुवा में वर्ष 2013 से 30 नवम्बर, 2018 तक कुल 19 पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्वीकृत किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किसान आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन

110. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने जन घोषणा पत्र में फसल बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत को इकाई बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार ने उक्त घोषणा पत्र में शीतलहर, पाला, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसान को समर्थ बनाने हेतु उचित मुआवजा नीति बनाने की घोषणा की थी? यदि हां, तो मुआवजा नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार को किसान आयोग की अब तक कितनी रिपोर्ट प्राप्त हुई है? रिपोर्ट के क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? किसान आयोग की रिपोर्ट व की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में फसल बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत को इकाई बनाने की घोषणा नहीं की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्तमान में अधिसूचित बीमा इकाई पटवार व तहसील निर्धारित की गई है।

(2) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुरूप राज्य में संचालित है जिसमें वर्णित प्राकृतिक आपदाओं पर ही बीमा क्लेम देय है। योजना के प्रावधानों के अनुसार सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जल भराव, कीट एवं बीमारी, भू-स्खलन, आकाशीय बिजली के कारण आग, ओलावृष्टि, चक्रवात, बादल फटना, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा इत्यादि के कारण होने वाली उपज हानि से पीड़ित बीमित कृषकों को योजना के प्रावधानों के अनुरूप बीमा क्लेम देय होता है।

(3) किसान आयोग द्वारा अब तक कुल 2 प्रतिवेदन (प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 21.06.2012 एवं द्वितीय प्रतिवेदन दिनांक 24.07.2013 को) प्रस्तुत किये गये। राज्य सरकार द्वारा सभी संबंधित विभागों को रिपोर्ट प्रेषित कर क्रियान्वयन हेतु प्रेषित की गई। संबंधित विभागों द्वारा प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदनों में प्रस्तुत अनुशंषाओं पर की गई अनुपालना/कार्यवाही की सूची क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

111. श्री पब्बा राम (फलौदी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलौदी में किन-किन स्थानों पर पशु चिकित्सालय, उप पशु चिकित्सालय स्थापित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थापित पशु चिकित्सालयों में कितने क्रियाशील तथा कितने अक्रियाशील श्रेणी में आते हैं?

(3) क्या सरकार अक्रियाशील संस्थानों में कार्मिकों का पदस्थापन कर उन्हें क्रियाशील करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों, रिक्त पदों एवं पदस्थापित पदों का विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(श्री पब्बा राम)

(5) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की क्रियाशील एवं अक्रियाशील पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में पशु चिकित्सा कर्मियों के रिक्त पद होने के कारण, कई पशु चिकित्सा संस्थाएं अक्रियाशील हैं, जिन्हें कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाकर क्रियाशील किया जाता है।

(4) विधान सभा क्षेत्र फलौदी की पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत, रिक्त एवं पदस्थापित पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(5) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बानसूर व अलवर के कृषि विज्ञान केन्द्रों में रिक्त पद

112. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मिट्टी-पानी प्रयोगशाला से गत 2 वर्षो से जिले के कितने किसानों के मिट्टी व पानी के नमूने प्राप्त हुए व उनमें से कितनों का परीक्षण कर कितनों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बानसूर के कृषि विज्ञान केन्द्र के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अलवर में कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो उसमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोइल हैल्थ कार्ड योजना के द्वितीय चरण (वर्ष 2017-2019) के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 29.82 लाख मृदा नमूने प्रयोगशालाओं में प्राप्त हुए

(कृषि मंत्री)

जिसमें से जून, 2019 तक 28.85 लाख नमूनों का परीक्षण कर, 107.30 लाख साइल हैल्थ कार्ड किसानों को नि.शुल्क उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया।

अलवर जिले में इस दौरान 1.92 लाख मृदा नमूने प्राप्त हुए, जिसमें सभी का परीक्षण कर, 8.31 लाख साइल हैल्थ कार्ड जिले के किसानों को उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है।

(2) बानसूर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित नहीं है।

(3) जी हां। अलवर जिले के नौगांव में कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित है, जिसमें कुल 16 पद स्वीकृत हैं जिनमें से वर्तमान में 11 पद भरे हुए व 05 पद रिक्त हैं। संवर्गवार पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कार्यशील खानों में ब्लास्टिंग के उपयोग की अनुमति

113. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कार्यशील खानों में भारी मशीनों या ब्लास्टिंग का उपयोग करने से पूर्व धात्विकीय खान विनियम 1961 के विनियम 106(2) (बी) के अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है? प्रदेश में कितनी खानों में यह अनुमति लेकर खनन कार्य किया जा रहा है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा लिखित में जारी अनुमति में दी गयी शर्तों के अनुपालना के पश्चात ही भारी मशीनों या ब्लास्टिंग का उपयोग कर खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है?

(3) प्रदेश में वर्तमान में कितनी खानों में उपरोक्त नियम का उल्लंघन कर खनन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा गत 6 माह में उपरोक्त नियम की पालना हेतु जारी किये गये नोटिसों का तिथिवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री छगनसिंह)

(5) क्या सरकार खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा लिखित में जारी अनुमति में दी गयी शर्तों को पालन करने का खान पट्टेधारी/खनन अनुज्ञप्तिधारक को नोटिस जारी करने तथा निश्चित समय अवधि में पालन करने का आदेश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निदेशक खान सुरक्षा, उदयपुर, अजमेर, ग्वालियर व गाजियाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 877 खानों में उपरोक्त अनुमति प्राप्त कर खनन कार्य किया जा रहा है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट—1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) प्रदेश में वर्तमान में उपरोक्त नियम का उल्लंघन कर खनन गतिविधियां संचालित नहीं की जा रही है।

(4) गत 6 माह में उपरोक्त नियम की पालना हेतु जारी किये गये नोटिसों का तिथिवार, जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। खानधारकों द्वारा भारी मशीनों/ब्लास्टिंग के अनुमति में अंकित शर्तों की पालना नहीं करने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कार्यवाही की जाती है। खान सुरक्षा विभाग से उक्त संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर विभाग की ओर से भी पट्टेधारियों को चेतना पत्र जारी कर कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा गत 6 माह में जारी किये गये नोटिस का विवरण परिशिष्ट-2 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण में संचालित गौशालाएं

114. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में वर्तमान में कितनी गौशालाएं संचालित हैं। पंचायत समिति वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गौशालाओं में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में तीन पंजीकृत गौशालाएं हैं जिनमें से दो गौशालाएं वर्तमान में क्रियाशील व संचालित हैं जो निम्नानुसार हैं:-

1. श्री पशुपति कल्याण परिषद बलिचा एन.एच.-8 उदयपुर।

2. श्री शिव शंकर गौशाला पाराखेत, उमरड़ा।

उपरोक्त दो क्रियाशील संस्थाओं के अतिरिक्त निम्नांकित एक संस्थान अक्रियाशील है -

1 .श्री एम.एम. सरूपरिया गौशाला सुरों का फला, बलिचा, उदयपुर।

(2) उक्त क्रियाशील दो गौशालाओं में पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से टीकाकरण, बधियाकरण, औषधि वितरण, कृत्रिम गर्भाधान जांच आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। गौशाला प्रबंधकों द्वारा स्वयं के स्तर से भी गौशालाओं में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सिलिका सैण्ड खनन हेतु जारी पट्टे

115. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में सिलिका सैण्ड खनन हेतु कितने खनन पट्टे जारी किये गये हैं? खनन पट्टे के लीजधारकों के नाम एवं लीज की अवधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खनन पट्टे धारकों द्वारा अनुमति प्राप्त कुल उत्पादन मात्रा (टन) एवं उक्त कुल उत्पादन मात्रा (टन) का कितना प्रतिशत खनिज खनन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने लीजधारकों द्वारा खनन प्रारम्भ नहीं किया गया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कितने लीजधारकों द्वारा खनन नियमों के विपरीत जाकर खनन किया गया है? क्या खनन नियमों की अवहेलना करने वाले लीजधारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर जुर्माना वसूल किया गया है? यदि हां, तो जुर्माना राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सिलिका सैण्ड के खनन हेतु कुल 214 खनन पट्टे जारी किये गये हैं। लीज धारक का नाम एवं लीज की अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त खनन पट्टा धारकों द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 1659709.00 मैट्रिक टन खनिज के उत्पादन की अनुमति प्राप्त कर 2630519.36 मैट्रिक टन खनिज सिलिका सैण्ड का उत्पादन किया गया है, जो कुल प्राप्त अनुमति का 15.85 प्रतिशत है। पट्टेधारियोंवार विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) स्वीकृत 214 खनन पट्टों में से 118 लीजधारकों द्वारा ई.सी. के अभाव में, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की कन्सेन्ट टू आपरेट नहीं होने, खनन पट्टा अरावली हिल्स में होने एवं खनिज की मांग की कमी होने आदि कारणों से खनन कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। विवरण परिशिष्ट- 1में अंकित है।

(4) विभागीय अधिकारियों द्वारा खनन पट्टों के किये गये निरीक्षण अनुसार वर्तमान में प्रदेश में खनिज सिलिका सैण्ड हेतु आबंटित 42 लीजधारकों द्वारा खनन नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। उक्त समस्त लीजधारकों को नोटिस जारी किये गये हैं, इनमें से नोटिस की पालना नहीं करने वाले 2 खनन पट्टों को खण्डित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम सहकारी समितियों में लघु बैंक की स्थापना

116. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सहकारी समितियों के रूप में लघु बैंक खोलने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब व क्या उक्त निर्णय की क्रियान्विति हो गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्तमान में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में अभी सहकारी समितियां लघु बैंक के रूप में कार्यरत नहीं हैं? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्द्रा)

(3) शेष ग्राम पंचायतों में अब कब तक सहकारी समितियों के रूप में लघु बैंक खोल दिए जाएगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग द्वारा सक्षमता के आधार पर प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति/बहुद्देशीय वृहत कृषि सहकारी समिति (LAMPS) में मिनि बैंक खोलने के दिशा-निर्देश हैं।

(2) डाबर व डूंगरवाडा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिनी बैंक का कार्य नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) चूंकि समितियां एक स्वायत निकाय हैं वे अपनी सक्षमता एवं संसाधनों के आधार पर मिनी बैंक खोल सकतें है। इसमें विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियों का गठन

117. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन एवं रामगंज मण्डी में कितनी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियां स्वीकृत हैं व कितनी वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी समिति स्वीकृति हेतु मानदण्ड/ नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्या? क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त विधान सभा क्षेत्रों में नई सहकारी समितियों का गठन करना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन–कौन सी ग्राम पंचायत पर कब–कब तक तथा किस–किस आधार पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में 59 ग्राम पंचायतों में से 45 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित हैं तथा 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंचायत मुख्यालयों पर नहीं हैं एवं 8 ग्राम पंचायतें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(सहकारिता मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में 36 ग्राम पंचायतों में से 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित हैं तथा 3 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंचायत मुख्यालयों पर नहीं हैं एवं 18 ग्राम पंचायतें ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित हैं। सूची परिशिष्टट-2 पर उपलब्ध है।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। गठन के मानदण्ड परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पेंशनर्स को जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध कराने की कार्ययोजना

118. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाडा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के पेंशनर्स को बजट के अभाव में कानफैड द्वारा जीवन रक्षक दवायें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं? यदि हां? तो क्या सरकार पेंशनर्स को दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में पेंशनर्स को दवाइयां उपलब्ध कराने वाले कानफैड का अब तक कुल कितना भुगतान बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कानफैड द्वारा पेन्शनर्स को जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करायी जा रही हैं एवं जो दवाइयां कानफैड के विक्रय केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं होती हैं उनका अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एन.ए.सी.) जारी की जाती है जिसके आधार पर बाजार से क्रय की गई दवाइयों के क्लेमों का पुनर्भरण कानफैड द्वारा पेन्शनर्स को कर दिया जाता है।

(2) कानफैड एवं राज्य के जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों की वर्तमान में आर.पी.एम.एफ. योजनान्तर्गत कोष कार्यालयों की ओर कुल राशि 17464.50 लाख भुगतान हेतु बकाया है। संस्थावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषक मित्र योजनान्तर्गत पुन: ऋण वितरण

119. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सहकारी बैंकों से जिन किसानों ने कर्जा लिया है और जो अवधिपार हो गया, उन्हें पुन: नया ऋण देने से वंचित करने का नीतिगत निर्णय सरकार ने लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों से कृषक मित्र योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक जिन किसानों ने पूर्व का ऋण जमा करा दिया, उन्हें पुन: ऋण वितरण सरकार ने नहीं किया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कृषक मित्र योजनान्तर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 व 2018-19 में कितने किसानों को कितना-कितना ऋण वितरित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा कृषक मित्र योजना में ऋण वितरण हेतु कोई रोक नहीं लगाई गयी है।

(3) राज्य के 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2017-18 व 2018 -19 में कृषक मित्र योजनान्तर्गत निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**किसानों की संख्या**	**ऋण वितरण (राशि लाखों में)**
1	2017-18	14070	26659.63
2	2018-19	13011	23823.76

केन्द्रीय सहकारी बैंकवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में बस स्टैण्ड से बसों का संचालन

120. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नगर में बस स्टैण्ड का निर्माण कब हुआ?

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(2) क्या उक्त बस स्टैण्ड से बसों का संचालन किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? बसों का संचालन नहीं होने पर कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बस स्टैण्ड से सरकार बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों? सरकार उक्त बस स्टैण्ड को कब तक नियमित रूप से संचालित कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्राइवेट बस आपरेटरों द्वारा शाहपुरा नगर के मध्य बसों का अवैध संचालन किया जा रहा है। यदि हां, तो किस-किस बस आपरेटर के विरुद्ध अनाधिकृत बस संचालन की कार्यवाही की गयी? वित्तीय वर्ष 2018-19 में कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां पायी गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा नगर में बस स्टैण्ड का निर्माण वर्ष 2002 में करवाया गया।

(2) वर्तमान में उक्त बस स्टैण्ड से प्राइवेट/रोडवेज बसों का संचालन आंशिक रूप से किया जा रहा है। पूरी तरह से संचालित नहीं होने की मुख्य वजह शाहपुरा नगर की अधिकांश आबादी (80-85 प्रतिशत) उक्त नए बस स्टैण्ड से 1.5-2 किमी. दूर पुराने बस स्टैण्ड (रामद्वारा मंदिर) के आस पास निवास करती है। शाहपुरा से करीब 64 स्टेज केरिज प्राइवेट बसों का आवागमन होता है इनका मार्ग शाहपुरा कस्बे से होकर गुजरता है। कस्बे के 4 मुख्य स्थलों कलिंजरी गेट, कोटड़ी चौराहा, फूलिया गेट एवं रामद्वारा मंदिर (पुराना बस स्टैण्ड) है। एवं उक्त 64 स्टेज केरिज प्राइवेट बसों के यात्रीगण नए बस स्टैण्ड पर चढ़ते-उतरते नहीं हैं। कस्बे के उपरोक्त चार स्थलों पर ही चढ़ते-उतरते हैं।

(3) खण्ड "2" में वर्णितानुसार।

(4) शाहपुरा से करीब 64 स्टेज केरिज प्राइवेट बसों का रूट निम्न है भीलवाडा-शाहपुरा-देवली, भीलवाड़ा- शाहपुरा-केकड़ी, शाहपुरा-बेगूं, शाहपुरा-माण्डलगढ़, शाहपुरा-विजयनगर का आवागमन होता है इनका रूट सर्वे/मार्ग शाहपुरा कस्बे से होकर गुजरता है। कस्बे के 4 मुख्य स्थलों कलिंजरी

(परिवहन मंत्री)

गेट, कोटड़ी चौराहा, फूलिया गेट एवं रामद्वारा मंदिर (पुराना बस स्टैण्ड) है। उक्त सभी मार्ग शाहपुरा नगर के मध्य से ही गुजरते हैं।

बस आपरेटरों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियमों का उल्लंघन करने परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षकों द्वारा कमियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिला मुख्यालय से ग्राम भूंवाला तक निगम की बस सेवा का संचालन

121. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 2019 के बाद चालू वित्तीय वर्ष में सीकर जिला मुख्यालय से ग्राम-भूंवाला (पं. समिति-धोद) तक राजस्थान रोडवेज की बस सेवा शुरू की गयी थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बस सेवा कुछ ही दिन तक चालू रखकर बन्द कर दी गयी? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त बस सेवा को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सीकर जिला मुख्यालय से ग्राम भूंवाला (पं. समिति-धोद) मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वाहन दिनांक 14 फरवरी, 2019 से संचालित की गई थी।

(2) जी हां। उक्त वाहन की आय आगार की परिवर्तित लागत 18.20 रुपये से काफी कम प्राप्त होने के कारण निगम वाहन का संचालन बंद कर दिया गया।

उक्त वाहन के संचालन की आय/यात्रीभार का विवरण निम्न है:-

मार्ग का नाम	आय प्रति कि.मी. (रुपये)	यात्रीभार (प्रतिशत)
सीकर-भूंवाला	07.28	24
भूंवाला-सीकर	02.03	05

(परिवहन मंत्री)

(3) जी नहीं। सीकर जिला मुख्यालय से ग्राम-भूंवाला (पं.स. धोद) तक संचालित की गई निगम वाहन की आय अत्यधिक कम आने के कारण बन्द की गई है। निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल उक्त बस सेवा को संचालित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

बाड़ी मुख्यालय से धीमरी तक के ग्रामों हेतु निगम की बसों का संचालन

122. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बाड़ी मुख्यालय से ग्राम पंचायत मुख्यालय धीमरी के लिये वाया ग्राम पंचायत मुख्यालय सनौरा, ग्राम टोडपुरा, खूले का पुरा, धन्नू का पुरा होते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ग्रामीण बस सेवा संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राजस्थान सरकार की जन घोषणा पत्र में की गयी घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को सरकार द्वारा देय फण्ड/राशि

123. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजस्थान पथ परिवहन निगम को समय-समय पर फण्ड/राशि दी जाती रही है? यदि हां, तो गत 10 वर्षों में सरकार द्वारा किन-किन मदों में कितनी-कितनी राशि, कब-कब दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिस मद की प्राप्त राशि संबंधित मद पर व्यय नहीं कर प्रबंधन द्वारा स्वेच्छा से व्यय की जाती है? यदि हां, तो क्यों? उक्त मदों में प्राप्त राशि को किस-किस मद पर कितना-कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निगम को सिंधी कैम्प विकास एवं पेंशनर्स के भुगतान हेतु अब

(श्री मोहन राम चौधरी)

तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त मदों पर अब तक कुल कितना-कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में पद का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा निगम को समय-समय पर फण्ड/राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार से निगम को विगत 10 वर्षों में दी गई राशि का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा निगम को जिस मद में व्यय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है, निगम द्वारा उसी मद में राशि व्यय की जाती है। सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड के विकास, बसें क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता उसी मद में तथा राज्य सरकार से प्राप्त अंशपूंजी, अनुदान एवं ब्याज मुक्त ऋण का उपयोग निगम द्वारा निगम के संचालन व्ययों के पुनर्भरण में किया गया है। सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान हेतु प्राप्त आर्थिक सहायता का उपयोग उसी मद में किया गया है एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है।

(3) सिंधी कैम्प विकास एवं पेंशनर्स के भुगतान हेतु अब तक प्राप्त राशि एवं किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(4) उक्त प्रकरणों में अनियमितता नहीं की गई। अत: कार्यवाही करने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर के अल्पसंख्यक ब्लॉक

124. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में अधिकतर सीमावर्ती गांव गरीबी रेखा में आते हैं उक्त क्षेत्र के अल्पसंख्यक ब्लाकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में सीमावर्ती व गरीब ग्रामीणों के अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के लिए विशेष सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में विकास खण्ड रायसिंहनगर एवं विजयनगर सम्मलित है। उक्त में से ब्लाक रायसिंहनगर प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के रूप में चयनित है।

(2) अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए रायसिंहनगर एवं विजयनगर में नि:शुल्क बालक एवं बालिका छात्रावास, भौतिक लक्ष्यों के अनुरूप प्री मैट्रिक, पोस्ट मेट्रिक व मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति तथा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय विधालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।

जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति, कोटा में दर्ज प्रकरण

125. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति कोटा में वर्ष 2013 से 2018 के बीच कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? वर्षवार प्रकरणों की सूची का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कितनों पर कार्यवाही निरस्त कर ड्रोप कर दिए गये? शिकायतकर्ता का नाम व ड्रोप किए प्रकरणों का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति कोटा में वर्ष 2013 से 2018 के बीच कुल 312 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। प्रकरणों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति कोटा द्वारा वर्ष 2013 से 2018 तक 147 प्रकरण निस्तारित किये गये एवं 140 प्रकरण निरस्त कर ड्रोप किये गये। वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में पंजीकृत मदरसे

126. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप कुमार)

(1) अलवर जिले में कितने पंजीकृत मदरसे हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत मदरसों में कितने छात्र-छात्रा किस-किस कक्षा में तालीम प्राप्त कर रहे हैं? मदरसेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलवर जिले में मदरसे खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त जिले के मदरसों में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान मदरसा बोर्ड में अलवर जिले में 162 पंजीकृत मदरसे हैं। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त पंजीकृत मदरसों में मदरसेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने एवं निर्धारित मापदण्ड पूरे करने पर मदरसा पंजीकृत किया जाता हैं।

(4) राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में शिक्षक-छात्र संख्या अनुपात में संविदा के आधार पर शिक्षा सहयोगी लगाये जाते है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं व सहयोगिनियों का नियमितीकरण

127. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं सहयोगिनियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी स्वेच्छिक भावना से मानदेय सेवा पर कार्य करने वाली कार्मिक हैं।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत-सरकार के पत्र क्रमांक 24-2/2016-सीडी प्रथम दिनांक 26.02.2016 के द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मानदेय कार्मिक हैं तथा अपनी सेवाएं मासिक मानदेय के आधार पर प्रदान करती हैं। अत: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को न तो स्थाई सरकारी कर्मचारी घोषित किया जा सकता है और न ही कोई अन्य सिविल पद दिया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमीरीबी एवं अन्य के प्रकरण में यह निर्धारित किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मानदेय कार्मिक होने के कारण इन्हें न तो सरकारी कर्मचारी घोषित किया जा सकता है और न ही इन्हें न्यूनतम मजदूरी में कवर किया जा सकता है। अत: इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

पाली शहर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लम्बित मानदेय का भुगतान

128. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली शहर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका के मानदेय का भुगतान किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से किस-किस स्तर से किया जाना लम्बित है एवं इनका बकाया भुगतान कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शहर के किस-किस आंगनबाड़ी केन्द्र को पोषाहार की किनती-कितनी राशि का कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से भुगतान किया जाना शेष है एवं उक्त भुगतान कितनी-कितनी अवधि में कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का मानदेय प्रतिमाह कोई निश्चित तिथि को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा राजस्थान में जून 2018 में परिसीमन के अन्तर्गत 21 परियोजनाएं विलोपित कर 21 नवीन परियोजनाएं संचालित की गई हैं, जिसके अन्तर्गत पाली शहर परियोजना विलोपित कर इसके समस्त आंगनबाड़ी

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

केन्द्र पाली ग्रामीण परियोजना में स्थानान्तरित किये गये हैं। स्थानान्तरित किये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों के मानदेय कर्मियों को माह फरवरी 2019 तक के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। मई 2019 के मानदेय बिल भुगतान हेतु कोष कार्यालय भिजवाये जा चुके हैं तथा जून 2019 के मानदेय बिल प्रक्रियाधीन हैं। तकनीकी समस्या के कारण माह मार्च एवं अप्रैल 2019 के मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। शीघ्र ही तकनीकी समस्या का निराकरण कर इस अवधि का भुगतान कर दिया जायेगा।

(2) विभाग द्वारा राजस्थान में जून 2018 में परिसीमन के अन्तर्गत 21 परियोजनाएं विलोपित कर 21 नवीन परियोजनाएं संचालित की गई है, जिसके अन्तर्गत पाली शहर परियोजना विलोपित कर इसके समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र पाली ग्रामीण परियोजना में स्थानान्तरित किये गये हैं। फरवरी 2019 तक के पोषाहार बिलों का भुगतान किया जा चुका है। मार्च 2019 एवं अप्रैल 2019 के बिल तैयार कर कोष कार्यालय भिजवा दिये गये हैं। माह मई एवं जून 2019 के पोषाहार बिल भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन है। इनका भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका का मानदेय प्रतिमाह नियमित भुगतान करने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण

129. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों में कौन-कौन से पद कहां-कहां रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौनसे आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जो स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं? क्या सरकार उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां कराए गए? उक्त कराए गए कार्यों में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण किये गए हैं तथा कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व कहां? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ के अन्तर्गत परियोजना नवलगढ़ संचालित है जिसके अन्तर्गत 225 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र व 2 मिनी केन्द्र स्वीकृत हैं, स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। आंगनबाड़ी केन्द्र के रिक्त पद ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड सभा द्वारा भरे जाते है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभागीय योजनाओं के तहत करवाया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करवाये गये कार्य तथा व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभागीय योजनाओं के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुंदा में वन अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

130. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुंदा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त पदों पर कार्यरत कर्मियों का पदवार, नामवार, कार्यालयवार तथा कार्यभार संभालने की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अधिकारी तथा कर्मचारी के पास कौन-कौनसा क्षेत्र उसके क्षेत्राधिकार में आता है? नामवार, पदवार, क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने पद कहां-कहां पर कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा में वन विभाग के कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) अधीन रेंज गोगुंदा, सायरा, देवला एवं रेंज उदयपुर का बरोडा नाका तथा कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजसमंद के अधीन रेंज बोखाडा अधीनस्थ क्षेत्र आता है।

प्रदेश में वन विभाग में पदों की स्वीकृति विधान सभा क्षेत्रवार न होकर सबंधित जिला स्तरीय कार्यालयवार होती है। इस क्रम में विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा में कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) तथा कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजसमंद में स्वीकृत पदों का विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-ए एवं बी अनुसार है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुंदा में वन विभाग के कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) अधीन रेंज-गोगुंदा, सायरा, देवला एवं रेंज-उदयपुर का बरोडा नाका तथा कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजसमंद के अधीन रेंज-बोखाडा अधीनस्थ क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों का पदवार, नामवार, कार्यालयवार तथा कार्यभार संभालने की दिनांक सहित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-सी एवं डी अनुसार है।

(राज्य मंत्री, वन)

(2) विवरण बिन्दु संख्या-1 की सूचना में संलग्न परिशिष्ट-सी एवं डी में समाहित है।

(3) विवरण बिन्दु संख्या-1 की सूचना में संलग्न परिशिष्ट-ए एवं बी में समाहित है।

(4) विभाग में सहायक वन संरक्षक के सीधी भर्ती के 99 एवं रेंजर ग्रेड-। के 70 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 04.04.2018 द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

वर्ष 2017-18 में अधीनस्थ संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा वनपाल के 87, वनरक्षक के 1041, वाहन चालक के 99 एवं सर्वेयर के 43 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 7(1) वन/2018 दिनांक 26.3.2018 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर को अर्थना भिजवायी जा चुकी है।

तकनीकी संवर्ग में कनिष्ठ अभियंता के 5, प्रयोगशाला सहायक के 18, ट्रैक्टगार्ड के 13, पम्प चालक ग्रेड-। के 2 एवं कारपेन्टर के 2 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.7(6)वन/ 2019 दिनांक 28.5.2019 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर को अर्थना भिजवायी जा चुकी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा में वृक्षारोपण

131. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र भादरा में विगत 10 वर्षों में कितने वृक्ष लगाये गये और वर्तमान में कितने वृक्ष हैं तथा इन पर कितना बजट व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भादरा में कार्यालय उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ द्वारा अधीनस्थ क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से 2018-19 की अवधि में रोपित पौधे, उनकी जीवितता प्रतिशत तथा व्यय राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोटू ग्राम (जायल) में वन्य जीवों से फसलों के नुकसान की रोकथाम

132. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम रोटू एवं आसपास के 20 गांवों में वन्यजीव हिरण एवं नीलगाय भारी संख्या में व्याप्त हैं? जिससे फसलों में भारी नुकसान होता है? यदि हां, तो इसके लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

(2) क्या ग्राम रोटू में पूर्व में वन्यजीव अभयारण्य स्वीकृत है? यदि हां, तो इसकी स्थापना हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो भविष्य की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम रोटू एवं आस-पास के 20 गांवों में हिरण व नीलगाय (रोजड़ा) पाये जाते हैं। हिरणों एवं रोजड़ों (नीलगाय) द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने की समस्या है।

किसानों की फसलों को वन्यजीव से होने वाले नुकसान से बचाने के क्रम में राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या प 11 (27) वन/91 दिनांक 31.3.1994 द्वारा उप वन संरक्षकों को एवं प. 11 (27) वन/91 दिनांक 19.1.1996 तथा 30.4.1997 से क्षेत्रीय वन अधिकारियों एवं अधिसूचना प. 11(27) वन/91 दिनांक 31.8.2000 द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 11(1) (बी) के द्वारा राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उप खण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना अधिकारी को कृषकों द्वारा आवेदन करने पर रोजड़ों (नीलगायों) को मारने की अनुमति देने के लिये प्राधिकृत किया हुआ है। उक्तानुसार जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-ए से डी अनुसार है।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.05.2012 (प्रति संलग्न परिशिष्ट-ई) से वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 36 ए के तहत नागौर जिले की जायल तहसील के ग्राम रोटू के पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातियों, वनस्पतीय एवं भू-संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणीशास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 'रोटू कंजरवेशन रिजर्व' 72.86 हैक्टेयर घोषित किया गया है।

बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की कार्ययोजना

133. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के युवा बेरोजगारों को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था? यदि हां, तो क्या उक्त बेरोजगारी भत्ता वर्तमान में भी दिया जा रहा है? यदि हां तो कितना व इसके क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र में उक्त बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के युवा बेरोजगारों को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अक्षत योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत पात्र महिला तथा विशेष योग्यजन स्नातक पंजीकृत बेरोजगार आशार्थी को 3500/- रुपये प्रतिमाह एवं पुरूष आशार्थी को 3000/- रुपये प्रतिमाह की दर से बरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है । योजना के मापदण्ड एवं नियमों की प्रति परिशिष्ठ क पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सरकार ने पात्र शिक्षित बेरोजगारों को 3500/- रूपये तक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की है। प्रदेश के सभी पात्र बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने के आदेश दिनांक 3 फरवरी, 2019 को जारी कर दिये गये है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

खेल अकादमी का संचालन

134. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी खेल अकादमी एवं डे–बोर्डिंग खेल अकादमी कहां–कहां पर कब से संचालित है? खेलवार एवम् स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अकादमियों में विगत दस वर्षों में कितने–कितने खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? इसमें केन्द्र व

(श्री वासुदेव देवनानी)

राज्य का कितना–कितना अंशदान था? अकादमीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त अकादमियों में कितने खेल प्रशिक्षक कहां–कहां पर कार्यरत हैं तथा प्रशिक्षकों के कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं?

(4) क्या सरकार डे–बोर्डिंग खेल अकादमी को आवासीय खेल अकादमी में क्रमोन्नत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा 17 खेल अकादमियों का संचालन किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

साथ ही डे-बोर्डिंग योजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

(2) खेल अकादमियों में आवासित खिलाड़ियों की प्रशिक्षण एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलगन है।

अकादमियों पर व्यय/अंशदान पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। शेष सूचना परिशिष्ट-ख के अनुसार है।

(3) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित खेल अकादमियों में खिलाडियों को प्रशिक्षण देने हेतु अकादमी में 13 नियमित प्रशिक्षक नियुक्त हैं एवं 4 अकादमियों में नियमित प्रशिक्षकों के पद रिक्त हैं। (जिसका विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा वर्तमान में कोई भी डे-बोर्डिंग योजना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खेलों में प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाएं

135. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में युवाओं के लिए क्या-क्या योजनाएं संचालित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के प्रोत्साहन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों यथा उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ, बारां, झालावाड़, राजसमंद, कोटा, बून्दी, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर की 3898 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण युवा केन्द्र खोले गये। इन ग्राम पंचायतों में 5,17,93,102/- रुपये की खेल सामग्री दी गयी है।

(2) युवाओं के लिये संचालित की जा रही प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रमों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना

136. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रशासन जयपुर द्वारा विभिन्न उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) के समक्ष दिनांक 1 जनवरी, 2017 से अब तक कितने बच्चों को बंधुआ श्रम उन्मूलन कानून 1976 के तहत बंधुआ श्रमिक मानते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया? सम्बन्धित एस.डी.एम. द्वारा की गई कार्यवाही का (बच्चों के नाम व पते सहित माहवार) विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) जिन बाल श्रमिकों को बंधुआ श्रमिक नहीं माना गया, उनके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जिला प्रशासन, जयपुर द्वारा विभिन्न उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक 1 जनवरी, 2017 से अब तक 211 बच्चों को बंधुआ श्रम उन्मूलन कानून 1976 के तहत बंधुआ श्रमिक मानते हुए अवमुक्त प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) बाल श्रमिक, बंधुआ श्रम पद्धति(उत्सादन) अधिनियम 1976 के अनुसार बंधुआ श्रम की परिभाषा में नहीं आने से बंधुआ श्रमिक नहीं माना गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतियोगी परीक्षार्थियों को नि:शुल्क बस यात्रा

137. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए युवाओं को सरकारी बसों में राज्य में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गयी थी। यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? उक्त योजना को कब तक शुरू कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सरकार के जन घोषणा पत्र 2018 के बिन्दु संख्या (9) "प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये आने-जाने वाले बेरोजगार युवकों को उनके परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने पर रोडवेज का किराया माफ किया जाना" की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

138. श्री संदीप शर्मा (कोटा उत्तर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दरें क्या हैं? क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के खनिज श्रमिकों को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में निम्नानुसार न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं:-

श्रेणी	प्रतिदिन	प्रतिमाह
अकुशल श्रमिक	213/-	5538/-
अर्द्धकुशल श्रमिक	223/-	5798/-
कुशल श्रमिक	233/-	6058/-
उच्च कुशल श्रमिक	283/-	7358/-

जी हां। राज्य सरकार द्वारा बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि करती है। दिनांक 6.3.19 को न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी प्रस्तावित कर नियोजक/

(राज्य मंत्री, श्रम)

कामगारों व अन्य व्यक्तियों से सुझाव व आपत्तियां चाही गयी हैं। प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर राजस्थान न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल के समक्ष विचार-विमर्श उपरान्त राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 की धारा 2 (डी) में "भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य" को परिभाषित किया गया है। उक्त कार्य में जहां पर कारखाना अधिनियम, 1948 एवं खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

जैतारण की औद्योगिक इकाइयों में होम गाड्‌र्स की नियुक्ति

139. श्री अविनाश (जैतारण): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत पांच वर्षों से किन-किन पुलिस थानों व चौकियों में कितने-कितने होम गार्ड ड्यूटी पर लगाये गये? प्रत्येक होमगार्ड जवान को प्रतिदिन/प्रतिमाह कितना भुगतान किया गया संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में होमगार्ड जवान को प्रतिदिन प्रतिमाह कितना भुगतान किया जाता है? क्या सरकार होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में होम गार्ड जवानों को नियुक्ति देने के संबंध में सरकार की ओर से कोई गाइड लाईन जारी की गयी है? यदि हां, तो गाइड लाइन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार होमगार्ड जवानों को उपरोक्त औद्योगिक इकाईयों में नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विगत 05 वर्षों में जैतारण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)

वाले पुलिस थानों सेंदडा, कालू, रास, रायपुर, बगडी पुलिस चौकियां बर, निमाज, खुशालपुरा, निम्बोंल, कुडकी, बाबरा में होमगार्ड स्वयं सेवकों को नियोजित नहीं किया गया है।

पुलिस थाना जैतारण में नियोजित होमगार्ड जवानों की सूची एवं होमगार्ड जवान को प्रतिदिन/प्रतिमाह किये गये भुगतान की सूची परिशिष्ट-अ के अनुसार है।

(2) वर्तमान में राजस्थांन होमगार्ड जवान को पुलिस कांनिस्टेबल के समान ड्यूटी करने व वाहन चालक का कार्य करने पर रु. 693/- दैनिक डयूटी भत्ता एवं इनके अतिरिक्त अन्य डयूटियों हेतु रु. 590/- प्रति दिवस की दर से दैनिक ड्यूटी भत्ता देय है। वर्तमान में मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। यदि कोई इकाई भुगतान के आधार पर होमगार्ड लगाने की मांग करती है तो उपलब्ध कराया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)